



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 1
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**राजस्थान सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 1
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

विषय-सूची		
	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	vii
विहंगावलोकन	-	ix
भाग – क : राजस्व क्षेत्र		
अध्याय I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	5
बकाया कर निर्धारण	1.3	6
विभाग द्वारा खोजी गयी कर अपवंचना	1.4	7
प्रतिदाय के बकाया प्रकरण	1.5	7
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.6	8
लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.7	8
लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर	1.8	9
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा	1.9	12
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	13
प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र	1.11	13
अध्याय II : बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	15
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.2	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3	16
कर का कम आरोपण	2.4	17
आगत कर की अनियमित छूट	2.5	18
प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.6	18
'जीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.7	19
माल और सेवाकर के अंतर्गत अनियमित रिफंड अनुमत्य किया जाना	2.8	37
'जीएसटी के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.9	40

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
आगत कर जमा (आईटीसी) का अधिक अग्रगण	2.10	55
अध्याय III : भू-राजस्व		
कर प्रशासन	3.1	57
विभाग द्वारा संपादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.2	57
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.3	58
संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव/कम वसूली	3.4	59
अध्याय IV : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	4.1	65
आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.2	65
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	66
अचल सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन	4.4	67
लीज विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक कर का कम आरोपण	4.5	68
‘प्रायोजक निकाय’ से ‘निजी विश्वविद्यालय’ को अचल संपत्ति का हस्तांतरण	4.6	70
कन्वेयंस के दस्तावेज का गलत वर्गीकरण	4.7	71
राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं करना	4.8	73
अनिस्तारणीय मुस्तारनामा पर मुद्रांक कर का कम आरोपण	4.9	75
अध्याय V : राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	5.1	77
आन्तरिक लेखापरीक्षा	5.2	77
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.3	78
कम्पोजिट फीस की कम वसूली	5.4	79
मासिक गारंटी राशि की कम वसूली	5.5	80
अतिरिक्त राशि की अवसूली	5.6	81
आबकारी शुल्क की अंतर राशि की अवसूली	5.7	82
परमिट शुल्क के कम आरोपण के कारण राजस्व की हानि	5.8	83

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
भाग – ख : व्यय क्षेत्र		
अध्याय VI : सामान्य		
लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	6.1	85
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	6.2	85
लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	6.3	86
लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर	6.4	86
प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र	6.5	88
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	6.6	88
अध्याय VII : व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा		
कृषि विभाग		
प्रमाणित बीजों को अनाज के रूप में बेचने से हानि	7.1	89
निजी फर्म को अदेय लाभ	7.2	92
सहकारिता विभाग		
न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कृषि उपज की खरीद में कमी	7.3	94
मत्स्य विभाग		
अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर चूकना	7.4	98
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग		
केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन की हानि	7.5	100
अतिरिक्त चीनी की अविवेकपूर्ण खरीद	7.6	102
श्रम विभाग		
छह वर्षों तक निधियां अवरुद्ध रहना	7.7	104
स्रोत पर कर कटौती के प्रतिदाय का नुकसान	7.8	106

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग		
आठ ट्रौमा केयर केंद्र भवनों के निर्माण पर निष्फल व्यय	7.9	109
अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित व्यय	7.10	113
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं करना	7.11	115
अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ़ बोर्ड		
अपूर्ण बालिका छात्रावास पर निष्फल व्यय	7.12	118
स्वयं सहायता समूहों से ऋण वसूली का अभाव	7.13	122
कार्मिक विभाग		
तीन वर्षों से अधिक समय के लिए राशि अवरुद्ध रहना	7.14	124

	परिशिष्ट	पृष्ठ
परिशिष्ट 2.1	श्रेणीवार लेखापरीक्षा यूनिवर्स एवं नमूना चयन	129
परिशिष्ट 2.2	आवेदनों की पावती में विलम्ब (सभी प्रकार के रिफण्ड) स्वचालन-पूर्व	130
परिशिष्ट 2.3	सभी प्रकार के रिफण्ड के लिए आवेदनों की पावती में देरी (स्वचालन पश्चात)	131
परिशिष्ट 2.4	समयावधि के भीतर निष्पादित नहीं किये गए आवेदन (देय ब्याज का भुगतान किया गया/भुगतान नहीं किया गया) स्वचालन-पूर्व	134
परिशिष्ट 2.5	समयावधि के भीतर निष्पादित नहीं किये गए आवेदन (देय ब्याज का भुगतान किया गया/भुगतान नहीं किया गया) स्वचालन-पश्चात	136
परिशिष्ट 2.6	शून्य-दर आपूर्ति के अन्तर्गत अंतरिम रिफण्ड निर्धारित समय के भीतर स्वीकृत नहीं किया जाना (स्वचालन-पूर्व)	140
परिशिष्ट 2.7	शून्य दर आपूर्ति के अन्तर्गत अंतरिम रिफण्ड का समय के भीतर स्वीकृत नहीं किया जाना (स्वचालन-पश्चात)	142
परिशिष्ट 2.8	इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अन्तर्गत रिफण्ड का अनियमित अनुमत्य किया जाना (स्वचालन-पूर्व)	145
परिशिष्ट 2.9	इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफण्ड का अनियमित अनुमत्य किया जाना (स्वचालन-पश्चात)	147

	परिशिष्ट	पृष्ठ
परिशिष्ट 2.10	पूँजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को शामिल करते हुए रिफंड राशि (स्वचालन-पूर्व)	151
परिशिष्ट 2.11	पूँजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को शामिल करते हुए रिफंड राशि (स्वचालन-पश्चात)	153
परिशिष्ट 2.12	अंतरिम रिफंड की अनियमित स्वीकृति	156
परिशिष्ट 2.13	सीजीएसटी और एसजीएसटी के रिफंड की सही राशि की गणना करने के संबंध में पोर्टल की अनियमितताएँ	158
परिशिष्ट 2.14	सीजीएसटी और एसजीएसटी के रिफंड की सही राशि की गणना करने के संबंध में पोर्टल की अनियमितताएँ	159
परिशिष्ट 2.15	परिपत्र की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप पात्र आईटीसी के सत्यापन का अभाव	161
परिशिष्ट 2.16	रिफंड प्रकरण जिनमें ऑनलाइन रिफंड आवेदन के साथ एचएसएन/एसएसी कोड अनुलग्नक-बी में शामिल नहीं किये गये (ऑनलाइन)	163
परिशिष्ट 2.17	रिफंड प्रकरण जिनमें जीएसटीएन पोर्टल पर रिफंड आवेदन के साथ बीआरसी वसूली का वचनपत्र अपलोड नहीं किया गया था (स्वचालन-पश्चात)	164
परिशिष्ट 2.18	अवधिपार प्रकरणों में रिफंड की अनियमित स्वीकृति (स्वचालन-पश्चात)	165
परिशिष्ट 2.19	सौर ऊर्जा आपूर्ति पर जीएसटी का अनियमित रिफंड	166
परिशिष्ट 2.20	वृत्तों द्वारा प्रदान की गई सीमित सूचना	167
परिशिष्ट 2.21	वृत्तों द्वारा प्रदान की गई आवश्यक सूचना	169
परिशिष्ट 6.1	विभागों की सूची	170
परिशिष्ट 6.2	सरकार/विभागों के प्रत्युत्तर को दर्शाने वाला विवरण	171
परिशिष्ट 7.1	रबी 2018-19 में प्रमाणित बीजों को बीज के बजाय अनाज के रूप में बेचने से हानि का विवरण	172
परिशिष्ट 7.2	स्थान-वार क्षमताएं जो प्रदाता-बी के बजाय प्रदाता-ए से प्राप्त की जा सकती थी, को दर्शाने वाला का विवरण पत्र	178
परिशिष्ट 7.3	राज्य में एमएसपी के अंतर्गत फसल-वार उत्पादन, उत्पादन के लक्ष्य और वास्तविक स्वरीद का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	179
परिशिष्ट 7.4	केरोसिन के स्वेच्छापूर्वक अभ्यर्षण में देरी के कारण नकद प्रोत्साहन की हानि का तिमाहीवार विवरण	180
परिशिष्ट 7.5	लघु वित्त योजना के अंतर्गत बकाया ऋण राशि का विवरण	181
परिशिष्ट 7.6	उन स्वयं सहायता समूहों की सूची जिनके मई 2019 तक के बकाया के अग्रिम चेक प्रस्तुत किये गए थे	184

प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में दो भागों में सात अध्याय सम्मिलित हैं। भाग-क राजस्व उपार्जन करने वाले चार विभागों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है तथा भाग-ख चयनित सरकारी विभागों द्वारा किये गये व्यय की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इसके अधीन जारी लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 के प्रावधानों के अधीन की गई है। इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के पटल पर उपस्थापित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टांत वे हैं जो वर्ष 2020-21 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही ऐसे प्रकरण जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका तथा वर्ष 2020-21 की अवधि के आगे के दृष्टांत, जहाँ कहीं आवश्यक थे, भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के चयनित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा, राजस्व मूल्यांकन, संग्रहण और समुचित आवंटन पर प्रभावी जाँच के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं की रचना करने तथा लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से सम्बंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है तथा यह सुनिश्चित करने कि क्या भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के समक्ष लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग की महत्ता का स्तर लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं परिमाण के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष इस प्रत्याशा से होते हैं कि ये कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाही करने में समर्थता प्रदान करेंगे तथा नीतियाँ और दिशानिर्देश बनाने में भी जिससे संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा एवं इस प्रकार सुशासन में योगदान करेंगे।

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं:

भाग-क में राजस्व उपार्जन विभागों यथा वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा राज्य आबकारी की लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा आक्षेप सम्मिलित हैं।

भाग-ख में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किये गये व्ययों से संबंधित लेखापरीक्षा आक्षेप सम्मिलित हैं।

भाग – क

राजस्व क्षेत्र

भाग-क में 19 अनुच्छेद हैं जिनमें ₹ 249.40 करोड़ अन्तर्निहित हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

- राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2019-20 में ₹ 1,40,114 करोड़ के समक्ष वर्ष 2020-21 में ₹ 1,34,308 करोड़ थीं। सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व राशि ₹ 73,936 करोड़ में कर राजस्व ₹ 60,283 करोड़ तथा कर- भिन्न राजस्व ₹ 13,653 करोड़ शामिल था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 60,372 करोड़ (विभाजन योग्य केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 35,576 करोड़ एवं सहायतार्थ अनुदान ₹ 24,796 करोड़) थीं।

(अनुच्छेद 1.1)

- मार्च 2021 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि चार विभागों अर्थात् वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग में 1,799 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 5,308 अनुच्छेद सितम्बर 2021 के अंत तक बकाया थे जिनमें ₹ 1,656.71 करोड़ अन्तर्निहित थे।

(अनुच्छेद 1.8)

II. बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

कार्यालय द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की 45 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं:

- कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर का ₹ 131.02 करोड़ के स्थान पर ₹ 90.00 करोड़ का गलत निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.41 करोड़ की राशि के कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

- रियायती दर पर विक्रय किये जाने वाले माल पर ₹ 0.44 करोड़ की अनियमित आईटीसी अनुमतय की गयी।

(अनुच्छेद 2.5)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर के आरोपण के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ के प्रवेश कर और ₹ 1.02 करोड़ के ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

'जीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी। पाई गई मुख्य अनियमितताएं इस प्रकार हैं:

- 247 प्रकरणों में रिफंड की स्वीकृति में 1 से 522 दिनों तक का विलम्ब हुआ। विभाग ने ₹ 16.82 लाख ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जो इन सभी प्रकरणों में दावेदारों को देय थी।

(अनुच्छेद 2.7.6.2)

- 57 प्रकरणों में शून्य-दर आपूर्ति के कारण अंतरिम रिफंड की स्वीकृति में 1 से 324 दिनों तक का विलम्ब हुआ।

(अनुच्छेद 2.7.6.3)

- 24 प्रकरणों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत ₹ 7.09 करोड़ के रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई।

(अनुच्छेद 2.7.6.4)

- 16 प्रकरणों में माल या सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति के अंतर्गत ₹ 0.36 करोड़ के रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई।

(अनुच्छेद 2.7.6.5)

- शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 2.62 करोड़ की राशि के अंतरिम रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई।
(अनुच्छेद 2.7.6.6)
 - राज्य जीएसटी पोर्टल में निर्धारित क्रम में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की सही रिफंड योग्य राशि की गणना करने के लिए सिस्टम सत्यापन जांच का अभाव है। जिसके परिणामस्वरूप 208 प्रकरणों में सीजीएसटी और एसजीएसटी की स्वीकृत रिफंड राशि पात्र राशि से अधिक थी।
(अनुच्छेद 2.7.7.1)
 - माल के निर्यात, जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली नहीं हुई, की पहचान करने के लिए तंत्र उपलब्ध नहीं था। ऐसी सूचना की उपलब्धता के अभाव में, विभाग ने ऐसे प्रकरणों की पहचान नहीं की जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली का प्रमाण उपलब्ध नहीं था।
(अनुच्छेद 2.7.7.3)
 - 34 करदाताओं ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आईटीसी के रिफंड के दावे, रिफंड जिस अवधि से संबंधित है उसके लिये विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के दो वर्ष बाद किये थे।
(अनुच्छेद 2.7.7.4)
 - दो करदाताओं द्वारा प्राप्त की गई आईटीसी में नेट आईटीसी की गणना करने के लिए आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर आईटीसी को भी सम्मिलित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.34 करोड़ के रिफंड का अनियमित भुगतान हुआ।
(अनुच्छेद 2.8.1)
 - क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय कर के ड्यूटी ड्रॉबैक का पता लगाने में विफल रहे तथा करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफंड को अनुमत्य किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ की राशि के रिफंड का अनियमित भुगतान हुआ।
(अनुच्छेद 2.8.2)
- 'जीएसटी के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। पाई गई मुख्य अनियमितताएं इस प्रकार हैं:
- 674 करदाताओं द्वारा अग्रेषित एसजीएसटी का ट्रांजिशनल क्रेडिट कर निर्धारण/संशोधन आदेशों के अनुसार उपलब्ध आईटीसी से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप आईटीसी राशि ₹ 164.68 करोड़ का अधिक अग्रेषण किया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना था।
(अनुच्छेद 2.9.6.1)
 - एक करदाता ने पुरानी अवधि के अंतिम शेष के रूप में ₹ 32.75 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया जिसमें कर मुक्त माल के रूप में बेचे गये माल की खरीद पर ₹ 26.65 लाख की आईटीसी शामिल थी जो अनियमित रूप से 2016-17 से अग्रेषित की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 26.65 लाख की आईटीसी का अधिक दावा हुआ।
(अनुच्छेद 2.9.6.2)

- 16 करदाताओं द्वारा ₹ 5.42 करोड़ के अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था जिसे बाद में उनके द्वारा जमा कर दिया गया था या करदाताओं/विभाग द्वारा रिवर्स कर दिया गया था। तथापि, न तो करदाताओं ने ब्याज का भुगतान किया, न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.90 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.9.6.3)

- चयनित 1325 प्रकरणों में से विभाग ने 459 प्रकरणों का सत्यापन किया। लेखापरीक्षा ने इन 459 प्रकरणों में से 86 मामलों में अनियमितताएं देखीं, जिनका विभाग द्वारा पता नहीं लगाया गया था।

(अनुच्छेद 2.9.6.4)

- 644 करदाताओं के मामले में ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में बकाया घोषणा प्रपत्रों (सी, एच एवं एफ) का विवरण जैसे बकाया घोषणा प्रपत्रों से संबंधित टर्नओवर, साथ ही देय अंतर कर राशि एवं बकाया घोषणा प्रपत्रों से संबंधित रिवर्स करने योग्य आईटीसी की राशि उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने करदाताओं से घोषणा प्रपत्रों का आवश्यक विवरण नहीं मांगा और जीएसटी पोर्टल ने भी इन विवरणों के खाली छोड़े जाने के बाद भी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की अनुमति दी।

(अनुच्छेद 2.9.6.5)

- 13 करदाताओं ने स्टॉक पर इनपुट और अर्धनिर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में नियत दिवस पर एसजीएसटी के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, संबंधित सहायक सूचना एवं अभिलेख जैसे अंतिम स्टॉक का विवरण और सहायक बीजक विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे।

(अनुच्छेद 2.9.6.6)

- एक करदाता ने पूँजीगत माल पर अप्रयुक्त एसजीएसटी क्रेडिट के संबंध में ₹ 52.40 लाख के एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। इसके अतिरिक्त, दो करदाताओं ने नियत दिवस को या उसके बाद प्राप्त इनपुट जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के तहत कर का भुगतान किया गया था पर एसजीएसटी क्रेडिट ₹ 29.44 लाख की राशि का दावा किया। तथापि, निर्धारित सूचना जैसे सहायक बीजकों के साथ पूँजीगत माल और अंतिम स्टॉक का विवरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा इन ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के प्रकरणों का सत्यापन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.9.6.7)

- 71 वृत्तों के क्षेत्राधिकारियों द्वारा जीएसटी बोवेब पोर्टल पर उचित एमआईएस की कमी का कारण बताते हुए केवल सीमित सूचनाएं प्रदान की गयीं। शेष 23 वृत्तों ने वृत्तों के स्तर पर संकलित सूचनाओं के आधार पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी। तथापि, किसी भी सहायक दस्तावेज के अभाव में, इन वृत्तों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका।

(अनुच्छेद 2.9.6.9)

- जीएसटी-पूर्व व्यवस्था के तहत उपलब्ध आईटीसी को सत्यापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप करदाताओं द्वारा ₹ 2.48 करोड़ के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लिया गया।

(अनुच्छेद 2.10)

III. भू-राजस्व

कार्यालय द्वारा भू-राजस्व विभाग की 57 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं:

- राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों को छूट अधिसूचना में शामिल करने में विफलता के परिणामस्वरूप जयपुर जिले की तहसील फुलेरा में कृषि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के लिए राशि ₹ 0.90 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव रहा।

(अनुच्छेद 3.4.1)

- टोंक एवं जयपुर जिलों की सात तहसीलों में बिना संपरिवर्तन के संस्थागत, औद्योगिक, आवासीय कॉलोनी एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 14.21 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.4.2)

- जयपुर जिले की तहसील चौमू में कृषि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग के संपरिवर्तन के लिए गलत क्षेत्र के आधार पर संपरिवर्तन दर की गणना के परिणामस्वरूप ₹ 0.14 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.4.3)

- दौसा, जयपुर एवं टोंक जिलों की चार तहसीलों में गलत दर लागू कर कृषि भूमि के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 0.18 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.4.4)

IV. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

कार्यालय द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 29 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं:

- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.52 करोड़ मुद्रांक के कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

- लीज विलेसों के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.20 करोड़ के मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा संस्थागत भूमि के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कुल ₹ 0.18 करोड़ के मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)

- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा कन्वेयंस दस्तावेज को सही वर्गीकृत करने में विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹ 0.27 करोड़ के मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.7)

- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के पास उपलब्ध सूचनाओं को उपयोग में लेने में विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹ 0.31 करोड़ के मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)

V. राज्य आबकारी

कार्यालय द्वारा राज्य आबकारी विभाग की 41 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं:

- जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से निर्धारित मासिक गारंटी राशि वसूल करने में विफलता से राजस्व ₹ 9.14 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.5)

- जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा के लिए निर्धारित अतिरिक्त राशि वसूल करने में विफलता से राजस्व ₹ 9.75 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.6)

- जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा देशी शराब अनुज्ञाधारियों से कम उठाई गई मात्रा पर आबकारी शुल्क की अंतर राशि वसूल करने में विफलता से राजस्व ₹ 5.54 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.7)

- नीति प्रावधान के अनुरूप देशी मदिरा के परिवहन पर परमिट शुल्क की दर में वृद्धि को अधिसूचित करने में विफलता के कारण राजस्व ₹ 16.07 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.8)

भाग - ख

व्यय क्षेत्र

VI. सामान्य

- राजस्थान सरकार के 66 विभाग, 234 स्वायत्तशासी निकाय एवं 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित

किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा महालेखाकार* (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है।

(अनुच्छेद 6.1)

- वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 24,258 इकाइयों में से 699 इकाइयों की लेखापरीक्षा आयोजित की गई। आगे, 16,537 मानव दिवस (वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु) उपयोजित किये गये।

(अनुच्छेद 6.3)

- व्यय क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये कुल 75 अनुच्छेदों को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से, इनमें से 16 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ निर्धारित समय पर प्राप्त हो गईं एवं 51 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ औसतन तीन से चार माह के विलम्ब से प्राप्त हुईं। आठ अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ लम्बित थीं।

(अनुच्छेद 6.6)

VII. व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा बीजों को आगामी सीजन में वितरण के लिए भंडारित करने और पुनः प्रमाणित कराने के बजाय उनको अनाज के रूप में बेचने/नीलामी करने के अविवेकपूर्ण निर्णय एवं उचित आयोजना के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 10.15 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 7.1)

- राजस्थान राज्य भण्डार निगम द्वारा मौजूदा लाभकारी अनुबंध के तहत उपलब्ध भंडारण क्षमता का उपयोग करने के बजाय, स्वप्रेरणा से एकल स्रोत उपापन की प्रक्रिया के माध्यम से एक कम लाभकारी राजस्व बंटवारे वाला अनुबंध निष्पादित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निजी फर्म को ₹ 1.57 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

(अनुच्छेद 7.2)

- सहकारिता विभाग की 'न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना' के तहत तिलहन एवं दलहन की लक्षित मात्रा की खरीद करने में विफलता से किसान अपनी उपज का प्रत्याभूत मूल्य प्राप्त करने से वंचित रहे।

(अनुच्छेद 7.3)

- मत्स्य विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन करते हुए उच्चतम बोलीदाता के विफल रहने के बाद बचे एकमात्र बोलीदाता को निर्धारित नियमानुसार अवसर प्रदान न करने के निर्णय के कारण अतिरिक्त ₹ 3.97 करोड़ अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.4)

* दिनांक 18.05.2020 से कार्यालय के पूर्ववर्ती नाम 'प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)' को बदलकर 'महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1)' किया गया है।

- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को अनुदानित चीनी के वितरण में देरी/गैर वितरण और आवश्यकता से अधिक चीनी की खरीद के परिणामस्वरूप भारी स्टॉक इकट्ठा हो जाना और अंततः ₹ 2.73 करोड़ मूल्य की खियायती चीनी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाना ।

(अनुच्छेद 7.6)

- श्रमिक आवासों के निर्माण के लिए स्थान का चयन करने एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा लेने में राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के दुल-मुल रवैये के परिणामस्वरूप ₹ 13.74 करोड़ छह वर्षों से अधिक समय के लिए अवरुद्ध रहे एवं भवन श्रमिकों को समूह आवास योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा ।

(अनुच्छेद 7.7)

- भवनों के निर्माण हो जाने के सात से अधिक वर्षों के बाद भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ट्रौमा केयर केन्द्रों के प्रारम्भ नहीं होने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 5.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ बल्कि दुर्घटना पीड़ित भी तुरंत जीवन रक्षक उपचार की सुविधा से वंचित रहे ।

(अनुच्छेद 7.9)

- चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त किये बिना ही पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिए जिसके कारण पाठ्यक्रम बंद हो गए, जिससे नामांकित छात्रों के करियर सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा परिणामस्वरूप आधारभूत संरचना व उपकरणों पर ₹ 1.40 करोड़ का व्यय निष्फल रहने के साथ-साथ ₹ 1.15 करोड़ की अप्रयुक्त राशि पांच वर्ष से भी अधिक समय तक अवरुद्ध रही ।

(अनुच्छेद 7.11)

- अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ़ बोर्ड द्वारा संस्वीकृति के नियमों एवं शर्तों की पालना न करने तथा बालिका छात्रावास के निर्माण में असामान्य देरी के फलस्वरूप ₹ 2.10 करोड़ का व्यय निष्फल रहा एवं लाभार्थी अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रहे ।

(अनुच्छेद 7.12)

- अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ़ बोर्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण संवितरण के समय लघु वित्त योजना के दिशानिर्देशों की अनुपालना में विफल रहने के परिणामस्वरूप न केवल राशि ₹ 3.28 करोड़ के ऋण व दंडनीय ब्याज की वसूली नहीं हुई बल्कि लघु वित्तपोषण के मुख्य उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं हो सकी ।

(अनुच्छेद 7.13)

- कार्मिक विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसी को अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराने में ढिलाई और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 8 का उल्लंघन कर अग्रिमों के हस्तांतरण करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 7.50 करोड़ पीडी खाते में तीन वर्षों से अधिक समय के लिए अवरुद्ध रहे बल्कि बजट घोषणा के उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं किया गया ।

(अनुच्छेद 7.14)

भाग - क
राजस्व क्षेत्र

अध्याय I

सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनु रूप आंकड़ों की स्थिति **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	• कर राजस्व ¹	44,371.66	50,605.41	57,380.34	59,244.98	60,283.44
	• कर-भिन्न राजस्व ²	11,615.57	15,733.72	18,603.01	15,714.16	13,653.02
	योग	55,987.23	66,339.13	75,983.35	74,959.14	73,936.46
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग ³	33,555.86	37,028.01	41,852.35	36,049.14	35,575.77
	• सहायतार्थ अनुदान ⁴	19,482.91	23,940.04	20,037.32	29,105.53	24,795.65
	योग	53,038.77	60,968.05	61,889.67	65,154.67	60,371.42
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)	1,09,026.00	1,27,307.18	1,37,873.02	1,40,113.81	1,34,307.88
4	1 का 3 से प्रतिशत	51	52	55	53	55

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 73,936.46 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,34,307.88 करोड़) का 55 प्रतिशत रहा। वर्ष 2020-21 में शेष 45 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

- 1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.2 देखें।
- 2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.3 देखें।
- 3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखों की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद शीर्ष 0005-केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-वित्त लेखों में दर्ज राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा।
- 4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 देखें।



1.1.2 अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 में 2019-20 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक						
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	संशोधित अनुमान	27,767.60	18,800.00	15,900.00	19,262.16	18,820.07	
		वास्तविक	27,151.54	18,285.44	14,225.31	15,361.61	17,146.94	(+) 11.62
	केन्द्रीय बिक्री कर	संशोधित अनुमान	1,227.40	700.00	600.00	737.83	279.93	
		वास्तविक	1,406.88	722.80	565.65	481.15	332.09	(-) 30.98
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	संशोधित अनुमान	-	11,700.00	23,500.00	25,605.23	24,000.00	
		वास्तविक	-	12,137.02	22,938.33	21,954.17	20,754.87	(-) 5.46
3	आबकारी शुल्क	संशोधित अनुमान	7,600.00	7,800.00	9,300.00	10,500.00	11,500.00	
		वास्तविक	7,053.68	7,275.83	8,694.10	9,591.63	9,853.00	(+) 2.73
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	संशोधित अनुमान	103.34	92.58	104.07	84.79	47.00	
		वास्तविक	73.94	59.78	60.70	61.88	47.87	(-) 22.64
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	संशोधित अनुमान	2,701.00	3,346.15	4,035.94	4,615.82	4,836.11	
		वास्तविक	2,502.86	3,070.79	3,255.34	3,544.91	4,571.89	(+) 28.97
	पंजीयन शुल्क	संशोधित अनुमान	445.66	611.27	609.99	649.37	666.89	
		वास्तविक	476.45	544.21	569.99	627.94	677.51	(+) 7.89
5	मोटर वाहनों पर कर	संशोधित अनुमान	3,650.00	4,300.00	5,000.00	5,650.00	5,200.00	
		वास्तविक	3,622.83	4,362.97	4,576.45	4,950.98	4,368.17	(-) 11.77
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	2,172.00	3,500.00	2,339.50	2,804.01	2,800.00	
		वास्तविक	738.24	3,376.67	2,147.95	2,262.77	2,142.39	(-) 5.32

7	भू-राजस्व	संशोधित अनुमान	359.01	566.71	463.16	404.98	408.61	
		वास्तविक	314.69	363.86	289.94	364.49	279.32	(-) 23.37
8	माल एवं यात्रियों पर कर	संशोधित अनुमान	750.00	328.00	37.57	35.00	25.00	
		वास्तविक	803.28	340.78	50.79	41.12	45.18	(+) 9.87
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	200.00	62.00	28.38	24.03	1.20	
		वास्तविक	220.08	63.93	5.14	1.01	1.23	(+) 21.78
10	अन्य कर ⁵ इत्यादि	संशोधित अनुमान	10.00	10.00	10.00	1.00	300.00	
		वास्तविक	7.19	1.33	0.65	1.32	62.97	(+) 4,670.45
	योग	संशोधित अनुमान	46,986.01	51,816.71	61,928.61	70,374.22	68,884.81	
		वास्तविक	44,371.66	50,605.41	57,380.34	59,244.98	60,283.43	(+) 1.75
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			3.88	14.05	13.39	3.25	1.75	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यद्यपि, विगत पांच वर्षों से कुल कर राजस्व में लगातार वृद्धि रही, किन्तु संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर संग्रहण प्रत्येक वर्ष कम रहा। कर राजस्व का वृद्धि प्रतिशत जो 2018-19 से कम हो रहा है, 2020-21 में और कम हो गया।


संबंधित विभागों ने सूचित किया कि

- 'वाहनों पर करों' में कमी (11.77 प्रतिशत) फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण की वैधता अवधि का 30 जून 2021 तक विस्तार, राज्य कैरिज/अनुबंध कैरिज, अतिरिक्त वाहनों एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों पर कर में छूट और पिछले वर्ष की तुलना में वाहनों की बिक्री में कमी के कारण थी।
- 'भू-राजस्व' (23.37 प्रतिशत) शीर्ष में कमी भूमि आवंटन और रूपांतरण मामलों में कमी के कारण थी।
- पंजीकरण एवं मुद्रांक (25.09 प्रतिशत) में वृद्धि स्टाम्प ड्यूटी, डीएलसी दरों और गौ संवर्धन उपकर दर में बढ़ोतरी के कारण हुई थी।
- केंद्रीय बिक्री कर (30.98 प्रतिशत) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (5.46 प्रतिशत) में राजस्व में कमी के कारण संबंधित विभाग से प्रतिक्षित थे (दिसम्बर 2021)।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजस्व एवं कर राजस्व का संयोजन चार्ट 2 में दर्शाया गया है।

5 अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर (पेशे, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर) एवं कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

चार्ट 2: राज्य का राजस्व



* अन्य कर राजस्वों में भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क एवं अन्य कर सम्मिलित है।

1.1.3 वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-भिन्न राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान वास्तविक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 में 2019-20 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह स्नान एवं धातु कर्म उद्योग	संशोधित अनुमान	4,200.00	4,900.00	6,000.00	6,600.00	5,800.00	
	वास्तविक	4,233.74	4,521.52	5,301.48	4,579.09	4,966.39	(+) 8.46
ब्याज प्राप्तियाँ	संशोधित अनुमान	2,002.97	4,924.14	5,810.44	4,039.38	2,701.94	
	वास्तविक	1,933.37	4,858.90	5,790.87	3,851.99	2,693.15	(-) 30.08
विविध सामान्य सेवायें	संशोधित अनुमान	859.39	888.31	1,171.34	1,150.93	1,343.89	
	वास्तविक	660.70	762.36	783.86	915.51	747.01	(-) 18.41
पुलिस	संशोधित अनुमान	220.15	333.73	360.95	428.51	350.15	
	वास्तविक	190.78	296.56	345.38	641.68	192.54	(-) 69.99
अन्य प्रशासनिक सेवायें	संशोधित अनुमान	222.35	228.41	258.82	264.87	229.00	
	वास्तविक	210.51	207.55	246.49	207.16	146.62	(-) 29.22
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	संशोधित अनुमान	129.79	90.30	115.26	127.26	273.83	
	वास्तविक	112.77	277.72	179.31	77.19	245.47	(+) 218.01
वानिकी एवं वन्य जीवन	संशोधित अनुमान	123.95	173.82	154.01	145.18	111.43	
	वास्तविक	113.00	182.26	147.45	109.47	73.67	(-) 32.70
सार्वजनिक निर्माण	संशोधित अनुमान	95.30	107.37	126.50	251.80	90.71	
	वास्तविक	84.31	109.26	125.92	91.91	92.98	(+) 1.16
विक्रित्सा एवं जन स्वास्थ्य	संशोधित अनुमान	115.74	152.34	166.01	221.44	205.00	
	वास्तविक	125.39	130.67	163.59	238.16	227.09	(-) 4.65
सहकारिता	संशोधित अनुमान	41.25	47.75	29.02	35.51	20.01	
	वास्तविक	44.10	63.11	22.24	9.11	95.75	(+) 951.04

अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां ⁶	संशोधित अनुमान	4,458.43	4,813.11	5,774.05	6,332.52	4,598.17	
	वास्तविक	3,906.90	4,323.81	5,496.42	4,992.89	4,172.35	(-) 16.43
योग	संशोधित अनुमान	12,469.32	16,659.28	19,966.44	19,597.40	15,724.13	
	वास्तविक	11,615.57	15,733.72	18,603.01	15,714.16	13,653.02	(-) 13.12
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		6.29	35.45	18.23	(-) 15.53	(-) 13.12	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 में कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण संशोधित अनुमान से पूर्व वर्षों की तरह कम रहा एवं विगत वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में (13.12 प्रतिशत) कमी रही। संबंधित विभागों ने सूचित किया कि

- 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी (30.08 प्रतिशत) उदय⁷ के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को दिये गये ऋण के कारण थी।
- 'पुलिस' से राजस्व में कमी (69.99 प्रतिशत) रेलवे, भारत सरकार, एसबीआई और अन्य राज्यों में राज्य पुलिस की तैनाती पर राजस्व की कम प्राप्तियों के कारण थी।
- 'वानिकी और वन्य जीवन' (32.70 प्रतिशत) में कमी कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप थी।

इसके अतिरिक्त, 'अलौह स्वनन एवं धातुकर्म उद्योग' शीर्ष (8.46 प्रतिशत) के अंतर्गत वृद्धि एमनेस्टी योजना के तहत राजस्व में बढ़ोतरी के कारण थी, 'सहकारिता' (951.04 प्रतिशत) के अंतर्गत वृद्धि अनुमानों से अधिक राशि की प्राप्ति के कारण थी और 'वृहद एवं मध्यम सिंचाई' (218.01 प्रतिशत) में वृद्धि औद्योगिक उपयोग हेतु पानी की दर में बढ़ोतरी के कारण थी।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2021 को राजस्व बकाया की राशि ₹ 20,577.89 करोड़ थी, इसमें से ₹ 4,125.75 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है:

6 अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।


7 उज्जवल डिसकोम एश्योरेन्स योजना।

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2021 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का प्रतिशत		31 मार्च 2021 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर*	21,874.45	18,225.98	(-) 16.68	3,358.61
2	परिवहन	64.14	59.39	(-) 10.55	35.28
3	भू-राजस्व ⁸	200.65	186.16	(-) 7.22	89.82
4	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	2.79	2.73	(-) 2.15	1.54
5	पंजीयन एवं मुद्रांक	1,339.42	1,318.38	(-) 1.57	135.62
6	भूमिकर	238.08	300.66	(+) 26.29	232.93
7	राज्य आबकारी	201.58	208.07	(+) 3.22	194.45
8	स्नान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	321.45	276.52	(-) 13.97	77.50
योग		24,242.56	20,577.89	(-) 15.12	4,125.75

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।



1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, स्नान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है:

8 *31 मार्च 2020 के अंत में दिखाई गयी कुल बकाया राशि से दिनांक 1 अप्रैल 2020 को दिखाई गयी बकाया राशि में अंतर था (भू-राजस्व ₹ 20.96 करोड़ और वाणिज्यिक कर विभाग ₹ 54.12 करोड़)। अन्तर के कारण विभागों द्वारा सूचित नहीं किये गये। (दिसम्बर 2021)

तालिका 1.5

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2020-21 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
वाणिज्यिक कर	18	4,626	4,644	4,643	01	99.98	
पंजीयन एवं मुद्रांक	पंजीयन एवं मुद्रांक	5,122	6,754	11,876	6,807	5,069	57.32
	भूमिकर	2,261	3,710	5,971	2,019	3,952	33.81
स्नान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	8,799	10,609	19,408	9,107	10,301	46.92	
परिवहन	1,537	19,963	21,500	20,264	1,236	94.25	

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर एवं परिवहन विभाग ने अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण करने में अच्छा प्रदर्शन किया है । तथापि, तुलना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा स्नान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा । इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

1.4 विभाग द्वारा खोजी गयी कर अपवंचना

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान कर अपवंचना के 3059 मामले ध्यान में आये, जिसमें विभाग के प्रति-अपवंचना जोन⁹ के तीन प्रति-अपवंचना वृत्तों के साथ-साथ राज्य के 13 जोन के 17 प्रति-अपवंचना वृत्त भी शामिल हैं । वर्ष के दौरान, 2,870 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी की गई, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान पाए गए मामले शामिल थे । इसके अलावा, 2020-21 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 21,473.37 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 6,435.85 करोड़ की वसूली की । पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2020-21 के दौरान कर चोरी के 432 मामले ध्यान में आये, जिनमें से सभी का निर्धारण/जांच विभाग द्वारा की गई । इसके अलावा, 2020-21 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹ 8.36 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 0.21 करोड़ की वसूली की । स्नान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग ने सूचित किया कि 2020-21 के दौरान कर अपवंचना के 15 मामले देखे गए, जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हो गई । इसके अलावा, 2020-21 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹ 0.18 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई जिसे विभाग द्वारा वसूल कर लिया गया था ।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

संबंधित विभागों की सूचना अनुसार वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय एवं वर्ष 2020-21 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या तालिका 1.6 में दर्शायी गयी है ।

9 वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार के 14 जोन है । इसमें से, राजस्थान राज्य के पूरे क्षेत्र को आवृत करते हुए 13 जोन में बांटा गया है और प्रति-अपवंचना 14 वां जोन है । सम्पूर्ण राज्य आवृत करते हुए प्रति-अपवंचना जोन को 3 प्रति-अपवंचना वृत्त में बांटा गया है । इसके अतिरिक्त, शेष 13 जोन में स्वयं के प्रति-अपवंचना वृत्त है जो भी कर अपवंचना के प्रकरणों का पता लगाते हैं ।

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	वाणिज्यिक कर		पंजीयन एवं मुद्रांक		परिवहन	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	1,290	130.52	987	9.94	554	2.57
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,600	1,006.52	1,698	8.90	629	3.29
3	(i) वर्ष के दौरान निपटाये गये प्रतिदाय प्रकरण	3,513	184.99	1,436	7.59	413	3.10
	(ii) अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या	1,614	839.56	23	0.30	28	0.19
4	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	763	112.12	1,226	10.95	742	2.57

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

स्वान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग ने प्रतिदाय के 'शून्य' बकाया प्रकरण सूचित किये।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हे संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। संसद द्वारा 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम (सीएजी डीपीसी अधिनियम) पारित किया गया। सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, की उन सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करे एवं अपने आपको संतुष्ट कर लें कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है। भारत के सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन, 2007 जैसा कि वर्ष 2020 में संशोधित किया गया है एवं लेखापरीक्षा मानक 2017, प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के सिद्धान्तों को निर्धारित करते हैं।

1.7 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना का जोखिम विश्लेषण, जिसमें सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा बजट उदघोषणा, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केंद्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत

पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, विगत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं इसके प्रभाव सम्मिलित हैं, के आधार पर किया गया है। वर्ष 2020-21 में वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, एवं राज्य आबकारी विभाग में कुल 1,852 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं। उनमें से, वर्ष के दौरान 185 इकाइयों की योजना बनायी गयी एवं 172 इकाइयों की (3,488 मानवदिवस उपयोजित) लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षित इकाइयों का 9.29 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा व्याप्ति में कमी का कारण कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन का लगना रहा। इस के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 'जीएसटी के अंतर्गत प्रतिदाय के दावों का प्रसंस्करण' एवं 'ट्रॉजिशनल क्रेडिट' पर भी दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी (1,101 मानवदिवस उपयोजित)।

1.8 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं लेन-देनों की नमूना जांच के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है। उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले चार विभागों¹⁰ के 1,799 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित राशि ₹ 1656.71 करोड़ के 5,308 अनुच्छेद सितम्बर 2021 के अन्त में बकाया थे। 30 जून 2021 के आंकड़ों को विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7

विवरण	जून 2019 (दिसम्बर 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	जून 2020 (दिसम्बर 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	जून 2021 (दिसम्बर 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2021 (मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)
निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,720	1,701	1,707	1,799
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	5,097	5,100	4,963	5,308
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,204.29	1,063.82	1,079.06	1,656.71


10 चार मुख्य राजस्व विभाग अर्थात् वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

1.8.1 30 सितम्बर 2021 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	499	1,806	327.90
2	भू-राजस्व	भू-राजस्व	107	549	295.97
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,045	2,557	744.08
4	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	148	396	288.76
योग			1,799	5,308	1656.71

तालिका से देखा जा सकता है कि लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन, सम्मिलित राशि सहित बकाया अनुच्छेद पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में अधिकतम है।



1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों¹¹ का गठन किया। वर्ष 2020-21 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.9** में उल्लेखित है:

11 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी किया गया है।

तालिका 1.9

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	वाणिज्यिक कर	1	3	134	44.96
2	भू-राजस्व	1	1	6	0.06
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	1	8	229	9.74
4	राज्य आबकारी	3	1	11	0.23
योग		6	13	380	54.99

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 54.99 करोड़ के 380 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। भू-राजस्व और राज्य आबकारी विभागों को बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति/उप-समिति की और अधिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।

1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों¹² के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें।

26 प्रारूप अनुच्छेद (प्रतिवेदन के 19 अनुच्छेदों में संकलित), सम्बंधित चार विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को मई और नवम्बर 2021 के मध्य प्रेषित किये गये थे। सम्बंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.8.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां (एटीईएन) जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं। राजस्थान सरकार के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 86 अनुच्छेद (निष्पादन

12 वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 28 मार्च 2017 से 14 सितम्बर 2021 के मध्य प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन अनुच्छेदों की एटीईएन की प्राप्ति में विलम्ब पांच से 81 दिवस के बीच था। तथापि, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिये राज्य आबकारी विभाग का एटीईएन प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2021)। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2015-16 से 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 41 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 37 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को पांच¹³ प्रतिवेदनों (2020-21) में सम्मिलित किया गया।

1.9 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये, पंजीयन एवं मुद्रांक के संबंध में विगत पांच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया। स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.9.1 से 1.9.2 में की गयी है।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10

(₹ करोड़ में)

वर्ष तक स्थिति	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अन्त में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2016-17	1,456	3,680	307.96	184	580	95.65	228	918	40.03	1,412	3,342	363.58
2017-18	1,412	3,342	363.58	205	727	51.92	188	649	21.58	1,429	3,420	393.92
2018-19	1,429	3,420	393.92	89	430	431.43	451	1,166	73.09	1,067	2,684	752.26
2019-20	1,067	2,684	752.26	97	508	39.65	106	416	34.20	1,058	2,776	757.71
2020-21 (मार्च 2021 तक जारी नि.प्र.)	1,058	2,776	757.71	63	258	19.78	76	477	33.41	1,045	2,557	744.08

वर्ष 2020-21 के दौरान, एक लेखापरीक्षा समिति एवं आठ लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन हुआ और 229 अनुच्छेदों का निस्तारण हुआ। बकाया नि.प्र. एवं अनुच्छेदों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार हेतु अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

13 पांच प्रतिवेदन: वाणिज्यिक कर (1), भू - राजस्व (1), पंजीयन एवं मुद्रांक (1) एवं राज्य आबकारी (2) से सम्बंधित है।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों और स्वीकार किये गये प्रकरणों की वसूली की स्थिति

विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित अनुच्छेद, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गए और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष 2020-21 के दौरान वसूल की गयी राशि	(₹ करोड़ में)
						स्वीकार किये गये प्रकरणों में 31 मार्च 2021 तक वसूली की समेकित स्थिति
2015-16	10	141.70	10	141.70	-	7.57
2016-17	10	36.20	10	36.20	0.90	7.03
2017-18	1	88.52	1	88.52	2.40	21.43
2018-19	1	20.32	1	20.32	1.44	3.94
2019-20	8	11.38	8	11.38	0.65	0.65
योग	30	298.12	30	298.12	5.39	40.62

कुल आक्षेपित राशि ₹ 298.12 करोड़ के समक्ष विभाग द्वारा ₹ 298.12 करोड़ स्वीकार किये गये, जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 40.62 करोड़ वसूल की गयी। अनुच्छेदों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 13.63 प्रतिशत की वसूली की गयी।

यह अनुशंसा की जाती है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को शेष आक्षेपित राशि की वसूली प्राथमिकता पर करने के लिये कदम उठाने चाहिए।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

172 लेखा परीक्षित इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 8,291 प्रकरणों में ₹ 584.31 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 6,696 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजकीय राजस्व राशि ₹ 71.55 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 32.71 करोड़ राशि के 4,298 प्रकरण वर्ष 2020-21 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 31 मार्च 2021 तक संबंधित विभागों ने 2,017 प्रकरणों में ₹ 13.50 करोड़ वसूल किये।

1.11 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 19 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 249.40 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय-II से V में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 227.11 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की (दिसम्बर 2021)। स्वीकार की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से विभागों द्वारा दिसम्बर 2021 तक ₹ 18.18 करोड़ राशि की वसूली की गई जो कि वर्ष 2020-21 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली

(₹ 13.50 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा, सम्बंधित विभागों ने वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 41.26 करोड़ की वसूली की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 72.94 करोड़ थी।

अध्याय II
बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि
पर कर

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं द्वारा संबंधित कानूनों के अन्तर्गत देय माल और सेवा कर/मूल्य परिवर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर/प्रवेश कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का प्रमुख होता है और 23 अतिरिक्त आयुक्त, 46 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 405 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक वित्तीय सलाहकार कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा संबंधित कर कानूनों और नियमों के प्रशासन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। इसमें 17 आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान की गयी लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 2.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1

वर्ष	बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां			लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों का प्रतिशत
				पूर्व के वर्षों से सम्बंधित	चालू वर्ष से सम्बंधित	कुल		
2016-17	484	468	952	284	142	426	526	55
2017-18	526	468	994	385	141	526	468	47
2018-19	468	467	935	565	282	847	88	09
2019-20	88	467	555	324	162	486	69	12
2020-21	69	467	536	69	467	536	-	-

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए लेखापरीक्षा के लिए बकाया सभी इकाइयों को कवर किया और 2016-17 में 55 प्रतिशत बकाया से 2020-21 में शून्य तक कम किया।

यह देखा गया कि 31 मार्च 2021 को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 11,210 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार विवरण निम्न तालिका 2.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2

वर्ष	2015-16 तक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेद	4,022	336	527	1,302	1,978	3,045	11,210

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

11,210 अनुच्छेदों में से 4,022 अनुच्छेद अनुपालन/सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने और राजस्व संग्रह को अधिकतम करने हेतु विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों को कम करने के लिए एक ध्यानकेंद्रित हस्तक्षेप कर सकता है।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

- वाणिज्यिक कर विभाग में 484 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं, इनमें से लेखापरीक्षा ने 45 ईकाइयों, जिनमें 1.37 लाख कर निर्धारण किये गये, का वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना जांच के लिये चयन किया।
- इनमें से, लेखापरीक्षा ने 4,668 (लगभग 3.41 प्रतिशत) कर निर्धारणों की नमूना जांच की तथा 462 प्रकरण (लेखापरीक्षा नमूनों का लगभग 9.9 प्रतिशत) में कर/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण/आगत कर जमा (आईटीसी) की अनियमित स्वीकृति, घोषणापत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण, निवेश अनुदान की अनियमित स्वीकृति, कर की गलत दर का लगाया जाना, जीएसटी के तहत रिफंड की अनियमित स्वीकृति, जीएसटी के तहत अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट दिया जाना एवं नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने आदि के देसे गये जिनमें राशि ₹ 449.68 करोड़ शामिल थी।
- ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं, क्योंकि यह अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा में समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां पूर्व वर्षों में भी दर्शाई गई थी, तथापि, न केवल ये अनियमितताएं बनी रही बल्कि आगामी लेखापरीक्षा तक ध्यान में नहीं आ सकी। सरकार को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

पाई गयी अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गई तालिका 2.3 में निम्न श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर का अवनिर्धारण	75	431.04
2	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	1	0.03
3	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर की अपवंचना	41	3.46
4	आगत कर को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकृत करना	59	5.97
5	अन्य अनियमिततायें:		
	(i) राजस्व से संबंधित	275	9.01
	(ii) व्यय से संबंधित	11	0.17
	योग	462	449.68

वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 602 प्रकरणों में ₹ 12.30 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें राशि ₹ 0.82 करोड़ के 70 प्रकरण वर्ष 2020-21 में लेखापरीक्षा के दौरान जबकि शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग ने 248 प्रकरणों में ₹ 4.51 करोड़ वसूल/समायोजित किये,

जिनमें से राशि ₹ 0.82 करोड़ के 70 प्रकरण वर्ष 2020-21 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने के पश्चात (जुलाई 2020 और सितंबर 2020) दो व्यवहारियों से अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर और मुक्ति शुल्क के कम आरोपण के कारण ₹ 0.22 करोड़ की राशि स्वीकार की एवं वसूल/समायोजित की (मार्च 2021 और अगस्त 2021)। इन अनुच्छेदों की चर्चा इस प्रतिवेदन में नहीं की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों में ₹ 189.71 करोड़ से जुड़े कुछ उदाहरणात्मक मामलों की चर्चा की गई है। यह उल्लेख करना उचित है कि इनमें से अधिकतर मुद्दों को पहले उठाया जा चुका है और नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्व वर्षों के प्रतिवेदनों में प्रकाशित किया गया है जिसमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार किया और कार्रवाई/वसूली शुरू की। तथापि, यह देखा गया है कि विभाग ने केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई की जो लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गए थे तथा विभाग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफलता से समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

2.4 कर का कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर योग्य टर्नओवर के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप कर का कम आरोपण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2003 की धारा 21 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी इस अधिनियम के तहत अपने दायित्व का आंकलन करेगा, और ऐसी अवधि के लिए, ऐसे प्रारूप और रीति से, जैसा कि निर्धारित किया गया हो, निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करेगा। आगे, अधिनियम की धारा 23 में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी, जिसने धारा 21 के प्रावधानों के तहत वर्ष के लिए सभी विवरणियां प्रस्तुत कर दी हैं, धारा 24 के प्रावधानों के अधीन, ऐसी विवरणियों के आधार पर निर्धारण किया हुआ समझा जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वृत्त-एच, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया (जून 2020) कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2016-17 के लिए अपनी वार्षिक विवरणी¹ में ₹ 131.02 करोड़² के माल का कर योग्य टर्नओवर³ दर्शाया था। तथापि, कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर का ₹ 90.00 करोड़ पर गलत निर्धारण किया। इस प्रकार, कम मूल्य पर कर योग्य टर्नओवर के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 41.02 लाख की राशि के कर का कम आरोपण हुआ।

1 वैट 10-ए

2 एक प्रतिशत पर कर योग्य।

3 राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 2 (40) के अनुसार।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि ₹ 17.74 लाख पिछले वर्षों के आधिक्य आगत कर से समायोजित किये गये तथा ₹ 38.88 लाख⁴ की मांग कायम की गयी। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (अगस्त 2021) कि वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

2.5 आगत कर की अनियमित छूट

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा रियायती मूल्य पर विक्रय किये गए माल पर अधिक आगत कर को रिवर्स करने में विफलता के कारण आगत कर की अनियमित अनुमत्यता

वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18 (3) (ए) के अनुसार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, जहां राज्य में स्वरीदे गए किसी भी माल को तत्पश्चात रियायती मूल्य पर बेचा जाता है, ऐसे माल के संबंध में इस उप-धारा के तहत स्वीकार्य आगत कर (इनपुट टैक्स) ऐसे माल पर देय निर्गत कर (आउटपुट टैक्स) से अधिक नहीं होगा।

तीन वृत्तों⁵ के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (सितम्बर/अक्टूबर 2020) कि बारह व्यवहारियों ने राज्य के भीतर माल क्रय किया तथा बाद में रियायती मूल्य पर विक्रय किया जिसके कारण इन वस्तुओं पर आगत कर निर्गत कर से अधिक हो गया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, अधिक आगत कर जमा को रिवर्स करने में विफल रहे और व्यवहारियों द्वारा दावा किए गए आगत कर को ही अनुमत्य कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.75 लाख का अनियमित आगत कर अनुमत्य किया गया।

विभाग और राज्य सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (जुलाई 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि ग्यारह प्रकरणों में ₹ 16.77 लाख ब्याज के साथ ही कर राशि ₹ 46.17 लाख की मांग कायम की गई थी, जिसमें से आठ प्रकरणों में ₹ 24.15 लाख पिछले वर्षों के आधिक्य आगत कर से वसूल/समायोजित किये गये और ₹ 8.09 लाख एमनेस्टी योजना 2021 के तहत माफ किये गये, जबकि शेष प्रकरण में नोटिस जारी किया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

2.6 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना का उपयोग न करने के कारण विनिर्दिष्ट माल पर प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 के अनुसार राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट माल के उपभोग या उपयोग या

4 ₹ 41.62 लाख एवं ब्याज ₹ 15.00 लाख पर संशोधित कर निर्धारण।

5 वृत्त: बी-सीकर, प्रथम-जयपुर एवं पी-जयपुर।

विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाने पर अधिसूचना में दर्शायी दर से व्यवहारी द्वारा देय कर को अधिसूचित किया।

सात वाणिज्यिक कर अधिकारियों⁶ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि 23 व्यवहारियों ने वर्ष 2015-18 के दौरान राशि ₹ 54.66 करोड़ का अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल राज्य के बाहर से क्रय किया। आगे की जांच में पता चला कि व्यवहारियों ने अपनी सम्बंधित वैट विवरणियों में इस माल की बिक्री का उल्लेख नहीं किया था जो कि यह दर्शाता है कि माल का उपयोग, उपभोग हेतु या व्यवसाय में किया गया था जिसके कारण इस माल पर प्रवेश कर आरोपणीय था। माल के क्रय के संबंध में समस्त सूचना विभागीय वेब-आधारित एप्लीकेशन 'राजविस्टा' पर उपलब्ध थी और सभी कर निर्धारण अधिकारियों के लिए सुलभ थी। तथापि, संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन व्यवहारियों के प्रवेश कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय उपलब्ध सूचना का उपयोग प्रवेश कर के आरोपण एवं राजस्व रिसाव को रोकने के लिए नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ की राशि के प्रवेश कर तथा ₹ 1.02 करोड़ के ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि 20 प्रकरणों में ₹ 1.88 करोड़ की मांग कायम की गई, जिसमें से ₹ 0.98 करोड़ की वसूली कर ली गई थी और 15 प्रकरणों में ₹ 0.52 करोड़ एमनेस्टी योजना 2021 के अंतर्गत माफ कर दिया गया था। इसके अलावा, तीन प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए, जिनमें से दो व्यवहारियों ने बताया कि खरीदे गए माल को राज्य के भीतर ही बेच दिया गया था और इस माल पर वैट का भुगतान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यवहारियों के 'फॉर्म सी'⁷ से स्पष्ट है कि यह माल निर्माण में उपयोग के उद्देश्य से राज्य के बाहर से खरीदा गया था। इसके अलावा, इन व्यवहारियों में से एक के प्रकरण में, विक्रय इनवॉयस इंगित करता है कि विक्रय किये गए माल पर उत्पाद शुल्क संग्रहण किया गया था जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि खरीदे गए माल का निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। इसलिए, इन दोनों व्यवहारियों के मामले में प्रवेश कर आरोपणीय था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

2.7 'जीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.7.1 प्रस्तावना

समयबद्ध रिफंड तंत्र कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह मौजूदा व्यवसायों हेतु अवरुद्ध निधियों के निर्मोचन द्वारा कार्यशील पूंजी, उनके विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों का उद्देश्य दावों एवं स्वीकृति प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किये जाने के साथ ही रिफंड प्रक्रियाओं को

6 वृत्त-ई, एच, आई, क्यू, विशेष वृत्त-II, विशेष वृत्त-XI, जयपुर एवं वृत्त बी-सीकर।

7 'राजविस्टा' पर उपलब्ध

सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है। तथापि, जीएसटी कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में, जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, एक अस्थायी प्रणाली का अनुपालन किया गया था, जहां आवेदकों द्वारा फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए में रिफंड आवेदन प्रस्तुत किया जाना था तथा उसी का प्रिंटआउट लिया जाकर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ इसे क्षेत्राधिकारी के पास भौतिक रूप से जमा करवाया जाना था। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा रिफंड आवेदन पर आगे की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया मैन्युअल बनी रही।

केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 व धारा 77, एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16 व 19 तथा राजस्थान राज्य माल और सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 रिफंड के दावों और स्वीकृति के वैधानिक प्राधिकार प्रदान करती हैं।

2.7.1.1 रिफंड के लिए पात्र करदाताओं की श्रेणियां और रिफंड की शर्तें

करदाता द्वारा रिफंड का दावा निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकता है:

- (i) माल या सेवाओं का निर्यात;
- (ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) इकाइयों एवं विकासकर्ताओं को आपूर्ति;
- (iii) माना गया (डीमंड) निर्यात;
- (iv) संयुक्त राष्ट्र या दूतावासों आदि द्वारा की गई स्वरीद पर करों का रिफंड;
- (v) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के आदेश, निर्णय, डिक्री या निर्देश के कारण उत्पन्न होने वाला रिफंड;
- (vi) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर/रिवर्स चार्ज मामलों के कारण जीएसटी के संचित आगत कर का रिफंड;
- (vii) अंतरिम निर्धारण का अंतिमीकरण;
- (viii) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में शेष राशि;
- (ix) पूर्व-जमा का रिफंड;
- (x) अधिक माल एवं सेवा कर का भुगतान;
- (xi) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत में माल पर जीएसटी के भुगतान एवं भारत से उनके प्रस्थान के समय विदेश ले जाये जाने पर किया गया रिफंड;
- (xii) ऐसे अग्रिम जिनके एवज में माल या सेवाओं की आपूर्ति नहीं की गई है पर भुगतान किए गए करों के लिए रिफंड वाउचर जारी करने के कारण रिफंड;
- (xiii) आपूर्ति जिसे बाद में अंतर्राज्यीय आपूर्ति के रूप में रखा जाता है, को उसी राज्य की आपूर्ति के रूप में मानते हुए भुगतान किये गये सीजीएसटी और एसजीएसटी का रिफंड अथवा इसके विपरीत।

एक करदाता किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड का दावा कर सकता है यदि (i) कर के भुगतान के बिना की गई शून्य दर आपूर्ति; (ii) जहां इनपुट पर कर की दर

आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट संचित हुआ है। इसके अतिरिक्त, एक पंजीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी भी शेष राशि के रिफंड का दावा कर सकता है तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, वाणिज्य दूतावास या विदेशों के दूतावास आदि की एक विशेष एजेंसी भी उसके द्वारा माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के रिफंड का दावा कर सकती है।

2.7.1.2 इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया 26 सितंबर 2019 से अस्तित्व में आई, जिसमें जीएसटी के तहत रिफंड दावों की प्रस्तुति और प्रसंस्करण को ऑनलाइन किया गया।

2.7.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत रिफंड प्रकरणों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित के आंकलन के लिए निष्पादित की गई थी:

- (i) रिफंड के संबंध में जारी किए गए अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- (ii) कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों की प्रभावशीलता;
- (iii) क्या रिफंड आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के कार्य की जांच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है।

2.7.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र

पैन-इंडिया जीएसटी रिफंड डेटा जीएसटीएन से प्राप्त किया गया था तथा जोखिम-आधारित डेटा विश्लेषण के माध्यम से विस्तृत जांच के लिए रिफंड प्रकरणों का एक सैम्पल लिया गया था। जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान (विभाग) के चयनित वृत्तों में संसाधित रिफंड प्रकरणों की जांच की गई। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, राज्य में ₹ 3287.66 करोड़ की राशि के 31,229 रिफंड के दावे प्राप्त हुए, जिनमें से ₹ 2392.35 करोड़ के 26,398 दावों को विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया (दिसम्बर 2021)।

सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, मुख्य आयुक्त (सीसीटी) राज्य कर और विभाग के अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक समापन परिचर्चा 20 जुलाई 2021 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचार और प्रारूप प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्तुत लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

2.7.4 नमूना चयन एवं लेखापरीक्षा

जीएसटीएन ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए पैन-इंडिया रिफंड डेटा प्रदान किया। 26 सितंबर 2019 से पहले की अवधि के लिए, अर्थात् पूर्व-स्वचालन अवधि के लिए, प्रत्येक श्रेणी के तहत रिफंड आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई रिफंड राशि के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया। नमूने के चयन के लिए क्रमबद्ध किए गए रिफंड आवेदनों को चार चतुर्थकों में विभाजित किया गया।

26 सितंबर 2019 के बाद प्रस्तुत किए गए रिफंड आवेदनों का चयन करने के लिए, दावा की गई रिफंड राशि (60 प्रतिशत भारांक), रिफंड की स्वीकृति में विलम्ब (15 प्रतिशत), रिफंड की स्वीकृत राशि का रिफंड दावा राशि से अनुपात (10 प्रतिशत) एवं कमियों के लिये ज्ञापन जारी करना जैसे जोखिम मापदंडों का उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया। इस प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त जोखिम स्कोर के आधार पर, रिफंड आवेदनों का चयन किया गया।

उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर, 26 सितंबर 2019 से पहले दावा किए गए 93 वृत्तों से संबंधित 1193 रिफंड प्रकरणों का चयन किया गया (पूर्व-स्वचालन प्रकरण) जिनमें से कोविड 19 महामारी के कारण भौतिक आवाजाही पर प्रतिबन्ध होने के कारण 35 वृत्तों से संबंधित 491 प्रकरणों की जांच ही की जा सकी। 26 सितंबर 2019 के बाद की अवधि के लिए, 92 वृत्तों (स्वचालन पश्चात प्रकरणों) के 1,212 रिफंड प्रकरणों का चयन किया गया तथा राज्य जीएसटी पोर्टल⁸ पर लॉगिन आईडी आधारित एक्सेस का उपयोग करके उनकी जांच की गई। इस प्रकार, चयनित वृत्तों में संसाधित किए गए 13,231 रिफंड प्रकरणों में से, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के लिए लेखापरीक्षा द्वारा कुल 1,703 मामलों (12.87 प्रतिशत) की जांच की गई। श्रेणी-वार लेखापरीक्षा यूनिवर्स और नमूना चयन **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाये गये हैं।

2.7.5 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों से लिए गए थे:

- (i) केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017
- (ii) राजस्थान माल और सेवाकर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017
- (iii) केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017
- (iv) राजस्थान माल और सेवाकर नियम, 2017
- (v) एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017
- (vi) एकीकृत माल और सेवाकर नियम, 2017

8 बोवैब पोर्टल

2.7.6 लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

तालिका 2.4 विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित रिफंड के प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 2.4

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूने		पाई गई कमियों की संख्या		सैम्पल के प्रतिशत के रूप में कमियां
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
पावती जारी करने में विलम्ब	1,703	32,624.54	415	-	24.37
रिफंड आदेश जारी करने में विलम्ब	1,703	32,624.54	247	16.82	14.50
शून्य-दर आपूर्ति पर अंतरिम रिफंड की स्वीकृति में विलम्ब	607	16,844.83	57	-	9.39
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अन्तर्गत अनियमित रिफंड	835	12,972.09	62	999.46	7.43
शून्य-दर आपूर्ति प्रकरणों में अनियमित रिफंड	607	16,844.83	16	35.98	2.64
शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड की अनियमित स्वीकृति	988	15,779.71	22	261.96	2.23

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा द्वारा 24 प्रतिशत प्रकरणों में पावती जारी करने में, 14 प्रतिशत प्रकरणों में रिफंड आदेश जारी करने में और 9 प्रतिशत प्रकरणों में शून्य-दर आपूर्ति में अन्तर्िम रिफंड की स्वीकृति में उल्लेखनीय विलम्ब देखा गया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों से विचलन भी देखा, जिसके परिणामस्वरूप इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, शून्य-दर आपूर्ति एवं शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड से संबंधित प्रकरणों में अनियमित रिफंड स्वीकृत किये गये; विचलन दो प्रतिशत से सात प्रतिशत के मध्य रहा।

उपरोक्त प्रकरणों के आधार पर दिये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं पाई गई कमियों को आगामी अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

2.7.6.1 पावती जारी करने में विलम्ब

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 का नियम 90(1) और (2) वर्णित करता है कि उचित अधिकारी द्वारा यदि आवेदन हर प्रकार से पूर्ण है तो रिफंड दावा दाखिल करने के 15 दिवस के भीतर पावती जारी की जाएगी। स्वचालन-पूर्व के प्रकरणों में, 15 दिनों की निर्धारित अवधि की गणना सभी सहायक दस्तावेजों के साथ मैन्युअल रूप से रिफंड आवेदन जमा करने की तिथि से की जाएगी।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में 13,231 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया, जिनमें से 1,703 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह पाया गया कि 415 प्रकरणों⁹

9 63 वृत्तों से संबंधित।

(24.37 प्रतिशत) में पावती जारी करने में 1 से 272 दिनों तक का विलम्ब हुआ तथा इन प्रकरणों में औसत विलम्ब 25.61 दिन रहा। इनमें से 388 प्रकरणों में 1 से 3 महीने का, 23 प्रकरणों में 3 से 6 महीने का तथा चार प्रकरणों में छह महीने से अधिक का विलम्ब हुआ। इस प्रकार, विभाग उक्त नियमों में निर्धारित पावती जारी करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया (जुलाई 2021) और कहा कि 17 वृत्तों¹⁰ (151 प्रकरणों) में जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ तथा आठ वृत्तों¹¹ (32 प्रकरणों) में विलम्ब का कारण कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होना था।

एक वृत्त¹² से संबंधित सात प्रकरणों के संबंध में सरकार ने अवगत करवाया कि रिफंड आवेदन की पावती जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप रिफंड जारी करने में विलम्ब नहीं हुआ है। तथ्य यह है कि विभाग उक्त नियमों में निर्धारित पावती जारी करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

समापन परिचर्चा के दौरान, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया और कहा कि यद्यपि पावती जारी करने में विलम्ब हुआ था, तथापि रिफंड निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए गए थे।

37 वृत्तों से संबंधित 225 प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.2 एवं 2.3)

2.7.6.2 रिफंड आदेश जारी करने में विलम्ब

सीजीएसटी/ आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(5) और (7) के अनुसार उचित अधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिवस के भीतर रिफंड की स्वीकृति प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत किसी कर के रिफंड का आदेश किया गया है एवं साठ दिवस की अवधि के भीतर उसका रिफंड नहीं किया जाता है, तो ऐसे रिफंड के संबंध में ऐसी दर, जो सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट कि गयी हो, तथा छह प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पर ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि जांच किए गए 1,703 रिफंड प्रकरणों में से 247 प्रकरणों¹³ (14.50 प्रतिशत) में, रिफंड की स्वीकृति में 1 से 522 दिन तक का विलम्ब हुआ तथा इन प्रकरणों में औसत विलम्ब 81.38 दिनों का था। इनमें से 172 प्रकरणों में 1 से 3 महीने का,

10 वृत्त ए, सी, आई, जे, के, एल, क्यू, पी एवं विशेष III जयपुर, ए भीलवाड़ा, किशनगढ़, नागौर, वृत्त बी, सी, डी एवं एफ जोधपुर तथा ए भिवाड़ी।

11 वृत्त आई, जे, एन व विशेष III जयपुर, ए व सी भीलवाड़ा, ए भरतपुर, एवं शाहजहाँपुर।

12 वृत्त बी कोटा

13 57 वृत्तों के संबंध में।

41 प्रकरणों में 3 से 6 महीने का तथा 34 प्रकरणों में छह महीने से अधिक का विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा ₹ 16.82 लाख¹⁴ के ब्याज, जो इन सभी प्रकरणों में दावेदारों को देय था, का भुगतान नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया (जुलाई 2021) और कहा कि सोलह वृत्तों¹⁵ (83 प्रकरणों) में जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं और आठ वृत्तों¹⁶ (बाईस प्रकरणों) में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के कारण विलम्ब हुआ। ब्याज का भुगतान न करने के संबंध में, सरकार ने दो प्रकरणों (एक वृत्त)¹⁷ के लिए कहा कि करदाताओं द्वारा विलम्ब के लिए कोई ब्याज का दावा नहीं किया गया था एवं दो प्रकरणों (एक वृत्त)¹⁸ के लिए बताया गया था कि करदाताओं द्वारा लिखित में अनुरोध किया गया था कि वे ब्याज का दावा नहीं करना चाहते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएसटी/ आरजीएसटी अधिनियम की धारा 56 के अनुसार करदाता द्वारा दावा किए जाने पर निर्भरता बिना, विलम्ब से जारी रिफंड आदेशों के मामलों में ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है। एक प्रकरण (एक वृत्त)¹⁹ में, सरकार ने कहा कि चूंकि करदाता द्वारा गलत बैंक खाता दिया गया था अतः ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज का भुगतान उसी खाते में किया जा सकता था जिसमें रिफंड का भुगतान किया गया था। 24 वृत्तों के 105 प्रकरणों में ब्याज का भुगतान न करने पर सरकार का उत्तर मौन था।

समापन परिचर्चा के दौरान, आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा लेखापरीक्षा तर्क से सहमति व्यक्त की गई तथा कहा गया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि निर्धारित समय सीमा का पालन किया जावे।

30 वृत्तों से संबंधित 137 मामलों के उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.4 और 2.5)

2.7.6.3 शून्य-दर आपूर्ति के प्रकरणों में अंतरिम रिफंड की स्वीकृति में विलम्ब

सीजीएसटी/ आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 91 के प्रावधानानुसार शून्य-दर आपूर्ति के संबंध में दावा किए गए कुल रिफंड के 90 प्रतिशत की सीमा तक अंतरिम रिफंड राशि का कुछ शर्तों के अधीन पावती के सात दिवस के भीतर भुगतान किया जायेगा।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में शून्य-दर आपूर्ति के 5,013 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 607 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह देखा गया कि

14 छह प्रतिशत की दर से गणना की गई।

15 वृत्त ए, सी, एफ, आई, जे, के, एल, पी, एम, एन एवं विशेष III जयपुर, वृत्त ए भिवाड़ी, वृत्त झालावाड़, वृत्त शाहजहाँपुर, वृत्त ए भरतपुर एवं वृत्त बी कोटा।

16 वृत्त सी, जे, एल, क्यू एवं स्पेशल- III जयपुर, वृत्त ए एवं बी भरतपुर व स्पेशल I, भिवाड़ी।

17 वृत्त डी, जोधपुर।

18 वृत्त ए, जयपुर।

19 वृत्त , दौसा।

57 प्रकरणों²⁰(9.39 प्रतिशत) में अंतरिम रिफंड की स्वीकृति में 1 से 324 दिनों तक का विलम्ब हुआ एवं इन मामलों में औसत विलम्ब 29.85 दिनों का था। इनमें से 55 प्रकरणों में 1 से 3 महीने का, एक प्रकरण में 3 से 6 महीने का तथा एक प्रकरण में छह महीने से अधिक का विलम्ब हुआ। इस प्रकार, विभाग उक्त नियम में निर्धारित शून्य दर आपूर्ति के लिए अंतरिम रिफंड स्वीकृत करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया (जुलाई 2021) और कहा कि छह वृत्तों²¹ (30 प्रकरणों) में विलम्ब जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण हुआ था। समापन परिचर्चा के दौरान, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने लेखापरीक्षा तर्क से सहमति व्यक्त की और कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

नौ वृत्तों से संबंधित 27 प्रकरणों का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.6 और 2.7)

2.7.6.4 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अनियमित रिफण्ड

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड का दावा, जहां आगत पर कर की दर निर्गत आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने (अर्थात् इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) के कारण क्रेडिट का संचय हुआ है, किसी भी कर अवधि के अंत में कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी 2017 का नियम 89(5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी के अधिकतम रिफंड के लिए फॉर्मूला²² निर्धारित करता है जिसमें 'नेट आईटीसी' में संबंधित अवधि के दौरान केवल आगत पर प्राप्त आईटीसी शामिल है और इसमें आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर प्राप्त किया गया क्रेडिट शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 3,845 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 835 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह देखा गया कि विभाग ने 24 प्रकरणों²³(2.87 प्रतिशत) में रिफंड स्वीकृत करते समय, आगत सेवाओं एवं पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को नेट आईटीसी की गणना करने के लिये शामिल किया अथवा गलत कुल समायोजित टर्नओवर/इनवर्टेड ड्यूटी टर्नओवर/कर भुगतान को रिफंड की अधिकतम राशि की गणना हेतु लिया। यह क्षेत्राधिकारियों द्वारा रिफण्ड दावों की उचित जाँच में

20 15 वृत्तों के संबंध में।

21 वृत्त सी, एन व क्यू जयपुर, वृत्त शाहजहांपुर, वृत्त किशनगढ़ और वृत्त सी जोधपुर।

22 अधिकतम रिफंड राशि = {(माल और सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) * (नेट आईटीसी/समायोजित कुल टर्नओवर)} - माल एवं सेवाओं की ऐसी इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर।

23 13 वृत्तों से संबंधित।

कमी को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.09 करोड़ का अनियमित रिफंड स्वीकृत किया गया।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि चार प्रकरणों²⁴ में ₹ 10.24 लाख की वसूली की गई है जबकि सात प्रकरणों²⁵ में नोटिस जारी किए गए हैं। एक वृत्त से संबंधित तीन प्रकरणों²⁶ के लिए सरकार ने अवगत कराया कि करदाताओं द्वारा सेवाओं अथवा पूंजीगत माल पर आईटीसी का दावा नहीं किया गया है। इन तीन प्रकरणों के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में वर्णित विवरण यथा इनवर्टेड टर्नओवर/2ए के अनुसार आईटीसी/समायोजित टर्नओवर, रिफंड दावों के विवरण से मेल नहीं खाते हैं तथा रिफंड के दावों में सेवाओं पर आईटीसी भी शामिल है, जिसके कारण स्वीकृत रिफंड देय रिफंड की अधिकतम राशि से अधिक था। दो प्रकरणों²⁷ के लिए, यह बताया गया कि रिफंड का दावा संबंधित अवधि के भीतर किया गया है। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि इन प्रकरणों में अनियमितता इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आईटीसी के अनियमित रिफंड से संबंधित है। समापन परिचर्चा के दौरान, सचिव वित्त (राजस्व) ने बताया कि विभाग द्वारा आईटी प्रणाली में आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर आईटीसी को पृथक करने के लिए सत्यापन जांच प्रस्तावित करने का मामला उठाया जायेगा।

तीन वृत्तों से संबंधित आठ प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.8 और 2.9)

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त 'के' जयपुर में रिफंड दावों के प्रसंस्करण की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि एक करदाता द्वारा जून 2019, सितंबर 2019 और जनवरी 2020 के महीनों के लिए कुल ₹ 6.12 करोड़ के अलग-अलग रिफंड दावे किए गये थे। अभिलेखों की जांच से पता चला कि करदाता द्वारा अपने रिफंड आवेदनों में दावा की गई नेट आईटीसी, करदाता के जीएसटीआर-2 ए में आईटीसी के विवरण से सुमेलित नहीं थी। करदाता के जीएसटीआर-2 ए में दिए गए विवरण से यह भी स्पष्ट था कि करदाता द्वारा पूंजीगत माल और सेवाओं की आईटीसी का अनियमित रूप से लाभ लिया गया। इसके अतिरिक्त, करदाता द्वारा कुल आईटीसी में से पूंजीगत माल तथा/अथवा आगत सेवाओं पर आईटीसी को अलग करने के लिए रिफंड आवेदन के साथ आवश्यक एचएसएन कोड युक्त परिशिष्ट-बी प्रस्तुत नहीं किया गया। विभाग द्वारा अनियमितताओं का पता नहीं लगाया गया तथा करदाता द्वारा दावा किए गए रिफंड को स्वीकृत

24 वृत्त सी जयपुर (₹ 0.12 लाख), वृत्त जी जयपुर (₹ 0.17 लाख), वृत्त बी अजमेर (₹ 9.64 लाख) एवं वृत्त सी जोधपुर (₹ 0.31 लाख) से संबंधित।

25 वृत्त पी, एल एवं सी जयपुर, वृत्त ए भिवाड़ी एवं वृत्त नागौर से संबंधित।

26 वृत्त के जयपुर।

27 वृत्त जी जयपुर।

कर दिया गया, जिसके कारण स्वीकृत रिफंड, अधिकतम रिफंड योग्य राशि से अधिक हो गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ की राशि का अनियमित रिफंड स्वीकृत किया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि करदाता द्वारा अब एचएसएन कोड के साथ परिशिष्ट-बी प्रदान किया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी जीएसटीआर-2ए से मेल खाती है तथा करदाता ने पूंजीगत माल और सेवाओं पर आईटीसी का दावा नहीं किया है, जिसके कारण कोई अनियमित रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया है।

जबकि सरकार द्वारा उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर-2ए से स्पष्ट है कि करदाता को उपलब्ध नेट आईटीसी की गणना में पूंजीगत माल और सेवाओं पर आईटीसी को शामिल किया गया था तथा इसके अतिरिक्त जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आगत कर, रिफंड आवेदनों से मेल नहीं खाता था, जिन्हें बाद में स्वीकृत किया गया था। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

2.7.6.5 शून्य-दर आपूर्ति के प्रकरणों में अनियमित रिफंड

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के अनुसार, किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड का दावा किसी भी कर अवधि के अंत में किया जा सकता है। माल या सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति के प्रकरणों में सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(4) के अंतर्गत निर्धारित फार्मूले²⁸ के अनुसार रिफंड दिया जाएगा। फॉर्मूले के अनुसार, पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को शामिल नहीं किया जावेगा।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में शून्य दर आपूर्ति से संबंधित 5,013 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 607 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह पाया गया कि 16 प्रकरणों²⁹ (2.63 प्रतिशत) में, क्षेत्राधिकारियों ने नेट आईटीसी की गणना के लिए पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को अलग नहीं किया या गलत कुल समायोजित टर्नओवर/शून्य दर टर्नओवर/ नेट आईटीसी/2ए रिटर्न का अंतर, देय रिफंड की अधिकतम राशि की गणना में लिया। इस प्रकार, रिफंड दावों को संसाधित करते समय क्षेत्राधिकारियों द्वारा निर्धारित फार्मूले को सही तरह से प्रयोग करने के अभाव में ₹ 35.98 लाख का अनियमित रिफंड स्वीकृत किया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि चार प्रकरणों³⁰ में ₹ 7.90 लाख की वसूली की गई तथा पांच

28 रिफंड राशि = (माल की शून्य-दर आपूर्ति का टर्नओवर + सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति का टर्नओवर) * नेट आईटीसी/समायोजित कुल टर्नओवर, जहां "नेट आईटीसी" का अर्थ संबंधित अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी है।

29 10 वृत्तों से संबंधित।

30 वृत्त जे जयपुर से संबंधित (₹ 3.55 लाख) वृत्त विशेष- I अजमेर (₹ 4.18 लाख) एवं वृत्त सी जयपुर (₹ 0.17 लाख)।

प्रकरणों³¹ में नोटिस जारी किए गए। समापन परिचर्चा के दौरान, विशेष आयुक्त (जीएसटी) ने लेखापरीक्षा तर्क से सहमति व्यक्त की।

चार वृत्तों से संबंधित सात प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.10 और 2.11)

उदाहरणास्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-एल जयपुर में रिफंड दावों के प्रसंस्करण की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि एक करदाता द्वारा मई 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए शून्य-दर निर्यात के कारण संचित आगत कर पर ₹ 12.21 लाख के रिफंड का दावा किया गया। संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि शून्य-दर निर्यात इस अवधि में केवल मई 2018 के महीने के दौरान किया गया था। इसलिए, जून 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए संचित आगत कर रिफंड योग्य नहीं था। तथापि, विभाग द्वारा अनियमितता का पता नहीं लगाया गया तथा करदाता द्वारा दावा किए गए रिफंड को स्वीकृत कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 8.25 लाख की राशि के रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

2.7.6.6 शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड का अनियमित भुगतान।

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा शून्य दर आपूर्ति के कारण माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के रिफंड के लिए किसी भी दावे के मामले में, दावा किए गए रिफंड की राशि का 90 प्रतिशत अंतरिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है तथा उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के पश्चात रिफंड दावे के अंतिम निपटान के लिए उप धारा (5) के अंतर्गत आदेश जारी किया जावेगा।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य 6,824 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 988 रिफंड मामलों की जांच की गई और यह पाया गया कि 22 मामलों³² (2.23 प्रतिशत) में विभाग द्वारा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित प्रकरणों में 90 प्रतिशत का अंतरिम रिफंड जारी किया गया। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के उल्लंघन में शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड स्वीकृति के कारण ₹ 2.62 करोड़ के अंतरिम रिफंड का अनियमित भुगतान हुआ।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने नौ प्रकरणों³³ के संबंध में बताया (जुलाई 2021) कि नियमानुसार रिफंड स्वीकृत किया गया था। तथापि,

31 वृत्त सी जयपुर, वृत्त ए भीलवाड़ा एवं वृत्त एल जयपुर से संबंधित।

32 सात वृत्तों से संबंधित।

33 विशेष वृत्त-III, जयपुर।

रिफंड नियमों के अनुसार स्वीकृत नहीं किया गया था क्योंकि इन प्रकरणों में अंतरिम रिफंड प्रदान किया गया था, जबकि ये प्रकरण शून्य-दर आपूर्ति की श्रेणी से संबंधित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, तीन प्रकरणों³⁴ के लिए, सरकार ने बताया कि रिफंड निर्धारित समय अवधि के भीतर स्वीकृत किया गया था और आरएफडी 04 (90 प्रतिशत) और आरएफडी 06 (10 प्रतिशत) के माध्यम से दो किश्तों में भुगतान किया गया था, इसलिए कोई अतिरिक्त रिफंड नहीं दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन तीन प्रकरणों में, 90 प्रतिशत अंतरिम रिफंड प्रदान किया गया था, जबकि प्रकरण शून्य-दर आपूर्ति से संबंधित नहीं थे। चार वृत्तों से संबंधित 10 प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

समापन परिचर्चा के दौरान, विशेष आयुक्त (जीएसटी) ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक प्रक्रियात्मक चूक थी और इससे सरकार को वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यद्यपि समग्र रिफंड राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथापि, अंतरिम रिफंड की सुविधा रिफंड के दावे के अंतिम निपटान तक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय के रूप में केवल शून्य-दर आपूर्ति के लिए प्रदान की जाती है, जो कि अन्य श्रेणियों के करदाताओं के लिए अस्थायी आधार पर, अर्थात् दस्तावेजों के उचित सत्यापन के आधार पर अंतिम निपटान से पहले, रिफंड प्रदान करने से ऐसे करदाताओं को समय से पहले सरकारी धन जारी करने से अनुचित लाभ होता है।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.12)

उदाहरणास्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है :-

विशेष वृत्त-III, जयपुर में रिफंड दावों के प्रसंस्करण की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि एक करदाता द्वारा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित आईटीसी से संबंधित नौ रिफंड दावे किए गये थे। विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के इन सभी नौ प्रकरणों के समक्ष 90 प्रतिशत की अंतरिम रिफंड राशि जारी की गई जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 2.03 करोड़ के अंतरिम रिफंड का अनियमित भुगतान हुआ।

यह विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि रिफंड नियमानुसार स्वीकृत किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये सभी नौ दावे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित थे और इस कारण अंतरिम रिफंड के लिए पात्र नहीं थे।

2.7.7 अन्य अनियमितताएं

2.7.7.1 आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की रिफंड योग्य राशि की गणना के लिए सामान्य पोर्टल पर सत्यापन जांच का अभाव।

सीबीआईसी के परिपत्र संख्या 59/33/2018-जीएसटी दिनांक 04 सितंबर 2018 और विभाग के परिपत्र संख्या 6/2018 दिनांक 26 सितंबर 2018 के अनुसार, रिफंड योग्य राशि के निर्धारण

34 वृत्त सी और एल जयपुर से संबंधित।

के बाद, समतुल्य राशि को निम्नलिखित क्रम में करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में डेबिट किया जाना चाहिए: (अ) एकीकृत कर, उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक; (ब) केंद्रीय कर और राज्य कर/केंद्र शासित प्रदेश कर, समान रूप से उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक तथा किसी ईसीएल विशेष में उपलब्ध शेष राशि में कमी (जैसे, केंद्रीय कर) की स्थिति में, अंतर राशि को अन्य ईसीएल (अर्थात्, इस प्रकरण में राज्य कर/केन्द्र शासित प्रदेश कर) से डेबिट किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि 208 प्रकरणों³⁵ (12.21 प्रतिशत) में, जांच किये गए 1,703 रिफंड प्रकरणों में से, स्वीकृत सीजीएसटी और एसजीएसटी का रिफंड उक्त प्रावधानों के विरुद्ध पात्र राशि से अधिक था। यह उल्लेख करना भी उचित है कि निर्धारित क्रम में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की सही रिफंड योग्य राशि की गणना करने के लिए राज्य जीएसटी पोर्टल में सिस्टम सत्यापन जांच का अभाव है। इसके अतिरिक्त, करदाताओं द्वारा ईसीएल में रिफंड योग्य राशि को डेबिट करने के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और क्षेत्राधिकारियों द्वारा मैनुअल रूप से सही राशि की जांच किए बिना, करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफंड को स्वीकृत किया गया। उपरोक्त त्रुटि के परिणामस्वरूप सीजीएसटी और एसजीएसटी ईसीएल से कुल ₹ 16.04 करोड़ के अधिक रिफंड स्वीकृत हुए, जिसके परिणामस्वरूप आईजीएसटी ईसीएल में इस सीमा तक अधिक क्रेडिट शेष हो गया।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि 30 प्रकरणों³⁶ में नोटिस जारी किये गये तथा तीन प्रकरणों³⁷ में ₹ 5.41 लाख की वसूली की गयी। 63 प्रकरणों³⁸ में, अनियमितता के लिए जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, यथा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दावा किए गए रिफंड को संशोधित करने में कर अधिकारियों की असक्षमता और रिफंड स्वीकृत करने के बाद शीर्ष-वार राशि को सही करने के लिए सुविधा की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। दो प्रकरणों³⁹ के संबंध में सरकार ने बताया कि सीजीएसटी नियमों के नियम 89(5) के अनुसार राशि की गणना के बाद परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में रिफंड स्वीकृत किये गये हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन दोनों प्रकरणों में, उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में ईसीएल से डेबिट करने के आदेश का पालन नहीं किया गया था जिसके कारण सीजीएसटी और एसजीएसटी ईसीएल से अधिक डेबिट हुआ। समापन परिचर्चा के दौरान विशेष आयुक्त (जीएसटी) ने कहा कि इस तरह की सत्यापन जांच अब पोर्टल पर प्रारम्भ कर दी गई है।

24 वृत्तों से संबंधित 110 प्रकरणों के उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.13 और 2.14)

35 43 वृत्तों से संबंधित।

36 चार वृत्तों से संबंधित: वृत्त ए भिवाड़ी, एल जयपुर, ए अजमेर व नागौर।

37 वृत्त बी एवं विशेष I अजमेर।

38 बारह वृत्तों से संबंधित: वृत्त सी, के, क्यू जयपुर, बी कोटा, बी हनुमानगढ़, नागौर, किशनगढ़, ए व सी भीलवाड़ा, ए भिवाड़ी, शाहजहांपुर और बी अजमेर।

39 वृत्त के, जयपुर।

2.7.7.2 पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया में खामियाँ/कमियाँ

रिफंड प्रक्रिया 26 सितंबर 2019 से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई और सीबीआईसी द्वारा परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18 नवंबर, 2019 के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि सहायक दस्तावेजों के साथ रिफंड आवेदन (आरएफडी-01ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परिपत्र संख्या 05/2020 दिनांक 04 अप्रैल 2020 द्वारा, विभाग ने स्पष्ट किया कि कुल आईटीसी में से पूंजीगत माल और/या आगत सेवाओं पर आईटीसी को अलग करने के लिए परिशिष्ट-बी में आवक आपूर्ति से संबंधित इनवॉयस के विवरण में माल/सेवाओं के एचएसएन/एसएसी⁴⁰ कोड को अनिवार्य रूप से शामिल किया जावेगा।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में 6,155 स्वचालन-पश्चात रिफंड प्रकरण संसाधित किये गये। इनमें से 1,212 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 296 मामलों⁴¹ (24.42 प्रतिशत) में आरएफडी-01ए आवेदन के साथ परिशिष्ट-बी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि छः रिफंड प्रकरणों⁴² में एचएसएन/एसएसी कोड का उल्लेख नहीं किया गया था। माल/सेवाओं के परिशिष्ट-बी और एचएसएन/एसएसी कोड के अभाव में, रिफंड के लिए पात्र आईटीसी का सत्यापन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, क्षेत्राधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार परिशिष्ट-बी की ऑनलाइन प्रस्तुति और पूर्णता सुनिश्चित किए बिना ₹ 56.98 करोड़ की राशि के रिफंड स्वीकृत किये गये।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने 82 प्रकरणों⁴³ के संबंध में बताया (जुलाई 2021) कि परिशिष्ट बी को ऑनलाइन अपलोड करने में तकनीकी समस्या थी। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि 67 प्रकरणों⁴⁴ में नोटिस जारी किए गए हैं और करदाताओं ने 24 प्रकरणों⁴⁵ में विभाग को मैन्युअल रूप से परिशिष्ट-बी प्रस्तुत किया है। उत्तर को इस दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है कि प्रणाली 26 सितंबर 2019 से पूरी तरह से स्वचालित थी और परिशिष्ट-बी और अन्य दस्तावेजों को आरएफडी-(01ए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। एक प्रकरण⁴⁶ के संबंध में सरकार ने बताया कि रिफंड के लिये आवेदन, परिपत्रों के जारी होने से पूर्व किया गया था, और इसलिए, परिपत्रों के प्रावधान लागू नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार करदाता ने परिपत्र जारी होने के बाद रिफंड के लिए आवेदन किया था। समापन परिचर्चा के दौरान, आयुक्त, वाणिज्यिक कर लेखापरीक्षा के तर्क से सहमत थे।

23 वृत्तों से संबंधित 128 प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.15 और 2.16)

40 हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमिनक्लेचर (एच एस एन)/सर्विस अकाउंटिंग कोड (एस ए सी)

41 44 वृत्तों से संबंधित।

42 तीन वृत्तों से संबंधित।

43 वृत्त के और विशेष III जयपुर, किशनगढ़, शाहजहांपुर, ए और सी भीलवाड़ा, विशेष- I, ए और बी अजमेर, बी हनुमानगढ़ और ए भिवाड़ी से संबंधित।

44 वृत्त बी, जे, क्यू जयपुर, ए भरतपुर, बी कोटा, पाली, नागौर और बालोतरा।

45 वृत्त- जी और एन जयपुर, बालोतरा और ए, अलवर।

46 वृत्त एफ जयपुर से संबंधित।

2.7.7.3 माल के निर्यात जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली न हुई हो, की पहचान करने के लिए तंत्र का अभाव

सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 96बी⁴⁷ ऐसे प्रकरणों से संबंधित है जिनमें किसी आवेदक को माल के निर्यात के कारण या माल के निर्यात पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के लिए अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के किसी रिफंड का भुगतान किया गया हो, किन्तु ऐसे निर्यात किए गए माल के संबंध में विक्रय प्राप्त भारत में, पूर्ण या आंशिक रूप से, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत अनुमत्य अवधि के भीतर प्राप्त नहीं की गयी है।

नियम के अनुसार ऐसे प्रकरण में वह व्यक्ति, जिसे रिफंड स्वीकृत किया गया है, विक्रय प्राप्तियों की प्राप्त न की गयी राशि की सीमा तक, इस प्रकार रिफंड की गयी राशि मय देय ब्याज उक्त अवधि की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर जमा करायेगा।

निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-01 में उपरोक्त प्रभाव का एक वचनपत्र जोड़ा गया है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में शून्य-दर आपूर्ति से संबंधित 5,013 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 111 प्रकरणों में निर्यात प्राप्तियों की वसूली के प्रमाण प्रस्तुत करने की जांच की गई और यह देखा गया कि 34 प्रकरणों⁴⁸ (30.63 प्रतिशत) में करदाताओं द्वारा बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्यात प्राप्तियों की वसूली के प्रमाण के लंबित होने के संबंध में सूचना कर वृत्तों के क्षेत्राधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थी तथा इस प्रकार की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट राज्य जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि ऐसी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस विवरण) के रूप में उपलब्ध थी जिसमें राज्य/विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत निर्यातकों से बकाया वसूली का प्रमाण शामिल था। तथापि, कर वृत्तों में क्षेत्राधिकारियों को यह जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था का अभाव था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा इस संबंध में निर्यातकों के साथ पत्राचार भी नहीं किया गया। ऐसी सूचना की उपलब्धता के अभाव में, विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों की पहचान नहीं की गई, जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली के प्रमाण उपलब्ध नहीं थे।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि 12 प्रकरणों⁴⁹ में नोटिस जारी किए गए हैं। समापन परिचर्चा के दौरान सचिव, वित्त (राजस्व) ने सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा कि आरबीआई से आवश्यक जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया जाएगा अथवा पोर्टल पर ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए जीएसटीएन से अनुरोध किया जाएगा।

47 अधिसूचना सं. 16/2020/दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा सम्मिलित किया गया।

48 नौ वृत्तों से संबंधित।

49 वृत्त ए, भीलवाड़ा, वृत्त बी, हनुमानगढ़ और वृत्त, किशनगढ़।

छ: वृत्तों से संबंधित 22 प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.17)

2.7.7.4 अवधि पार प्रकरणों में अनियमित रिफंड

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(1) के अनुसार रिफंड का दावा करने के लिए संबंधित तिथि से दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना क्रमांक 02/2019- सीबीआईसी दिनांक 29 जनवरी 2019 (01 फरवरी 2019 से प्रभावी) के अनुसार, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित आगत कर की स्थिति में, संबंधित तिथि का अर्थ धारा 39 के अन्तर्गत उस अवधि, जिसमें रिफंड के लिए ऐसा दावा देय होता है, के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 3,845 रिफंड प्रकरणों में से, 835 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह देखा गया कि 34 रिफंड प्रकरणों⁵⁰ (4.07 प्रतिशत) में, करदाताओं ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण, जिस अवधि के लिए रिफंड के दावे संबंधित हैं, उसके लिए विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के दो वर्ष बाद आगत कर के रिफंड का दावा किया था। इन प्रकरणों के लिए अवधिपार सीमा से संबंधित आगत कर की कटौती के बाद, रिफंड की पात्र राशि ₹ 1.05 करोड़ थी। तथापि, विभाग अवधिपार सीमा से संबंधित आगत कर की कटौती करने में विफल रहा और ₹ 3.73 करोड़ के रिफंड स्वीकृत किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.68 करोड़ के अधिक रिफंड स्वीकृत हुए।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि दो प्रकरणों⁵¹ में ब्याज सहित आक्षेपित राशि ₹ 10.94 लाख की वसूली की गई है तथा पांच प्रकरणों⁵² में नोटिस जारी किए गए हैं। एक प्रकरण⁵³ के संबंध में, बताया गया कि उपरोक्त अधिसूचना लागू नहीं है क्योंकि रिफंड का दावा 2017-18 से संबंधित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम में संशोधन दिनांक 29 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत 01 फरवरी 2019 से प्रभावी था जबकि रिफंड का दावा मार्च 2020 में किया गया था। इसलिए, उपरोक्त संशोधन इस दावे पर लागू था जिसके कारण जुलाई 2017 से जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए किया गया दावा अवधिपार था, और इस प्रकार रिफंड के लिए अपात्र था। समापन परिचर्चा के दौरान सचिव, वित्त (राजस्व) ने बताया कि इस संबंध में सत्यापन जांच के लिए जीएसटी कानून समिति की बैठक में अनुरोध किया जाएगा।

12 वृत्तों से संबंधित 26 प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.18)

50 19 वृत्तों से संबंधित

51 वृत्त के जयपुर (₹ 9.83 लाख) और वृत्त बांसवाड़ा (₹ 1.11 लाख)।

52 वृत्त नागौर, ए, भरतपुर, सी, भीलवाड़ा और एन जयपुर से संबंधित।

53 वृत्त नागौर।

उदाहरणास्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-सी, जोधपुर में रिफंड दावों की नमूना जांच के दौरान, देखा गया कि एक करदाता द्वारा 24 जून 2020 को जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण आईटीसी के रिफंड के लिए ₹ 63.69 लाख की राशि का रिफंड आवेदन प्रस्तुत किया गया। दावा किए गए कुल रिफंड में से, जुलाई 2017 से जनवरी 2018 की अवधि के लिए रिफंड का दावा अवधिपर था क्योंकि रिफंड के लिए आवेदन इस अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद किया गया था। फरवरी 2018 से मार्च 2018 की अवधि के लिए निर्धारित फार्मूले⁵⁴ के अनुसार पात्र रिफंड शून्य था। तथापि, रिफंड के दावे को संसाधित करते समय विभाग द्वारा पूरे रिफंड दावे को स्वीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 63.69 लाख का अधिक रिफंड स्वीकृत हुआ।

यह विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि संबंधित वृत्त से उत्तर प्रतीक्षित था।

2.7.7.5 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्षतिपूर्ति उपकर का अनियमित रिफंड

धारा 54(3) के अनुसार, अप्रयुक्त आईटीसी का रिफंड निम्न के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अनुमत्य नहीं होगा: (i) कर के भुगतान के बिना की गई शून्य-दर आपूर्ति; (ii) जहाँ निर्गत आपूर्ति (शून्य-दर या पूर्णतः छूट आपूर्ति के अलावा) की तुलना में आगत पर कर की अधिक दर के कारण क्रेडिट संचित हुआ है।

चूंकि निर्गत आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है, आगत आपूर्ति पर भुगतान किए गए क्षतिपूर्ति उपकर पर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अन्तर्गत कोई रिफंड उपलब्ध नहीं होगा। यह केवल माल के निर्यात की स्थिति में उपलब्ध होगा।

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 11(1) के अन्तर्गत, सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधान और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, जिसमें कर निर्धारण, आगत कर जमा, कर की अवसूली, कम वसूली, ब्याज, अपील, अपराध और शास्ति, शामिल हैं, यथोचित यथावश्यक परिवर्तनों सहित, माल और सेवाओं की राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर धारा 8 के अंतर्गत उपकर के आरोपण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे उक्त अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर केंद्रीय कर के आरोपण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 3,845 रिफंड प्रकरणों में से 835 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और तीन प्रकरणों⁵⁵ में यह देखा गया कि इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के प्रकरणों में प्रावधानों के उल्लंघन में, क्षतिपूर्ति उपकर की संचित आईटीसी के

54 आरजीएसटी/सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(5) के अनुसार।

55 वृत्त सी, जयपुर और वृत्त ई, जोधपुर से संबंधित।

रिफंड को स्वीकृत किया गया था जहाँ निर्गत आपूर्ति पर उपकर आरोपणीय नहीं था। इस प्रकार, क्षेत्राधिकारियों द्वारा रिफंड दावों की उचित जांच के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 9.81 लाख की राशि के रिफंड की अनियमित स्वीकृति हुई।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारियों को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

2.7.7.6 सौर ऊर्जा आपूर्ति पर जीएसटी का अनियमित रिफंड

सौर ऊर्जा संयंत्रों को 31.12.2018 तक निर्माण कार्य अनुबंध सेवाओं के रूप में माना जाता था एवं तदनुसार कर का आरोपण किया जाता था। सीबीआईसी की अधिसूचना (27/2018) दिनांक 31 दिसंबर 2018 के माध्यम से कानून में यह प्रावधित करने हेतु संशोधन किया गया कि यदि अक्षय ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति, अन्य माल और कर योग्य सेवाओं के साथ आपूर्ति उनकी स्थापना के संबंध में की जाती है, तो सकल प्रतिफल के 70 प्रतिशत को 'माल की आपूर्ति का मूल्य' समझा जायेगा एवं उस पर पाँच प्रतिशत से जीएसटी लगेगा और शेष 30 प्रतिशत 'सेवाओं का मूल्य' होगा जिस पर 18 प्रतिशत से जीएसटी लगेगा। इन पर सीबीआईसी की दिनांक 01.01.2019 से प्रभावी अधिसूचना संख्या 11/2017-सीटी (आर) के क्रम संख्या 38 एवं अधिसूचना संख्या 1/2017-सीटी (आर) के क्र.सं. 234 के अन्तर्गत माल की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अलग से कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित 3,845 रिफंड प्रकरणों में से, 835 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह पाया गया कि एक प्रकरण में, करदाता⁵⁶ द्वारा माल की आपूर्ति के अतिरिक्त सेवाओं की भी आपूर्ति की गई थी, जिसके कारण सकल प्रतिफल के 30 प्रतिशत को 'सेवाओं का मूल्य' समझा जाना चाहिए था। तथापि, करदाता द्वारा अपनी विवरणियों में 5 प्रतिशत कर की दर पर पूरी आपूर्ति घोषित की गई तथा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण रिफंड का दावा किया गया, जबकि आपूर्ति का 30 प्रतिशत 'सेवाओं का मूल्य' (18 प्रतिशत पर कर योग्य) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के दायरे से बाहर था। तथापि, क्षेत्राधिकारी द्वारा करदाता के दावे के अनुसार आईजीएसटी रिफंड अनुमत्य किया गया। इस प्रकार, क्षेत्राधिकारी द्वारा रिफंड दावों की उचित जांच के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 12.88 लाख की राशि के रिफंड की अनियमित स्वीकृति हुई।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.19)

56 सौर ऊर्जा संयंत्र की आपूर्ति और स्थापना में कार्यरत ॥

2.7.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा कुछ प्रकरण देखे गये जहां विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण पावती जारी करने, रिफण्ड आदेश और अंतरिम रिफण्ड में विलम्ब के मामले सामने आए। इसके अतिरिक्त, क्षेत्राधिकारियों द्वारा रिफंड दावों की उचित जांच के अभाव के कारण कुछ प्रकरणों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, शून्य-दर आपूर्ति, अवधिपार प्रकरणों आदि के अंतर्गत रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई।

इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन पोर्टल पर सत्यापन जांच का अभाव, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया में स्वामियाँ/कमियां तथा माल के निर्यात जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली नहीं की गई थी, की पहचान करने के लिए तंत्र का अभाव जिनसे रिफंड दावों की अनियमित स्वीकृतियाँ हुईं, जैसे प्रणाली से संबंधित मुद्दे भी देखे गए।

2.7.9 सिफारिशें

लेखापरीक्षा में सामने आई अनियमितताओं पर अपेक्षित कार्रवाई के अतिरिक्त, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है, विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है कि सामान प्रकृति की अनियमितताओं की अन्य वृत्तों/प्रकरणों में पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही जीएसटी पोर्टल से संबंधित मुद्दों, जिसमें अतिरिक्त प्रणालीगत सत्यापन जांचें लागू करना शामिल है, के प्राथमिकता से निराकरण की आवश्यकता है ताकि मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए आईटी प्रणाली के लाभों का पूरी तरह से फायदा लिया जा सके तथा जो जीएसटी कानूनों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने हेतु कर अधिकारियों को सहायता प्रदान कर सके।

2.8 माल और सेवाकर के अंतर्गत अनियमित रिफंड अनुमत्य किया जाना

लेखापरीक्षा ने 2020-21 के दौरान जीएसटी रिफण्ड पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) निष्पादित की। इस एसएससीए के महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.7 में चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने 10 वृत्तों में जीएसटी रिफंड से संबंधित 369 प्रकरणों की भी जांच की, और रिफंड्स के प्रसंस्करण में अनियमितताएं पाई गईं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.8.1 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण पूंजीगत माल और आगत सेवाओं के आगत कर जमा (आईटीसी) को हटाने में क्षेत्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप अनियमित रिफंड अनुमत्य किया जाना

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड का दावा, जहां आगत पर कर की दर निर्गत आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने (अर्थात् इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) के कारण क्रेडिट का संचय हुआ है, किसी भी कर अवधि के अंत में कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी 2017 का

नियम 89(5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी के अधिकतम प्रतिदाय के लिए फॉर्मूला⁵⁷ निर्धारित करता है जिसमें 'नेट आईटीसी' में संबंधित अवधि के दौरान केवल आगत⁵⁸ पर प्राप्त आईटीसी शामिल है और इसमें आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर प्राप्त किया गया क्रेडिट शामिल नहीं है।

कार्यालय उपायुक्त, राज्य कर, वृत्त-बी, सीकर के लेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि दो करदाताओं ने जुलाई 2017 से दिसम्बर 2019 की अवधि के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित आईटीसी के रिफण्ड का दावा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि रिफण्ड दावों में, नियमों के विपरीत आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को भी नेट आईटीसी की गणना में लिया गया था। तथापि, क्षेत्राधिकारी रिफण्ड की स्वीकृति देते समय अनियमितता का पता लगाने में विफल रहे और करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफण्ड को अनुमत्य किया जिसके कारण स्वीकृत रिफण्ड निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार अधिकतम रिफण्ड राशि से अधिक हो गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के रिफण्ड का अनियमित भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा आक्षेप विभाग एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि एक प्रकरण में ₹ 0.81 करोड़ की सम्पूर्ण राशि की वसूली कर ली गई है, जबकि अन्य प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

2.8.2 क्षेत्राधिकारी केंद्रीय कर के ड्यूटी ड्राबैंक का पता लगाने में विफल रहे और करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफण्ड को अनुमत्य किया

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के तीसरे प्रावधान के अनुसार, यदि माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता ने केंद्रीय कर या ऐसी आपूर्ति पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के संबंध में ड्राबैंक का लाभ लिया है, तो आईटीसी के रिफण्ड की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

तीन राज्य कर कार्यालयों⁵⁹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 15 करदाताओं ने कर के भुगतान के बिना माल के निर्यात के संबंध में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2017 के महीनों के लिए जीएसटी के अंतर्गत अप्रयुक्त आईटीसी के रिफण्ड का दावा किया। आगे की जांच से पता चला कि इन करदाताओं ने केंद्रीय कर के संबंध में ड्राबैंक का लाभ उठाया था जिसके कारण ये करदाता इस अवधि के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी की अप्रयुक्त आईटीसी के रिफण्ड का दावा करने के पात्र नहीं थे। तथापि, रिफण्ड की स्वीकृति देते समय क्षेत्राधिकारी, अनियमितता का पता नहीं लगा सके और त्रुटिपूर्वक करदाताओं द्वारा दावा किये रिफण्ड को

57 अधिकतम रिफण्ड राशि= (माल एवं सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर)* (नेट आईटीसी/समायोजित कुल टर्नओवर) – माल एवं सेवाओं की ऐसी इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर।

58 आगत का अर्थ पूंजीगत माल के अलावा कोई भी माल है जो किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग के लिये आशयित है।

59 वृत्त-पी, वृत्त-एच एवं वृत्त-एल जयपुर।

अनुमत्य कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.46 करोड़ की राशि के रिफण्ड का अनियमित भुगतान हुआ।

अनियमितता विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित की गई (जुलाई 2021)। सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि दो प्रकरणों⁶⁰ में अधिक लिये गये ड्यूटी ड्राबैक के अंतर के रूप में ₹ 46.75 लाख जमा किए गए हैं, चार प्रकरणों में ₹ 8.56 लाख⁶¹ वसूल किए गए हैं जबकि शेष मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

2.8.3 क्षेत्राधिकारियों ने आवश्यक सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, परिणामस्वरूप जीएसटी के अंतर्गत रिफण्ड की अनियमित स्वीकृति हुई

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (21) सह पठित राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अनुसार, 'आपूर्ति' में व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के लिए दिए गए सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी प्रकार सम्मिलित हैं।

मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान ने जीएसटी परिपत्र⁶² सं. 32/2019 द्वारा स्पष्ट किया कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रदर्शनी या कंसाईन्मेंट के आधार पर भारत से बाहर माल भेजने/लेने की गतिविधि 'आपूर्ति' के अंतर्गत शामिल नहीं होती है क्योंकि यह गतिविधि उक्त धारा 7 के दायरे में नहीं आती है और इसलिए आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार इसे 'शून्य दर आपूर्ति'⁶³ नहीं माना जा सकता। परिपत्र भारत से बाहर भेजे गये/ले जाए गए और वापस लाए गए माल के संबंध में पालना की जाने वाली प्रक्रिया भी प्रदान करता है।

कार्यालय उपायुक्त, राज्य कर, वृत्त-एच, जयपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (जून 2020) से पता चला कि नौ करदाताओं ने कर के भुगतान के बिना भारत के बाहर माल की शून्य दर आपूर्ति के अंतर्गत ₹ 27.34 लाख के जीएसटी रिफण्ड का दावा किया। इसके अलावा अभिलेखों की जांच से पता चला कि इस राशि में से ₹ 19.24 लाख का रिफण्ड भारत के बाहर प्रदर्शनी या निर्यात प्रोत्साहन के लिए कंसाईन्मेंट के आधार पर भेजे गए/लिये गये माल से संबंधित था, जिसके समक्ष विदेशों में बेचे गए माल का विवरण/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये थे। इस प्रकार, वास्तविक 'आपूर्ति' का मूल्य जिस पर उक्त प्रावधानों के अनुसार रिफण्ड प्राप्त किया जाना था, सुनिश्चित नहीं किया जा सका। क्षेत्राधिकारियों ने दावों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की और करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफण्ड को स्वीकृति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.24 लाख का अनियमित रिफण्ड हुआ।

60 वृत्त-पी जयपुर से सम्बंधित।

61 वृत्त-एच जयपुर से सम्बंधित।

62 परिपत्र एफ. 17 (134-भाग-II) लेखा/जीएसटी/2017/4644 दिनांक 19 जुलाई 2019।

63 आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार, 'शून्य दर आपूर्ति' का आशय एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात या माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति है।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2021)। सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि छः प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये जबकि दो प्रकरणों में ₹ 0.17 लाख की वसूली की गयी है। एक प्रकरण में, सरकार ने बताया (सितंबर 2021) कि करदाता ने सूचित किया कि कुल ₹ 16.25 करोड़ में से ₹ 13.15 करोड़ का माल फिर से आयात किया गया और बाकी को बेच दिया गया। यद्यपि, करदाता ने अपने दावे के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज⁶⁴ प्रस्तुत नहीं किये। सरकार ने आगे कहा कि करदाता ने फिर से आयातित माल पर रिफण्ड को घटाकर अगले वित्तीय वर्ष में रिफण्ड का दावा किया। इस प्रकार, सरकार के उत्तर से स्पष्ट है कि क्षेत्राधिकारियों ने रिफण्ड की स्वीकृति से पूर्व आवश्यक सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की।

एक अन्य करदाता के मामले में, सरकार ने कहा (सितंबर 2021) कि शून्य-दर निर्यात के स्थान पर, दो मामलों में कर के अधिक भुगतान के कारण रिफण्ड का दावा किया गया और एक मामले में आईजीएसटी के भुगतान के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र को आपूर्ति के कारण रिफण्ड का दावा किया गया था। तथापि, सरकार ने उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

2.9 'जीएसटी के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.9.1 प्रस्तावना

माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जाना हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार था, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों द्वारा आरोपणीय एवं एकत्र किये जाने वाले विभिन्न करों को प्रतिस्थापित किया गया। जीएसटी माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर गंतव्य आधारित कर है जो केंद्र और राज्यों द्वारा एक समान कर आधार पर एक साथ लगाया जाता है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) / केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर लगाया जाता है और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। आगत, आगत सेवाओं एवं पूंजीगत माल पर भुगतान किये गये कर को निर्गत कर दायित्व के समक्ष समायोजित करने हेतु आईटीसी की उपलब्धता जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि यह करों के सोपानन/कास्केडिंग प्रभाव को रोकती है और विक्रेता से क्रेता तक क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करती है। मौजूदा कानूनों से जीएसटी व्यवस्था में आगत कर के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु, जीएसटी अधिनियमों में आगत कर हेतु संक्रमणकालीन (ट्रांजिशनल) व्यवस्था को सम्मिलित किया गया था ताकि मौजूदा कानूनों के तहत भुगतान किये गये उचित करों या शुल्कों के संबंध में आगत कर का दावा करने की हकदारी एवं तरीका प्रदान किया जा सके। ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान, पूर्ववर्ती कर व्यवस्थाओं की विवरणियों में संचित क्रेडिट,

64 जैसे विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) या बैंक समाधान प्रमाणपत्र (बीआरसी)।

नियत दिवस⁶⁵ पर स्टॉक में रखे हुए कच्चे माल, अर्द्धनिर्मित माल, निर्मित माल के आगत कर के साथ ही पूँजीगत माल की क्रेडिट के रूपान्तरण को सुनिश्चित करते हैं।

2.9.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ट्रान 1⁶⁶ और ट्रान 2⁶⁷ विवरणियों के तहत दावा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट, आगत कर के रूप में करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जाता है एवं करदाताओं के जीएसटी के निर्गत कर दायित्व के समक्ष समायोजित किया जाता है, इसलिए, ऐसे दावों का जीएसटी राजस्व संग्रह पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, जीएसटी के अन्तर्गत आगत कर हेतु ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं की लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों पर आश्वासन प्राप्त किये जाने हेतु की गई:

- (अ) क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था (प्रणालीगत मुद्दे)।
- (ब) क्या निर्धारितियों द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे (अनुपालन मुद्दे)।

2.9.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा क्षेत्र में आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के तहत, आगत कर हेतु ट्रांजिशनल व्यवस्था के अन्तर्गत करदाताओं द्वारा दाखिल ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की दोनों विवरणियाँ ट्रान-1 एवं ट्रान-2 की समीक्षा शामिल है। समीक्षा की अवधि नियत तिथि से मार्च 2020 तक थी।

2.9.4 लेखापरीक्षा पद्धति और नमूना चयन

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की लेखापरीक्षा पद्धति में विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया एवं परिणामों के साथ साथ चयनित दावों की विस्तृत स्वतंत्र संवीक्षा शामिल थी। व्यक्तिगत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन में मौजूदा कानूनों के तहत नियत तिथि से तुरंत पहले दाखिल अंतिम विवरणी में करदाताओं द्वारा दावा किए गए एसजीएसटी क्रेडिट के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जांच शामिल है। इसके अलावा, स्टॉक में रखी सामग्री से संबंधित दावा किए गए

65 नियत तिथि का आशय उस तिथि से है जिस तिथि से जीएसटी अधिनियम के प्रावधान लागू हुए अर्थात् 01 जुलाई 2017।

66 जीएसटी ट्रान-1 जीएसटी व्यवस्था से पहले के पंजीकृत करदाताओं के लिए एक ट्रांजिशनल फॉर्म है, जो जीएसटी के लागू होने से पहले जमा किए गए अपने पिछले आगत कर का लाभ उठाने के लिए जीएसटी ट्रान -1 फॉर्म दाखिल करते हैं।

67 जीएसटी ट्रान -2 एक ट्रांजिशनल फॉर्म है जिसे एक डीलर/व्यापारी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जो जीएसटी व्यवस्था से पहले अपंजीकृत था या जिसके पास 30 जून 2017 को रखे गये स्टॉक के वैट या उत्पाद शुल्क के इनवॉयस नहीं थे।

आगत कर के लिए सत्यापन में ऐसे माल की खरीद के साक्ष्य हेतु आवश्यक लेखांकन विवरणों, दस्तावेजों या अभिलेखों की जांच शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा सत्यापित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों से संबंधित अभिलेखों को भी सत्यापन के लिए मांगा गया था।

राजस्थान में, 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान कुल 53,432 ट्रांजिशनल क्रेडिट के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से राज्य कर विभाग (विभाग) के 94 वृत्तों से संबंधित 1325 मामलों⁶⁸ (कुल दावों की संख्या का 2.48 प्रतिशत) का विस्तृत जाँच के लिए चयन ट्रान-1 से निकाले गये आँकड़ों एवं विभाग द्वारा प्रदत्त पुरानी वैट विवरणियों से संबंधित आँकड़ों पर जोखिम आधारित विश्लेषण के आधार पर किया गया था। इन मामलों की जांच वृत्तों के पास उपलब्ध अभिलेखों की जांच के साथ-साथ विभागीय वेब पोर्टल 'राजविस्टा' और जीएसटी वोवेब पोर्टल पर लॉगिन आईडी आधारित पहुंच के माध्यम से की गई।

इस एसएससीए पर परिचयात्मक परिचर्चा 20 जुलाई 2021 को आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया गया था। समापन परिचर्चा 12 अक्टूबर 2021 को सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान सरकार, मुख्य आयुक्त राज्य कर एवं राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचार एवं प्रारूप प्रतिवेदन पर प्राप्त लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.9.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों से लिए गए थे:

- I. राजस्थान माल और सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017
- II. राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017
- III. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2003
- IV. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (वैट) नियम, 2006
- V. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956
- VI. केंद्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन और आवर्त) नियम, 1957

2.9.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

व्यक्तिगत ट्रांजिशनल मामलों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गए 1,325 मामलों में से 691 मामलों⁶⁹ (52 प्रतिशत) में जीएसटी अधिनियमों/नियमों से महत्वपूर्ण विचलन

68 इनमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के तहत 570 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के तहत 755 करदाता शामिल थे।

69 कर निर्धारण/संशोधन आदेश के अनुसार आगत कर के अधिक अग्रेषण के 674 मामले (पैरा 6.1.1), पिछली अवधि की आईटीसी की अधिक अनुमत्यता एवं अग्रेषण का एक मामला (पैरा 6.1.2) और ब्याज का भुगतान न करने के 16 मामले (पैरा 6.1.3)।

देखा गया। अनियमितताएं आगत कर का अधिक अग्रोषण, अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट के रिवर्सल पर ब्याज का भुगतान न करने आदि से संबंधित थीं।

एसएससीए के दौरान देखे गए अनुपालन मुद्दों से संबंधित कमियों को नीचे तालिका 2.5 में सारीकृत किया गया है :

तालिका 2.5

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		पायी गई कमियों की संख्या		नमूने के प्रतिशत के रूप में विचलन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
कर निर्धारण आदेश / संशोधन आदेश के अनुसार आगत कर का अधिक अग्रोषण	1325 (केंद्रीय-570 और राज्य-755)	624.24 (केंद्रीय 364.49 और राज्य 259.75)	674	164.68	50.86	26.38
पुरानी विवरणी के अनुसार आगत कर का अधिक अग्रोषण			101 ⁷⁰	8.9	7.62	1.42
ब्याज का भुगतान न करना	29	7.60 (केंद्रीय 0.70 और राज्य 6.90)	16	0.90	55.17	11.84

अनुपालन मुद्दों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने प्रणालीगत मुद्दों को भी देखा, जैसे कि आवश्यक विवरण के बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का ट्रान -1 से मिलान न होना और ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन पर निगरानी हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की कमी।

चयनित मामलों की जांच के आधार पर पहचाने गए अनुपालन और प्रणालीगत मुद्दों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

अनुपालन के मुद्दे

2.9.6.1 आगत कर जमा (आईटीसी) का अधिक अग्रोषण

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि की संबंधित विवरणी में आगे ले जाये गये मूल्य परिवर्धित कर (वैट) की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा। इसके अलावा, धारा में यह प्रावधान किया गया कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत आईटीसी के रूप में स्वीकार्य है और इस अधिनियम के तहत आईटीसी के रूप में भी स्वीकार्य है।

70 इन 101 मामलों में से 96 मामले कर निर्धारण आदेश के अनुसार आगत कर को अधिक अग्रोषित करने के 674 मामलों में शामिल हैं। शेष 5 प्रकरणों में विभाग कर निर्धारण/संशोधन आदेश के आधार पर आगत कर के अधिक अग्रोषण के संबंध में पहले ही नोटिस जारी कर चुका था।

इसके अलावा, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 74) की धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6ए या धारा 8 की उप-धारा (8) से संबंधित क्रेडिट के दावे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में जमा किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे जिसे केंद्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में निर्धारित रीति से सिद्ध नहीं किया गया है। मौजूदा जीएसटी कानून में करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी विवरणी के आधार पर उनके वैट अधिनियम, 2003 की धारा 23 और 24 एवं सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत कर निर्धारण करने का प्रावधान है।

संबंधित 94 वृत्तों में जाँच किये गए 1325 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में से, लेखापरीक्षा संवीक्षा में 79 वृत्तों के 674 करदाताओं⁷¹ ने आगत कर को अधिक अग्रप्रेषित किया। इन मामलों में, ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में अग्रप्रेषित की गयी एसजीएसटी का ट्रांजिशनल क्रेडिट, कर निर्धारण/संशोधन आदेशों के अनुसार उपलब्ध आईटीसी से अधिक था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार, इन करदाताओं पर जीएसटी व्यवस्था से पूर्व की अवधि के लंबित घोषणा पत्र और/या बकाया माँगें थीं, जिनकी गणना पिछली वैट/सीएसटी विवरणियों के आधार पर उपलब्ध आईटीसी को समायोजित करने के बाद की गई थी। तथापि, इस आईटीसी को करदाताओं द्वारा पहले ही ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में आगे अग्रप्रेषित किया गया था। परिणामस्वरूप, करदाताओं के ईसीएल में ₹ 164.68 करोड़ की अधिक आईटीसी को अग्रप्रेषित किया गया, जिसे उक्त प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक था। इन 674 करदाताओं में से, राज्य के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 40 करदाताओं को राज्य कर विभाग द्वारा सत्यापित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक अनियमितताओं पर ध्यान नहीं गया। इसके अलावा, जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र के क्षेत्राधिकार में चले गए 34 करदाताओं के संबंध में, लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वैट विवरणियों के कर निर्धारण में कायम की गई माँग के बारे में केन्द्रीय कर प्राधिकारियों को सूचित किया गया था।

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पुरानी विवरणियों के कर निर्धारण के समय करदाताओं द्वारा पहले से प्राप्त ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ध्यान नहीं देने के परिणामस्वरूप आरजीएसटी अधिनियम, 2017 के ट्रांजिशनल प्रावधानों के तहत अधिक क्रेडिट का लाभ उठाया गया।

इसके अलावा, 47 वृत्तों के 101 करदाताओं⁷² ने पुरानी वैट विवरणी⁷³ में घोषित शेष आगत कर की तुलना में ट्रान-1 में ₹ 8.90 करोड़ की अधिक आईटीसी का दावा किया। यह दर्शित होता है कि करदाताओं ने आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के उल्लंघन में अपने ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को अपनी पुरानी विवरणी में अग्रप्रेषित की गयी राशि के शेष से मिलान नहीं किया। चूंकि जीएसटीएन प्रणाली पर ट्रांजिशनल क्रेडिट दावा करने की प्रक्रिया करदाताओं द्वारा

71 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 354 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 320 करदाता शामिल हैं।

72 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 49 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 52 करदाता शामिल हैं।

73 वैट 10।

स्व-घोषणा पर आधारित थी, और इसका राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर पोर्टल⁷⁴ से कोई संबंध नहीं था, जीएसटीएन प्रणाली ऐसे अत्यधिक दावों को नहीं रोक सकी।

इन सभी मामलों में पुरानी विवरणियों का कर निर्धारण कर दिया गया, इसलिए, 96 मामलों में राज्य सरकार के राजस्व पर हुए निवल प्रभाव को उपरोक्त अनुच्छेद में शामिल किया गया है और शेष पांच मामलों में विभाग कर निर्धारण/संशोधन आदेश के आधार पर आईटीसी के अधिक अग्रेषण के संबंध में पहले ही नोटिस जारी कर चुका था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)।

- कर निर्धारण/संशोधन आदेशों की तुलना में अधिक अग्रेषण के 674 प्रकरणों के संबंध में, सरकार ने बताया (दिसम्बर 2021) कि 286 प्रकरणों में संबंधित वृत्तों के अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, 197 प्रकरणों में नोटिस जारी किया गया, 102 प्रकरणों में उचित जांच के बाद जवाब दिया जायेगा, 53 प्रकरणों में मामला केंद्रीय कर अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, 22 प्रकरणों में संशोधन आदेश जारी किये गये तथा 14 प्रकरणों में ₹ 73 लाख वसूल/समायोजित किये गये।
- सरकार ने आगे सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि 34 करदाताओं में से, जो कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र के क्षेत्राधिकार में चले गए, तीन करदाताओं की वैट विवरणियों के निर्धारण में कायम की गई मांग को केन्द्रीय कर प्राधिकारियों को सूचित किया गया और शेष करदाताओं के मामलों की जांच की जा रही थी।
- पुरानी विवरणी की तुलना में अधिक अग्रेषित 101 प्रकरणों के संबंध में, सरकार ने कहा (दिसंबर 2021) कि संबंधित वृत्तों के अधिकारियों को 64 प्रकरणों में अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, तीन प्रकरणों में उचित जांच के बाद जवाब दिया जाएगा, 22 मामलों के संबंध में नोटिस जारी किया गया, छः प्रकरणों में मामला केंद्रीय कर अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, तीन प्रकरणों में संशोधन आदेश जारी किया गया और तीन प्रकरणों में ₹ 4.76 लाख की वसूली की गई।

समापन परिचर्चा के दौरान, अतिरिक्त आयुक्त, जीएसटी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि अधिकतर प्रकरण आगत कर मिसमैच या लंबित घोषणा प्रपत्रों से संबंधित हैं जो कि लंबित घोषणा प्रपत्रों के जमा कराने या मिसमैच आगत कर के सत्यापन के बाद सेट ऑफ किए जाएंगे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

74 राजविस्टा

वृत्त ई, जयपुर में अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि एक करदाता ने पुरानी विवरणी⁷⁵ में ₹ 9.51 करोड़ की आईटीसी का दावा किया जिसे ट्रान-1 (दिसंबर 2017) में आगे अग्रेषित किया गया था। अभिलेखों की आगे की जांच से पता चला कि कर निर्धारण आदेश 2017-18 (दिसंबर 2019) के अनुसार स्वीकार्य आईटीसी केवल ₹ 14.65 लाख थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 3.80 करोड़ की कुल कर देयता के समक्ष ₹ 14.65 लाख की आईटीसी को समायोजित करके तथा ₹ 94.52 लाख के कर भुगतान के बाद ₹ 2.71 करोड़ की माँग कायम की। परिणामस्वरूप, करदाता द्वारा ₹ 9.51 करोड़ के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने कहा (दिसंबर 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

2.9.6.2 पिछली अवधि की अनियमित आईटीसी को अनुमत्य किया जाकर अग्रेषित किया जाना

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार, प्रत्येक करदाता को राज्य के भीतर एक पंजीकृत डीलर से कर योग्य सामान की स्वरीद पर और खंड (ए) से (जी) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आगत कर का दावा करने की अनुमति है।

वृत्त सुमेरपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि एक करदाता ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 में ₹ 26.70 लाख की आईटीसी को अग्रेषित किया। वर्ष 2016-17 की विवरणी/कर निर्धारण की जांच से पता चला कि करदाता ने कर मुक्त के रूप में बेचे गए माल की स्वरीद पर ₹ 26.65 लाख की आईटीसी का दावा किया था। इसलिए, उक्त माल की स्वरीद पर आईटीसी अनुमत्य नहीं थी। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय इस अनियमितता का पता लगाने में विफल रहे और करदाता द्वारा दावा की गई आईटीसी को अनुमत्य किया जो कि वर्ष 2017-18 के लिए अग्रेषित की गयी थी। करदाता ने पुरानी अवधि के अन्तिम शेष के रूप में ₹ 32.75 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया जिसमें 2016-17 से अनियमित रूप से अग्रेषित किये गये ₹ 26.65 लाख सम्मिलित थे। इसके परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 26.65 लाख की आईटीसी का अधिक दावा हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने कहा (दिसंबर 2021) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया है। समापन परिचर्चा के दौरान, मुख्य आयुक्त (राज्य कर) ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

75 वैट 10

2.9.6.3 ब्याज का भुगतान न करना

सीजीएसटी/आरजीएसटी 2017 के नियम 121 के अनुसार गलत तरीके से लिए गए किसी भी क्रेडिट के संबंध में आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की जाएगी। धारा 73 या 74 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए करदाता द्वारा क्रेडिट के साथ अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उस पर देय ब्याज का भुगतान किया जावेगा। अधिनियम की धारा 50, यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो जिस अवधि के लिए कर या उसका कोई हिस्सा बिना भुगतान के रहता है, को अधिसूचित की गई दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

94 वृत्तों से संबंधित जाँचे गए 1325 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि 20 वृत्तों के 29 प्रकरणों में ₹ 6.56 करोड़ की राशि का अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट रिवर्स किया गया। 12 वृत्तों⁷⁶ में 16 करदाताओं⁷⁷ के मामले में यह देखा गया कि ₹ 5.42 करोड़ के अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था जिसे बाद में करदाताओं द्वारा जमा करा दिया गया या करदाताओं/विभाग द्वारा रिवर्स कर दिया गया था, जिसमें उक्त प्रावधानों के अनुसार दावा किए गए अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि पर दावे से रिवर्सल/जमा तक की अवधि के लिए ब्याज आरोपणीय था। तथापि, न तो करदाताओं ने ब्याज का भुगतान किया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग कायम की गई जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.90 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा, इन 16 करदाताओं में से चार करदाताओं ने ₹ 8.69 लाख के अनियमित क्रेडिट का उपयोग/आंशिक उपयोग किया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2021) कि सात वृत्तों⁷⁸ के 10 प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये हैं, एक प्रकरण⁷⁹ में राशि ₹ 0.43 लाख की वसूली की गयी है, एक प्रकरण⁸⁰ में संबंधित वृत्त के अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने तथा एक प्रकरण⁸¹ में उचित जांच के बाद जवाब प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा, दो वृत्तों⁸² के तीन प्रकरणों के संबंध में यह कहा गया कि जीएसटी परिषद की बैठक दिनांक 17 सितंबर 2021 के अनुसार अप्रयुक्त आईटीसी पर कोई ब्याज देय नहीं है। समापन परिचर्चा के दौरान सहायक आयुक्त, जीएसटी ने कहा कि 45वीं जीएसटी

76 वृत्त ए, एन, डब्ल्यूटी-1 एवं स्पेशल-4 जयपुर, स्पेशल हनुमानगढ़, झालावाड़, ए और बी कोटा, गंगापुर सिटी, बी और स्पेशल-1, भिवाड़ी और शाहजहांपुर।

77 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 3 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 13 करदाता शामिल हैं।

78 वृत्त ए और बी कोटा, झालावाड़, डब्ल्यूटी-1 जयपुर, स्पेशल हनुमानगढ़, स्पेशल I भिवाड़ी और शाहजहांपुर।

79 वृत्त स्पेशल IV, जयपुर से संबंधित।

80 वृत्त ए, जयपुर।

81 वृत्त बी भिवाड़ी।

82 वृत्त एन जयपुर और गंगापुरसिटी।

परिषद की बैठक (17 सितंबर 2021 को आयोजित) के निर्णय⁸³ कि अपात्र आईटीसी को उपयोजित किये जाने पर ब्याज आरोपणीय होगा, को ध्यान में रखते हुए इन मामलों की जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियमों में प्रासंगिक संशोधन को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:-

वृत्त एन जयपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि एक करदाता ने ट्रान-1 के माध्यम से ₹ 65.81 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लिया (02 दिसंबर 2017), जिसमें से राशि ₹ 48.29 लाख का उपयोग करदाता द्वारा कर दायित्व को चुकाने के लिए किया गया (मई 2018)। तथापि कर निर्धारण आदेश (सितंबर 2019) की जांच में पता चला कि अग्रेषण योग्य आईटीसी की राशि ₹ 0.34 लाख थी। करदाता ने अप्रैल 2018 और जुलाई 2018 के जीएसटीआर 3बी में क्रमशः ₹ 49.52 लाख और ₹ 16.29 लाख के एसजीएसटी को रिवर्स किया (अगस्त 2018)। इसलिए, अधिक दावा की गई राशि ₹ 65.81 लाख, जिसे कि बाद में रिवर्स कर दिया गया था, पर उक्त प्रावधानों के अनुसार दिसम्बर 2017 से अगस्त 2018 की अवधि के लिए ₹ 8.59 लाख ब्याज देय था। तथापि, न तो करदाता ने ब्याज जमा कराया और न ही विभाग ने ब्याज राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.59 लाख की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने कहा (दिसंबर 2021) कि अप्रयुक्त आईटीसी पर ब्याज आरोपणीय नहीं है। तथापि, सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियमों में किसी प्रासंगिक संशोधन के अभाव में, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लिए गए अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज देय है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

प्रणालीगत मुद्दे

2.9.6.4 ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए प्रणाली

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मार्च 2018 के परिपत्र द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन हेतु विस्तृत मार्गदर्शन नोट⁸⁴ जारी किया। परिपत्र निर्दिष्ट करता है कि सीजीएसटी अधिकारियों के पास सीजीएसटी के ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन हेतु अधिकार क्षेत्र होगा, चाहे करदाता को जीएसटी के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आवंटित किया गया हो। ट्रांजिशनल क्रेडिट की सत्यापन प्रक्रिया कर अधिकारी, जिसके पास पूर्ववर्ती कानून के तहत कानूनी अधिकार क्षेत्र था और करदाता का अपेक्षित पिछला रिकॉर्ड भी है, द्वारा ही की जा सकती है।

83 जुलाई 2017 से पूर्व प्रभावी।

84 डी.ओ.एफ. सं.267/8/2018-सीएक्स.8 दिनांक 14 मार्च, 2018

वाणिज्यिक कर विभाग ने भी मौजूदा वैट/सीएसटी कानूनों के तहत अंतिम विवरणी के साथ ट्रान-1 के सत्यापन के संबंध में निर्देश जारी किए थे (अप्रैल 2018)⁸⁵। राज्य सरकार ने भी राज्य कर अधिकारियों के साथ उन करदाताओं की सूची साझा की, जिन्होंने एसजीएसटी के तहत ₹ 25 लाख से अधिक आईटीसी का दावा किया था और जहाँ आईटीसी की राशि वैट अधिनियम, 2003 के तहत प्रस्तुत अंतिम विवरणी में दिखाई गई राशि से मेल नहीं खाती थी।

लेखापरीक्षा ने, विभाग से सत्यापन हेतु चयनित करदाताओं का विवरण, चयनित कुल करदाताओं की संख्या एवं सत्यापन हेतु निर्धारित की गयी समय सीमा प्रदान करने का अनुरोध किया (मई और जुलाई 2021) गया। लेखापरीक्षा को ये विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये (दिसंबर 2021)।

चयनित वृत्तों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 1325 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से विभाग ने 459 मामलों⁸⁶ अर्थात् नमूनों के 34.64 प्रतिशत का सत्यापन किया। विभाग द्वारा सत्यापित 459 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में से, लेखापरीक्षा ने 86 मामलों में (18.73 प्रतिशत) और अनियमितताएं देखीं, जिनका विभाग द्वारा पता नहीं लगाया गया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। समापन परिचर्चा के दौरान मुख्य आयुक्त (राज्य कर) ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

2.9.6.5 आवश्यक विवरणों के अभाव में ट्रांजिशनल क्रेडिट को स्वीकार किया जाना

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 3, धारा 5(3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8(8) से संबंधित किसी भी दावे के कारण क्रेडिट राशि, जो केंद्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं की गई हो, ईसीएल में जमा किये जाने की पात्र नहीं होगी। इसलिए, करदाताओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में आईटीसी की उस राशि का उल्लेख किया जाना आवश्यक था, जिसे एसजीएसटी के रूप में रिवर्स योग्य आईटीसी की राशि की कटौती के बाद दावा किया गया था।

आरजीएसटी नियमों का नियम 117(1) निर्धारित करता है कि धारा 140 के तहत आगत कर का क्रेडिट लेने के लिए पात्र प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म ट्रान-1 में घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें पृथक रूप से आईटीसी की राशि, जिसके लिए उक्त धारा के प्रावधानों के तहत वह पात्र है, का उल्लेख करेगा।

85 संख्या एफ.17(134)एसीसीटी/जीएसटी/2018/3220, दिनांक 02 अप्रैल 2018

86 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 141 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 318 करदाता शामिल हैं।

(i) 94 चयनित वृत्तों के 1325 करदाताओं के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 77 वृत्तों के 644 करदाताओं⁸⁷ (48.60 प्रतिशत) के मामले में ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में बकाया घोषणा प्रपत्रों (सी, एच एवं एफ) का विवरण जैसे बकाया घोषणा प्रपत्रों से संबंधित टर्नओवर, साथ ही देय अंतर कर राशि एवं बकाया घोषणा प्रपत्रों से संबंधित आईटीसी की रिवर्स करने योग्य राशि उपलब्ध नहीं थी। इन 644 करदाताओं में से, 114 करदाताओं (राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित 77 करदाता और केंद्रीय क्षेत्राधिकार के तहत 37 करदाता) के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट, कर प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किए गए थे। यद्यपि, विभाग त्रुटि का पता लगाने में विफल रहा।

(ii) लेखापरीक्षा जांच में आगे पता चला कि छह वृत्तों⁸⁸ के नौ करदाताओं के संबंध में वैट की आईटीसी का शेष (पिछली विवरणी में) एवं बकाया घोषणा प्रपत्रों के टर्नओवर का उल्लेख ट्रान-1 में किया गया था, परंतु देय अंतर कर का उल्लेख नहीं किया गया था।

उपरोक्त मामलों में यह देखा गया कि विभाग ने करदाताओं से घोषणा प्रपत्रों का आवश्यक विवरण नहीं मांगा और जीएसटी पोर्टल ने भी इन कॉलमों को खाली छोड़े जाने के बाद भी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की अनुमति दी। इन विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अग्रपेित आईटीसी की सही राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका तथा आईटीसी के अनियमित अग्रपेण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारियों को 338 मामलों में अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, 119 मामलों में नोटिस जारी किए गए, 24 मामलों में उचित जांच के बाद सूचित किया जावेगा, 52 मामलों में प्रकरण केंद्रीय कर प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया। 19 मामलों में संशोधन आदेश जारी किए गये और छह मामलों में ₹ 20.90 लाख की वसूली की गयी।

इसके अतिरिक्त, 86 मामलों में यह बताया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए वैट निर्धारण के समय लंबित घोषणा प्रपत्रों का लाभ नहीं दिया गया था और इन 86 मामलों में से चार मामलों में यह बताया गया कि घोषणा प्रपत्रों के जमा किये जाने की नियत तिथि बढ़ा दी गयी है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि लंबित घोषणा प्रपत्रों के संबंधित अंतर कर की कटौती के पश्चात ही ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया जाना था। यद्यपि, इन सभी मामलों में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अंतर कर की कटौती ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों से की गई थी या नहीं। भले ही लंबित घोषणा प्रपत्रों के लाभ की अनुमति वैट निर्धारणों, जो ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लेने के बाद किए गए थे, में नहीं दी गई हो, इन मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिट के अधिक राशि के दावों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

87 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 306 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 338 करदाता शामिल हैं।

88 वृत्त सी जयपुर, ई जयपुर, एल जयपुर, एम जयपुर, ए भिवाड़ी और बी भिवाड़ी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि नौ मामलों के संबंध में जिनमें केवल आरोपणीय अंतर कर का उल्लेख नहीं किया गया था, संबंधित वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

(iii) एक करदाता⁸⁹ ने बकाया प्रपत्रों के टर्नओवर के विवरण का उल्लेख करने के अतिरिक्त, ट्रान-1 की तालिका 5 (सी) के कॉलम 4 में लंबित सी प्रपत्रों पर आरोपणीय ₹ 14.62 लाख के अंतर कर का उल्लेख किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि करदाता ने तालिका 5(सी) के कॉलम 7⁹⁰ में भी उतनी ही राशि का अनियमित रूप से उल्लेख किया था क्योंकि लंबित एफ प्रपत्रों से संबंधित टर्नओवर एवं देय अंतर कर के कॉलम क्रमशः 5 एवं 6 को खाली छोड़ दिया गया था। कॉलम 7 की गलत प्रविष्टि ने कॉलम 4 में उल्लिखित अंतर कर की राशि को आफसेट कर दिया, जिसके कारण कॉलम 4 में उल्लिखित लंबित सी प्रपत्रों पर देय अंतर कर ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे से नहीं घटाया गया। जीएसटी पोर्टल ने भी कॉलम 5 और 6 में संबंधित प्रविष्टियों के अभाव में कॉलम 7 की प्रविष्टि को नहीं रोका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.62 लाख का अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट दावा किया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

समापन परिचर्चा के दौरान अतिरिक्त आयुक्त ने तथ्यों को स्वीकार किया। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

2.9.6.6 अंतिम स्टॉक पर ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित सूचना/दस्तावेजों की अनुपलब्धता

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140 की उप-धारा (3), (4) और (6) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति अपने ईसीएल में नियत दिवस को वैट से सम्बंधित धारित स्टॉक पर इनपुट और स्टॉक में धारित अर्द्ध-निर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुट का क्रेडिट लेने के हकदार थे। पंजीकृत व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र ट्रान-1 में विवरणी दाखिल करना आवश्यक था जिसमें तालिका 7(सी) इन उप-धाराओं के तहत पात्र करों के ट्रांजिशन को दर्शाती है।

करदाताओं द्वारा दाखिल ट्रान-1 की जांच के दौरान यह पाया गया कि सात वृत्तों⁹¹ के 13 करदाताओं ने स्टॉक पर इनपुट और अर्द्ध-निर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में नियत दिवस पर एसजीएसटी के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं हो सका कि क्या करदाताओं ने वैट अधिनियम के तहत दाखिल विवरणियों⁹² में इस स्टॉक पर आईटीसी का दावा किया था और उपरोक्त प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के

89 वृत्त ई जयपुर से संबंधित।

90 लंबित एफ प्रपत्रों पर देय अंतर कर से संबंधित आईटीसी रिवर्सल।

91 वृत्त सी, ई और क्यू जयपुर, वृत्त ए और स्पेशल वृत्त 1, भीलवाडा, ए और सी बीकानेर।

92 वैट-10

अनुसार ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र थे क्योंकि इससे संबंधित सहायक सूचनाएं और अभिलेख, जैसे अंतिम स्टॉक का विवरण और सहायक बीजक, वृत्तों के पास उपलब्ध नहीं थे।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इन मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। आवश्यक सूचना/अभिलेख विभाग द्वारा सत्यापन के लिए मांगे जा सकते थे और इन अभिलेखों/सूचनाओं के अभाव में इन मामलों में दावों की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका और अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि पांच मामलों⁹³ में नोटिस जारी किए गए हैं, सात मामलों⁹⁴ में संबंधित वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और एक मामले⁹⁵ में उचित जांच के बाद जवाब दिया जाएगा। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

2.9.6.7 नियत दिवस को या उसके बाद प्राप्त पूंजीगत माल/इनपुट के अप्रयुक्त आईटीसी का क्रेडिट

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (2) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपने ईसीएल में पूंजीगत माल की अप्रयुक्त आईटीसी, जो मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत विवरणी में अग्रेषित नहीं की गयी है, का ऐसी रीति से जो विहित की जाए से क्रेडिट लेने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, आरजीएसटी नियमों के नियम 117 (2) में प्रावधान है कि धारा 140 की उप-धारा (2) के तहत दावे के मामले में, नियत दिवस पर पूंजीगत माल की प्रत्येक मद की आईटीसी के रूप में अर्थात् लाभ में ली गयी या उपयोजित की गयी या उपयोग में ली जाने वाली कर एवं शुल्क की राशि का विवरण पृथक से निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है। पंजीकृत व्यक्ति को ट्रांजिशनल क्रेडिट के तहत ट्रान-1 के कॉलम 6(बी) में ऐसी आईटीसी का दावा करना आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त, आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (5) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति नियत दिवस को या उसके बाद प्राप्त इनपुट के संबंध में अपने ईसीएल में वैट का क्रेडिट, यदि कोई हो, लेने का हकदार होगा, लेकिन जिसके संबंध में कर का भुगतान मौजूदा कानून के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन कि उसके बीजक या कोई अन्य कर भुगतान संबंधी दस्तावेज को ऐसे व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में नियत दिवस से तीस दिनों की अवधि के भीतर लेखाबद्ध किया गया था। पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र ट्रान-1 और ट्रान-1 की तालिका 7 (बी) में इस श्रेणी के तहत पात्र करों के ट्रांजिशन को दर्शाने के लिए विवरणी दाखिल करना आवश्यक था।

93 वृत्त सी जयपुर, वृत्त ए और स्पेशल वृत्त 1, भीलवाडा से संबंधित।

94 वृत्त ए बीकानेर, ई और क्यू जयपुर।

95 वृत्त सी बीकानेर।

करदाताओं द्वारा प्रस्तुत ट्रान-1 की जांच के दौरान यह देखा गया कि एक करदाता⁹⁶ ने पूंजीगत माल पर अप्रयुक्त एसजीएसटी क्रेडिट (ट्रान-1 की तालिका 6(ब)) के संबंध में एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹ 52.40 लाख का दावा किया। इसके अतिरिक्त, दो वृत्तों⁹⁷ के दो करदाताओं ने नियत दिवस को या उसके बाद प्राप्त इनपुट पर एसजीएसटी क्रेडिट ₹ 29.44 लाख की राशि का दावा किया लेकिन जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के तहत कर का भुगतान किया गया था (ट्रान-1 की तालिका 7(बी))।

तथापि, निर्धारित सूचना, जैसे सहायक बीजकों के साथ पूंजीगत माल और अंतिम स्टॉक का विवरण, वृत्तों के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इन ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों का सत्यापन वृत्तों द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या पंजीकृत व्यक्ति उक्त प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के अनुसार इन श्रेणियों के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र थे।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

2.9.6.8 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के साथ ट्रान-1 का मिलान नहीं होना।

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति मौजूदा कानून के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित की गयी वैट की राशि, यदि कोई हो, को विहित की जाने वाली रीति से अपने ईसीएल में जमा करने का हकदार होगा। पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र ट्रान-1 में विवरणी दाखिल करना आवश्यक था जिसमें तालिका 5(सी) इस श्रेणी के तहत पात्र करों के ट्रांजिशन को दर्शाएगी।

एसएससीए के दौरान, यह देखा गया कि एक करदाता⁹⁸ ने 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्थान वैट अधिनियम के तहत दाखिल विवरणी से अधिक आईटीसी का एसजीएसटी के रूप में ₹ 16.83 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। तथापि, करदाता की ईसीएल में, संबंधित क्रेडिट प्रविष्टि ₹ 16.83 लाख के स्थान पर सिस्टम में ₹ 23.18 लाख उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि ईसीएल में क्रेडिट/डेबिट प्रविष्टियाँ, ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में दावा की गयी आईटीसी और उसमें किसी भी संशोधन के अनुरूप है। तथापि, इस मामले में, ट्रान-1 में घोषित राशि का जीएसटी पोर्टल द्वारा ईसीएल में उपलब्ध शेष राशि के साथ मिलान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ईसीएल में ₹ 6.35 लाख का अधिक क्रेडिट हुआ।

96 विशेष वृत्त II, उदयपुर से संबंधित।

97 विशेष वृत्त II, उदयपुर और वृत्त ई जयपुर से संबंधित।

98 वृत्त ई जयपुर से संबंधित।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया है। समापन परिचर्चा के दौरान, अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

2.9.6.9 ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए जीएसटी पोर्टल पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का अभाव

एमआईएस आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह सम्बंधित अधिकारियों को समय पर और नियमित रूप से आवश्यक, उचित और सटीक जानकारी सूचित करने का कार्य करता है जो उन्हें प्रगति/ स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद करता है और इस प्रकार एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का आधार बनता है।

एसएससीए के दौरान, 94 चयनित वृत्तों में लेखापरीक्षा द्वारा ट्रान-1 दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या, एसजीएसटी के रूप में दावा किए गए कुल ट्रांजिशनल क्रेडिट और विभाग द्वारा जांच किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की संख्या आदि जैसी सूचनाये मांगी गई थी। 71 वृत्तों के संबंधित क्षेत्राधिकारियों द्वारा जीएसटी बोवेब पोर्टल⁹⁹ पर उचित एमआईएस की कमी का कारण बताते हुए केवल सीमित सूचनाये प्रदान की गई। शेष 23 वृत्तों ने वृत्तों के स्तर पर संकलित सूचनाओं के आधार पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी। तथापि, किसी भी सहायक दस्तावेज के अभाव में, इन वृत्तों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका। यह भी देखा गया कि विभाग ने ऐसी मूलभूत सूचनाओं के संकलन के लिए निर्देश या सामान्य प्रारूप जारी नहीं किया था।

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं के उचित एमआईएस का अभाव कुशल कार्यप्रणाली और प्रभावी अनुश्रवण हेतु महत्वपूर्ण सूचनाओं के एकत्रीकरण और रिपोर्टिंग की कमी को दर्शाता है।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि राजस्थान मॉडल-2 राज्य होने के कारण, पोर्टल पर सेवाओं को केवल जीएसटीएन द्वारा ही जोड़ा या सृजित किया जा सकता है। समापन परिचर्चा के दौरान सचिव (वित्त) ने स्वीकार किया कि यह बहुत ही मूलभूत सूचना थी जो पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए थी।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.20 और 2.21)

2.9.7 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 2017-18 के लिए वैट आदेशों के निर्धारण और ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन में अंतर देखा, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से प्रकरणों में जीएसटी व्यवस्था में अग्रेषित की गई

99 बोवेब, जीएसटीएन द्वारा कर प्राधिकारियों के लिए उपलब्ध कराया गया बैक-ऑफिस पोर्टल है।

आईटीसी पिछली विवरणी और निर्धारण/संशोधन आदेशों के अनुसार अग्रेषित की जाने के लिए उपलब्ध आईटीसी से अधिक थी।

लेखापरीक्षा में प्रणालीगत मुद्दे भी पाये गये जैसे आवश्यक विवरणों के बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट को स्वीकार किया जाना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के साथ ट्रान-1 का मिलान नहीं होना आदि। इसके अतिरिक्त, ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन की पद्धति सहित आंतरिक नियंत्रण तंत्र में भी कमियां थीं।

2.9.8 अनुशंसा

लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाई गई अनियमितताओं जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है, पर अपेक्षित कार्रवाई के अलावा राज्य सरकार को वर्ष 2017-18 के लिए सभी वैट निर्धारण/संशोधन आदेशों की अविलंब जांच करने की आवश्यकता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या जीएसटी व्यवस्था (ट्रान-1) में अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग जीएसटी कानूनों के बेहतर अनुपालन और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए वृत्तों द्वारा किए गए सत्यापन में त्रुटियों को कम करने हेतु आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा सकता है। विभाग ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं की उचित रिपोर्ट/एमआईएस की उपलब्धता की सुविधा भी प्रदान कर सकता है और जीएसटीएन के साथ मामले का अनुसरण कर जीएसटी पोर्टल पर सुसंगत सत्यापन जांच के माध्यम से प्रणालीगत कमियों को दूर कर सकता है।

2.10 आगत कर जमा (आईटीसी) का अधिक अग्रेषण

निर्दिष्ट वृत्तों में नमूना मामलों हेतु किये गये एसएससीए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के अलावा भी लेखापरीक्षा ने एक प्रकरण देखा जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

2.10.1 जीएसटी-पूर्व व्यवस्था के तहत उपलब्ध आईटीसी को सत्यापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप करदाताओं को अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त होना

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी, नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित वैट की राशि, यदि कोई हो, को विहित की जाने वाली रीति से ईसीएल में जमा करने का हकदार होगा।

चार वृत्तों¹⁰⁰ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (जून 2020 से नवंबर 2020 के बीच) से पता चला कि 15 करदाताओं ने उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर जीएसटी-पूर्व व्यवस्थाओं से अग्रेषित आईटीसी के समक्ष ट्रान-1 में एसजीएसटी राशि ₹ 2.94 करोड़ का दावा किया।

100 वृत्त डब्ल्यूटी-अजमेर, स्पेशल- I, III और VIII जयपुर।

इन करदाताओं के कर निर्धारण अभिलेखों की जांच से पता चला कि 14 करदाताओं के मामले में, वैट/सीएसटी निर्धारणों (वर्ष 2017-18 के लिए) के अनुसार वैट के तहत अधिक आईटीसी अग्रेषित किए जाने हेतु उपलब्ध नहीं थी, एवं इसके स्थान पर जीएसटी-पूर्व व्यवस्था के तहत राशि ₹ 1.38 करोड़ की मांग उनके विरुद्ध बकाया थी। शेष मामले में, करदाता ने जीएसटी-पूर्व व्यवस्था के तहत दाखिल विवरणी में ₹ 1.41 करोड़ के एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, कर निर्धारण आदेशों के अनुसार केवल ₹ 0.46 करोड़ अधिक आईटीसी के रूप में उपलब्ध थे जिन्हें अग्रेषित किया जाना था।

क्षेत्राधिकारियों ने बताया कि आठ करदाताओं के मामले में ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापित किए गए थे। तथापि, क्षेत्राधिकारी इन मामलों में अनियमितताओं का पता लगाने में विफल रहे। शेष सात मामलों में, ट्रांजिशनल क्रेडिट को सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण आईटीसी की राशि ₹ 2.48 करोड़ का अधिक अग्रेषण किया गया था।

विभाग एवं राज्य सरकार को चूक के बारे में अवगत कराया गया (सितम्बर 2021)। सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2021) कि चार मामलों¹⁰¹ में ₹ 0.17 करोड़ की आईटीसी की राशि रिवर्स/वसूल कर ली गई जबकि चार मामलों¹⁰² में पिछले वर्षों के कर निर्धारण में संशोधन के साथ एक मामले में ₹ 0.01 करोड़ की वसूली की गई। एक मामले¹⁰³ के संबंध में सरकार ने बताया कि करदाता ने छूट प्रमाण पत्र के तहत निष्पादित निर्माण कार्य अनुबंध में उपयोग किए जाने वाले स्टॉक में रखे इनपुट के लिए आईटीसी का दावा किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता द्वारा दाखिल ट्रान-1 की जांच से पता चला कि करदाता ने स्टॉक में रखे इनपुट से संबंधित तालिका 7 सी में शून्य राशि दर्शाई थी। सरकार ने यह भी बताया कि शेष मामलों में नोटिस जारी किए गए थे। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

101 वृत्त डब्ल्यू टी अजमेर, और स्पेशल -III जयपुर से संबंधित

102 वृत्त स्पेशल -I एवं III जयपुर से संबंधित।

103 वृत्त डब्ल्यू टी अजमेर से संबंधित।

अध्याय III

भू-राजस्व

अध्याय-III : भू-राजस्व

3.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः संपरिवर्तन प्रभार, प्रीमियम, भूमि का किराया, लीज किराया तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियां शामिल होती हैं।

राजस्व विभाग (इसके बाद विभाग के रूप में जाना जाएगा) सरकार के प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करता है तथा यह भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी मामलों का प्रबन्धन करता है। राजस्व से संबंधित सभी न्यायिक मामलों, राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं निगरानी का समग्र नियंत्रण एवं भू-अभिलेखों का प्रबन्धन राजस्व मण्डल, अजमेर में निहित है। राजस्व मण्डल की सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 जिला कलक्टर हैं, उपस्वण्ड स्तर पर 289 उपस्वण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर 339 तहसीलदार हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यान्वयन प्राधिकरण भी है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं भूमि के आवंटन और अन्य संबंधित मामलों को शासित करते हैं।

3.2 विभाग द्वारा संपादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार, राजस्व मण्डल, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 18 दल स्वीकृत थे लेकिन केवल 16 आंतरिक लेखापरीक्षा दल ही कार्यरत थे। अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान संपादित की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 3.1 में दी गई है :

तालिका 3.1

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिए बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए योग्य इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए कुल योग्य इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ			लेखापरीक्षा से शेष इकाइयाँ	गैर-लेखापरीक्षित शेष इकाइयाँ का प्रतिशत
				गत वर्ष से संबंधित	चालू वर्ष से संबंधित	कुल		
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8 (4-7)	9
2016-17	203	817	1,020	205	567	772	248	24
2017-18	248	815	1,063	248	491	739	324	30
2018-19	324	816	1,140	324	618	942	198	17
2019-20	198	816	1,014	198	631	829	185	18
2020-21	185	822	1,007	185	567	752	255	25

स्रोत: राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना

विभाग ने 2018-19 एवं 2019-20 में पूर्ववर्ती वर्षों की बकाया इकाइयों को समाविष्ट करने के प्रयास किए। तथापि, इस संबंध में बकाया कार्य को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

आगे, यह देखा गया कि 2020-21 के अंत तक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 25,990 अनुच्छेदों की अनुपालना बकाया थी। बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका 3.2 में दिया गया है :

तालिका 3.2

वर्ष	2015-16 तक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेद	7,640	1,674	2,027	3,116	4,518	7,015	25,990
शामिल राशि (₹ लाख में)	24,890.60	10,096.33	2,129.94	3,800.42	2,947.74	4,128.92	47,993.95

स्रोत: राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना

25,990 अनुच्छेदों में से, 7,640 अनुच्छेद (29.40 प्रतिशत) अनुपालना/सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में गत पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थे। विभाग ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा से बकाया इकाइयों एवं अनुच्छेदों के निपटान की धीमी गति का कारण विभिन्न संवर्गों में पदों की कमी होना तथा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगना था।

सरकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के सुदृढीकरण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा गठित बकाया आपत्तियों की त्वरित अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठा सकती है।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व विभाग में लेखापरीक्षा योग्य 704 इकाइयों हैं, इनमें से 2020-21 के दौरान 57 इकाइयों (लगभग 8.10 प्रतिशत) का नमूना जांच के लिए चयन किया गया। इन चयनित इकाइयों में, भूमि के आवंटन, संपरिवर्तन/नियमितिकरण तथा भूमि की लीज इत्यादि के 7,956 मामले थे, इनमें से 4,715 (लगभग 59.26 प्रतिशत) मामलों का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया। नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा को 2,354 मामलों (चयनित मामलों का लगभग 49.93 प्रतिशत) में संपरिवर्तन/नियमितिकरण, आवंटन, लीज, अन्य अनियमितताओं इत्यादि से संबंधित राशि ₹ 67.88 करोड़ की अनियमितताएं पाई गईं।

ये मामले उदाहरण मात्र हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी ध्यान में लाई गई थी। तथापि, ना केवल ये अनियमितताएं बनी रही बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक भी ये उजागर नहीं हो पाईं। ऐसे

मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

पाई गई अनियमितताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनियमितताओं की श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	राज्य के सरकारी विभागों से प्रीमियम एवं लीज किराये की गैर-वसूली/कम वसूली	01	0.14
2	स्वातेदारों ¹ से संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली का अभाव/कम वसूली	167	56.35
3	सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव	03	0
4	अन्य अनियमितताएं : (i) राजस्व से संबंधित (ii) व्यय से संबंधित	352 1,831	6.92 4.47
योग		2,354	67.88

वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 189 मामलों में ₹ 12.29 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 0.42 करोड़ के 34 मामले वर्ष 2020-21 में ध्यान में लाए गए थे तथा शेष ₹ 11.87 करोड़ के 155 मामले पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाए गए थे। विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान 80 मामलों में ₹ 0.62 करोड़ वसूल किए जो की पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

विभाग की लेखापरीक्षित इकाईयों में ₹ 15.44 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है। यह उल्लेख करना उचित है की समान मुद्दे पूर्व में भी उठाए गए थे एवं पिछले वर्षों के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार किया और वसूली/कार्यवाही शुरू की। तथापि, यह देखा गया है कि विभाग ने केवल उन ही मामलों में कार्यवाही की थी जो कि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए गए थे और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में विफलता के कारण बाद के वर्षों में समान प्रकृति के मामलों की पुनरावृत्ति हुई है।

3.4 संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव/कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए एवं धारा 91 कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुमति राज्य सरकार की लिखित अनुमति तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने पर देती है। आगे, अगर राज्य सरकार की लिखित अनुमति के

1 संपत्ति के भूमि मालिक से स्वातेदार किरायेदार (जिसे राजस्व रिकॉर्ड में एक किरायेदार के रूप में दर्ज किया है) द्वारा धारण की गयी भूमि।

बिना और देय भुगतान के बिना इस तरह की किसी भूमि का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अतिक्रमी समझा जायेगा और वह ऐसी भूमि से बेदखल होने का उत्तरदायी होगा।

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 7 के अनुसार कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन (वाणिज्यिक, संस्थागत, आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक प्रयोजन आदि) हेतु संपरिवर्तन के लिए प्रीमियम समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों² पर प्रभारित किया जाएगा। आगे उपरोक्त नियम 13 के तहत, एक व्यक्ति जिसने बिना अनुमति के गैर-कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का उपयोग किया है, वह नियम 7 के अनुसार निर्धारित संपरिवर्तन शुल्क का चार गुना जमा करा कर उपयोग को नियमित करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(अ) संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव

3.4.1 'राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (सिलिंग अधिनियम, 1973)' की धारा 17(5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी भी निर्धारित गैर-कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए, उस पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक कोई भूमि अधिग्रहित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह के अधिग्रहण की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तावित गैर-कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के संपरिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा।

जिला कलेक्टर जयपुर के संपरिवर्तन अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2020) से प्रकट हुआ कि एक फर्म³ ने पीवीसी पाइप निर्माण इकाई की स्थापना के लिए ग्राम असलपुर, तहसील फुलेरा में 119.11 बीघा निजी कृषि भूमि क्रय (फरवरी और जून 2018) की। राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने सम्पूर्ण 119.11 बीघा भूमि को 'राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973' की अधिकतम सीमा के संचालन से छूट के लिए अधिसूचना इस शर्त के साथ जारी (अप्रैल 2019) की थी कि फर्म राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के प्रावधान के तहत भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिए आवेदन करेगी। ऊपर संदर्भित सिलिंग अधिनियम, 1973 में विशिष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी, राजस्व विभाग ने भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदन करने के लिए एक वर्ष की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया।

2 **वाणिज्यिक प्रयोजन** : ₹ 10 प्रति वर्ग मीटर या संबंधित कृषि भूमि की डीएलसी दर का 10 प्रतिशत या पंजीकृत विक्रय विलेख में उल्लेखित उक्त कृषि भूमि के क्रय दर की राशि का 10 प्रतिशत, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो।

संस्थागत प्रयोजन : ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की डीएलसी दर का 10 प्रतिशत या पंजीकृत विक्रय विलेख में उल्लेखित उक्त भूमि के क्रय दर की राशि का 10 प्रतिशत, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो।

औद्योगिक प्रयोजन : ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर या उक्त कृषि भूमि की डीएलसी दर का 5 प्रतिशत या पंजीकृत विलेख में उल्लेखित उक्त कृषि भूमि के क्रय दर की राशि का 5 प्रतिशत, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो।

3 मेसर्स प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड मुंबई।

फर्म ने आवेदन किया और जून 2019 में 119.11 बीघा भूमि के एक भाग (39.06 बीघा) भूमि का उपयोग परिवर्तन करवा लिया। यदि राजस्व विभाग ने सिलिंग छूट अधिसूचना (अप्रैल 2019) में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के संपरिवर्तन हेतु एक वर्ष की समय सीमा का उल्लेख किया होता तो फर्म को अप्रैल 2020 तक 39.06 बीघा भूमि के स्थान पर संपूर्ण 119.11 बीघा भूमि का उपयोग परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ता।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अक्टूबर 2021) कि जारी नोटिस (मार्च 2021) के जवाब में, फर्म ने उत्तर दिया कि क्रमशः भूमि के संपरिवर्तन के लिए अधिसूचना की शर्त संख्या 2 में कटऑफ तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था और अधिसूचना की शर्त संख्या 4 में भूमि का संपरिवर्तन उपरांत उपयोग के लिए तीन वर्ष की अनुमति दी गई थी। फर्म ने यह भी उत्तर दिया कि शेष 77.15 बीघा का परिवर्तन 25.04.2022 से पहले करवा लिया जाएगा। आगे, यह भी अवगत कराया कि जिला कलेक्टर, जयपुर ने अधिसूचना की शर्त संख्या 2 के अनुसार फर्म द्वारा शेष भूमि का संपरिवर्तन नहीं कराने पर आवश्यक कार्रवाई करने तथा भूमि के उपयोग की समय सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग को एक पत्र लिखा (जुलाई 2021) है। तत्पश्चात, राज्य सरकार ने सूचित किया (दिसम्बर 2021) कि जिला कलेक्टर, जयपुर को फर्म को तीन माह के भीतर आक्षेपित राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी करने और फर्म द्वारा राशि जमा करने में विफल रहने पर दिनांक 25.04.2019 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फर्म को तीन वर्ष की समय अवधि की अनुमति पूरी भूमि के उपयोग के लिए निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए दी गई थी न कि भूमि उपयोग के संपरिवर्तन के लिए। सीलिंग एक्ट, 1973 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष के भीतर यानी अप्रैल 2020 तक पूरी भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार, छूट अधिसूचना में 'राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973' के प्रावधान का सही उल्लेख करने में राजस्व विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 77.75 बीघा भूमि का भूमि उपयोग अपरिवर्तित रहा। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 89.87 लाख⁴ के संपरिवर्तन शुल्क की वसूली नहीं हुई, जिसकी गणना ₹ 45.70 प्रति वर्गमीटर की लागू क्रय दर पर की गई (जो कि ₹ 4.28 प्रति वर्गमीटर की लागू डीएलसी दर से अधिक थी)।

3.4.2 जिला टोंक की तहसील, टोंक, टोडारायसिंह और देवली और जिला जयपुर की तहसील, फुलेरा, चौमूं, मोजमाबाद और दूदू के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2020 और जनवरी 2021) से प्रकट हुआ कि 79 मामलों में, 18,51,146.40 वर्ग मीटर स्वातेदारी भूमि का उपयोग बिना अनुमति के औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय कॉलोनी और संस्थागत प्रयोजनार्थ किया

4 77.75 बीघा या 1,96,652 वर्गमीटर x ₹ 45.70 प्रति वर्गमीटर = ₹ 89,86,996

गया था। इस प्रकार, जुमाने सहित संपरिवर्तन शुल्क राशि ₹ 14.21 करोड़ की वसूली नीचे तालिका 3.3 में दिए गए विवरण के अनुसार की जानी थी :

तालिका 3.3

क्र.सं.	जिले का नाम	भू उपयोग की प्रकृति	मामलों की संख्या	गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	वसूली योग्य संपरिवर्तन शुल्क का चार गुना (₹ लाख में)
1.	जयपुर	औद्योगिक (दुकानें, होटल, आदि)	21	2,03,921	523.30
		संस्थागत (विद्यालय)	03	25,058	18.74
		आवासीय कॉलोनी	51	15,76,862	869.53
2.	टोंक	औद्योगिक (कारखाना और ईट भट्टे)	4	45,305.40	9.06
कुल			79	18,51,146.40	1,420.63

इंगित किये जाने पर (जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021) संबंधित तहसीलदारों ने उत्तर दिया (जुलाई 2021) कि पांच प्रकरणों में आवेदकों ने भूमि संपरिवर्तन हेतु आवेदन किया है तथा 48 प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए हैं।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2021) कि जयपुर में आक्षेपित 75 मामलों में से 21 मामलों में धारा 90-ए के अन्तर्गत निर्णय पारित किए जा चुके हैं, तीन मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, दो मामलों में संपरिवर्तन कार्यवाही विचाराधीन हैं तथा 49 मामलों में धारा 90-ए के अंतर्गत विधिक कार्यवाही विचाराधीन हैं।

(ब) संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली

3.4.3 जिला कलेक्टर जयपुर के संपरिवर्तन अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2020) से पता चला कि भूमि के विक्रय विलेख के अनुसार, एक फर्म⁵ ने ग्राम बलेखान तहसील चौमूं में 4.73 हेक्टेयर कृषि भूमि ₹ 14.26 करोड़ के प्रतिफल में क्रय (अगस्त 2016) की। फर्म ने उपरोक्त नियमों के तहत इसके औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया (नवंबर 2016)। भूमि का मौके पर निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि भूमि का क्षेत्रफल 2.73 हेक्टेयर ही था। इस प्रकार, फर्म ने ₹ 14.26 करोड़ में 4.73 हेक्टेयर के बजाय केवल 2.73 हेक्टेयर भूमि ही क्रय थी। फर्म ने इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत किया कि मौके पर केवल 2.73 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध थी, और वह केवल इस क्षेत्र को ही परिवर्तित कराना

5 मेसर्स बोरोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड, मुंबई।

चाहती थी। यह भी प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकॉर्ड को राजस्व न्यायालय में वाद लाकर दुरुस्त करवा लिया जाएगा और फर्म भविष्य में सरकार से अन्य दो हेक्टेयर भूमि का दावा नहीं करेगी।

फर्म के वचनपत्र के आधार पर, उप खंड अधिकारी, चौमूं ने ₹ 19.79 लाख⁶ के संपरिवर्तन शुल्क पर 2.6254 हेक्टेयर⁷ कृषि भूमि के उपयोग को औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित (मई 2017) किया। उप खंड अधिकारी ने 4.73 हेक्टेयर भूमि की क्रय दर (जो ₹ 37.11 प्रति वर्गमीटर की लागू डीएलसी दर से अधिक थी) के आधार पर संपरिवर्तन शुल्क की गणना की। उप खंड अधिकारी को 2.73 हेक्टेयर भूमि की क्रय दर के आधार पर ₹ 261.15 प्रति वर्गमीटर⁸ की संपरिवर्तन दर पर गणना की गई ₹ 34.28 लाख⁹ का संपरिवर्तन शुल्क लागू करना चाहिए था। इसलिए, कृषि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए गलत संपरिवर्तन दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.49 लाख¹⁰ के संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली हुई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2021) कि वर्तमान मामले में विक्रय विलेख के तहत कुल रकबा 4.73 हेक्टेयर भूमि का बेचान किया गया था, जिसकी मालियत ₹ 14.26 करोड़ मानी जाकर विलेख का निष्पादन किया गया है। तथापि विक्रय विलेख में ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है, जिससे ज्ञात हो कि उक्त मालियत संपरिवर्तित भूमि रकबा 2.73 हेक्टेयर की है। यह भी अवगत करवाया गया कि संपरिवर्तन कार्यवाही राजस्व नक्शे व मौके के अनुसार मौजूद भूमि के आधार पर की गयी है किन्तु विक्रय विलेख का निष्पादन मौके पर उपलब्ध भूमि के आधार पर नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फर्म ने अपने वचनपत्र में स्वीकार किया था कि मौके पर केवल 2.73 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध थी और शेष दो हेक्टेयर भूमि को गलती से राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया गया था। इसलिए, फर्म ने ₹ 14.26 करोड़ में 4.73 हेक्टेयर के बजाय केवल 2.73 हेक्टेयर भूमि ही खरीदी थी। विभाग को अपने अभिलेखों में सुधार करना चाहिए तथा फर्म से ₹ 14.49 लाख संपरिवर्तन शुल्क के रूप में वसूल करना चाहिए।

3.4.4 तीन जिला कलेक्टरों (दौसा, जयपुर और टोंक) के संपरिवर्तन अभिलेखों की नमूना जांच (जून-अगस्त 2020) से पता चला कि तीन मामलों में संपरिवर्तन शुल्क संपरिवर्तन दर का चार गुणा वसूल नहीं किया गया था क्योंकि भूमि का उपयोग उनके संपरिवर्तन से पहले संस्थागत और औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। नीचे तालिका 3.4 में दिए गए विवरण के अनुसार संपरिवर्तन शुल्क दो मामलों में कम डीएलसी दर पर एवं एक मामले में विक्रय विलेख में उल्लेखित

6 ₹ 150.73 प्रति वर्गमीटर X 26254 वर्गमीटर (भूमि का क्षेत्रफल) = ₹ 39,57,265 X 50% (छूट) = ₹ 19,78,633

7 2.73 हेक्टेयर भूमि में से 2.6254 हेक्टेयर भूमि का भूमि उपयोग परिवर्तनीय पाया गया।

8 ₹14,25,88,500 का 5 प्रतिशत (खरीद लागत)/2.73 बीघा = 26,11,511 प्रति हेक्टेयर/10,000 = ₹ 261.15 प्रति वर्ग मीटर

9 ₹ 261.15 प्रति वर्गमीटर X 26254 वर्गमीटर (भूमि का क्षेत्रफल) = ₹ 68,56,232 X 50% (छूट) = ₹ 34,28,116

10 ₹ 34,28,116 - ₹ 19,78,633 = ₹ 14,49,483।

भूमि की उच्च क्रय दर के बजाय डीएलसी दर के अनुसार वसूल किया गया था :

तालिका 3.4

क्र.सं.	जिले का नाम	भूमि उपयोग की प्रकृति	मामलों की संख्या	कम वसूली की प्रकृति	कम वसूली गई राशि (₹ लाख में)
1.	दौसा	संस्थागत (शैक्षणिक संस्थान)	01	संपरिवर्तन शुल्क भूमि की क्रय दर के बजाय डीएलसी दर पर वसूल किया गया था	5.43
2.	जयपुर	संस्थागत (शैक्षणिक संस्थान)	01	संपरिवर्तन शुल्क संपरिवर्तन दरों का चार गुणा वसूल नहीं किया गया था	3.96
3.	टोंक	औद्योगिक (ईट भट्टे)	02	संपरिवर्तन शुल्क संपरिवर्तन दरों का चार गुणा वसूल नहीं किया गया था	4.03
		आवासीय परियोजनाएं	02	संपरिवर्तन शुल्क कम डीएलसी दर पर वसूल किया गया	4.79
कुल			06		18.21

इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.21 लाख के संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली हुई। इंगित किये जाने पर, लेखापरीक्षित इकाईयों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

राज्य सरकार ने अपने प्रत्युत्तर (दिसम्बर 2021) में अवगत कराया कि जयपुर जिले के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा 13 अगस्त 2021 को वसूली पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। तथापि, राज्य सरकार ने शेष पांच मामलों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

अध्याय IV

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय- IV : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियां पंजीयन अधिनियम 1908, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में वर्णित दर के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर मुद्रांक कर प्रभार्य है। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर उदग्रहणीय है तथा दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय है। 9 मार्च 2011 से मुद्रांक कर पर सरचार्ज भी प्रभार्य है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (विभाग), वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। विभाग के प्रमुख महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक हैं। प्रशासनिक/प्रवर्तन मामलों में दो अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार इनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर को मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य सौंपा गया है। सम्पूर्ण राज्य को 17 वृत्तों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख उप महानिरीक्षक सह पदेन कलक्टर (मुद्रांक) होते हैं। कुल 113 उप पंजीयक तथा 426¹ पदेन² उप पंजीयक हैं।

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभार में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है एवं इसमें छः आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं। इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना उनके महत्व एवं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनायी जाती है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 4.1 में दी गई है:

तालिका 4.1

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए बकाया इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिए कुल बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ			लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ का प्रतिशत
				पिछले वर्षों से संबंधित	चालू वर्ष से संबंधित	कुल		
2016-17	1018	291	1309	219	109	328	981	75
2017-18	981	291	1272	261	81	342	930	73
2018-19	930	294	1224	455	137	592	632	52
2019-20	632	294	926	282	88	370	556	60
2020-21	556	294	850	126	40	166	684	80

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

- 1 महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के अनुसार।
- 2 तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पदेन उप पंजीयक घोषित किया गया है।

इस अवधि के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों की व्याप्ति में 52 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की कमी रही। इससे यह स्पष्ट है कि इकाइयों की व्याप्ति में लगातार भारी कमी रही, जबकि इसमें वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी।

यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 8,302 अनुच्छेद बकाया थे। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2

वर्ष	2015-16 तक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
वर्ष के दौरान की गयी लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेद	5,861	323	421	752	651	294	8,302

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

यह देखा जा सकता है कि अनुपालना/सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में 8,302 अनुच्छेदों में से 5,861 अनुच्छेद पांच वर्ष से भी अधिक समय से बकाया थे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि वर्ष 2015-16 तक के 5,861 अनुच्छेद, किसी अनुच्छेद में आक्षेपित सभी दस्तावेजों में पूर्ण वसूली नहीं होने तथा निष्पादकों द्वारा सम्पत्ति को अग्रेतर विक्रय कर देने से वसूली में कठिनाई की वजह से बकाया है। विभाग ने लेखापरीक्षा से इकाइयों के शेष रहने तथा अनुच्छेदों के निस्तारण में कमी का कारण कोविड-19 महामारी तथा पंचायत एवं नगर परिषद चुनावों में कार्मिकों की नियुक्ति को भी बताया है।

सरकार को लंबित इकाइयों की लेखापरीक्षा को प्राथमिकता पर पूरा करने के साथ ही लंबित अनुच्छेदों की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करना चाहिए।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में 19 प्रशासनिक इकाइयों सहित 558 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों³ हैं। इनमें से लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के दौरान एक प्रशासनिक इकाई सहित 29 इकाइयों (लगभग 5 प्रतिशत) का लेखापरीक्षा के लिये चयन किया। इन इकाइयों में 2,41,551 दस्तावेज पंजीबद्ध थे, इनमें से 72,414 दस्तावेजों (लगभग 30 प्रतिशत) की नमूना जांच की गयी। जांच के दौरान 946 दस्तावेजों (नमूना दस्तावेजों का लगभग 1.31 प्रतिशत) में ₹ 15.38 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अप्राप्ति/कम प्राप्ति का पता चला।

ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। यद्यपि, समान प्रकृति की त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थी, ये

3 लेखापरीक्षा योग्य 558 इकाइयों: 539 उप पंजीयक (पंजीयन प्राधिकारी) एवं 19 प्रशासनिक कार्यालय।

अनियमिततायें बनी रहीं तथा आगामी लेखापरीक्षा होने तक उजागर नहीं हो पायी । देसी गयी अनियमिततायें मुख्यतः नीचे तालिका 4.3 में दी गई श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 4.3

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	266	6.12
2	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	72	8.70
3	अन्य अनियमितताएं:		
	(i) राजस्व से संबंधित	515	0.56
	(ii) व्यय से संबंधित	93	0.00
	योग	946	15.38

विभाग द्वारा 1,735 प्रकरणों में राशि ₹ 28.15 करोड़ के अवमूल्यांकन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिसमें राशि ₹ 14.39 करोड़ के 777 प्रकरण वर्ष 2020-21 के दौरान बताये गये तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे । विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान 925 प्रकरणों में राशि ₹ 5.67 करोड़ की वसूली की गयी, इसमें से राशि ₹ 0.11 करोड़ के 16 प्रकरण वर्ष 2020-21 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे ।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण, जिनमें राशि ₹ 3.58 करोड़ निहित है, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मुद्दे पूर्व में भी उठाये जा चुके हैं तथा गत वर्षों के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकाशित किये गये हैं जिनमे सरकार द्वारा आक्षेपों को स्वीकार किया गया तथा कार्यवाही/वसूली आरम्भ की गयी । तथापि, यह देखा गया है कि विभाग द्वारा मात्र उन्हीं प्रकरणों में कार्यवाही की गयी जो लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे । समान प्रकृति के प्रकरणों की पुनरावृत्ति विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को इंगित करती है ।

4.4 अचल सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन

पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से संबंधित दस्तावेज पर मुद्रांक कर⁴ सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा । राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 58 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों में से जो उच्चतर हो, के आधार पर निर्धारित होगा । मुद्रांक कर पर 8 मार्च 2016 से 20 प्रतिशत की दर से सरचार्ज प्रभार्य है ।

4 मुद्रांक कर: 8 जुलाई 2009 से पाँच प्रतिशत की दर से ।

मूल्यांकन पर 12 फरवरी 2018 से एक प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹ तीन लाख तक पंजीयन शुल्क प्रभार्य है। 27 मई 2019 से अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है।

सात उप पंजीयक कार्यालयों⁵ के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य) में यह पाया गया कि कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक भूमियों से संबंधित 15 दस्तावेज⁶ विक्रय विलेख/विकासकर्ता अनुबंध/विक्रय पत्र/संशोधित लीज विलेख के रूप में पंजीबद्ध (फरवरी 2018 से अक्टूबर 2019 के मध्य) हुए थे।

इन दस्तावेजों की जांच में पता चला कि संबंधित पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन ₹ 50.35 करोड़ किया गया जबकि सही मूल्यांकन ₹ 89.42 करोड़ किया जाना चाहिए था, जिसका कारण सम्पत्तियों के स्थान एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत दरों को अपनाना, उच्चतर प्रतिफल राशि के स्थान पर कम अंकित मूल्य अपनाना, इत्यादि रहा। इस प्रकार पंजीयन प्राधिकारियों ने मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 4.45 करोड़⁷ के स्थान पर ₹ 2.93 करोड़⁸ आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.52 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई एवं सितम्बर 2021 के मध्य)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि एक दस्तावेज में संपूर्ण आक्षेपित राशि वसूल कर ली गई है, चार दस्तावेजों में निष्पादकों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं, सात दस्तावेजों में कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं तथा शेष तीन दस्तावेजों में वसूली बकाया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

4.5 लीज विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

लीज विलेखों के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

4.5.1 वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2015 के पैरा 5 के अनुसार यदि 31 मई 2013 के बाद अपंजीकृत या अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर लीज विलेख का निष्पादन किया गया हो तो मुद्रांक कर की गणना संबंधित स्थानीय निकाय के द्वारा उस क्षेत्र के लिये निर्धारित आरक्षित दर पर की जानी चाहिये। यदि उस क्षेत्र के लिये आरक्षित दर निर्धारित नहीं की गयी हो तो, नजदीकी क्षेत्र के लिये निर्धारित आरक्षित दर पर इस शर्त के अधीन कि लीज धारक अपने लीज विलेख के साथ संबंधित स्थानीय निकाय के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसमें अचल संपत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यस्थ अपंजीकृत और अमुद्रांकित दस्तावेज की संख्या और निष्पादन की तारीख का उल्लेख किया गया हो।

5 उप पंजीयक: जयपुर-II, डिग्गी (टोंक), भिवाड़ी, चाकसू, कालवाड़ (जयपुर), अजमेर-I एवं जयपुर-X।

6 दस्तावेज: दस विक्रय विलेख, तीन विकासकर्ता अनुबंध, एक विक्रय पत्र तथा एक संशोधित लीज विलेख।

7 ₹ 4.45 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 3.37 करोड़, सरचार्ज ₹ 0.67 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.41 करोड़।

8 ₹ 2.93 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 2.26 करोड़, सरचार्ज ₹ 0.45 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.22 करोड़।

उप पंजीयक, जयपुर-I के वर्ष 2019-20 के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2020) के दौरान यह पाया गया कि ग्राम भांकरोटा एवं सिरसी (जयपुर) में स्थित भूमि⁹ पर एक समूह आवास परियोजना (परियोजना) विकसित की गयी थी। अभिलेखों की अग्रेतर जाँच में यह पता चला कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त परियोजना के लिये एक लीज विलेख जारी किया गया (23 अगस्त 2017) जिसमें भूमि का मूल्यांकन ₹ 1.83 करोड़ किया गया। भूस्वामी के द्वारा लीज धारक को दिये गये अपंजीबद्ध कब्जा पत्र के आधार पर उपरोक्त लीज विलेख उप पंजीयक, जयपुर-II के यहां 28 अगस्त 2017 को पंजीबद्ध हुआ तथा मूल्यांकन ₹ 1.83 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 12.82 लाख¹⁰ का आरोपण किया गया। यद्यपि, लीज विलेख के उपरोक्त दस्तावेज को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम भांकरोटा के लिये आरक्षित दर, जो की ग्राम सिरसी¹¹ के लिये भी लागू थी, पर गणना करते हुये ₹ 17.01 करोड़¹² पर मूल्यांकित किया जाना चाहिये था जिस पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.06 करोड़¹³ वसूलनीय था। इसलिये, संबंधित नियमों को लागू नहीं किये जाने एवं परिणामतः लीज विलेख के दस्तावेज का गलत मूल्यांकन करने के कारण मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 93.24 लाख¹⁴ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

4.5.2 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 33 के अनुसार, जहाँ लीज का अभिप्राय तीस वर्ष¹⁵ से अधिक अवधि के लिए हो या शास्वतता में हो, मुद्रांक कर संपत्ति जो कि लीज की विषय वस्तु है के बाजार मूल्य पर कन्वेयंस की दर से प्रभार्य है।

अग्रेतर, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल 2018 के अनुसार यदि लीज विलेख या विक्रय विलेख जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 30 सितम्बर 2018¹⁶ के पश्चात आवंटित या विक्रित भूमि के लिए जारी की गई हो तथा इसके निष्पादन के दो माह के भीतर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया हो, तो मुद्रांक कर प्रतिफल राशि या उस भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर गणना किये गये मूल्य के 50 प्रतिशत पर, जो भी अधिक हो, पर प्रभार्य है।

9 18410.20 वर्ग मीटर।

10 ₹ 12.82 लाख: मुद्रांक कर ₹ 9.16 लाख, सरचार्ज ₹ 1.83 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.83 लाख।

11 ग्राम सिरसी के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षित दर निर्धारित नहीं की गयी थी। इसलिये, उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, नजदीकी क्षेत्र (ग्राम भांकरोटा) की आरक्षित दर ग्राम सिरसी के लिये भी लागू थी।

12 ₹ 17.01 करोड़: 18410.20 वर्ग मीटर X ₹ 8400 प्रति वर्ग मीटर (ग्राम भांकरोटा के लिये आरक्षित दर) + 10 प्रतिशत (कॉर्नर)

13 ₹ 1.06 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 85.05 लाख, सरचार्ज ₹ 17.01 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 4.00 लाख।

14 ₹ 93.24 लाख: मुद्रांक कर ₹ 75.89 लाख, सरचार्ज ₹ 15.18 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.17 लाख।

15 अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2017 द्वारा संशोधित।

16 अधिसूचना दिनांक 30 जून 2018 द्वारा संशोधित।

मुद्रांक कर पर 8 मार्च 2016 से 20 प्रतिशत की दर से सरचार्ज प्रभार्य है। पंजीयन शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य पर 9 मार्च 2015 से एक प्रतिशत की दर से प्रभार्य है। 12 फरवरी 2018 से अधिकतम सीमा ₹ तीन लाख निर्धारित की गई।

तीन उप पंजीयक कार्यालयों¹⁷ की नमूना जांच के दौरान (जून 2020 से सितंबर 2020 के मध्य) यह पाया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा वाणिज्यिक/आवासीय/संस्थागत उद्देश्यार्थ आठ लीज विलेख जारी किये गये (अक्टूबर 2018 से नवम्बर 2019 के मध्य)। इनमें से सात लीज विलेख जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा गृह निर्माण समितियों द्वारा जारी अपंजीबद्ध दस्तावेजों (पट्टा) के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-अ के तहत भूमि के नियमितकरण उपरांत जारी किये गये थे। संबंधित पंजीयन प्राधिकारियों ने भूमि के बाजार मूल्य के स्थान पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीबद्ध मूल्य पर कन्वेयंस की दर से मुद्रांक कर आरोपित तथा वसूल किया। शेष प्रकरण में संबंधित पंजीयन प्राधिकारियों ने प्रतिफल राशि जो कि अधिक थी, के स्थान पर भूमि के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत पर मुद्रांक कर आरोपित तथा वसूल किया।

इस प्रकार, पंजीयन प्राधिकारियों ने इन लीज विलेखों का मूल्य निर्धारण ₹ 10.25 करोड़ के स्थान पर ₹ 6.32 करोड़ किया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 27.01 लाख¹⁸ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि पाँच दस्तावेजों में कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं तथा शेष तीन दस्तावेजों में वसूली बकाया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

4.6 'प्रायोजक निकाय' से 'निजी विश्वविद्यालय' को अचल संपत्ति का हस्तांतरण

पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा संस्थागत भूमि के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 के अनुसार, संस्थागत उद्देश्यार्थ उपयोग में ली जा रही सम्पत्तिवर्तित भूमि या संस्थागत उद्देश्यार्थ उपयोग में ली जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दोगुना के समतुल्य होगी।

इसके अतिरिक्त, 'प्रायोजक निकाय' से 'निजी विश्वविद्यालय' को अचल संपत्ति हस्तान्तरण के दस्तावेज पर प्रभार्य मुद्रांक कर को घटाया गया तथा संपत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से प्रभार्य किया गया। पंजीयन शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से दिनांक 27 मई 2019 से प्रभार्य है। मुद्रांक कर पर 20 प्रतिशत की दर से 8 मार्च 2016 से सरचार्ज भी देय है।

17 उप पंजीयक: जयपुर-II, आमेर तथा जयपुर-X ।

18 ₹ 27.01 लाख: मुद्रांक कर ₹ 20.15 लाख, सरचार्ज ₹ 4.03 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.83 लाख।

उप पंजीयक, जयपुर-II के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2020) के दौरान यह पाया गया कि एक प्रायोजक निकाय से एक निजी विश्वविद्यालय को संस्थागत भूमि¹⁹ के हस्तांतरण के लिए एक सहमति विलेख का निष्पादन किया गया (10 जुलाई 2019)। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पंजीयन प्राधिकारी ने विलेख के पंजीयन को अंतिम रूप देते समय (2 अगस्त 2019) मुख्य सड़क से दूर स्थित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति की दरों के आधार पर निर्धारित बाजार मूल्य ₹ 6.72 करोड़²⁰ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 10.75 लाख²¹ प्रभार्य किया। यद्यपि, भूमि संस्थागत प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही थी तथा उप पंजीयक जयपुर-II की मौका रिपोर्ट (2 अगस्त 2019) के अनुसार मुख्य सड़क पर स्थित थी। इसलिए, भूमि का बाजार मूल्य मुख्य सड़क पर स्थित कृषि भूमि के लिए लागू जिला स्तरीय समिति की दरों के दोगुना पर ₹ 18.24 करोड़²² निर्धारित किया जाना चाहिए था, जिस पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 29.18 लाख²³ प्रभार्य था। इसलिए, संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं करने तथा परिणामतः पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा भूमि के गलत मूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 18.43 लाख²⁴ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

4.7 कन्वेयंस के दस्तावेज का गलत वर्गीकरण

पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा कन्वेयंस दस्तावेज को सही वर्गीकृत करने में विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल संपत्ति से संबंधित कन्वेयंस²⁵ दस्तावेज पर मुद्रांक कर संपत्ति के बाजार मूल्य पर आरोपणीय है। राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 58 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य, जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों में से जो उच्च हो, के आधार पर निर्धारित होगा। मुद्रांक कर पर 8 मार्च 2016 से 20 प्रतिशत की दर से सरचार्ज प्रभार्य है।

संपत्ति के बाजार मूल्य पर 27 मई 2019 से एक प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क प्रभार्य है।

19 ग्राम वाटिका (तहसील सांगानेर) एवं ग्राम फतेहपुरावास वाटिका (तहसील चाकसू) में स्थित 48.48 बीघा

20 ₹ 6.72 करोड़: कृषि भूमि के लिए जिला स्तरीय समिति की दर ₹13.86 लाख प्रति बीघा X 48.48 बीघा।

21 ₹ 10.75 लाख: मुद्रांक कर ₹ 3.36 लाख, सरचार्ज ₹ 0.67 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 6.72 लाख।

भूमि को विश्वविद्यालय के उपयोग में लेने के लिये आयुक्त उद्योग द्वारा राजस्थान निवेश संवर्धन योजना 2014 के तहत जारी हकदारी प्रमाण पत्र के आधार पर मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदत्त।

22 ₹ 18.24 करोड़: 48.48 बीघा X ₹ 18.81 लाख प्रति बीघा का दोगुना।

23 ₹ 29.18 लाख: मुद्रांक कर ₹ 9.12 लाख, सरचार्ज ₹ 1.82 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 18.24 लाख।

24 ₹ 18.43 लाख: मुद्रांक कर ₹ 5.76 लाख, सरचार्ज ₹ 1.15 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 11.52 लाख।

25 08 जुलाई 2009 से 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है।

कार्यालय उप पंजीयक जयपुर-II के अभिलेखों की नमूना जांच (जून एवं जुलाई 2020 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि एक वाणिज्यिक संपत्ति²⁶ का हस्तांतरण विलेख 26 जून 2019 को पंजीबद्ध हुआ। अभिलेखों की जांच में पता चला कि वाणिज्यिक परियोजना के विकास हेतु भूस्वामी एवं विकासकर्ता के मध्य विकासकर्ता अनुबंध²⁷ दस्तावेज 12 अगस्त 2005 को पंजीबद्ध हुआ जिसमें भूस्वामी एवं विकासकर्ता प्रत्येक का विकसित भूमि में 50 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया था।

इसके बाद हस्तांतरण विलेख के माध्यम से स्वामी ने अपने स्वामित्व अधिकार तथा विकसित संपत्ति में से 50 प्रतिशत हिस्सा विकासकर्ता को हस्तांतरित कर दिया। हस्तांतरण विलेख के पंजीयन के समय पंजीयन प्राधिकारी ने विलेख को 'ट्रांसफर्रेबल डेवलपमेंट राइट' के रूप में वर्गीकृत किया तथा निर्धारित बाजार मूल्य ₹ 4.53 करोड़²⁸ पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क के ₹ 4.54 लाख²⁹ वसूल किये। तथापि, हस्तान्तरण विलेख के माध्यम से स्वामित्व के अधिकार हस्तांतरित किये गये थे, इसे कन्वेयंस के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था तथा बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर, सरचार्ज व पंजीयन शुल्क ₹ 31.71 लाख³⁰ आरोपणीय था। इसलिए, पंजीयन प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 27.17 लाख³¹ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा विकासकर्ता अनुबंध पर विकासकर्ता के हिस्से पर 1.5 प्रतिशत (संपत्ति के बाजार मूल्य पर) की दर से मुद्रांक कर के आरोपण हेतु पारित निर्णय के विरुद्ध कर बोर्ड में प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

26 मुख्य टोंक रोड, बापू नगर, जयपुर में स्थित भूखण्ड संख्या एसबी-115-अ की 50 प्रतिशत भूमि। कुल क्षेत्रफल 255.47 (510.94/2) वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्र 4300 वर्ग मीटर।

27 दिनांक 8 मार्च 2018 से विकसित की जाने वाली भूमि में से प्रोत्साहक या विकासकर्ता को प्रतिफल के रूप में दी जाने वाली अनुपातिक भूमि के बाजार मूल्य पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है।

28 ₹ 4.53 करोड़: 255.47 वर्ग मीटर X ₹1,61,181/- प्रति वर्ग मीटर एवं निर्माण लागत ₹ 4,300 वर्ग फीट X ₹ 960/- प्रति वर्ग फीट (निर्माण लागत में 20 प्रतिशत मूल्यहास अनुमत्य करने के उपरान्त)।

29 ₹ 4.54 लाख: मुद्रांक कर ₹ 500 तथा पंजीयन शुल्क ₹ 4.53 लाख।

30 ₹ 31.71 लाख: मुद्रांक कर ₹ 22.65 लाख, सरचार्ज ₹ 4.53 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 4.53 लाख।

31 ₹ 27.17 लाख: मुद्रांक कर ₹ 22.64 लाख तथा सरचार्ज ₹ 4.53 लाख।

4.8 राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं करना

पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के पास उपलब्ध सूचनाओं को उपयोग में लेने में विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण

दस्तावेजों के पंजीकरण की लगातार बढ़ती संख्या तथा दायरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कार्यालयों को “लोक कार्यालय”³² के रूप में अधिसूचित किया जिसके माध्यम से उन्हें पंजीकरण के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर मुद्रांक कर आरोपण के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक ने उप महानिरीक्षकों (मुद्रांक) एवं उप पंजीयकों को लोक कार्यालयों के अभिलेखों के प्रभावी निरीक्षण करने हेतु निर्देश³³ जारी किये ताकि मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक कर की वसूली सुनिश्चित की जा सके क्योंकि प्रभावी नियंत्रण के अभाव में राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लगातार डिजिटलीकरण पर जोर देने के कारण लोक कार्यालयों के अभिलेख तेजी से डिजिटल प्रारूप में रखे जा रहे हैं। इसलिए, उप पंजीयकों/उप महानिरीक्षकों को वेबसाइटों के माध्यम से इनके अवलोकन के पर्याप्त अवसर हैं।

4.8.1 विकासकर्ता अनुबंध दस्तावेज

उप पंजीयक जोधपुर-III के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2021) के दौरान लेखापरीक्षा ने उप पंजीयक, जोधपुर-III के क्षेत्राधिकार में स्थित संपत्तियों का राजस्थान रेरा की वेबसाइट³⁴ पर उपलब्ध सूचनाओं³⁵ का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक वाणिज्यिक परियोजना³⁶ हेतु विकासकर्ता अनुबंध का दस्तावेज, एक भूस्वामी एवं एक विकासकर्ता के मध्य निष्पादित (12 नवम्बर 2018) हुआ, जिसमें स्वामी एवं विकासकर्ता का हिस्सा क्रमशः 45 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत निर्धारित था। संपत्ति का बाजार मूल्य ₹ 8.50 करोड़³⁷ था जिस पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 13.00 लाख³⁸ देय था। तथापि, उपरोक्त विकासकर्ता अनुबंध उप पंजीयक, जोधपुर-III के यहाँ पंजीबद्ध नहीं था तथा इसके स्थान पर

32 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 1997 द्वारा अधिसूचित “लोक कार्यालय”। इस अधिसूचना के प्रावधान, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 91(2) के अनुसार लागू रहेंगे।

33 दिसंबर 2009, अगस्त 2010

34 <https://rera.rajasthan.gov.in>.

35 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विवरण: रेरा पंजीयन संख्या राज/पी/2019/1033 दिनांक 31 मई 2019

36 प्लॉट संख्या 290 और 298 ए एवं बी, चौथी ‘ए’ रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, क्षेत्रफल 801.66 वर्ग गज या 7214.94 वर्ग फीट (कॉर्नर)।

37 ₹ 8.50 करोड़: (7214.94 वर्ग फीट X ₹ 10,710 प्रति वर्ग फीट एवं कॉर्नर की भूमि का दस प्रतिशत)।

38 ₹ 13.00 लाख: मुद्रांक कर ₹ 10.84 लाख एवं सरचार्ज ₹ 2.16 लाख। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 5(ई) के अनुसार विकासकर्ता के हिस्से पर 1.5 प्रतिशत एवं भूस्वामी के हिस्से पर एक प्रतिशत से गणना की गयी। 8 मार्च 2016 से मुद्रांक कर पर 20 प्रतिशत की दर से सरचार्ज की गणना की गयी।

मात्र ₹ 500 के मुद्रांक कर पर नोटेराइज्ड था। यद्यपि उप पंजीयक ने रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं किया, इस तथ्य के बावजूद कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत रेरा एक “लोक कार्यालय”³⁹ था।

इसके परिणामस्वरूप निर्धारित मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 12.99 लाख⁴⁰ के अधिरोपण का अभाव रहा।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

4.8.2 विक्रय अनुबंध का दस्तावेज

इसी प्रकार लेखापरीक्षा ने पाया कि आवासीय भूमि⁴¹ के विक्रय अनुबंध का एक दस्तावेज जिसमें प्रतिफल राशि ₹ 2.59 करोड़ थी का निष्पादन दिनांक 26 जुलाई 2017 को किया गया था। अनुबंध निष्पादन के समय ही भूमि का कब्जा भी हस्तांतरित कर दिया गया था। इसलिए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्पष्टीकरण⁴² (i) के अनुसार दस्तावेज को आवश्यक रूप से कन्वेयंस माना जाना चाहिए था तथा पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार अनिवार्य रूप से पंजीबद्ध किया जाना चाहिए था, जिसकी प्रतिफल राशि ₹ 2.59 करोड़⁴³ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क⁴⁴ ₹ 18.16 लाख⁴⁵ देय था। तथापि, विक्रय अनुबंध दस्तावेज उप पंजीयक जोधपुर-III के यहाँ पंजीबद्ध नहीं था तथा इसके स्थान पर मात्र ₹ 500 के मुद्रांक कर पर नोटेराइज्ड⁴⁶ था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 18.15 लाख⁴⁷ के अधिरोपण का अभाव रहा।

39 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 दिसंबर 1997 के अनुसार राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को ‘लोक कार्यालय’ के रूप में नामित किया गया है। राजस्थान रेरा राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके कारण यह अधिसूचना की ‘लोक कार्यालय’ की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

40 ₹ 12.99 लाख: मुद्रांक कर ₹ 10.83 लाख एवं सरचार्ज ₹ 2.16 लाख।

41 ग्राम खारड़ा रणधीर, जिला जोधपुर में 5698.52 वर्ग गज या 51286.68 वर्ग फीट भूमि।

42 अचल संपत्ति के विक्रय अनुबंध या अनिस्तरणीय मुस्तारनामा या अन्य कोई दस्तावेज यथा कन्वेयंस या लीज जिनमें संपत्ति के कब्जे का हस्तान्तरण दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व, उस समय या बाद में किया गया हो उसे कन्वेयंस माना जावेगा तथा उस पर तदनुसार मुद्रांक कर आरोपणीय होगा।

43 प्रतिफल राशि: प्रतिफल राशि ₹ 2.59 करोड़, बाजार मूल्य ₹ 1.28 करोड़ (51286.68 वर्ग फीट X ₹ 250 प्रति वर्ग फीट) से अधिक है। इसलिए प्रतिफल राशि को बाजार मूल्य के रूप में लिया गया है।

44 पंजीयन शुल्क 8 मार्च 2017 से अधिकतम सीमा ₹ चार लाख के अंतर्गत संपत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से प्रभाय है।

45 ₹ 18.16 लाख: मुद्रांक कर ₹ 12.97 लाख, सरचार्ज ₹ 2.59 लाख एवं पंजीयन शुल्क ₹ 2.60 लाख।

46 15 मई 2018 को।

47 ₹ 18.15 लाख: मुद्रांक कर ₹ 12.96 लाख, सरचार्ज ₹ 2.59 लाख एवं पंजीयन शुल्क ₹ 2.60 लाख।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) की कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

लोक कार्यालयों के निर्धारित नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के अलावा, विभाग द्वारा उप पंजीयकों को पंजीकरण से बच जाने वाले दस्तावेजों की पहचान करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, जैसे रेरा वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी, का प्रयोग करने का निर्देश देना चाहिये।

4.9 अनिस्तारणीय मुख्तारनामा पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अनिस्तारणीय मुख्तारनामा के दस्तावेजों के विवरणों पर संज्ञान लेने में विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21 के स्पष्टीकरण (i) के अनुसार अचल संपत्ति के विक्रय अनुबंध या अनिस्तारणीय मुख्तारनामा या अन्य कोई दस्तावेज यथा कन्वेयंस या लीज जिसमें संपत्ति के कब्जे का हस्तान्तरण दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व, उस समय या बाद में किया गया हो उसे कन्वेयंस माना जावेगा तथा उस पर मुद्रांक कर, कन्वेयंस की दर यथा संपत्ति के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से वसूलनीय है।

अधिनियम की धारा 20 में यह प्रावधान है कि यदि कोई दस्तावेज जिस पर राजस्थान के अलावा भारत के किसी भी भाग में भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के तहत अथवा अन्य किसी कानून के तहत जो कि उस समय उस भाग में लागू हो, शुल्क के साथ प्रभार्य हो गया है तथा इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान राज्य में उच्चतर दरों पर शुल्क के साथ प्रभार्य हो गया है तो ऐसे दस्तावेज पर प्रभार्य शुल्क, इस अधिनियम के तहत देय शुल्क में से भारत में पहले से भुगतान किये गये शुल्क की राशि, यदि कोई हो, घटाते हुये प्रभार्य होगी।

कार्यालय उप पंजीयक, जोधपुर-1 के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2021) के दौरान यह पाया गया कि आवासीय भूमि के लीज विलेख का एक दस्तावेज पंजीबद्ध (9 सितंबर 2019) था। लीज विलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच में पता चला कि तमिलनाडु राज्य में मात्र ₹ 2100 मुद्रांक कर के साथ निष्पादित (5 सितम्बर 2019) एक अनिस्तारणीय मुख्तारनामा नोटेराइज्ड (6 सितंबर 2019) था। भूमि का कब्जा भी अनिस्तारणीय मुख्तारनामा के निष्पादन के समय ही हस्तांतरित कर दिया गया था तथा इसीलिए, उपरोक्त आर्टिकल के अंतर्गत दस्तावेज को कन्वेयंस के रूप में वर्गीकृत किया जाकर अनिवार्य रूप⁴⁸ से पंजीबद्ध किया जाना

48 पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार अन्य निर्वसीयती लिखत (गैर-वसीयत दस्तावेज) जिनसे यह तात्पर्यित हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में एक सौ रूपये या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित, चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करती हो, अनिवार्य रूप से पंजीयन आवश्यक है। 27 मई 2019 से सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क प्रभार्य है।

चाहिये था, जिस पर भूमि के बाजार मूल्य ₹ 1.44 करोड़⁴⁹ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज⁵⁰ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 10.06 लाख⁵¹ आरोपणीय था।

तथापि, लीज विलेख के पंजीयन के समय पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा दस्तावेज के विवरणों पर संज्ञान लेने में विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 10.04 लाख⁵² का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

49 ₹1.44 करोड़: 9,000 (4,500X2) वर्ग फीट X ₹ 1,125 प्रति वर्ग फीट + 5,249.97 (2,099.97+3,150) वर्ग फीट X ₹ 810 प्रति वर्ग फीट।

50 मुद्रांक कर पर 8 मार्च 2016 से 20 प्रतिशत की दर से सरचार्ज प्रभार्य है।

51 ₹ 10.06 लाख: मुद्रांक कर ₹ 7.18 लाख, सरचार्ज ₹ 1.44 लाख एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.44 लाख।

52 ₹ 10.04 लाख: मुद्रांक कर ₹ 7.16 लाख, सरचार्ज ₹ 1.44 लाख एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.44 लाख।

अध्याय V
राज्य आबकारी

अध्याय-V: राज्य आबकारी

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं। जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं।

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभाराधीन एक आंतरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की नमूना जांच करनी होती है।

गत पांच वर्षों की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 5.1 में दी गयी है:

तालिका 5.1

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान जोड़ी गई इकाइयाँ	कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ		लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ का प्रतिशत
				पिछले वर्ष से संबंधित	चालू वर्ष से संबंधित		
2016-17	5	41	46	4	40	2	4
2017-18	2	44	46	5	28	13	28
2018-19	13	44	57	13	19	25	44
2019-20	25	44	69	9	18	42	61
2020-21	42	44	86	9	15	62	72

स्रोत: राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों में लगातार कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप अलेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या एवं प्रतिशत दोनों में वृद्धि हुई है। विभाग ने उत्तर दिया कि मानवशक्ति की कमी और राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण लेखापरीक्षा में कमी हुई है। लेखा परीक्षा का मत है कि विभाग को मानवशक्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिये ताकि अलेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या को कम किया जा सके।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति निम्न तालिका 5.2 में दी गयी है:

तालिका 5.2

वर्ष	2015-16 तक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेद	154	87	95	141	196	262	935

स्रोत: राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इस प्रकार, 2020-21 के अंत में 935 अनुच्छेद बकाया थे, जिनमें से 154 अनुच्छेद पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। विभाग द्वारा कार्यवाही के अभाव और पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में अनुच्छेद लम्बित रहने से आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

सरकार को बकाया इकाइयों की लेखापरीक्षा को पूरा करने और राजस्व की छीजत को रोकने के साथ-साथ अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए बकाया अनुच्छेदों को कम करने के उचित उपाय कर आंतरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग में 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ (54 कार्यान्वयन इकाइयों सहित) हैं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए 41 इकाइयों (32 कार्यान्वयन इकाइयों सहित) का चयन किया गया। इन इकाइयों के अभिलेखों, जिनमें 2,623 खुदरा अनुज्ञाधारी (कुल 3,591 अनुज्ञाधारियों में से) सम्मिलित हैं, की संवीक्षा 6,159 प्रकरणों की जांच के साथ की गई। इसमें 4,529 प्रकरणों में (नमूना प्रकरणों का लगभग 74 प्रतिशत) राशि ₹ 51.37 करोड़ के आबकारी शुल्क व अनुज्ञापत्र शुल्क, अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना और प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं। समान प्रकृति की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थी। तथापि, ये अनियमितताएं न केवल बनी रहीं अपितु इनमें से कुछ आगामी लेखापरीक्षा होने तक पहचानी नहीं जा सकी।

पायी गई अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गयी तालिका 5.3 में निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 5.3

क्रं. सं.	श्रेणी	(₹ करोड़ में)	
		प्रकरणों की संख्या	राशि
1	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	1,160	33.56
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली	1,157	9.78
3	प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	31	0.67
4	विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली	232	7.30
5	अन्य अनियमितताएं		
	(i) राजस्व	117	0.06
	(ii) व्यय	1,832	0.00
योग		4,529	51.37

विभाग ने 4,170 प्रकरणों में निहित राशि ₹ 18.81 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 17.08 करोड़ के 3,417 प्रकरण वर्ष 2020-21 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 764 प्रकरणों में ₹ 2.70 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिनमें से ₹ 0.97 करोड़ के 11 प्रकरण वर्ष 2020-21 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

उदाहरणस्वरूप विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों के कुछ प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 40.67 करोड़ शामिल है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले पूर्व में भी उठाए गए थे एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुए जिनमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार कर कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की। तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने मात्र उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफल रहा जिससे समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

5.4 कम्पोजिट फीस की कम वसूली

परिधीय क्षेत्र की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस की गलत गणना के परिणामस्वरूप राजस्व की कम प्राप्ति

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 67-आई और 67-केकेके के अनुसार देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) के आधार पर किया जाता है। आबकारी आयुक्त द्वारा जिले में प्रस्तावित देशी मदिरा की दुकानों/समूहों की संख्या को उसकी ईपीए, कम्पोजिट फीस और अमानत राशि और आवेदन शुल्क को शामिल करते हुए देशी मदिरा लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया जाता है।

उपर्युक्त नीति के अनुसार, नगरीय क्षेत्र के पाँच किलोमीटर के दायरे में अवस्थित गाँवों की देशी मदिरा दुकानों को 'परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे परिधीय क्षेत्र के गाँवों को नीति में निर्धारित संबंधित श्रेणियों के लिए कम्पोजिट फीस के साथ 'ए' और 'बी' के रूप में आगे और वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए श्रेणी 'बी' की दुकानों की कम्पोजिट फीस को क्रमशः छह और आठ प्रतिशत निर्धारित किया गया था। यह उस विशेष समूह/दुकान के गत वर्ष की राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) की वार्षिक बिलिंग राशि के बराबर या संबंधित नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आईएमएफएल/बीयर दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत या वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए ₹ 50,000 तथा वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 75,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी।

वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के वर्षों के लिए दो¹ जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2020) के दौरान, यह देखा गया कि तीन देशी मदिरा दुकानों/समूहों को परिधीय क्षेत्र की 'बी' श्रेणी की दुकानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ऐसे समूहों/दुकानों के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस में दी गई कम्पोजिट फीस, नीति के अनुसार उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित राशि से कम थी। इसलिए, नीति के प्रावधानों को गलत तरीके से लागू करने से ₹16.62 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। विभाग ने बताया (सितम्बर 2021) कि वसूली प्रक्रियाधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

5.5 मासिक गारंटी राशि की कम वसूली

जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से निर्धारित मासिक गारंटी राशि वसूल करने की विफलता से राजस्व की हानि

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2017-19 एवं 2019-20 के अनुसार देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त ईपीए के आधार पर किया जाना था। देशी मदिरा दुकान/समूह के खुदरा अनुज्ञाधारी देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क के रूप में लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित ईपीए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावा, अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित समूह/दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना था। मासिक किस्त का भुगतान उस महीने की अंतिम तारीख तक किया जाना था। यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा का न्यूनतम मासिक कोटा उठाने में विफल रहता है, तो वह आबकारी शुल्क के अंतर की राशि का नकद में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

छह जिला आबकारी अधिकारियों² के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया (जून 2020 और फरवरी 2021 के बीच) कि 2019-20 के दौरान 1,246 अनुज्ञाधारियों में से 410 ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 250.44 करोड़ के समक्ष ₹ 242.14 करोड़ की देशी मदिरा उठाई। इसी तरह, 2018-19 के दौरान, दो जिला आबकारी अधिकारियों³ के मामले में, 351 अनुज्ञाधारियों में से 28 ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 12.03 करोड़ के समक्ष, ₹ 11.19 करोड़ की देशी मदिरा उठाई।

तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी मासिक गारंटी राशि की अंतर राशि की वसूली करने में विफल रहे। इसलिए, जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप नीति प्रावधानों का उल्लंघन हुआ तथा ₹ 9.14 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

1 जिला आबकारी अधिकारी: टोंक (दो समूह/दुकानों), उदयपुर (एक समूह/दुकान)।

2 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, जयपुर (ग्रामीण), जयपुर (शहर), जोधपुर, टोंक एवं उदयपुर।

3 जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (ग्रामीण) एवं टोंक।

इस मुद्दे को पिछले वर्षों के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उठाया गया है, जहां विभाग ने आक्षेपों को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मामलों में कार्यवाही/वसूली शुरू की। इसके अलावा, सरकार ने यह भी कहा (दिसंबर 2020) कि एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) में मासिक गारंटी राशि की कमी की वसूली को सुगम बनाने हेतु आवश्यक प्रावधान जोड़ दिया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2021 तक इस तरह का प्रावधान नहीं लाया गया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि ₹ 7.93 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

5.6 अतिरिक्त राशि की अवसूली

जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा के लिए निर्धारित अतिरिक्त राशि वसूल करने की विफलता से राजस्व की हानि

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2017-19 के पैरा 3.20 (ii) और 4.6 (ii) और नीति 2019-20 के पैरा 3.18 (i) और 4.6 के अनुसार, 2018-19 और 2019-20 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) की कम उठायी गई मात्रा पर ₹ 20 प्रति बल्क लीटर (बीएल) और बीयर की कम उठायी गई मात्रा पर ₹ 10 प्रति बीएल की दर से अतिरिक्त राशि का शुल्क त्रैमासिक रूप से ऐसे खुदरा अनुज्ञाधारियों से लिया जाना था जिन्होंने पिछले वर्ष की उसी तिमाही में ली गई मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर की न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की। प्रत्येक त्रैमास के अंत में ऐसी कम उठाई गई मात्रा की दुकान-वार गणना की जानी थी।

इसके अलावा, आबकारी आयुक्त (ईसी) द्वारा जारी निर्देशों (जून 2017 और जुलाई 2019) के अनुसार, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के स्तर पर कम उठाई गई मात्रा पर निर्धारित दर के अनुसार अतिरिक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जानी थी।

छ: जिला आबकारी अधिकारियों कार्यालयों⁴ के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2020 और फरवरी 2021 के बीच) के दौरान, यह देखा गया कि 2019-20 के दौरान, 1,113 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की संबंधित तिमाही की तुलना में आईएमएफएल और बीयर उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की और इस प्रकार ₹ 9.59 करोड़ की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। इसी तरह, 2018-19 के दौरान, एक जिला आबकारी अधिकारी⁵ के मामले में, 37 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की संबंधित तिमाहियों की तुलना में आईएमएफएल और बीयर के उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की और इस प्रकार ₹ 0.16 करोड़ की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कम उठाई गई मात्राओं पर निर्धारित अतिरिक्त राशि वसूल करने में विफल

4 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, जयपुर (शहर), जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर और उदयपुर।

5 जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)।

रहे। इसलिए, नीति के प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 9.75 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि ₹ 4.92 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

5.7 आबकारी शुल्क की अंतर राशि की अवसूली

जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा देशी शराब अनुज्ञाधारियों से कम उठाई गई मात्रा पर आबकारी शुल्क की अंतर राशि वसूल करने की विफलता से राजस्व की हानि

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2016-17 से 2019-20 के अनुसार देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त ईपीए के आधार पर किया गया था। देशी मदिरा दुकान/समूह का अनुज्ञाधारी देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क के रूप में लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित ईपीए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित दुकान/समूह के लिए निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना था।

इसके अलावा, नीति के बिंदु सं 3.7.6 तथा देशी मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.3.1 के अनुसार देशी मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारियों को माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का 40 प्रतिशत 50/60 यूपी⁶ देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूरा करना था। यदि अनुज्ञाधारी किसी विशेष माह में 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संबंधित तिमाही के अन्य माहों में 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठान इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि कुल तिमाही मासिक एकाकी विशेषाधिकार की 40 प्रतिशत गारंटी पूर्ति 50/60 यूपी देशी मदिरा के आबकारी शुल्क से और शेष 60 प्रतिशत गारंटी पूर्ति 40 यूपी देशी मदिरा के आबकारी शुल्क से हो। यदि एक तिमाही में निर्धारित 40 प्रतिशत से कम 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव होता है तो अनुज्ञाधारी 50/60 यूपी देशी मदिरा के लिए निर्धारित आवश्यक कोटा और वास्तविक उठाव में अन्तर पर देय आबकारी शुल्क का भुगतान नकद में करने के लिये उत्तरदायी था।

सात जिला आबकारी अधिकारी⁷ कार्यालयों के अभिलेखों की जांच (जून 2020 और मार्च 2021 के बीच) में देखा गया, कि 2019-20 के दौरान संबंधित तिमाहियों के लिए 520 अनुज्ञाधारियों ने ₹ 104.94 करोड़ के निर्धारित कोटे के समक्ष ₹ 100.97 करोड़ की 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव किया और इस प्रकार ₹ 3.97 करोड़ की अंतर राशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी थे। इसी तरह, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी टोंक के मामले में, 2016-19 के दौरान

6 यूपी 'अंडर प्रूफ' को संदर्भित करता है। यह एक अल्कोहलिक पेय में अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 50 डिग्री प्रूफ को 50 यूपी और 40 डिग्री प्रूफ को 60 यूपी के रूप में दर्शाया जा सकता है।

7 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (ग्रामीण), जयपुर (शहर), जोधपुर, सीकर और टोंक।

132 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाहियों के लिए ₹ 14.87 करोड़ के निर्धारित कोटे के समक्ष ₹ 13.30 करोड़ की 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव किया और इस प्रकार ₹ 1.57 करोड़ की अंतर राशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी थे। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी अंतर राशि वसूल करने में विफल रहे। इसलिए, नीति प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 5.54 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में देखा गया कि एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली में एक अलग मॉड्यूल का अभाव है जो प्रत्येक तिमाही में 50/60 यूपी देशी मदिरा की कम उठाई गई मात्रा के विवरण को देशी मदिरा अनुज्ञाधारी से टैग कर सकता है, ताकि वसूली प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके और राजस्व की हानि को रोका जा सके।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि ₹ 1.69 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

5.8 परमिट शुल्क के कम आरोपण के कारण राजस्व की हानि

नीति प्रावधान के अनुरूप देशी मदिरा के परिवहन पर परमिट शुल्क की दर में वृद्धि को अधिसूचित करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (अधिनियम) की धारा 14 के अनुसार, किसी भी आबकारी शुल्क योग्य पदार्थ का अधिनियम की धारा 15, के अंतर्गत जारी पास (या परमिट) के बिना आयात, निर्यात अथवा परिवहन नहीं किया जा सकता, जो यह उपबंधित करती है कि आबकारी शुल्क योग्य पदार्थों के आयात, निर्यात अथवा परिवहन हेतु परमिट आबकारी आयुक्त अथवा इस संबंध में विधिवत रूप से सशक्त किये गये आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों के अधीन अनुदत्त किया जा सकता है जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर लगाए।

राजस्थान आबकारी नियम 1956 (नियम) के नियम 69 (बी)⁸ के अनुसार, राजस्थान राज्य के भीतर देशी मदिरा के परिवहन के लिए ₹ 50 प्रति परमिट की परमिट फीस निर्धारित की गई थी। यह नियम मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त था कि देशी मदिरा के प्रत्येक खुदरा अनुज्ञाधारी को प्रत्येक परमिट के लिए ₹ 50 का भुगतान करना चाहिए, भले ही इसमें शामिल मात्रा कुछ भी हो। तदनुसार, 2018-19 तक विभाग द्वारा उत्पादन इकाई से राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड (आरएसजीएसएम) के गोदामों तक देशी मदिरा के परिवहन के लिए निर्माताओं को जारी किए गए परमिट पर और आरएसजीएसएम के गोदामों से उनके खुदरा बिक्री स्थल तक देशी मदिरा के परिवहन के लिए खुदरा अनुज्ञाधारियों को जारी किये परमिट पर ₹ 50 प्रति परमिट शुल्क लिया जा रहा था।

8 अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2012 के माध्यम से जोड़ा गया।

आबकारी और मद्य-संयम नीति (नीति) 2019-20 में परमिट शुल्क की दर ₹ 50 प्रति परमिट से बढ़ाकर⁹ ₹ 1 प्रति बल्क लीटर (बीएल) कर दी गयी। तथापि, सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 2019) द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत वृद्धि को खुदरा अनुज्ञाधारियों को जारी किये गये परमिट हेतु आरएसजीएसएम के गोदामों से उनके खुदरा बिक्री स्थल पर देशी मदिरा के परिवहन को शामिल किया गया तथा उत्पादन इकाई से आरएसजीएसएम के डिपो तक देशी मदिरा के परिवहन के लिए निर्माताओं को जारी किए गए परमिट को शामिल नहीं किया गया।

2019-20 के दौरान सात जिला आबकारी अधिकारी¹⁰ कार्यालयों के तहत देशी मदिरा की 15 निर्माण इकाइयों के उत्पादन और प्रेषण के अभिलेखों की जांच (जून 2020 और फरवरी 2021 के बीच) में देखा गया कि उत्पादन इकाइयों से आरएसजीएसएम के गोदामों तक 22,944 परमिट्स के माध्यम से 16.18 करोड़ बीएल देशी मदिरा का परिवहन किया गया। उत्पादन इकाइयों से आरएसजीएसएम के गोदामों तक देशी मदिरा के परिवहन के लिए परमिट शुल्क में वृद्धि के अभाव में, परमिट शुल्क ₹ 1 प्रति बीएल के बजाय ₹ 50 प्रति परमिट की दर से लगाया गया। इसलिए, नीति प्रावधानों के अनुरूप परमिट शुल्क की दर में वृद्धि को अधिसूचित करने में सरकार की विफलता के कारण ₹ 16.07 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2021) कि नीति का आशय केवल खुदरा अनुज्ञाधारियों की श्रेणी के लिये परमिट शुल्क में वृद्धि करना था, जिससे राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीति में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया था कि देशी मदिरा पर परमिट शुल्क में वृद्धि किसी विशेष श्रेणी के अनुज्ञाधारियों पर लागू थी। तथापि, नीति के विपरीत, उक्त अधिसूचना ने परमिट शुल्क में वृद्धि के दायरे को केवल डिपो से खुदरा बिक्री स्थल तक देशी मदिरा के परिवहन तक सीमित कर दिया। इसलिये, सरकार नीति प्रावधान के अनुरूप नियमों में संशोधन करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

9 नीति के पैरा 4.9.3 के तहत।

10 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बहरोड़ (उत्पादन इकाइयों), जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर और सीकर।

भाग - ख

व्यय क्षेत्र

अध्याय VI

सामान्य

अध्याय-VI: सामान्य

6.1 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत, 66 विभाग, 234 स्वायत्तशासी निकाय एवं 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है। विभागों की सूची परिशिष्ट 6.1 में दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति तालिका 6.1 में दी गई है।

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व व्यय					
सामान्य सेवाएँ	39,203	43,450	54,364	56,186	60,144
सामाजिक सेवाएँ	49,371	53,064	65,687	68,313	74,009
आर्थिक सेवाएँ	38,565	49,327	46,722	51,986	44,156
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	-##	-*	-**	-***	-****
योग	1,27,139	1,45,841	1,66,773	1,76,485	1,78,309
पूँजीगत एवं अन्य व्यय					
पूँजीगत परिव्यय	16,980	20,623	19,638	14,718	15,271
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	12,965	1,334	1,113	2,255	491
लोक ऋण की अदायगी	5,015	11,674	16,915	20,033	41,023
आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,48,885	1,47,088	1,60,570	1,79,741	1,99,229
योग	1,83,845	1,80,719	1,98,236	2,16,747	2,56,014
कुल योग	3,10,984	3,26,560	3,65,009	3,93,232	4,34,323

स्रोत : राज्य वित्त पर सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

₹ 6 लाख मात्र, * ₹ 11 लाख मात्र, ** ₹ 9 लाख मात्र, *** ₹ 7 लाख मात्र, **** ₹ 7 लाख मात्र

6.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखापरीक्षा का प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15 एवं 17 के अंतर्गत प्राप्त है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत तथा कार्यपद्धति सीएजी द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियम, 2007, 2020 में यथा संशोधित तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं।

6.3 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत, सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा का संचालन करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर के लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की चयनित इकाइयों की वित्तीय एवं अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। जोखिम का मूल्यांकन व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिन्ताओं पर आधारित होता है। इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए, इकाई/विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। इकाइयों/विभागों से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर, जवाब प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 699 इकाइयों (24,258 में से) की लेखापरीक्षा लिए 16,537 मानव दिवस (वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु) उपयोजित किए गए। लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाइयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि जोखिम मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति सुरक्षित नहीं थी।

6.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर

6.4.1 प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रत्युत्तर देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुए, जिन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाए। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया।

अध्याय VII में सम्मिलित 14 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में से तीन पर सम्बंधित विभागों ने प्रत्युत्तर नहीं भेजा था। सम्बंधित विभागों की प्राप्त हो चुकी प्रतिक्रिया प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित कर ली गई है।

6.4.2 परिशिष्ट 6 के साथ पठनीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 327(1), विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि, जो कि महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात एक से तीन वर्ष के मध्य है, का प्रावधान करता है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों का निपटारा नहीं हो सका। सितम्बर 2021 को वर्ष 2003-04 से 2020-21 की अवधि के दौरान जारी 7,864 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 33,715 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। वर्षवार बकायों की संख्या तालिका 6.2 में दर्शायी गई है।

तालिका 6.2

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या
2013-14 तक	3,516	9,889
2014-15	742	2,262
2015-16	749	3,026
2016-17	649	3,044
2017-18	390	2,382
2018-19	625	4,002
2019-20	797	6,109
2020-21	396	3,001
योग	7,864	33,715

राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किए थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाना था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए अनुच्छेदों पर प्रत्युत्तर के लम्बित रहने का अध्ययन करने के लिए तीन विभागों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। विधि एवं विधिक कार्य विभाग (236 निरीक्षण प्रतिवेदन), पशुपालन विभाग (83 निरीक्षण प्रतिवेदन) तथा उच्च शिक्षा विभाग (415 निरीक्षण प्रतिवेदन) की विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि 30 सितम्बर 2021 को 734 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 3,003 अनुच्छेद (उप अनुच्छेद सहित) बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितताओं का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 6.2 में दिया गया है। आगे, यह भी देखा गया कि विधि एवं विधिक कार्य विभाग, पशुपालन विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के 210 निरीक्षण

प्रतिवेदनों¹ के सम्बन्ध में प्रथम अनुपालना, जो कि निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जानी चाहिए, 50 माह की औसत देरी के साथ (1 माह से 204 माह तक) प्राप्त हुई।

सरकार को मामले को देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) समयानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन अनुच्छेदों का जवाब न भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें (ब) समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली के लिए कार्यवाही करें और (स) लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित व उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार करें।

6.5 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत क्षेत्र

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया था।

वर्तमान प्रतिवेदन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उन कमियों को इंगित करता है जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय VII में प्रतिवेदित किये गये हैं।

6.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निर्णय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ (एक्शन टेकन नोट्स), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जनलेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के व्यय क्षेत्र (पूर्ववर्ती सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 75 अनुच्छेद (आठ निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 30 मार्च 2017 तथा 14 सितम्बर 2021 के मध्य प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से, इनमें से 16 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ निर्धारित समय पर प्राप्त हो गईं एवं 51 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ औसतन तीन से चार माह के विलम्ब से प्राप्त हुईं। 8 अनुच्छेदों (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20) पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ लम्बित थीं (जनवरी 2022)।

जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 39 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और इन 39 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को मार्च 2021 तक 29 जनलेखा समिति प्रतिवेदनों (19 विभागों से संबंधित) में सम्मिलित किया गया।

1 कुल 210 निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिनमें प्रथम अनुपालना देरी से प्राप्त हुई-विधि एवं विधिक कार्य विभाग: 92 नि.प्र. (10 से 204 माह), पशुपालन विभाग: 82 नि.प्र. (01 से 65 माह) एवं उच्च शिक्षा विभाग: 36 नि.प्र. (04 से 151 माह)।

अध्याय VII

व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-VII: व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा नियमितता, औचित्यता एवं मितव्ययता के मानकों के अनुपालन में विफलता के मामले उजागर हुए, जिनको अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

कृषि विभाग

7.1 प्रमाणित बीजों को अनाज के रूप में बेचने से हानि

बीजों को आगामी सीजन में वितरण के लिए भंडारित करने और पुनः प्रमाणित कराने के बजाय उनको अनाज के रूप में बेचने/नीलामी करने के अविवेकपूर्ण निर्णय एवं उचित आयोजना के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 10.15 करोड़ की हानि।

विक्रयार्थ बीजों की गुणवत्ता और तत्संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए बीज अधिनियम, 1966 को प्रस्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि किसी भी किस्म के बीज केवल तभी बेचे जा सकते हैं जब तक वे उक्त अधिनियम की धारा 6 (क)¹ में विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम मानकों की सीमा के अनुरूप हो। “भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानकों” के अनुसार, बीज के एक लॉट के प्रमाणीकरण की वैधता अवधि प्रारंभिक प्रमाणीकरण हेतु परीक्षण की तारीख से नौ महीने होती है, जिसे तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि यह निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (निगम) की स्थापना (मार्च 1978) प्रमाणित बीजों के उत्पादन, उनके विपणन और उन्हें किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2017) किसानों को रियायती दरों पर अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि पर बुआई के लिए प्रमाणित बीज वितरित किया जा सकता था।

निगम बीज के एक लॉट को विक्रय मूल्य पर, जो कि स्वरीद मूल्य में उपरिव्यय, प्रशासनिक शुल्क और लाभ मार्जिन (5 प्रतिशत) को जोड़कर निर्धारित किया जाता है तथा सब्सिडी घटाकर, किसानों को वितरित करता है। किसानों को रियायती दरों पर बीज मिलते हैं, जबकि निगम को सरकार से सब्सिडी मिलती है। इस प्रकार, निगम को बीजों के विक्रय मूल्य के अनुसार बिक्री आय की प्राप्ति होती है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2019) में प्रकट हुआ कि रबी 2017 सीजन में बुवाई के लिए, निगम के पास गेहूं, सरसों, चना और जौ की विभिन्न किस्मों के 5.32 लाख

1 यह किसी भी अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीज के संबंध में अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा विनिर्दिष्ट करता है।

क्विंटल² बीज उपलब्ध थे, जिनमें से 4.01 लाख क्विंटल³ बीज किसानों को वितरित किए गए (अक्टूबर-नवंबर 2017)। हालांकि, मानसून की विफलता और बाजार में कम उठाव के कारण दिसंबर 2017 तक 1.31 लाख क्विंटल⁴ बीज अवितरित रहे। निगम के निदेशक मंडल ने रबी 2018 के लिए 7.99 लाख क्विंटल⁵ प्रमाणित बीजों की संभावित उपलब्धता और उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) बैगों, जिनमें धूमीकरण (फ्युमिगेशन) मुश्किल था, में संग्रहित अवितरित बीजों को नुकसान की संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऑफ-सीजन दरों पर डीलरों के माध्यम से और ई-निविदाओं/ई-नीलामी के माध्यम से बीजों के निस्तारण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी (दिसंबर 2017) ताकि स्वरीद के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी का प्रबंध किया जा सके।

निगम ने बीजों (9,466.6 क्विंटल) को (जनवरी 2018 तक) ऑफ-सीजन दरों पर डीलरों और ई-निविदाओं/ई-नीलामी (मार्च से सितंबर 2018 तक) के माध्यम से प्रचलित बाजार दरों पर अनाज (83,995.26 क्विंटल) के रूप में बेच दिया। लेखापरीक्षा का मत है कि निगम को अवितरित शेष बीजों के पुनः प्रमाणीकरण का विकल्प चुनना चाहिए था क्योंकि किसानों को वितरित किए गए बीज के लॉट से कीमत की अधिक प्राप्ति होती है, जबकि अनाज के रूप में निस्तारित बीज के लॉट से बाजार में प्रचलित दर की प्राप्ति होती है, जो कि तुलनात्मक रूप से बीज के रूप में बेचने की दर से कम होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीजों का अनाज के रूप में निस्तारण करने के कारण, निगम को बिक्री की आय बीजों की स्वरीद की लागत⁶ की तुलना में कम प्राप्त हुई और उसे ₹ 10.15 करोड़ (विवरण परिशिष्ट 7.1) का नुकसान उठाना पड़ा। यह निगम द्वारा वर्ष 2014-17 के दौरान बीजों के अवितरित भण्डार का पुनः प्रमाणीकरण कराने की अपनाई गई पिछली प्रथा के भी विपरीत था।

इस प्रकार, “भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानकों” में यथा अनुमित अवितरित बीजों का पुनः प्रमाणीकरण कराने तथा अगले सीजन में वितरण हेतु संग्रहित करने के बजाय शेष बीजों का उसी वर्ष में निस्तारण करने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था। इसके अलावा, बचे हुए बीजों को संक्रमण से बचाने हेतु धूमीकरण (फ्युमिगेशन) की सुविधा के लिए नॉन-एचडीपीई बैगों में पैक किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, पुनः प्रमाणीकरण किए जाने योग्य बीजों की मात्रा को समायोजित करते हुए बीजों की स्वरीद की मात्रा को कम करके भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रबंधित किया जा सकता था।

2 गेहूं: 3,71,294 क्विंटल; सरसों: 13,610 क्विंटल; चना: 1,21,679 क्विंटल और जौ: 25,001 क्विंटल।

3 गेहूं: 2,52,554 क्विंटल; सरसों: 7,939 क्विंटल; चना: 1,15,914 क्विंटल और जौ: 24,389 क्विंटल।

4 गेहूं: 1,18,740 क्विंटल; सरसों: 5,671 क्विंटल; चना: 5,765 क्विंटल और जौ: 612 क्विंटल।

5 उत्पादन पूर्वानुमान के आधार पर गेहूं: 5,93,650 क्विंटल; सरसों: 17,635 क्विंटल; चना: 1,01,624 क्विंटल और जौ: 86,913 क्विंटल।

6 स्वरीद की लागत में स्वरीद मूल्य, उपरिव्यय और अन्य प्रशासनिक लागत शामिल हैं।

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2021) कि आम तौर पर अवितरित बीजों को निगम द्वारा आगे ले जाया जाता है, तथापि विक्रय/नीलामी की कार्यवाही उचित कारणों के आधार पर प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के बाद की गई थी। यह भी बताया गया कि नुकसान की गणना केवल स्वरीद मूल्य और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के उपरिव्यय को शामिल करके की जानी चाहिए। अन्य शुल्क जैसे स्टाफ और कार्यालय के उपरिव्यय, बिक्री प्रोत्साहन, वित्तीय उपरिव्यय और मूल्यहास/डूबत ऋण निश्चित लागत प्रकृति के होने के कारण शामिल नहीं किए जाने चाहिए। इसके अलावा, यदि अवितरित स्टॉक को आगे ले जाया गया होता, तो भंडारण और पुनः प्रमाणीकरण व्यय के पेटे क्रमशः ₹ 0.72 करोड़ और ₹ 0.75 करोड़ का भार वहन किया जाता तथा इसके अलावा निगम को बैंक में बिक्री आय जमा कराने से ब्याज के रूप में ₹ 1.24 करोड़ का लाभ भी प्राप्त हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर स्पष्ट नुकसान हुआ है। एक वाणिज्यिक उद्यम होने के नाते कंपनी से अपनी बैलेंस शीट में एक लाभप्रद मजबूत आधार सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने की अपेक्षा की जाती है। निगम प्रत्येक वर्ष स्वरीदे गए बीजों के विक्रय मूल्य की गणना, स्वरीद मूल्य में उपरिव्यय, प्रशासनिक शुल्क और 5 प्रतिशत लाभ मार्जिन जोड़कर करता है। आगे, यदि भंडारण, पुनः प्रमाणीकरण की लागत और ब्याज के लाभ के पहलू को भी गणना में लिया जाए, तो भी शुद्ध हानि ₹ 7.44 करोड़⁷ की होगी। यहां तक कि कंपनी द्वारा सुझाई गई निश्चित लागतों को ध्यान में रखते हुए भी शुद्ध हानि ₹ 5.49 करोड़ की होती, जिसकी गणना स्वयं निगम ने की थी।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि निगम ने रबी 2017 के लिए बीजों की स्वरीद और वितरण की योजना उचित रूप से नहीं बनाई तथा अगले सीजन में वितरण के लिए बीजों को भंडारित करने और उनको पुनः प्रमाणित कराने के बजाय, अनाज के रूप में बेचने/नीलामी करने के उसके अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 10.15 करोड़ की हानि हुई।

आगे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वरीदे गए बीजों का पूरा स्टॉक उसी वर्ष में वितरित नहीं किया जाता है, निगम को अगले सीजन के लिए एक उपयुक्त स्वरीद आयोजना तैयार करने के लिए जितनी जल्दी संभव हो सके अवितरित बीजों की पूरी मात्रा के पुनः प्रमाणीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रमाणन मानकों के अनुरूप पाए जाने पर, इन पुनः प्रमाणित बीजों को अगले सीजन में बुवाई के लिए वितरित किया जाना चाहिए और असफल होने पर, इन्हें नीलामी के माध्यम से बेचा जाना चाहिए। साथ ही, निगम किसानों को दो हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए प्रमाणित बीज बेचने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकता है, जो आगामी अवधि के लिए बीजों को स्टोर करने और/अथवा उन्हें अनाज के रूप में बेचने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।

7 ₹ 10.15 करोड़ में से भंडारण की लागत (₹ 0.72 करोड़), पुनः प्रमाणीकरण की लागत (₹ 0.75 करोड़) और ब्याज का लाभ (₹ 1.24 करोड़) घटाते हुए।

7.2 निजी फर्म को अदेय लाभ

राजस्थान राज्य भण्डार निगम द्वारा मौजूदा लाभकारी अनुबंध के तहत उपलब्ध भंडारण क्षमता का उपयोग करने के बजाय, स्वप्रेरणा से एकल स्रोत उपापन की प्रक्रिया के माध्यम से एक कम लाभकारी राजस्व बंटवारे वाला अनुबंध निष्पादित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निजी फर्म को ₹ 1.57 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 की धारा 31 (1) (ख) में प्रावधान है कि एक उपापन संस्था एकल स्रोत उपापन की पद्धति द्वारा उपापन की विषयवस्तु का उपापन कर सकती है, अगर अचानक अप्रत्याशित घटना के कारण उपापन की विषयवस्तु की अत्यंत तत्काल आवश्यकता है और उपापन की किसी अन्य प्रणाली में शामिल होना अव्यावहारिक होगा।

राजस्थान राज्य भण्डार निगम (निगम), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (राजस्थान सरकार), सार्वजनिक वितरण प्रणाली/मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्यान्न, दाल, चना आदि के उपापन में लगी विभिन्न सरकारी एजेंसियों⁸ को अपने स्वयं के गोदामों के नेटवर्क के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में भंडारण की सुविधा प्रदान करता है। हितधारकों को भण्डारण की विशिष्ट आधारभूत सेवाएँ और बेहतर भंडारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, 'प्रबंधन और संचालन सेवाएं' निजी फर्मों को आउटसोर्स की जाती हैं। निगम समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार निजी फर्मों के स्वामित्व वाले गोदामों को भी पट्टा आधार पर अधिगृहीत करता है।

निगम के स्वामित्व वाले 38 गोदामों (भंडारण क्षमता: 4.05 लाख मीट्रिक टन) के प्रबंधन और संचालन के लिए, निगम और एक भंडारण फर्म⁹ (प्रदाता-ए) के बीच क्रमशः 68:32 के अनुपात में राजस्व (सकल भंडारण आय) भागीदारी के आधार पर पांच वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया था (मार्च 2010)। निगम ने इस एमओयू के अंतर्गत प्रदाता-ए के स्वामित्व वाले चार गोदामों (भंडारण क्षमता: 82,670 मीट्रिक टन) का भी अधिग्रहण किया। हालांकि इन गोदामों के लिए भंडारण आय को विक्रेता और निगम के बीच क्रमशः 85:15 के अनुपात में साझा किया जाना था। एमओयू को 2012 में समीक्षा के बाद, भागीदारी अनुपात में 70:30 तक वृद्धि करके, एमओयू के निष्पादन की तारीख से 10 वर्ष आगे तक बढ़ा दिया गया।

निगम के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्टूबर 2019) में प्रकट हुआ कि अप्रैल-मई 2018 के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपापन किए जाने वाले गेहूं, चना और सरसों के भंडारण के लिए अतिरिक्त गोदामों की सख्त आवश्यकता थी क्योंकि मौजूदा भंडारण क्षमता (स्वयं की और किराए पर ली गई) समाप्त होने वाली थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि ने भी निर्देशित किया (10 मई 2018) कि किसानों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए सभी

8 भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ (राजफेड) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड।

9 मैसर्स श्री शुभम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हुए भंडारण सुविधा की व्यवस्था की जाए। इसलिए, निगम को विभिन्न स्थानों पर और अधिक निजी गोदामों का अधिग्रहण करने की आवश्यकता पड़ी।

इस बीच, प्रदाता-ए ने अपने मौजूदा एमओयू के अतिरिक्त, 33 स्थानों पर 3,76,621 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के गोदामों को निगम के किराए की प्रचलित मानक दरों पर दिए जाने की पेशकश (30 अप्रैल 2018) की। प्रदाता-ए के गोदामों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को निगम द्वारा किराए की मानक दर (₹ 5.25 प्रति वर्ग फुट प्रति माह) पर अनुमोदित (11 मई 2018) कर दिया गया और अधिगृहीत गोदामों की 'प्रबंधन और संचालन सेवाओं' को भी एमओयू में मौजूदा राजस्व भागीदारी व्यवस्था (निगम: 70 और प्रदाता: 30) पर आउटसोर्स कर दिया गया। इसी तरह, एक अन्य प्रदाता फर्म¹⁰ (प्रदाता-बी) ने स्वप्रेरणा से 16 स्थानों पर 1,16,500 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता किराए पर एवं प्रबंधन और संचालन सेवाओं के लिए राजस्व भागीदारी आधार पर दिए जाने की पेशकश की (3 मई 2018), जिसे किराए की मानक दर (₹ 5.25 प्रति वर्ग फुट प्रति माह) पर अनुमोदित (26 मई 2018) कर दिया गया। लेकिन, इस मामले में राजस्व को 58:42 (निगम: 58 और प्रदाता बी: 42) के अनुपात में साझा किया जाना था। लेखापरीक्षा को एक भिन्न राजस्व भागीदारी अनुपात, जो निगम के लिए कम लाभदायक था, से सहमत होने का कोई विशिष्ट कारण नहीं मिला।

इस प्रकार, एक समान स्थान पर, प्रदाता-बी के गोदाम के बजाय, प्रदाता-ए द्वारा उपलब्ध कराए गए गोदाम में माल का भंडारण फायदेमंद था क्योंकि निगम को भंडारण आय का अधिक हिस्सा (58 प्रतिशत की तुलना में 70 प्रतिशत) प्राप्त होना था जबकि दोनों प्रदाताओं के मामले में गोदामों का किराया समान था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दस स्थानों पर प्रदाता-ए के व्यावसायिक रूप से लाभकारी गोदामों के बजाय निगम ने प्रदाता-बी द्वारा उपलब्ध कराए गए गोदामों में माल के भंडारण को प्राथमिकता दी और प्रदाता-ए की 88,823.40 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता अप्रयुक्त रही। इस प्रकार, अधिक लाभकारी गोदामों/भंडारण क्षमता को अप्रयुक्त छोड़ने से, निगम को अप्रैल 2020 तक प्रदाता-बी को ₹ 1.57 करोड़¹¹ का ज्यादा हिस्सा देना पड़ा, जैसा कि परिशिष्ट 7.2 में वर्णित है।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.57 करोड़ की भंडारण आय की हानि हुई और प्रदाता-बी को उसी सीमा तक अदेय लाभ प्रदान किया गया।

राजस्थान सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि अप्रत्याशित मांग और आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 31 (1) (स्व) के अंतर्गत प्रदाता-बी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रदाता-ए कई स्थानों पर भंडारण की सुविधा प्रदान करने में विफल रहा था।

10 मैसर्स स्टार एग्री वेयरहाउसिंग एंड कोलेटरल मैनेजमेंट लिमिटेड

11 औसत राजस्व (₹ 1,470.18 प्रति मीट्रिक टन) * भंडारण क्षमता जो प्रदाता -ए से प्राप्त की जा सकती थी (88,823.4 मीट्रिक टन) * साझा अनुपात का अंतर (12 प्रतिशत), जहां औसत राजस्व, कुल भंडारण आय (₹ 29.12 करोड़)/ प्रदाता-बी से कुल प्राप्त भंडारण क्षमता (1,98,068 मीट्रिक टन) है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम अनुबंधित उक्त गोदामों, जो निगम के लिए अधिक फायदेमंद थे, के उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए स्वतंत्र था लेकिन वह प्रदाताओं के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता का इष्टतम उपयोग नहीं कर सका। प्रदाता-ए द्वारा किसी विशिष्ट स्थान पर भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने से इनकार करने और इसकी कथित चूक के मामले में, प्रदाता-ए के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज, न तो लेखापरीक्षा के दौरान नजर में आया और न ही राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार, मौजूदा एमओयू के अंतर्गत भंडारण सुविधा प्रदान करने में प्रदाता-ए की विफलता का तथ्य अभिलेखों से सत्यापित नहीं हो सका।

इसके अतिरिक्त, निगम मार्च 2018 में ही रबी 2018 के लिए भंडारण की आगामी मांग से पूरी तरह अवगत था; लेकिन निविदा प्रक्रिया शुरू करने के बजाय इसने एकल स्रोत उपापन को चुना एवं एक स्वप्रेरित प्रस्ताव को मई 2018 में अंतिम रूप दे दिया गया। निगम, भंडारण क्षमता की उपलब्धता के लिए निविदा प्रक्रिया को मार्च से मई 2018 की अवधि के दौरान (अर्थात् दो माह से अधिक) आसानी से पूरा कर सकता था जैसा कि अगले सीजन (स्वरीफ 2018) की निविदाओं से स्पष्ट हुआ, जिन्हें सात दिनों के भीतर 74:26 के राजस्व भागीदारी अनुपात पर अंतिम रूप दे दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम में निजी गोदामों का अधिग्रहण और गोदामों के प्रबंधन और संचालन सेवाओं की आउटसोर्सिंग एक नियमित प्रक्रिया है। अतः लेखापरीक्षा का मत है कि आपात स्थिति में परेशानी से बचने के लिए राजस्व भागीदारी फार्मूले को भी किराए की तर्ज पर प्रतिस्पर्धी बोली या उपापन के अन्य उचित तरीके, जैसा कि आरटीपीपी नियम, 2013 में निर्धारित है, से पारदर्शी तरीके से मानकीकृत किया जाना चाहिए।

सहकारिता विभाग

7.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कृषि उपज की खरीद में कमी

विभाग की 'न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना' के तहत तिलहन एवं दलहन की लक्षित मात्रा की खरीद करने में विफलता से किसान अपनी उपज का प्रत्याभूत मूल्य प्राप्त करने से वंचित रहे।

मूल्य नीति का एक प्रभावी साधन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) है और जब भी बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे आते हैं, तो यह एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार बुवाई के मौसम से पहले 25 जिनसों¹² के लिए एमएसपी की घोषणा करता है। एमएसपी की घोषणा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि किसान अपनी

12 चौदह स्वरीफ फसलें (धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड); सात रबी फसलें (गेहूं, जौ, चना, मसूर {लेंटिल}, राई/सरसों, कुसुम, तोरिया); चार अन्य फसलें (खोपरा, बिना भूसी वाला नारियल, जूट, गन्ना)

उपज को प्रत्याभूत मूल्यों पर बेचने में समर्थ हो और आपूर्ति में परिवर्तन के कारण मूल्यों में होने वाले अनपेक्षित उतार-चढ़ाव से उन्हें बचाया जा सके। भारत सरकार विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से इन जिन्सों की खरीद का संचालन करती है और जिन्सों की खरीद के लिए लक्ष्य भी निर्धारित करती है। राजस्थान में, एमएसपी के अंतर्गत दलहन और तिलहन की खरीद के लिए नोडल विभाग सहकारिता विभाग है। सीएसीपी रबी और खरीफ फसलों के लिए अपनी मूल्य नीति में उत्पादन की लागत, समग्र मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य फसलों की एमएसपी पर सिफारिशें प्रदान करता है। मूल्य नीति प्रमुख उत्पादक राज्यों में उनके एमएसपी के साथ विभिन्न फसलों के बाजार मूल्यों की उचित तुलना और आंकड़ें भी प्रदान करती है।

सीएसीपी के पांच तिलहन/दलहन के आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2017-20 के दौरान तीन जिन्सों (उड़द, मूंगफली और सोयाबीन) और 2018-20 के दौरान दो जिन्सों (चना और सरसों) के बाजार मूल्य सीजन के अधिकांश दिनों में उनके एमएसपी से कम थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राजस्थान में एपीएमसी¹³ द्वारा दर्ज की गई इन जिन्सों की वार्षिक औसत कीमतें भी 2017-20 के दौरान उनके एमएसपी से कम थीं।

राज्य में दलहन/तिलहन की खरीद के लिए राज्य नोडल एजेंसी (राजस्थान सहकारी विभाग के अंतर्गत) राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (राजफेड) है। राजफेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई-नवंबर 2019/जनवरी 2020) और आगे संगृहीत की गई (अक्टूबर 2021) सूचनाओं से प्रकट हुआ कि 2017-18 से 2019-20 के दौरान, एमएसपी के अंतर्गत पांच तिलहनों/दलहनों के खरीद लक्ष्य 46.58 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की तुलना में, राजफेड केवल 25.75 एलएमटी (55.28 प्रतिशत) की खरीद कर सका। इन जिन्सों की खरीद में अत्यधिक कमी रही जैसा कि नीचे दी गई तालिका 7.1 में दिखाया गया है।

तालिका 7.1

क्रम संख्या	फसल का नाम	वर्ष	राज्य में कुल उत्पादन (एलएमटी में)	खरीद का लक्ष्य (एलएमटी में)	वास्तविक खरीद एलएमटी में (उत्पादन का प्रतिशत)	लक्ष्यों की प्राप्ति (प्रतिशत में)	लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी (प्रतिशत में)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चना	2018-19	18.40	5.88	5.80 (31.52)	98.64	1.36
		2019-20	26.58	4.17	1.20 (4.51)	28.78	71.22
2	उड़द	2017-18	5.24	1.32	1.31 (25.00)	99.24	0.76
		2018-19	3.76	0.88	0.77 (20.48)	87.50	12.50
		2019-20	1.24	0.74	0.00027 (0.02)	0.04	99.96
3	मूंगफली	2017-18	12.59	1.50	1.46 (11.60)	97.33	2.67
		2018-19	13.83	3.79	2.32 (16.78)	61.21	38.79
		2019-20	16.12	3.07	1.93 (11.97)	62.87	37.13

13 एपीएमसी राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अंतर्गत कुछ अधिसूचित कृषि या बागवानी या पशुधन उत्पादों के व्यापार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक बाजार समिति है।

क्रम संख्या	फसल का नाम	वर्ष	राज्य में कुल उत्पादन (एलएमटी में)	खरीद का लक्ष्य (एलएमटी में)	वास्तविक खरीद एलएमटी में (उत्पादन का प्रतिशत)	लक्ष्यों की प्राप्ति (प्रतिशत में)	लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी (प्रतिशत में)
4	सोयाबीन	2017-18	10.70	1.50	0.12 (1.12)	8.00	92.00
		2018-19	11.69	3.69	0.03 (0.26)	0.81	99.19
		2019-20	5.25	3.54	0 (0)	0	100.00
5	सरसों	2018-19	47.79	8.00	4.72 (9.88)	59.00	41.00
		2019-20	42.89	8.50	6.09 (14.20)	71.65	28.35
कुल			216.08	46.58	25.75 (11.92)	55.28	

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि राज्य में इन तिलहनों/दलहनों के कुल उत्पादन की तुलना में, खरीद शून्य और 31.52 प्रतिशत (औसतन 11.92 प्रतिशत) के बीच थी। इस प्रकार, इन जिन्सों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और बाजार मूल्य एमएसपी से कम होने के बावजूद, राजफेड इन पांच तिलहनों/दलहनों की लक्षित मात्रा नहीं खरीद सका।


उत्पादन की तुलना में एमएसपी के अंतर्गत कम खरीद, एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करती है जहां जिंसों को थोक मात्रा में खुले बाजार में बेचा जाता है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में गिरावट आती है। इसके विपरीत, जब एजेंसी पर्याप्त मात्रा में खरीद करती है, तो बाजार में जिंसों का मूल्य भी बढ़ जाता है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यदि किसान एमएसपी पर बेचने में सफल हुए होते तो उनको अपनी उपज के लिए एपीएमसी के औसत मूल्यों (परिशिष्ट 7.3) की तुलना में बेहतर मूल्यों की प्राप्ति हुई होती।

खरीद लक्ष्यों में कमी के कारणों का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 560 किसानों का कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण किया (जुलाई-नवंबर 2019)। सर्वेक्षण में प्रकट हुआ कि केवल 219 किसान (39 प्रतिशत) अपनी उपज को एमएसपी पर बेच सके (चार्ट-1)। सर्वेक्षण के दौरान, किसानों ने 160 मामलों (28.57 प्रतिशत) में खरीद केंद्रों की दूरी पर मौजूदगी (30 किमी से अधिक), 118 मामलों (21.07 प्रतिशत) में पंजीकरण और खरीद के बीच लंबा समय अंतराल (30 दिनों से अधिक) और 171 मामलों (30.54 प्रतिशत) में निर्धारित तीन दिनों की अवधि की तुलना में 30 दिनों से अधिक के विलम्ब से भुगतान को लक्ष्य से कम खरीद के लिए उत्तरदायी ठहराया। अधिकांश किसानों को बुवाई से पहले एमएसपी मूल्यों (558 मामलों में) और उचित औसत गुणवत्ता¹⁴ (एफएक्यू) मानदंडों (560 मामलों में) के बारे में भी जानकारी नहीं थी। राजफेड ने बताया (जुलाई 2021) कि गलत बैंक खाता संख्या के कारण ऑनलाइन भुगतान विफल होने की स्थिति में, सही संख्या प्राप्त करने में बहुत समय लगता है।

14 एफएक्यू मानदंड प्रत्येक फसल के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा तय/अनुमोदित किए जाएंगे। कृषि उपज खरीद केंद्र पर लाई गई कृषि उपज को कई बार स्वारिज कर दिया जाता है क्योंकि यह एफएक्यू मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

यह स्थिति विभाग के स्तर पर सुगम स्वरीद केंद्रों की स्थापना, उपज की समय पर स्वरीद/भुगतान एवं एमएसपी और एफएक्यू की पूर्व सूचना देने में गंभीर प्रयासों की कमी को दर्शाता है।



राजस्थान सरकार ने राजफेड द्वारा प्रस्तुत उत्तर को ही पृष्ठांकित कर प्रेषित कर दिया (नवंबर 2021) जिसमें यह बताया गया था कि किसानों से अवमानक उपज को स्वरीद करने के प्रावधानों का न होना, एमएसपी और बाजार मूल्यों के बीच नगण्य अंतर (विशेष रूप से सोयाबीन में) होने पर किसानों द्वारा अपनी उपज को स्थानीय व्यापारियों को बेचने को प्राथमिकता देना और एमएसपी के अंतर्गत उपज बेचने के लिए प्रमाणित दस्तावेजों की आवश्यकता, लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के मुख्य कारण थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीजन के अधिकांश दिनों में बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे थे, यहां तक कि सोयाबीन के मामले में भी। आगे, प्रमाणित दस्तावेजों की आवश्यकता और बैंक खाते की शुद्धता को एमएसपी के अंतर्गत स्वरीद में वास्तविक बाधा नहीं माना जा सकता है। इन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पालना विभाग द्वारा किसानों को उचित शिक्षा और सहायता प्रदान कर आसानी से की जा सकती है।

इस प्रकार, किसानों को प्रदान की गई अपर्याप्त सहायता और जागरूकता एवं विभाग के स्तर पर उचित रणनीति के अभाव के कारण किसानों को तिलहन/दलहनों (चना, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और सरसों) के बाजार मूल्य एमएसपी से कम होने के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान नहीं किया जा सका, जैसा कि नीति में परिकल्पित किया गया।

इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि –

राज्य सरकार द्वारा किसानों के निकट पर्याप्त संख्या में सुगम स्वरीद केंद्रों की स्थापना और एमएसपी के अंतर्गत स्वरीद पर समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य सरकार को एमएसपी एवं एफएक्यू के मानकों का भी व्यापक प्रचार करना चाहिए जिससे सभी किसान एम.एस.पी. के इष्टतम लाभों को प्राप्त कर सकें।

मत्स्य विभाग

7.4 अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर चूकना

विभाग के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन करते हुए उच्चतम बोलीदाता के विफल रहने के बाद बचे एकमात्र बोलीदाता को निर्धारित नियमानुसार अवसर प्रदान न करने के निर्णय के कारण अतिरिक्त ₹ 3.97 करोड़ अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

राजस्थान मत्स्य नियमावली, 1958 में राज्य के विनिर्दिष्ट जल सीमा क्षेत्रों से मछली पकड़ने के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त नियमावली का नियम 5(1)(डी) उपबंधित करता है कि सभी श्रेणियों के विनिर्दिष्ट जल क्षेत्रों को मछली पकड़ने के लिए इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके/खुली नीलामी द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है। पट्टेदार को प्रत्येक वर्ष पट्टा राशि, पिछले वर्ष की पट्टा राशि में 12 प्रतिशत की संचयी वृद्धि सहित, का भुगतान करना होगा। उक्त नियमों के नियम 6(1) के अनुसार जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की जाती है, उसे प्रस्तावित राशि का एक चौथाई अपनी बोली की स्वीकृति के समय तथा शेष राशि का भुगतान उसकी निविदा/बोली की स्वीकृति की दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर करना आवश्यक है जिसमें विफल रहने पर, अमानत राशि सहित सरकार के पास जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और उस बोलीदाता को दो वर्ष की अवधि के लिए नीलामी में भाग लेने/निविदा प्रस्तुत करने से वंचित कर दिया जाएगा।

इन नियमों में उच्चतम बोलीदाता के बोली से पीछे हट जाने और अनुबंध निष्पादित न करने की स्थिति से निपटने के प्रावधानों का अभाव है। हालांकि, राजस्थान सरकार द्वारा जारी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (सावि एवं लेनि) (भाग- III) के तहत वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में राजस्व अनुबंध (आइटम 1 ए) के संबंध में शर्त संख्या 2 (iv) में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि यदि किसी राजस्व प्राप्त अनुबंध के अन्तिमीकरण के समय उच्चतम बोलीदाता पीछे हट जाता है और केवल एक बोलीदाता बचता है, तो उसे अनुबंध दिया जा सकता है बशर्ते कि उसकी बोली आरक्षित राशि से अधिक हो।

निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार ने बांध गुड़ा (जिला-बूंदी) सहित 74 जलाशयों में 2016-17 से पांच साल की अवधि के लिए मत्स्यास्वैत अधिकार आवंटन हेतु 30 मार्च 2016 को बोली खोलने की निर्धारित तिथि के साथ निविदाएं आमंत्रित की (फरवरी 2016)। बांध गुड़ा के लिए आरक्षित राशि ₹ 0.95 करोड़ के समक्ष, ₹ 1.32 करोड़ और ₹ 1.16 करोड़ की दो बोलियाँ प्राप्त हुई थीं। विभाग ने उच्चतम बोली (एच1) को स्वीकार किया और उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृति के बारे में सूचित किया (31 मार्च 2016) लेकिन बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर बोली राशि का एक चौथान जमा कराने में विफल रहा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2020) में प्रकट हुआ कि विभाग ने शेष बचे एकमात्र बोलीदाता, जिसकी बोली आरक्षित राशि से अधिक थी, को ठेका देने के बजाय, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में निहित उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत निविदाएं रद्द (13 अप्रैल 2016) कर दी। विभाग द्वारा उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई अमानत राशि को जब्त कर लिया गया। आगे विभाग ने मई 2016 और जून 2016 में नई निविदाएं आमंत्रित की लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात, विभाग ने आरक्षित राशि को कम करके ₹ 0.70 करोड़ करने के बाद निविदाएं आमंत्रित की (अगस्त 2016)। चूंकि, लाइसेंस अवधि के छह महीने पहले ही बीत चुके थे और अगले वर्ष (2017-18) की लाइसेंस शुल्क की किश्त भी अगले कुछ महीनों के भीतर देय हो रही थी, विभाग को ₹ 0.54 करोड़ की बोली स्वीकार करनी पड़ी (5 अक्टूबर 2016) जो संशोधित आरक्षित राशि से 23 प्रतिशत कम थी। ठेकेदार ने सितंबर 2016 से अप्रैल 2020 के दौरान पांच वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹ 3.41 करोड़¹⁵ जमा कराए।

लेखापरीक्षा का मत है कि यदि विभाग उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली से पीछे हटने के बाद निविदा रद्द करने के बजाय बचे हुए एकमात्र बोलीदाता को उसकी प्रस्ताव राशि (₹ 1.16 करोड़) पर मार्च 2016 में लाइसेंस प्रदान कर देता तो विभाग समान अवधि में ₹ 7.38 करोड़¹⁶ का राजस्व प्राप्त करता। इस प्रकार, विभाग ने ₹ 3.97 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया। इसके अलावा, विभाग उच्चतम बोलीदाता को प्रस्तावित राशि का एक चौथाई जमा कराने में विफल रहने पर आगामी बोली में भाग लेने से वंचित नहीं कर सका क्योंकि इस शर्त को निविदा दस्तावेज में शामिल ही नहीं किया गया था।

विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2020) कि राजस्थान मत्स्य नियम, 1958 के अनुसार मछली पकड़ने का लाइसेंस केवल उच्चतम बोलीदाता को ही जारी किया जा सकता था। विभाग ने आगे बताया कि बोलीदाताओं ने निविदा प्रक्रिया को विफल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से असामान्य रूप से उच्च बोलियों की पेशकश की थी। यह भी बताया कि यदि विभाग दूसरे उच्चतम (एकमात्र शेष) बोलीदाता को अवसर देता, तो वह भी अपेक्षित राशि जमा नहीं करवाता क्योंकि ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया को विफल करने के लिए एक पूल बनाया था ताकि वे अवैध रूप से बांध में मछली पकड़ना जारी रख सकें। इसलिए, दो बोलीदाताओं ने आरक्षित राशि की तुलना में बहुत अधिक कीमतों की पेशकश की थी। सिरौही (2018-19) में इसी तरह की एक निविदा का उदाहरण उद्धृत किया गया जहां एच1 के अलावा एक के बाद एक बोलीदाता को अवसर दिए जाने के बावजूद अन्य बोलीदाताओं ने अपेक्षित राशि जमा नहीं की थी। ऐसी स्थिति में, निविदा को अंतिम रूप देने में समय लगता है और जब तक लाइसेंस नहीं दिया जाता है, अपर्याप्त कर्मचारियों के साथ अवैध मत्स्याखेट को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए बांध गुढ़ा अनुबंध के मामले में निविदाओं को रद्द करना एक सही निर्णय था।

15 2016-17: ₹ 0.54 करोड़; 2017-18: ₹ 0.60 करोड़; 2018-19: ₹ 0.68 करोड़; 2019-20: ₹ 0.74 करोड़ और 2020-21: ₹ 0.85 करोड़।

16 2016-17: ₹ 1.16 करोड़; 2017-18: ₹ 1.30 करोड़; 2018-19: ₹ 1.46 करोड़; 2019-20: ₹ 1.63 करोड़ और 2020-21: ₹ 1.83 करोड़।

राजस्थान सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि मत्स्य विभाग की निविदा प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग का यह तर्क कि बचा हुआ एकमात्र बोलीदाता, बोलीदाताओं के पूल का एक हिस्सा होने के कारण अपेक्षित राशि जमा नहीं करवाता, किसी समुचित साक्ष्य के अभाव में कल्पनामात्र है। सिरोही मामले में भी, विभाग ने एच1 के बाद पांच बोलीदाताओं को अवसर दिया जिन्होंने अनुबंध निष्पादित करने से इनकार कर दिया और विभाग ने उनकी अमानत राशि रोक ली, किन्तु यह बांध गुड़ा के मामले में नहीं किया गया। यह इंगित करता है कि समान परिस्थितियों में, विभाग ने मनमाने ढंग से एक मामले में निविदा रद्द करने का निर्णय लिया जबकि एक अन्य मामले में एच1 के बाद अन्य बोलीदाताओं को अवसर प्रदान किया।

आगे, विभाग का यह तर्क कि अवैध मत्स्याखेट को रोकने और एक वास्तविक बोलीदाता लाने के लिए पुनः निविदा जारी किया जाना आवश्यकता था। उत्तर विभाग के ही इस मत का विरोधाभासी है कि न तो विभाग और न ही चयनित वास्तविक बोलीदाता बांध में अवैध मत्स्याखेट को रोक सकते थे।

इस प्रकार, नियमों के विपरीत बचे हुए एकमात्र बोलीदाता को लाइसेंस की पेशकश न करने और बाद में पुनः निविदा में कम बोली स्वीकार करने से ₹ 3.97 करोड़ की अतिरिक्त राशि अर्जित करने का अवसर चूक गया। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि नीलामी के माध्यम से लाइसेंसों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया में किसी अस्पष्टता से बचने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में निहित निविदा प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान मत्स्य नियम, 1958 में उपयुक्त प्रावधान शामिल किया जाए। सरकार बड़े जलाशयों में अवैध रूप से मत्स्याखेट को रोकने के लिए उपलब्ध कर्मचारियों का तर्कसंगत नियोजन सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार करे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

7.5 केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन की हानि

पीडीएस केरोसिन की अभ्यर्षित की जाने वाली मात्रा का समय पर आकलन नहीं करने और अपात्र लाभार्थियों की छंटनी नहीं करने के परिणामस्वरूप डीबीटीके के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन अर्जित करने में विफलता।

भारत सरकार ने केरोसिन पर सब्सिडी की चोरी को रोकने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सब्सिडी के आउटफ्लो को एक वास्तविक स्तर तक कम करने के उद्देश्य से पीडीएस केरोसिन के लिए में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीके) योजना को अप्रैल 2016 से शुरू किया (जनवरी 2016)। डीबीटीके योजना शुरू होने की तिथि से चार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए ही लागू थी। योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डीबीटीके

के कार्यान्वयन के लिए पहले दो वर्षों के दौरान सब्सिडी बचत के 75 प्रतिशत, तीसरे वर्ष में 50 प्रतिशत और चौथे वर्ष में 25 प्रतिशत के नकद प्रोत्साहन द्वारा प्रोत्साहित किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, यदि राज्य डीबीटी के कारण केरोसिन आवंटन में बचत के अलावा भी, स्वेच्छापूर्वक कटौती करने के लिए सहमत होने की दशा में उन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इसी तरह का एक और प्रोत्साहन भी दिया जाना था। राज्य स्तर पर केरोसिन की स्वपत में आधाररेखा (2015-16 में आवंटन¹⁷ का 90 प्रतिशत) से निवल बचत के आधार पर इसकी गणना की जाएगी। भारत सरकार द्वारा राज्यों को पीडीएस केरोसिन का त्रैमासिक कोटा, उस तिमाही की शुरुआत से पहले ही आवंटित किया गया था। नकद प्रोत्साहन के लिए राज्यों द्वारा अभ्यर्पित की जाने वाली केरोसिन की मात्रा के बारे में भारत सरकार को तिमाही की समाप्ति से पूर्व ही सूचित किया जाना आवश्यक था।

आयुक्त, स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान के अभिलेखों की नमूना-जांच (अगस्त 2020) में प्रकट हुआ कि विभाग ने फरवरी 2018 तक पीडीएस केरोसिन की किसी भी मात्रा का अभ्यर्पण नहीं किया था। इसके बजाय उसने एलपीजी में स्थानांतरित होने वाले उपभोक्ताओं के आंकड़ें प्राप्त करने के लिए तेल विपणन कंपनियों से संपर्क किया, ताकि पीडीएस केरोसिन के लिए पात्र उपभोक्ताओं की सही संख्या का पता लगाया जा सके। तेल विपणन कंपनियों ने जनवरी 2017 तक, कुल 1.10 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 60.40 लाख उपभोक्ताओं का विवरण उपलब्ध कराया। सरकार द्वारा पीओएस के माध्यम से पीडीएस केरोसिन के वितरण के बाद शेष रही मात्रा का अभ्यर्पण करने के निर्देश दिए जाने (अक्टूबर 2017) के बाद ही, विभाग ने जुलाई 2016 से सितंबर 2017 तक की अवधि की पांच तिमाहियों के लिए 1,69,696 किलोलीटर (केएल) की मात्रा का अभ्यर्पण किया (फरवरी 2018) और भारत सरकार से ₹ 86.02 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। विभाग ने आगे मई 2018, जुलाई 2018, जनवरी-फरवरी 2019 और अप्रैल 2019 में कुल 1,68,576 केएल¹⁸ की मात्रा अभ्यर्पित की। विभाग ने अभ्यर्पित मात्रा के लिए अनुमत्य नकद प्रोत्साहन प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया कि 12 तिमाहियों (जुलाई 2016 से जून 2019) में से, भारत सरकार ने केवल तीन तिमाहियों अर्थात् 2018-19 की दूसरी (34,992 केएल) और चौथी (17,000 केएल) तिमाही और 2019-20 की पहली तिमाही (3,000 केएल) के लिए स्वेच्छक कटौती को स्वीकार किया और तदनुसार ₹ 77.52 करोड़¹⁹ का नकद प्रोत्साहन

17 राजस्थान के लिए 2015-16 के दौरान, पीडीएस केरोसिन का वार्षिक कोटा 4,95,180 किलो लीटर था।

18 मई 2018: 73,292 केएल (2017-18 की अंतिम दो तिमाहियाँ), जुलाई 2018: 75,284 केएल (2018-19 की पहली दो तिमाहियों), फरवरी 2019: 17,000 केएल (2018-19 की अंतिम तिमाही) और अप्रैल 2019: 3,000 केएल (2019-20 की पहली तिमाही)।

19 दिसंबर 2018 में ₹ 34.77 करोड़ प्रदान किए गए (2018-19 की दूसरी तिमाही में 34,992 केएल अभ्यर्पण के लिए), मई 2019 में ₹ 4.88 करोड़ प्रदान किए गए (2018-19 की चौथी तिमाही में 10,000 केएल अभ्यर्पण के लिए) और मार्च 2021 में ₹ 37.88 करोड़ प्रदान किए गए (2018-19 की चौथी तिमाही में 7,000 केएल और 2019-20 की पहली तिमाही में 3,000 केएल अभ्यर्पण के लिए)।

प्रदान किया। विभाग द्वारा देर से प्रस्तुत आठ तिमाहियों (जुलाई 2016 से जून 2018) के लिए ₹ 222.81 करोड़ (परिशिष्ट 7.4) के दावों को **स्वैच्छिक कटौती के बजाय व्यपगत नियतांश** (लैप्स कोटा) मान लेने के कारण स्वीकार नहीं किया गया।

राजस्थान सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी में स्थानांतरित होने वाले उपभोक्ताओं के आंकड़ें साझा नहीं किए। जिसके अभाव में डीबीटीके के लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए, स्वेच्छा से अभ्यर्पित की जाने वाली केरोसिन की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका। यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक अभ्यर्पण की वजह से केरोसिन की कमी के कारण राज्य में उपभोक्ताओं के बीच व्याप्त असंतोष के कारण स्वैच्छिक अभ्यर्पण नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने प्रासंगिक तिमाहियों में उठाव/उपभोग की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए अपने स्वयं के आंकड़ों जो अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से पीडीएस लाभार्थियों को केरोसिन का वितरण करते समय भामाशाह²⁰ प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किए जा रहे थे, का उपयोग नहीं किया था। विभाग ने तेल विपणन कंपनियों से ये आंकड़ें प्राप्त करने के लिए नौ तिमाहियों तक प्रतीक्षा की। इसके अलावा, विभाग ने 2018-19 की दूसरी तिमाही से केरोसिन का स्वैच्छिक अभ्यर्पण विशुद्ध रूप से अनुमान के आधार पर ही शुरू किया क्योंकि तेल विपणन कंपनियों द्वारा एलपीजी में स्थानांतरित होने वाले उपभोक्ताओं के पूर्ण आंकड़ें आज तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

केरोसिन की कमी के कारण उपभोक्ताओं में असंतोष को भी; केरोसिन को अभ्यर्पित न करने के वास्तविक कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि योजना का कार्यान्वयन करते समय पात्रता के अनुसार विभाग द्वारा केवल पात्र/वास्तविक लाभार्थियों (अपात्र लाभार्थियों को छोड़कर) को उनकी ही केरोसिन की पूर्ण मात्रा का वितरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा अपने स्वयं के लाभार्थी डेटाबेस के माध्यम से उठाव/उपभोग की जाने वाली मात्रा का आंकलन करके केरोसिन का समय पर अभ्यर्पण करने और अपात्र लाभार्थियों की छंटनी करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 222.81 करोड़ के नकद प्रोत्साहन की हानि हुई।

7.6 अतिरिक्त चीनी की अविवेकपूर्ण खरीद

पात्र लाभार्थियों को अनुदानित चीनी के वितरण में देरी/गैर वितरण और आवश्यकता से अधिक चीनी की खरीद के परिणामस्वरूप भारी स्टॉक इकट्ठा हो जाना और अंततः ₹ 2.73 करोड़ मूल्य की रियायती चीनी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाना।

20 सरकारी योजनाओं के वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभों को सीधे महिला प्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से स्थानांतरित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाह योजना शुरू (अगस्त 2014) की गई थी। वर्ष 2016-17 में भामाशाह योजनान्तर्गत पॉइंट ऑफ़ सेल मशीनों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा था।

चीनी एक समय के साथ स्वराब होने वाली वस्तु है और लंबे समय तक संगृहीत करने पर क्षतिग्रस्त/मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। राजस्थान सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (साविप्र) के तहत लाभार्थी परिवारों को अनुदानित दरों पर चीनी उपलब्ध कराती है। राजस्थान राज्य में मिलों से लेवी चीनी के उठाव अथवा खुले बाजार से स्वरीद और साविप्र के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के साथ-साथ अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों²¹ को वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति करने के लिए राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (निगम) नोडल एजेंसी है। भारत सरकार द्वारा जून 2013 से, ₹ 18.50 प्रति किलोग्राम की दर से वितरित वास्तविक मात्रा के लिए सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति की जा रही थी। भारत सरकार ने जून 2017 से, अनुदानित चीनी की आपूर्ति प्रति परिवार प्रति माह एक किलोग्राम केवल अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को सीमित कर दी (मई 2017)। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत चिह्नित 9.321 लाख अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों (अधिकतम सीमा) को वितरण के लिए राज्य का कोटा²² 932.10 मीट्रिक टन (एमटी) चीनी प्रति माह संशोधित (जून 2017) कर दिया।

निगम के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (जून 2020) कि निगम ने अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि में (9.321 लाख अंत्योदय अन्न योजना परिवार) वितरण के लिए 11,185.20 एमटी चीनी (2015-16, 2016-17 और 2017-18 के उत्पादन सत्रों में से) के दर अनुबंध हेतु ई-निविदा (15.09.2017) के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की। निगम के पास वर्ष 2017-18 की शुरुआत में अपने जिला भण्डारों (डिपो) में 7,340.00 एमटी अवितरित चीनी शेष थी। निगम ने 11,185.20 एमटी चीनी की आपूर्ति के लिए चार आदेश जारी कर दिए (नवंबर और दिसंबर 2017), जिनके विरुद्ध वास्तव में 10,816.31 एमटी चीनी की आपूर्ति की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उस समय राज्य में केवल 6,75,935 अंत्योदय अन्न योजना परिवार (विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत) थे। संशोधित नीति के अनुसार वितरण के लिए केवल 8,111.22 एमटी²³ चीनी की आवश्यकता थी। इसलिए, निगम को वर्ष 2017-18 के लिए केवल 771.22 एमटी²⁴ की स्वरीद की आवश्यकता थी। दूसरी ओर, वितरण में देरी के कारण, 2017-18 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों को लक्ष्य (8,111.2 एमटी) के विरुद्ध केवल 2,978.79 एमटी (36.72 प्रतिशत) चीनी वितरित की जा सकी। निगम ने इस पुराने स्टॉक से 2018-19 (4,222.60 एमटी), 2019-20 (3,614.20 एमटी) और 2020-21

21 राष्ट्रीय स्वाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और इसके प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान की गई।

22 इससे पहले, राज्य के लिए चीनी का वार्षिक कोटा 93,196 एमटी (7,342 एमटी प्रति माह में त्योहारों के लिए 5,092 एमटी जोड़ते हुए) था।

23 6,75,935 परिवार × एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह × 12 माह।

24 कुल आवश्यकता (8,111.22 एमटी) में से उपलब्ध स्टॉक (7,340.00 एमटी) घटाते हुए।

(5,808.504 एमटी) में लाभार्थियों को चीनी का वितरण जारी रखा और अभी भी मार्च 2021 के अंत तक 1,532.216 एमटी²⁵ अनुदानित चीनी स्टॉक में अवितरित रही।

इससे आगे, निगम को 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के उत्पादन सत्रों से संबंधित चीनी के भारी स्टॉक को दो से तीन वर्षों से अधिक समय तक भंडारण करना/संभालना पड़ा और अंततः ₹ 2.73 करोड़²⁶ मूल्य की 675.626 एमटी चीनी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गई (मार्च 2021)।

अवगत कराए जाने पर (दिसंबर 2020), तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जून 2021) विभाग ने पहले की तुलना में चीनी की अपेक्षाकृत अधिक निर्गम दर, केवल एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह चीनी के वितरण की निम्न सीमा एवं उचित मूल्य के दुकानदारों एवं पात्र परिवारों में रुचि का अभाव आदि कारणों को चीनी के कम वितरण के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा, पुराने स्टॉक से वितरण हेतु विभाग द्वारा जिला स्तर तक आवंटन कर दिया था, लेकिन जिला रसद अधिकारियों द्वारा उप आवंटन आदेश जारी नहीं किए जा सके, जिसके कारण अवितरित चीनी का स्टॉक बढ़ गया। इसके अलावा, खराब/पीली/जमी हुई एवं अवधि पार चीनी के निस्तारण के लिए एक समिति गठित की गई है।

इस प्रकार, आवश्यकता से अधिक चीनी खरीदने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 2.73 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता के बावजूद अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 के दौरान पात्र लाभार्थियों को अनुदानित चीनी का वितरण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा का मत है कि यदि पिछले वर्षों के बकाया स्टॉक से नए दिशा-निर्देश (जून 2017) प्राप्त होने के तुरंत बाद चीनी वितरित की जाती और उपलब्ध स्टॉक पर विचार करके खरीद की गई होती, तो चीनी की बर्बादी से बचा जा सकता था।

प्रकरण सरकार को भेजा गया (मई 2021) एवं जुलाई और सितंबर 2021 में स्मरण कराया गया। सरकार का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

श्रम विभाग

7.7 छह वर्षों तक निधियां अवरुद्ध रहना

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के श्रमिक आवासों के निर्माण के लिए स्थान का चयन करने एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा लेने में ढुल-मुल रवैये के परिणामस्वरूप ₹ 13.74 करोड़ छह वर्षों से अधिक समय के लिए अवरुद्ध रहे एवं भवन श्रमिकों को समूह आवास योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा।

25 वर्ष 2017-18 की शुरुआत में उपलब्ध स्टॉक (7,340.00 एमटी) में 2017-18 के लिए खरीद (10,816.31 एमटी) जोड़कर 2017-18 (2,978.79 एमटी), 2018-19 (4,222.60 एमटी), 2019-20 (3,614.20 एमटी) एवं 2020-21 (5,808.504 एमटी) के लिए वितरण घटाने के बाद: शेष = 1,532.216 एमटी।

26 अनुपयुक्त चीनी (675.626 एमटी) * खरीद की लागत (₹ 40,440 प्रति एमटी)।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों (लाभार्थी²⁷) के कल्याण के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त नियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम) के तहत निर्धारित किए गए कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (मंडल) की स्थापना (जुलाई 2009) की गई थी।

मंडल द्वारा अपनी बैठक (जनवरी 2015) में लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार की किफायती आवास नीति के तहत 1,000 बहुमंजिला आवासों के निर्माण के संबंध में शहरी विकास, आवास एवं स्थानीय निकाय विभाग के परामर्श से उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, मंडल ने जयपुर में एक उपयुक्त भूखंड आवंटित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से संपर्क किया (मार्च 2015)। जेडीए ने 10 अप्रैल 2015 को मंडल को भूखंडों की एक सूची 15 दिनों के भीतर भेज कर चयन को अंतिम रूप देने और अपनी इच्छा से अवगत कराने का अनुरोध किया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवम्बर 2020) से प्रकट हुआ कि मंडल ने जेडीए द्वारा प्रस्तावित (अप्रैल 2015) भूखंडों की सूची में से भूमि की स्वरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने (जुलाई 2015) में 100 दिनों से अधिक का समय लिया। इस बीच, जेडीए ने जयपुर में अनुपम विहार योजना के तीन भूखंडों के लिए ₹ 6,800 प्रति वर्गमीटर की दर से मांग-पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर राशि जमा करने की शर्त के साथ ₹ 13.74 करोड़ का आवंटन-सह-मांगपत्र (जून 2015) जारी किया। मंडल ने ₹ 13.74 करोड़ की राशि जेडीए को 28 दिनों के विलम्ब से जमा करवाई (अगस्त 2015)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंडल ने जेडीए द्वारा मांग की गई सम्पूर्ण राशि जमा करा दिए जाने के बावजूद उक्त भूखंडों का कब्जा लेने के लिए अपनी तरफ से सक्रिय कार्यवाही नहीं की। इस मामले में जेडीए के साथ मंडल का अंतिम पत्राचार फरवरी 2018 में हुआ था और केवल नवम्बर 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण ध्यान में लाए जाने पर दिसम्बर 2020 में इस मुद्दे को अर्थात् 33 महीने के अन्तराल के बाद उसने जेडीए के समक्ष उठाया।

इस प्रकार, मंडल आवंटित भूमि का कब्जा लेने के लिए जेडीए और शहरी विकास विभाग के साथ समन्वय करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.74 करोड़ छह वर्षों से अधिक समय के लिए अवरुद्ध रहे और लाभार्थी भी समूह आवास योजना के लाभों से वंचित रहे।

अवगत कराए जाने पर, राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अक्टूबर 2021) कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और केंद्र सरकार के निर्देशों (फरवरी 2014) के अनुसार, मंडल ने निर्माण श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय

27 भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त नियमन) अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक भवन श्रमिक, इस अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा अपनी निधि से प्रदान किए गए लाभों का हकदार होगा।

लिया था। तदनुसार, मंडल ने राज्य सरकार को एक योजना भेजी और उनकी स्वीकृति के बाद जेडीए द्वारा तीन भूखंड आवंटित किए गए। यह भी बताया गया कि सचिव, श्रम विभाग ने प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग को या तो आवंटित भूमि का कब्जा 6,800 प्रति वर्गमीटर की दर से सौंपने या फिर सम्पूर्ण ₹ 13.74 करोड़ राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित लौटा कर भूमि का आवंटन रद्द करने के लिए लिखा (सितम्बर 2021) है।

प्रत्युत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है कि मंडल, जेडीए के पास सम्पूर्ण राशि जमा करने के बावजूद भी भूमि का कब्जा लेने के लिए सतर्क/तत्पर नहीं था, मंडल ने लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने के बाद ही, मामले को जेडीए के समक्ष उठाया। मंडल के दुल-मुल रवैये के परिणामस्वरूप ₹ 13.74 करोड़ छः वर्षों से अधिक समय के लिए अवरुद्ध रहे एवं भवन निर्माण श्रमिकों को भी समूह आवास योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा।

7.8 स्रोत पर कर कटौती के प्रतिदाय का नुकसान

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के तहत छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की आय पर बैंकों द्वारा की गई स्रोत पर कर कटौती के प्रतिदाय की हानि।

आम जनता के लाभार्थ किसी गतिविधि को विनियमित या प्रशासित करने के उद्देश्य से केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत अथवा केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा गठित किसी मंडल, जो कि किसी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं है, को होने वाली 'विनिर्दिष्ट आय' को केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत आयकर करारोपण से छूट दी गई है। किसी भी पात्र संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत छूट पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उसको आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में, वित्त मंत्रालय ने ऐसी संस्था द्वारा उक्त छूट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रारूप में क्षेत्राधिकार वाले आयुक्त (सी.आई.टी.)/आयकर निदेशक को आवेदन दाखिल करने की एक मानकीकृत प्रक्रिया निर्धारित (जून 2013) कर दी थी। मंडल आयकर अधिनियम की धारा 139 (4 सी) के खंड (जी) के अनुपालन में अनिवार्य रूप से आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए भी उत्तरदायी था।

आगे, आयकर अधिनियम की धारा 196 के अनुसार, केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके तहत स्थापित ऐसी संस्था जिसको अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है, को देय किसी भी राशि (ब्याज/लाभांश/अन्य) से स्रोत पर कोई कर की कटौती नहीं की जाएगी। राजस्थान सरकार ने भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 27) के अंतर्गत राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (मंडल), जयपुर का गठन किया (जुलाई 2009)। मंडल को भवन और निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए उपकर की राशि प्राप्त होती है जिसको अधिनियम की धारा 24 के अनुसार गठित 'कल्याण निधि' में रखा जाता है और अधिनियम द्वारा अधिकृत

उद्देश्यों एवं प्रयोजनों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग में लिया जाता है। मंडल के पास उपलब्ध अधिशेष निधि को राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास सावधि जमा में जमा किया जाता है और उस पर अर्जित ब्याज का उपयोग भी संनिर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों पर किया जाता है।

मंडल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसंबर 2020) से प्रकट हुआ कि मंडल ने अपनी विनिर्दिष्ट आय पर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारिक राजपत्र में निर्दिष्ट आय (ब्याज सहित) को अधिसूचित करवाने की निर्धारित प्रक्रिया की पालना की पहल नहीं की। इस तरह की छूट की अधिसूचना के अभाव में, वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने निवेश पर ब्याज का भुगतान करते समय राशि ₹ 23.34 करोड़²⁸ की स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती कर ली। मंडल ने संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए आयकर विवरणी भी दाखिल नहीं की। इसलिए, टीडीएस के रूप में काटे गए कर का प्रतिदाय के रूप में दावा नहीं किया जा सका।

इस प्रकरण को मंडल के वार्षिक लेखों की वित्तीय लेखापरीक्षा वर्ष 2014-15 और 2016-17 (अब तक की गई अंतिम वित्तीय लेखापरीक्षा) के दौरान भी ध्यान में लाया (फरवरी 2016 और जनवरी 2020) गया था। फिर भी, मंडल ने आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में छूट के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया। मंडल ने छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण चाहने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संपर्क किया (अगस्त 2016) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी मंडल को आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष मामले को उठाने के निर्देश दिए (नवंबर 2016)।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार ध्यान में लाए जाने के बावजूद भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अंतर्गत छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप संनिर्माण मजदूरों के कल्याण की राशि ₹ 23.34 करोड़ अवरुद्ध हो गई। यदि आयकर विवरणी दाखिल करने में देरी को माफ नहीं किया जाता है अथवा मंडल की विनिर्दिष्ट आय पर छूट को भूतलक्षी प्रभाव से अधिसूचित नहीं किया जाता है, तो मंडल को न केवल ₹ 23.34 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि भविष्य में वह अपनी आय पर भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि छूट के लिए पात्र है।

मंडल ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि:

- लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर, प्रकरण आयकर आयुक्त (टीडीएस), जयपुर के समक्ष उठाया गया था (जनवरी 2020), लेकिन वांछित छूट प्रमाण पत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

28 वित्तीय वर्षों के दौरान काटा गया टीडीएस 2012-13: ₹ 0.17 करोड़, 2013-14: ₹ 0.15 करोड़, 2014-15: ₹ 0.60 करोड़, 2015-16: ₹ 3.10 करोड़, 2016-17: ₹ 6.79 करोड़, 2017-18: ₹ 4.97 करोड़, 2018-19: ₹ 3.57 करोड़, 2019-20: ₹ 3.98 करोड़।

- आगे, वर्ष 2012-13 से 2019-20 से संबंधित टीडीएस के प्रतिदाय की अवधि अब समाप्त हो गई है, इसके लिए आयकर आयुक्त से विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत (अक्टूबर 2021) कराया कि यद्यपि मंडल आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत आयकर के करारोपण से छूट के लिए पात्र है, हालांकि, ऐसी छूट प्राप्त करने के लिए केंद्रीय राजपत्र में अधिसूचना की शर्त को पूरा करना मुश्किल हो गया था।

यह भी अवगत कराया गया कि सामान्यतः, उपकर से उत्पन्न राशि को सरकारी विभाग/मंडल की आय के रूप में नहीं माना जाता है, जिसके कारण वार्षिक आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गई है। दूसरा, छूट प्राप्त करने के लिए वार्षिक खातों को तैयार करना, उनका प्रमाणन और उनकी लेखापरीक्षा एक पूर्वापेक्षा है, जो एक समय-साध्य प्रक्रिया होने के कारण आयकर विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि से पहले पूरी नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार, व्यावहारिक रूप से, मंडल के लिए आयकर छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंडल यह समझने में पूरी तरह से विफल रहा कि आयकर से छूट सशर्त थी और मंडल को विनिर्दिष्ट आय पर आयकर की छूट प्राप्त करने के लिए आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। यह कहना भी सही नहीं है कि आयकर छूट की शर्त को पूरा करना कठिन था क्योंकि अन्य राज्यों में स्थापित ऐसे कई मंडल इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि मंडल को निम्नलिखित आवश्यक कदम तत्काल उठाने चाहिए:

1. आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत अपनी विनिर्दिष्ट आय पर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए, यदि संभव हो तो पूर्वप्रभावी तिथि के साथ, क्षेत्राधिकार वाले आयकर आयुक्त को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे कि कुछ मंडल (पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़) पहले ही प्राप्त कर चुके हैं।
2. आयकर अधिनियम की धारा 119 (2) के तहत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में देरी के लिए माफ़ी मांगकर अपने सभी लंबित आयकर विवरणी जमा करना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समय पर विवरणी दाखिल करनी चाहिए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

7.9 आठ ट्रौमा केयर केंद्र भवनों के निर्माण पर निष्फल व्यय

भवनों के निर्माण हो जाने के सात से अधिक वर्षों के बाद भी ट्रौमा केयर केन्द्रों के प्रारम्भ नहीं होने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 5.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ बल्कि दुर्घटना पीड़ित भी तुरंत जीवन रक्षक उपचार की सुविधा से वंचित रहे।

दुर्घटना के मामलों में, तुरंत बाद एक घंटे (गोल्डन ऑवर) की अवधि बेहद महत्वपूर्ण होती है जिसके दौरान गंभीर चोट के त्वरित चिकित्सकीय एवं शल्य चिकित्सकीय उपचार से मृत्यु को रोका जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने दुर्घटना में गंभीर घायलों को गोल्डन ऑवर में त्वरित जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दस²⁹ ट्रौमा केयर केन्द्रों (ट्रौमा केंद्र) की स्थापना की घोषणा (बजट भाषण 2010-11) की। तदनुसार, उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर ने ट्रौमा केंद्र भवनों के निर्माण हेतु राशि ₹ 6.50 करोड़ (₹ 65 लाख प्रति ट्रौमा केंद्र) तथा इन ट्रौमा केन्द्रों के लिए नए पदों के सृजन हेतु ₹ 86.81 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी (जून 2010) की। इसके अतिरिक्त, आवश्यक उपकरणों के लिए राशि ₹ 9.70 करोड़ राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट (आर.एच.एस.डी.) परियोजना द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी। ट्रौमा केंद्र भवनों के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग (सानिवि) था।

चिकित्सा अधिकारी (चि.अ.), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिकंदरा तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (प्र.चि.अ.), राजकीय अस्पताल, सुजानगढ़ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी-मार्च 2019) में प्रकट हुआ कि सिकंदरा एवं सुजानगढ़ में ट्रौमा केंद्र भवनों का निर्माण कार्य क्रमशः सितम्बर 2010 तथा जनवरी 2012 में प्रारम्भ हुआ तथा क्रमशः अप्रैल 2013 व अगस्त 2014 में ₹ 1.09 करोड़³⁰ की कुल लागत से पूर्ण हुआ। कार्य के पूर्ण होने के बाद सानिवि ने भवनों को चि.अ., सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा एवं प्र.चि.अ., राजकीय अस्पताल, सुजानगढ़ को क्रमशः नवम्बर 2013 एवं सितम्बर 2014 में सुपुर्द कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ये दोनों ट्रौमा केंद्र कर्मचारियों व भवनों की उपलब्धता के बावजूद सात वर्षों से भी अधिक समय तक प्रारंभ नहीं हो सके। इसके अलावा, इन ट्रौमा केन्द्रों हेतु क्रय किये गए (मई 2010 से अक्टूबर 2014) उपकरणों में से, ट्रौमा केंद्र सिकंदरा में ₹ 17.74 लाख मूल्य के अधिकतर उपकरण स्टोर में अनुपयोगी पड़े थे जबकि ट्रौमा केंद्र सुजानगढ़ के लिए मिले राशि ₹ 23.22 लाख के उपकरण उप जिला अस्पताल, सुजानगढ़ में उपयोग में लिए जा रहे थे।

ट्रौमा केंद्र सिकंदरा एवं सुजानगढ़ में विभागीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर किये गये संयुक्त भौतिक निरीक्षण (फरवरी व मार्च 2021) में प्रकट हुआ कि सिकंदरा में दो कमरों का निर्माण

29 दस ट्रौमा केयर केंद्र : नाथद्वारा, रतनगढ़, सुजानगढ़, लाखेरी, चौमूं, फतेहपुर, सिकंदरा, गोगुन्दा, रावतसर एवं भीम।

30 सिकंदरा पर ₹ 49.34 लाख तथा सुजानगढ़ पर ₹ 60.15 लाख।

अपूर्ण था जबकि अन्य दो कमरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा अपने कार्यालय के संचालन के लिए उपयोग में लिए जा रहे थे। इसी तरह, सुजानगढ़ में ट्रौमा केंद्र भवन का उपयोग ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्टोर के रूप में किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि लम्बे समय से अनुपयोगी रहने तथा रखरखाव के अभाव में ये भवन बुरी तरह जीर्ण शीर्ण हो गए थे तथा गहरी दरारें आ गई थी (जैसा नीचे दिए चित्रों में दर्शाया गया है)।



ट्रौमा केंद्र सुजानगढ़	ट्रौमा केंद्र सिकंदरा
ट्रौमा केंद्र भवनों की दीवारों में दरारें और क्षतिग्रस्त प्लास्टर दर्शाते चित्र	

प्र.चि.अ. सुजानगढ़ ने नवम्बर 2015 में अर्थात् हस्तांतरण के कुछ ही माह बाद, नवनिर्मित ट्रौमा केंद्र भवनों की दीवारों में दरारें तथा प्लास्टर में टूटफूट देख ली थी परन्तु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ द्वारा सानिवि से मरम्मत हेतु बार-बार अनुरोध (नवम्बर 2015 व मार्च 2017) करने के बावजूद भी उक्त कमियां दुरस्त नहीं की गईं। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सानिवि ने एक विधानसभा प्रश्न के उत्तर में सूचित किया (सितम्बर 2020) था कि अनुपयोगी रहने, पानी रिसने तथा लम्बे समय से रखरखाव नहीं होने से भवन केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था। सानिवि ने आगे बताया कि पांच वर्ष की गारंटी अवधि अगस्त 2019 में पहले ही समाप्त हो चुकी है, परन्तु भवन कुछ मरम्मत के पश्चात उपयोग में लिया जा सकता है।

ध्यान में लाए जाने पर चि.अ., सिकंदरा ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि ट्रौमा केंद्र भवन उपयोग में नहीं लिया जा सका क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित था तथा संपर्क सड़क भी बहुत संकरी थी। ट्रौमा केंद्र को आवंटित कार्मिक एवं उपकरण जैसे रेफ्रीजरेटर व फाउलर बेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिकंदरा में उपयोग में लिए जा रहे थे। जबकि प्र.चि.अ., सुजानगढ़ ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि ट्रौमा केंद्र भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण उपयोग में नहीं लिया जा सका। यह भी अवगत कराया गया कि ट्रौमा केंद्र को आवंटित उपकरण व कार्मिकों का उपयोग राजकीय उप जिला अस्पताल, सुजानगढ़ में किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने ध्यान दिलाए जाने पर (जून 2021), सिकंदरा एवं सुजानगढ़ के ट्रौमा केंद्र से सम्बंधित तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2021) किया एवं अवगत कराया कि सिकंदरा व सुजानगढ़ के ट्रौमा केंद्र भवनों की मरम्मत एवं सिकंदरा में अनुपयोगी पड़े उपकरणों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार ने आगे बताया कि ट्रौमा केंद्र शीघ्र ही क्रियाशील कर दिए जायेंगे।

इसी प्रकार, ट्रौमा केंद्र, भीम के भवन का निर्माण ₹ 0.47 करोड़ की लागत से सानिवि द्वारा जून 2013 में पूर्ण कर दिया गया था तथा भवन प्र.चि.अ., सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भीम को सुपुर्द (दिसम्बर 2013) कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रौमा केंद्र, भीम के लिए उपकरणों की आपूर्ति हेतु आर.एच.एस.डी. परियोजना के अंतर्गत ₹ 0.79 करोड़ का प्रावधान करने (जून 2010) के बावजूद कोई उपकरण उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस ट्रौमा केंद्र हेतु अतिरिक्त कार्मिक भी उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

इसके अतिरिक्त, विभागीय प्रतिनिधियों के साथ ट्रौमा केंद्र, भीम के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितम्बर 2021) में प्रकट हुआ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भीम परिसर में ही ट्रौमा केंद्र भवन के लिए तीन हॉल, शौचालय तथा रैंप बनाये गए थे तथा भवन ट्रौमा केन्द्र के उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं लिया जा रहा था। साथ ही, ट्रौमा केंद्र में कोई उपकरण स्थापित नहीं किये गए थे। इस प्रकार, ट्रौमा केंद्र, भीम उपकरण एवं कार्मिकों की कमी के कारण क्रियाशील नहीं हो सका।

भौतिक निरीक्षण के दौरान ट्रौमा केंद्र, गोगुन्दा के भवन का निर्माण सात वर्ष बीत जाने और ₹ 0.65 करोड़ व्यय होने के पश्चात भी अधूरा पाया गया। गोगुन्दा में यह भी देखा गया कि निर्माण कार्य 11 केवी की विद्युत लाइन को स्थानान्तरित करने और नींव का नक्शा बदलने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण पूर्ण नहीं हो सका था।



पूछे जाने पर (सितम्बर 2021) प्र.चि.अ., सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीम ने अवगत कराया कि ट्रौमा केंद्र कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण क्रियाशील नहीं किया जा सका। चि.अ., सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोगुन्दा ने भी अवगत कराया कि निर्माण कार्य अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण पूर्ण नहीं हो सका।

आगे, विभाग से प्राप्त सूचना (सितम्बर 2021) की संवीक्षा में प्रकट हुआ की रतनगढ़, लाखेरी एवं रावतसर में तीन ट्रौमा केन्द्रों का निर्माण अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 के दौरान

कुल ₹ 1.63 करोड़³¹ की लागत से पूर्ण हुआ था। इन ट्रौमा केन्द्रों को राशि ₹ 1.00 करोड़³² के उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए थे परन्तु ये ट्रौमा केंद्र पर्याप्त कार्मिकों की कमी के कारण क्रियाशील नहीं पाए गए। रतनगढ़ में ट्रौमा केंद्र भवन का उपयोग राजकीय सामान्य अस्पताल, रतनगढ़ के नेत्र विभाग के रूप में किया जा रहा था। चौमूँ में ट्रौमा केंद्र का निर्माण कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। ट्रौमा केंद्र, चौमूँ के लिए राशि ₹ 20.04 लाख के चिन्हित उपकरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चौमूँ में उपयोग में लिए जा रहे थे। इस प्रकार, केवल नाथद्वारा तथा फतेहपुर के दो ट्रौमा केंद्र ही क्रियाशील थे। सम्बंधित चि.अ. ने अवगत कराया कि कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण ट्रौमा केंद्र क्रियाशील नहीं थे।

यद्यपि, फतेहपुर का ट्रौमा केंद्र क्रियाशील बताया गया था, परन्तु यह पाया गया कि वर्ष 2012-21 की अवधि के दौरान 3,523 मामले अपर्याप्त कार्मिकों के कारण अन्य अस्पतालों को भेजे गए थे। चि.अ., सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फतेहपुर ने उपलब्ध कार्मिकों से ट्रौमा केंद्र को चलाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए निदेशक, जन स्वास्थ्य से अधिक कार्मिक पदस्थापित करने का आग्रह किया था (जुलाई 2021)। इसके अलावा, यह ट्रौमा केंद्र राष्ट्रीय राजमार्ग से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित था।

सम्बंधित इकाइयों तथा विभाग का उत्तर इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है कि सात³³ अक्रियाशील ट्रौमा केन्द्रों से कुल 9,097 गंभीर घायल मरीजों को 2014-21 की अवधि के दौरान अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया तथा इसी अवधि में चार³⁴ ट्रौमा केन्द्रों द्वारा 155 मौतें सूचित की गईं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं तथा कार्मिकों के अनुसार उपचार उपलब्ध करवाया गया, जबकि अधिक गंभीर घायल मरीजों को अन्य अस्पतालों को रेफर किया गया। विभाग ने इन ट्रौमा केन्द्रों को क्रियाशील करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किये तथा विभाग गोगुन्दा में भवन के अपूर्ण रहने तथा चौमूँ में उपयुक्त भूमि उपलब्ध न करवाने के लिए जिम्मेदार था।

इस प्रकार उचित अनुश्रवण के अभाव, ट्रौमा केंद्रों के लिए स्थान चयन में खराब योजना तथा विभाग के दुल-मुल दृष्टिकोण के कारण जो ट्रौमा केंद्र गंभीर घायल व्यक्तियों को त्वरित जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध करवाने हेतु राज्य बजट 2010-11 में घोषित किये गए थे, वे भवन, कार्मिकों एवं उपकरणों की उपलब्धता के बावजूद विकसित नहीं हो पाए। इससे ₹ 5.45 करोड़³⁵ का व्यय अधिकांशतः निष्फल हो गया।

31 ₹ 1.63 करोड़: (रतनगढ़ में ₹ 76.36 लाख, लासेरी में ₹ 33.47 लाख तथा रावतसर में ₹ 53.04 लाख)।

32 ₹ 1.00 करोड़: (रतनगढ़ में ₹ 22.38 लाख, लासेरी में ₹ 38.15 लाख तथा रावतसर में ₹ 39.23 लाख)।

33 रतनगढ़-1593; सुजानगढ़-1350; लासेरी-1054; चौमूँ-1495; गोगुन्दा-726; रावतसर-1932 तथा भीम-947।

34 रतनगढ़-31; सुजानगढ़-42; लासेरी-74; रावतसर-08।

35 सुजानगढ़ : ₹ 60.15 लाख (भवन) व ₹ 23.22 लाख (अप्रयुक्त उपकरण)+सिकंदरा: ₹ 49.34 लाख (भवन) एवं ₹ 17.74 लाख (अप्रयुक्त उपकरण)+भीम: ₹ 47.16 लाख (भवन)+गोगुन्दा: ₹ 65 लाख (भवन)+रतनगढ़: ₹ 76.36 लाख (भवन) एवं ₹ 22.38 लाख (अप्रयुक्त उपकरण)+लासेरी: ₹ 33.47 लाख (भवन) एवं ₹ 38.15 लाख (अप्रयुक्त उपकरण)+चौमूँ: ₹ 20.04 लाख (अप्रयुक्त उपकरण)+रावतसर: ₹ 53.04 लाख (भवन) एवं ₹ 39.23 लाख (अप्रयुक्त उपकरण)।

प्रकरण सरकार को प्रेषित किया गया (नवम्बर 2021) तथा सरकार को जनवरी 2022 में स्मरण कराया गया। उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (जनवरी 2022)।

7.10 अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित व्यय

राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के विपरीत अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन पर अनियमित व्यय।

राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पीडब्ल्यूएफ एंड आर), किसी कार्य की अनुसूची 'जी' या मात्राओं के बिल (बीओक्यू) में मौजूद मदों की अतिरिक्त मात्रा की स्वीकृति, निष्पादन एवं भुगतान की वित्तीय शक्तियाँ सक्षम विभागीय प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित³⁶ करते हैं। तदनुसार, निर्माण कार्य कराने वाले विभाग के मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता निविदा राशि के 5 प्रतिशत के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्येक मद की मूल मात्रा से 5 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा स्वीकृत करने के लिए उस कार्य को स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत थे। उपरोक्त सीमा से अधिक होने की स्थिति में यह शक्ति मूल मात्रा के 25 प्रतिशत तक तथा स्वीकृत निविदा राशि के भी 25 प्रतिशत तक, अगले उच्च सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोग में ली जाएगी। प्रशासनिक विभाग स्वीकृत कार्य की निविदा राशि के 50 प्रतिशत के अध्यक्षीन रहते हुए, कार्य के प्रत्येक मद की मूल मात्रा की 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त मात्रा स्वीकृत कर सकता था। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आर.टी.पी.पी.) नियम, 2013 का नियम 73 भी निर्धारित करता है कि किसी भी परिस्थिति में, अतिरिक्त मात्रा सहित कार्य की राशि मूल अनुबंध राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। माल, सेवा या कार्यों के उपापन से सम्बंधित समस्त नियमों, विनियमों, आदेशों या परिपत्रों, जो आर.टी.पी.पी. नियमों के प्रवृत्त होने की तिथि यानि 26.01.2013 को प्रवृत्त थे, को आर.टी.पी.पी. नियमों के नियम 86 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड, जोधपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2020-फरवरी 2021) में प्रकट हुआ कि मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम) के अंतर्गत ₹ 13.00 करोड़ (₹ 1.10 करोड़ से ₹ 7.03 करोड़ के मध्य) के पांच कार्यदेश³⁷ अनुमोदित किए गए (जुलाई 2013 से मई 2016) और ये कार्य विभिन्न संवेदकों को आवंटित किये गए। विभाग ने इन कार्यदेशों की वित्तीय सीमाएं समाप्त होने के पश्चात भी बिना नई निविदायें आमंत्रित किए इन अनुबंधों के अंतर्गत अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन जारी रखा। संवेदकों ने मूल निविदा राशि ₹ 13.00 करोड़ के विरुद्ध ₹ 18.60 करोड़ के कार्यों का निष्पादन किया।

36 परिशिष्ट XIII (आइटम क्रम संख्या 24 पर)।

37 पांच कार्य: 100 बिस्तर की मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई का निर्माण, बांगड़ जिला अस्पताल, पाली; निर्माण एवं उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, रास, पाली; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण, भुमलिया, पाली; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण, जदन, पाली; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण, चौकड़ी कलां, जोधपुर।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन प्रकरणों में निष्पादित की गई अतिरिक्त मात्राएँ (कुल ₹ 5.60 करोड़) मूल निविदा अनुबंधों से 37 से 52 प्रतिशत अधिक थी। तथापि विभाग द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, तथा अनुमोदन केवल मुख्य अभियंता द्वारा प्रदान किया गया। चूंकि मुख्य अभियंता मूल अनुबंध की 25 प्रतिशत मात्रा से अधिक अतिरिक्त मात्रा स्वीकृत करने हेतु सक्षम नहीं थे, अतः अतिरिक्त कार्यों पर किया गया ₹ 5.60 करोड़ का भुगतान अनियमित था, विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका-7.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता द्वारा अनुमोदित कार्य का नाम (कार्यादेश की दिनांक)	कार्यादेश की राशि	वास्तविक व्यय	कुल अतिरिक्त कार्य (प्रतिशत)
1	100 बिस्तर की मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई, बांगड़ जिला अस्पताल, पाली (03.07.2013)	7.03	9.68	2.65 (37.70 प्रतिशत)
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, रास, पाली का निर्माण एवं उन्नयन (28.04.2016)	2.47	3.70	1.23 (49.80 प्रतिशत)
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण, भुमलिया, पाली (06.05. 2016)	1.19	1.81	0.62 (52.10 प्रतिशत)
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण जदन, पाली (04.05. 2016)	1.21	1.75	0.54 (44.63 प्रतिशत)
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण, चौकड़ी कलां, जोधपुर (06.05. 2016)	1.10	1.66	0.56 (50.90 प्रतिशत)
	कुल	13.00	18.60	5.60

इसके अलावा, दो प्रकरणों (उपरोक्त तालिका के क्र.सं. 3 व 5) में निष्पादित अतिरिक्त मात्रा मूल अनुबंधों के 50 प्रतिशत की सीमा से भी अधिक थी, जिसके अनुमोदन लिए आर.टी.पी.पी. नियम, 2013 के तहत विभाग के प्रशासनिक प्राधिकारी भी सक्षम नहीं थे।

ध्यान में लाए जाने पर (जनवरी 2021) विभाग ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि राज्य सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र (दिसम्बर 2010), मुख्य अभियंता को एन.आर.एच.एम कार्यों के लिए अतिरिक्त मदों की स्वीकृति जारी करने का अधिकार देता है, बशर्ते प्रबंधन लागत सहित कार्य के पूर्ण होने की कुल लागत उसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक न हो। आगे, क्रियान्वयन के दौरान, यदि कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक होता है तो 10 प्रतिशत अधिक तक की स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा तथा यदि यह 10 प्रतिशत से अधिक होती है तो इसे पी.आई.पी. सीमा के अध्यक्षीन प्रबंध निदेशक, एन.आर.एच.एम द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एन.एच.एम की वित्तीय प्रबंधन हेतु संचालन निर्देशिका का पैरा 6.6.3. निर्धारित करता है कि सभी प्रकार की सामग्री/वस्तु का उपार्जन राज्य सरकार के उपापन नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए आगे, उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रस्थापित किए गए आर.टी.पी.पी. नियम, 2013 लोक उपापन से सम्बंधित सभी वर्तमान परिपत्रों और प्रावधानों को निरस्त करते हैं। अतः वर्ष 2010 में जारी एक कार्यकारी परिपत्र, जो कि आर.टी.पी.पी. नियम लागू होते ही स्वयं शून्य हो गया था, के

आधार पर मुख्य अभियंता द्वारा अपनी स्वीकृति शक्तियों से ऊपर अनुमोदन प्रदान करना अनाधिकृत था। इस प्रकार स्वीकृति शक्तियों से परे अतिरिक्त कार्यों के अनियमित अनुमोदन के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार को दिसम्बर 2010 में जारी उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए।

यह प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (जून 2021), तथा राज्य सरकार को जनवरी 2022 में स्मरण कराया गया। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2022)।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

7.11 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं करना

विभाग ने भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त किये बिना ही पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिए जिसके कारण पाठ्यक्रम बंद हो गए, जिससे नामांकित छात्रों की करियर सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा परिणामस्वरूप आधारभूत संरचना व उपकरणों पर ₹ 1.40 करोड़ का व्यय निष्फल रहने के साथ-साथ ₹ 1.15 करोड़ की अप्रयुक्त राशि पांच वर्ष से भी अधिक समय तक अवरुद्ध रही।

पुनर्वास पेशेवरों तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विनियमन एवं निगरानी तथा विकलांगता पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992³⁸ के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद (परिषद) का गठन किया था (सितम्बर 1992)। परिषद के अधिदेश के अनुसार, परिषद के पूर्वानुमोदन के बिना कोई भी संस्थान विकलांगता पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं चला सकता। अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्धारित योग्यता अर्जित करने के पश्चात्, प्रत्येक पेशेवर एवं कार्मिक को विकलांगता पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनिवार्य रूप से परिषद से एक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

पैरामेडिकल कार्मिकों की व्यापक उपलब्धता बढ़ाने तथा उनकी दक्षता के उन्नयन हेतु, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय), भारत सरकार ने देशभर में राष्ट्रीय पैरामेडिकल विज्ञान संस्थान (निप्स) तथा क्षेत्रीय पैरामेडिकल विज्ञान संस्थान (रिप्स) की स्थापना/के नाम से एक केन्द्र प्रायोजित योजना तैयार की (सितम्बर 2010)। योजना के अंतर्गत, विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश प्रारंभ करने/संस्था बढ़ाने हेतु राज्य

38 परिषद के मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार को पुनर्वास छात्रवृत्ति/वेतन के लिए योग्यताओं की मान्यता के विषय में अनुशंसा करना, ऐसी योग्यताओं की प्राप्ति हेतु आवश्यक अध्ययन तथा परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना, परीक्षाओं का निरीक्षण करना तथा उन पेशेवर एवं कार्मिकों हेतु परीक्षा आयोजित करना जिन्हें केन्द्रीय पुनर्वास में पुनर्वास छात्रवृत्ति/वेतन रजिस्टर में स्थिरता प्राप्त हो गई है।

सरकार के मेडिकल कॉलेजों को एक मुश्त अनुदान देकर सहायता की जानी थी। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान को 85:15 के अनुपात में वहन किया गया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2015-16 से 60:40 में संशोधित कर दिया गया था। अनुदान का उपयोग मानवशक्ति, आधारभूत ढांचे का विकास, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण, शिक्षण स्टाफ, पुस्तकालय आदि हेतु किया जाना था।

प्राचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर (महाविद्यालय) के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2020-अप्रैल 2021) में प्रकट हुआ कि उक्त योजना के तहत मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय का दौरा करने के पश्चात कुल ₹ 12.16 करोड़³⁹ की लागत से छह नए पाठ्यक्रमों⁴⁰ की स्थापना (कुल प्रवेश 41) तथा तीन वर्तमान पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में 5 सीटों के उन्नयन हेतु अनुशंसा की थी। इनमें श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान (ऑडियोलॉजी एवं स्पीच लेंग्वेज पैथोलॉजी) में स्नातक तथा जोड़ एवं अस्थि विज्ञान (प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक) में स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना (₹ 0.70 करोड़) तथा उपकरण (₹ 1.00 करोड़) के लिए कुल ₹ 1.70 करोड़ का प्रावधान भी सम्मिलित था।

इस सम्बन्ध में, एक मुश्त अनुदान द्वारा पैरामेडिकल सीटों/पाठ्यक्रमों को बढ़ाने/प्रारम्भ करने हेतु मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया (मई 2012)। तदनुसार, मंत्रालय ने प्राचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रथम किश्त ₹ 5.17 करोड़ (केन्द्रीय अंश के ₹ 10.34 करोड़ का 50 प्रतिशत) इस शर्त पर जारी किया कि निर्धारित संख्या में पैरामेडिकल सीटों के सृजन नहीं होने की स्थिति में अप्रयुक्त निधि मय ब्याज के लौटानी होगी। ₹ 2.13 करोड़ की द्वितीय किश्त (केन्द्रीय अंश) के विरुद्ध, महाविद्यालय द्वारा प्रथम किश्त पर अर्जित ₹ 0.83 करोड़ के ब्याज को समायोजित करने के पश्चात, जनवरी 2017 में ₹ 1.30 करोड़ जारी किये गए। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की प्रथम किश्त के रूप में ₹ 1.28 करोड़ की राशि जारी की (दिसम्बर 2014)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महाविद्यालय ने 2013-14 से, निप्स एवं रिप्स योजना के अंतर्गत, “दिव्यांगता पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा” के क्षेत्र में दो पाठ्यक्रमों (कुल प्रवेश क्षमता 15) नामतः श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान में स्नातक तथा जोड़ एवं अस्थि विज्ञान में स्नातक को परिषद की पूर्वानुमति/मान्यता के बिना ही प्रारंभ कर दिया। इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए केवल चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति ही प्राप्त की गई थी।

39 आधारभूत संरचना के लिए ₹ 6.18 करोड़, उपकरण के लिए ₹ 5.43 करोड़ तथा शिक्षण स्टाफ के लिए ₹ 0.55 करोड़

40 रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में पीजी (एमएससी) (3 सीट), बीएससी (नेत्र तकनीक) (10 सीट), श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान स्नातक (5 सीट), मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बीएससी (10 सीट), परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा (3 सीट) तथा जोड़ एवं अस्थि विज्ञान स्नातक (10 सीट)

प्राचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर ने एक शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात परिषद से उक्त पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया (अगस्त 2014)। परिषद ने संस्थान का निरीक्षण किया (नवम्बर 2014) तथा कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर, अनुभवी शिक्षण स्टाफ तथा सहायक कार्मिकों, विशेष प्रयोगशाला के लिए स्थान, पर्याप्त संख्या में पुस्तकें तथा पत्रिकाओं की कमी के कारण मान्यता देने से इंकार कर दिया था (फरवरी 2015)। इसके साथ ही, सामुदायिक प्रचार प्रसार की गतिविधियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास भी वांछित मानकों के अनुसार नहीं पाए गए थे। इसके कारण जोड़ एवं अस्थि विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2015-16 से बंद कर दिया गया। परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, महाविद्यालय ने श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए तो परिषद को आवेदन ही नहीं किया और 2015-16 से इस पाठ्यक्रम को भी बंद कर दिया गया। परिषद द्वारा बताई गई कमियों को महाविद्यालय द्वारा आदिनांक तक भी सुधारा नहीं जा सका तथा उक्त दोनों पाठ्यक्रम स्थायी रूप से बंद कर दिए गए।

इस प्रकार, शैक्षणिक वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान में स्नातक तथा जोड़ एवं अस्थि विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित सोलह छात्र⁴¹ अपने पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर सके। इन छात्रों की आजीविका संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे परिषद से पंजीकृत नहीं हो पाएंगे एवं इसके परिणामस्वरूप भारत में दिव्यांगता पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 6.18 करोड़ की आवंटित निधि से भवन का निर्माण सितम्बर 2019 में पूर्ण हुआ जो कि परिषद के मुआयने के समय तैयार नहीं हुआ था। क्योंकि श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान में स्नातक तथा जोड़ एवं अस्थि विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं मिली थी, इन पाठ्यक्रमों के आधारभूत संरचना (₹ 0.70 करोड़) तथा उपकरण (₹ 0.70 करोड़) पर व्यय राशि ₹ 1.40 करोड़ निष्फल रही।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अप्रैल 2021 को उपकरणों (सभी नौ पाठ्यक्रमों हेतु) के लिए चिन्हित ₹ 3.26 करोड़⁴² में से ₹ 1.15 करोड़ राशि महाविद्यालय के पास अव्ययित पड़ी थी। इस अव्ययित राशि को भारत सरकार को लौटाए जाने की आवश्यकता थी।

नोडल अधिकारी, पैरामेडिकल संस्थान, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मार्च 2021) कि तकनीकी कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान में स्नातक तथा जोड़ एवं अस्थि

41 वर्ष 2013-14 में जोड़ एवं अस्थि विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम में 4 छात्र तथा श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम में 4 छात्र प्रवेशित किये गए तथा वर्ष 2014-15 में जोड़ एवं अस्थि विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम में 5 छात्र तथा श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम में 3 छात्र प्रवेशित किये गए

42 उपकरण हेतु केंद्र का अंश=₹ 3.26 करोड़ (₹ 5.43 करोड़ * 60/100)

विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं मिली थी। आगे, श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए खरीदे गए उपकरण महाविद्यालय के सम्बंधित विभाग द्वारा उपयोग में लिए जा रहे हैं। यह भी अवगत करवाया गया कि भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित किये जा चुके हैं तथा अव्ययित राशि को लौटाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (अक्टूबर 2021) कि महाविद्यालय ने केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार आवश्यक सुविधाएं सृजित कर ली थी तथा अब भी इन पाठ्यक्रमों को परिषद से मान्यता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने मांगने पर भी (नवम्बर 2021) अव्ययित अनुदान को लौटाने सम्बन्धी वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करवाया।

उत्तर स्वीकार नहीं है, क्योंकि मान्यता प्राप्त किये बिना पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने का निर्णय परिषद अधिनियम में विहित संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध था।

आगे, इन पाठ्यक्रमों को बाद के वर्षों हेतु बंद कर दिए जाने से, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का भविष्य भी धूमिल हो गया। इसके अलावा, बिना पैरामेडिकल संस्थान भवन के पूर्ण निर्माण एवं उपकरण स्थापना के ही पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिए गए जैसा कि मई 2015 में भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र से ज्ञात हुआ कि पैरामेडिकल संस्थान के भवन का निर्माण कार्य एवं उपकरणों का क्रय क्रमशः केवल 65 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत ही पूर्ण हो पाया था।

इस प्रकार, परिषद से मान्यता प्राप्त किये बिना पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के कारण दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों की व्यापक उपलब्धता बढ़ाने का योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका, बल्कि, नामांकित छात्रों की रोजगार संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके कारण श्रवण विज्ञान एवं वाणी रोग विज्ञान में स्नातक तथा जोड़ एवं अस्थि विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु आधारभूत संरचना व उपकरणों पर व्यय किए गए ₹ 1.40 करोड़ निष्फल रहे तथा ₹ 1.15 करोड़ की अप्रयुक्त राशि पांच वर्ष से भी अधिक समय तक अवरुद्ध रही।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ बोर्ड

7.12 अपूर्ण बालिका छात्रावास पर निष्फल व्यय

संस्वीकृति के नियमों एवं शर्तों की पालना न करने तथा बालिका छात्रावास के निर्माण में असामान्य देरी के फलस्वरूप ₹ 2.10 करोड़ का व्यय निष्फल रहा एवं लाभार्थी अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रहे।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में

विकास की कमी को सुधारने के लिए सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना के सृजन तथा मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाए थे। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देश परिकल्पित करते हैं कि निधि दो किशतों, प्रत्येक 50 प्रतिशत में जारी की जाएगी तथा दूसरी किशत पहली किशत के उपयोगिता प्रमाणपत्र⁴³ (यू.सी.) मय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर जारी की जानी थी। अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं चित्रों को भेजने के लिए उत्तरदायी था।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बद्ध यूनानी मेडिकल कॉलेज, टोंक, में ₹ 4.00 करोड़ की लागत⁴⁴ से 56 शय्या के बालिका छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 2015)। यह प्रस्ताव क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (निगम) द्वारा तैयार (मार्च 2015) किए गए विस्तृत अनुमान पर आधारित था। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की अधिकार प्राप्त कमेटी ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं उसे अनुमोदित कर दिया (अगस्त 2015) परन्तु कुछ अवयवों⁴⁵ (₹ 0.62 करोड़) को हटा कर परियोजना लागत को ₹ 3.38 करोड़ तक सीमित कर दिया। तदनुसार, भारत सरकार ने क्रियान्वयन एजेंसी को निधि को तुरंत हस्तांतरित करने के निर्देश के साथ ₹ 1.69 करोड़ की पहली किशत जारी कर दी (अगस्त 2015)।

राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर (आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवम्बर 2019) में प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने पर निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने निगम द्वारा छात्रावास का निर्माण कराए जाने के लिए ₹ 3.38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की (अक्टूबर 2015) परन्तु निगम को कोई निधि हस्तांतरित नहीं की गई। बाद में, एक मीटिंग में निधि को निगम के स्थान पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया (मई 2016) था। तदनुसार, निगम के माध्यम से छात्रावास का निर्माण करवाने के लिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पी.डी. स्वाते में राशि ₹ 1.69 करोड़ हस्तांतरित करने हेतु आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के निदेशक द्वारा वित्तीय स्वीकृति संशोधित (मई 2016) कर दी गई। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तावित (नवम्बर 2015) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये (मार्च 2016)। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने निगम को दो किशतों में (अक्टूबर 2016: ₹ 1.00 करोड़ तथा दिसम्बर 2019: ₹ 0.69 करोड़) ₹ 1.69 करोड़ की राशि जारी कर दी। इस

43 एक वर्ष में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर- 60 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र चाहिए होगा। एक वर्ष पश्चात उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर-100 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र चाहिए होगा।

44 सिविल कार्य: ₹ 2.60 करोड़, विद्युत् कार्य: ₹ 32.50 लाख, सेनेटरी कार्य: ₹ 36.40 लाख, वाटर हार्वेस्टिंग: ₹ 10 लाख, अपेक्षित टीपी: ₹ 16.94 लाख, एजेंसी शुल्क: ₹ 27.93 लाख, वृद्धि: ₹ 7.65 लाख तथा गुणवत्ता नियंत्रण व आकस्मिकता: ₹ 8.90 लाख

45 वाटर हार्वेस्टिंग: ₹ 10 लाख, मूल्य वृद्धि: ₹ 7.65 लाख, टीपी: ₹ 16.94 लाख तथा एजेंसी शुल्क: ₹ 27.93 लाख

प्रकार, यह क्रियान्वयन एजेंसी को निधि हस्तांतरित करने में 12 माह से भी अधिक का विलम्ब हुआ।

आगे, समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट द्वारा ड्राइंग/डिजाईन के अनुमोदन के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जाना था तथा इस अनुमोदन के पश्चात् 12 माह में पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रियान्वयन एजेंसी को आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत (जनवरी 2016) ड्राइंग/डिजाईन का अनुमोदन अक्टूबर 2016 में उपलब्ध करवाया गया, जिससे भी कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निगम ने एक संवेदक 'ए' को सिविल कार्य ₹ 1.75 करोड़ (जी-शेड्यूल राशि: ₹ 2.01 करोड़ में से 13.3 प्रतिशत निविदा प्रीमियम घटाकर) में निर्धारित तिथि जनवरी 2018 तक पूर्ण करने के लिए आवंटित किया। हालांकि संवेदक 'ए' ने केवल ₹ 0.45 करोड़ का कार्य सम्पादित किया और कार्य छोड़ दिया (सितम्बर 2017)। संवेदक एवं निगम के मध्य कार्य पर जीएसटी के लागू होने/भुगतान सम्बन्धी विवाद हो गया था। संवेदक, निगम द्वारा चाहे अनुसार जीएसटी बिल प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए संवेदक को भुगतान नहीं किया गया था। निगम ने अप्रैल 2018 में कार्य निरस्त कर दिया।

निगम ने निविदा आमंत्रित करने के उपरांत (जून 2018) बकाया कार्य संवेदक 'बी' को निर्धारित तिथि मार्च 2019 तक पूर्ण करने के लिए ₹ 1.58 करोड़ (जी-शेड्यूल राशि: ₹ 1.56 करोड़ 1.39 प्रतिशत निविदा प्रीमियम सहित) में आवंटित कर दिया (सितम्बर 2018)। संवेदक 'बी' ने केवल ₹ 0.53 करोड़ का कार्य सम्पादित किया और इसके पश्चात कार्य रोक दिया तथा निगम द्वारा बार-बार स्मरण कराने (अक्टूबर 2018 से जनवरी 2020) के बाद भी कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया, निगम ने अंततः कार्य फरवरी 2020 में निरस्त कर दिया।

निगम ने शेष कार्य के लिए नवीन निविदाएं आमंत्रित करने के उपरांत (अगस्त 2020) कार्य तीसरे संवेदक 'सी' को निर्धारित तिथि मार्च 2021 तक पूर्ण करने की शर्त के साथ ₹ 0.97 करोड़ (जी-शेड्यूल राशि: ₹ 1.02 करोड़ में से 5.1 प्रतिशत निविदा प्रीमियम घटाकर) में आवंटित कर दिया (सितम्बर 2020)। निगम ने राजस्थान सरकार को ₹ 2.10 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया (नवम्बर 2020)। भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता की ₹ 1.69 करोड़ की द्वितीय किश्त अभी भी प्रतीक्षित थी (जुलाई 2021)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने संवेदक 'ए' के कार्य को रद्द करने और संवेदक 'बी' को कार्य आवंटित करने में 12 माह का समय लगाया (सितम्बर 2017 से सितम्बर 2018)। इसी प्रकार, संवेदक 'बी' द्वारा छोड़ा गया कार्य, संवेदक 'सी' को 21 माह बाद आवंटित किया गया (अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2020)। इस प्रकार, निगम पांच वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी केवल 62 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण कर सका।

विभागीय प्रतिनिधियों के साथ किये गए (मार्च 2021) बालिका छात्रावास भवन, टोंक के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई कि निर्माण कार्य अधूरा था जैसा कि निम्न चित्रों में दिखाया गया है:



दिनांक 22.03.2021 तक बालिका छात्रावास, टोंक का अधूरा निर्माण कार्य

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि कार्य में देरी संवेदकों द्वारा कार्य बीच में छोड़ने, संवेदकों को नोटिस देने, नवीन निविदाएं आमंत्रित करने, विभिन्न फर्मों को कार्य आदेश आवंटित करने तथा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगने के कारण हुई। यह भी अवगत कराया गया कि कार्य अक्टूबर 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ही असामान्य विलम्ब देखा गया जैसे निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी को निधि हस्तांतरित करने में (13 माह) जबकि बहु-क्षेत्रीय विकास की स्वीकृति की शर्त के अनुसार इसे तुरंत जारी किया जाना था, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने में (4 माह), आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी को अनुमोदित ड्राइंग/डिजाईन उपलब्ध करवाने में (9 माह) तथा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा खराब क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में देरी, क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा खराब क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर, आर्किटेक्ट एवं निगम के मध्य सामंजस्य के अभाव के कारण पांच वर्ष से भी अधिक व्यतीत होने के पश्चात भी छात्रावास भवन अपूर्ण रहा जिससे भवन पर व्यय किया गया ₹ 2.10 करोड़ निष्फल रहा। छात्राओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध करवाने का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाया।

7.13 स्वयं सहायता समूहों से ऋण वसूली का अभाव

विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण संवितरण के समय लघु वित्त योजना के दिशानिर्देशों की अनुपालना में विफल रहने के परिणामस्वरूप न केवल राशि ₹ 3.28 करोड़ के ऋण व दंडनीय ब्याज की वसूली नहीं हुई बल्कि लघु वित्त पोषण के मुख्य उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं हो सकी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए कार्यरत अन्य वेंचरों को ऋण और अग्रिम उपलब्ध कराता है। इनमें एक योजना लघु वित्त योजना (माइक्रो फाइनेंसिंग) है, जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) में संगठित अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्ग के सदस्यों को आय उत्पादक गतिविधियों को प्रारम्भ या बढ़ाने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसी गतिविधियाँ व्यक्तिगत अथवा समूह में अर्थात् स्वयं सहायता समूह के रूप में आरम्भ की जा सकती हैं।

अप्रैल 2013 से, स्वयं सहायता समूह के एक सदस्य को ₹ 50,000 तक का ऋण छह प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, इससे पहले ऋण राशि ₹ 25,000 तथा वार्षिक ब्याज दर पांच प्रतिशत थी। लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए पुनर्भुगतान अवधि, तीन माह की ऋण स्थगन (मोरेटोरियम) अवधि के उपरांत, तीन वर्ष थी। लघु ऋण पात्रता हेतु घरेलू वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में क्रमशः ₹ 81,000 एवं ₹ 1,03,000 की सीमा में होनी चाहिए थी। इस योजना के अंतर्गत लघु ऋण बार-बार उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जाता है, जिससे लाभार्थी इसका लाभ उठा सके तथा गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके।

राजस्थान सरकार के निर्देशों पर, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आर.एम.एफ.डी.सी.सी.), राजस्थान में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी, ने लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति हेतु नए दिशानिर्देश तथा क्रिया विधि जारी की (जनवरी 2011)। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹ 0.50 लाख तक के ऋण हेतु एक लाभार्थी को आवेदन के साथ स्वीकृत राशि के उत्तर दिनांकित चेक (बीस चेक या किश्तानुसार); स्वयं की गारंटी; अदेयता शपथपत्र; अधिवास प्रमाणपत्र; अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र तथा आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था। ₹ 0.50 लाख से ₹ 1.00 लाख तक के ऋण के लिए उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त एक सरकारी कर्मचारी या पैन कार्ड धारक आयकरदाता या पंचायती राज/शहरी निकाय के प्रतिनिधि का गारंटी पत्र तथा ₹ एक लाख से ₹ पांच लाख तक के ऋण के लिए अचल संपत्ति के दृष्टिबंधक विलेख एवं बंधक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने थे।

प्रत्येक जिले के परियोजना अधिकारी (पी.ओ.) तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (डी.एम.डब्ल्यू.ओ.) ऋण प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्रों की जांच, भौतिक सत्यापन, स्थल सत्यापन एवं फील्ड दौरों के लिए उत्तरदायी थे। प्रार्थनापत्रों की जांच के पश्चात, ऋण राशि

की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नामित सक्षम अधिकारियों⁴⁶ द्वारा जारी की जानी थी। पी.ओ. तथा डी.एम.डब्ल्यू.ओ. ऋण वितरण एवं सभी सम्बंधित दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखने तथा साप्ताहिक आधार पर पुनर्भुगतान की समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी थे। इनके द्वारा ही बैंक में चेक प्रस्तुत करने तथा अप्राप्ति के प्रकरणों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जानी थी।

डी.एम.डब्ल्यू.ओ., जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2020) में प्रकट हुआ कि 2012-15 की अवधि के दौरान, आर.एम.एफ.डी.सी.सी. ने 42 स्वयं सहायता समूह, जिनमें 487 अल्पसंख्यक लाभार्थी शामिल थे, को ₹ 1.27 करोड़ के ऋण वितरित किये, जिसके विरुद्ध मार्च 2020 तक 28 स्वयं सहायता समूहों से केवल ₹ 0.17 करोड़ (13.18 प्रतिशत) की ही वसूली की गई, जबकि शेष 14 स्वयं सहायता समूहों ने उनको वितरित ₹ 0.51 करोड़ के ऋण के विरुद्ध एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया। विभाग मार्च 2020 तक, स्वयं सहायता समूहों के विरुद्ध मूल राशि (₹ 1.10 करोड़), ब्याज (₹ 0.42 करोड़) तथा दंडात्मक ब्याज (₹ 1.76 करोड़) सहित कुल ₹ 3.28 करोड़ राशि बकाया थी, जिसे विभाग वसूलने में विफल रहा (**परिशिष्ट-7.5 में वर्णित**)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने सभी प्रकरणों में निर्धारित दस्तावेज जैसे अदेयता हेतु शपथपत्र, दृष्टिबंधक विलेख, सरकारी कर्मचारी या पैन कार्ड धारक आयकरदाता का गारंटी पत्र और अचल संपत्ति बंधक दस्तावेज आदि एकत्रित नहीं किये, इस प्रकार प्रार्थनापत्रों की पूर्णता तथा प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की गई थी। 19 प्रकरणों में, प्रार्थियों से अग्रिम चेक प्राप्त नहीं किये गए। अग्रतर, विभाग द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित भौतिक सत्यापन, स्थल सत्यापन तथा फील्ड दौरे भी सम्पादित नहीं किए गए थे। विभागीय कार्मिकों ने ऋण संवितरण के लिए निर्धारित नीति के विरुद्ध अपूर्ण दस्तावेजों के बावजूद प्रार्थनापत्रों को ऋण हेतु अनुशंसित कर दिया।

आगे, विभाग के पास केवल 17 स्वयं सहायता समूहों के उत्तर दिनांकित चेक (मई 2019 तक की बकाया राशि तथा ब्याज के लिए) ही उपलब्ध थे, जो कि बैंक में प्रस्तुत किए हुए दिखाए गए थे (जून 2019)। हालांकि, इन स्वयं सहायता समूहों में से दो⁴⁷ के चेक उन सम्बंधित स्वयं सहायता समूह की पत्रावलियों में संलग्न पाए गए, इस प्रकार ये चेक बैंक में पूर्णतया प्रस्तुत ही नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त, सभी प्रस्तुत किये गए चेक बाद में अस्वीकृत हो गए थे। अभिलेखों में यह भी प्रकट हुआ कि इन 17 स्वयं सहायता समूहों की नियमित किश्तें केवल नवम्बर 2014 से नवम्बर 2016 की अवधि में ही जमा करवाई गई थी (**परिशिष्ट-7.6 में वर्णित**)। ऋण की वसूली हेतु हालांकि प्रायोजक गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त गारंटी पत्र

46 ₹ एक लाख तक के ऋण के लिए पी.ओ., डी.एम.डब्ल्यू.ओ. तथा जिला कलेक्टर; ₹ 2.50 लाख तक पी.ओ., डी.एम.डब्ल्यू.ओ. तथा महाप्रबंधक (महाप्र); ₹ 3.50 लाख तक पी.ओ., डी.एम.डब्ल्यू.ओ., महाप्र तथा प्रबंध निदेशक (प्रनि); ₹ 5.00 लाख तक पी.ओ., डी.एम.डब्ल्यू.ओ., महाप्र, प्रनि तथा निदेशक/प्रशासक बोर्ड।

47 स्वयं सहायता समूह गज़ाला (ऋण स्वीकृति जून 2015 में) तथा स्वयं सहायता समूह बिलकिस (ऋण स्वीकृति जुलाई 2015 में)।

एकत्रित किये गए परन्तु ऋण वसूली हेतु उपयोग में नहीं लिए गए। इस प्रकार, विभाग नियमित जमा की निगरानी में असफल रहा तथा अग्रिम चेक ढाई से चार वर्ष आठ माह तक के विलम्ब से प्रस्तुत किये गए।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त 2021) कि जून 2019 में अग्रिम चेकों के अस्वीकृत होने के पश्चात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत 17 प्रकरणों में कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी तथा वसूली के प्रयास किये जा रहे थे। यह भी बताया गया कि ऋण प्रार्थनापत्रों के साथ चेक नहीं संलग्न करने वाले स्वयं सहायता समूह, डी.एम.डब्ल्यू.ओ. के संपर्क करने पर प्रार्थनापत्रों में दिए गए पते पर नहीं मिले। इन स्वयं सहायता समूह के बारे में पड़ोसियों को भी ज्ञात नहीं था। यह भी अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के पश्चात तत्कालीन डी.एम.डब्ल्यू.ओ. तथा पी.ओ. को स्पष्टीकरण हेतु पत्र जारी किये गए हैं।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि डी.एम.डब्ल्यू.ओ. तथा पी.ओ. द्वारा लघु वित्त योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करते हुए वांछित सावचेती का पालन नहीं किया गया। वे वसूली की समयबद्ध समीक्षा तथा चूक होने की स्थिति में त्वरित कानूनी कार्यवाही करने में भी विफल रहे। भविष्य में इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग को सम्बंधित कार्मिकों के विरुद्ध निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी विफलता के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने पर विचार करना चाहिए।

इस प्रकार, स्वयं सहायता समूहों को साख-पत्र जारी करने से पहले आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने तथा ऋण के पुनर्भुगतान में देरी की निगरानी में विफलता के साथ-साथ अनेक स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्तुत चेकों के अनादरण होने पर त्वरित कार्यवाही का अभाव विभाग की ऋण स्वीकृति तथा पुनर्भुगतान में शिथिलता को सिद्ध करता है। इसके फलस्वरूप, न केवल ₹ 3.28 करोड़ के ऋण एवं दंडात्मक ब्याज की वसूली का अभाव रहा, बल्कि इससे योजना के उद्देश्य, अर्थात् लाभार्थियों को बार बार छोटे ऋण देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, को ही विफल कर दिया।

कार्मिक विभाग

7.14 तीन वर्षों से अधिक समय के लिए राशि अवरुद्ध रहना

कार्यकारी एजेंसी को अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराने में ढिलाई और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 8 का उल्लंघन कर अग्रिमों के हस्तांतरण करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 7.50 करोड़ पीडी खाते में तीन वर्षों से अधिक समय के लिए अवरुद्ध रहे बल्कि बजट घोषणा के उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं किया गया।

लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियम (पीडब्ल्यूएफ एंड एआर) का नियम 351 यह निर्धारित करता है कि कोई भी कार्य उस भूमि पर शुरू नहीं किया जाना चाहिए जिसे उत्तरदायी सिविल

अधिकारियों द्वारा विधिवत उपलब्ध नहीं कराया गया है। आगे, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 8 प्रावधान करता है कि सरकारी खाते से राशि को केवल उसी दशा में निकाला जाएगा, जब तत्काल भुगतान किया जाना हो।

₹ 3600 से कम तथा समान ग्रेड पे वाले पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड⁴⁸ (आरएसएसबी), जयपुर की जनवरी 2014 में स्थापना की गई थी। बोर्ड नवंबर 2014 से, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान⁴⁹, जयपुर के स्वामित्व वाले भवन में किराए पर संचालित हो रहा था।

आरएसएसबी के लिए एक नए कार्यालय भवन के निर्माण की योजना की घोषणा वर्ष 2016-17 के राज्य बजट में की गई थी। कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसीसी) को सौंपा गया था। आरएसआरडीसीसी ने, आरएसएसबी के परामर्श से 7600 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र पर निर्माण के लिए ₹ 24.66 करोड़ का प्राक्कलन तैयार (दिसंबर 2016) किया। तथापि, मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग द्वारा दी गई एक प्रस्तुति (जून 2017) के दौरान परियोजना की लागत को कम करने और कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। आरएसआरडीसीसी ने तदनुसार, प्रस्तावित कार्यालय भवन के प्लिंथ क्षेत्र को 4,223 वर्ग मीटर तक घटाकर कर प्राक्कलन ₹ 15.94 करोड़ संशोधित (अगस्त 2017) कर दिया। कार्मिक विभाग द्वारा कार्य के लिए ₹ 15 करोड़ की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जारी की गई (अगस्त 2017) तथा ₹ एक करोड़ (मार्च 2017) और ₹ 6.50 करोड़ (अक्टूबर 2017) की दो किश्तों में ₹ 7.50 करोड़ की धनराशि आरएसआरडीसीसी को हस्तांतरित की गई।

प्रस्तावित भवन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में 2,684.19 वर्ग मीटर का एक भूखंड निःशुल्क आवंटित (फरवरी 2017) किया। चूंकि उक्त भूखंड की अन्य व्यावसायिक परियोजना के लिए आवश्यकता थी, जेडीए ने आरएसएसबी को सूचित किया (नवंबर-दिसंबर 2017) कि प्रस्तावित कार्यालय भवन के लिए एक वैकल्पिक स्थल आवंटित किया जाएगा। तथापि, जेडीए द्वारा उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करने का निर्णय अगस्त 2019 में लिया गया तथा 2,684 वर्गमीटर भूखंड का आवंटन जनवरी 2020 में एक अन्य स्थल पर किया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2020) एवं आरएसएसबी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (नवम्बर 2020) में प्रकट हुआ कि आरएसएसबी ने नए निर्माण-स्थान का कब्जा नवंबर 2020 में लिया था। आगे, आरएसआरडीसीसी ने कार्य के लिए ₹ 21.73 करोड़ (प्लिंथ क्षेत्र 5,511 वर्ग मीटर के लिए) का संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया (जनवरी 2020), जो कि

48 पूर्व में राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) के रूप में जाना जाता था।

49 कृषि विभाग के तहत कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय।

आरएसएसबी के बार-बार अनुरोध (फरवरी 2020, जुलाई 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021 और जून 2021) करने के बावजूद भी जुलाई 2021 तक कार्मिक विभाग के पास अनुमोदन के लिए लंबित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि आरएसएसबी ने वैकल्पिक साइट के लिए नवंबर 2017 में जेडीए के साथ सहमति व्यक्त की थी, बोर्ड जनवरी 2020 तक साइट का आवंटन प्राप्त नहीं कर सका। आरएसएसबी ने अपनी आवश्यकता का भी सही आंकलन नहीं किया क्योंकि निर्माण के लिए प्लिंथ क्षेत्र अगस्त 2017 में स्वीकृत 4,223 वर्ग मीटर से जनवरी 2020 में अन्य कार्यों के साथ बढ़कर 5,511 वर्ग मीटर हो गया था। इससे परियोजना की लागत स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 15.94 करोड़ से बढ़कर ₹ 21.73 करोड़ (36.72 प्रतिशत) हो गई और संशोधित पूर्वानुमान प्राक्कलनों (दिसंबर 2019) के अनुसार इसके प्रत्येक वर्ष सात प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। आगे, नई साइट के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं (जुलाई 2021) की गई है क्योंकि संशोधित प्राक्कलन की प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति 18 महीने से कार्मिक विभाग के अनुमोदन के लिए लंबित है। कार्मिक विभाग से मांगी गई संशोधित स्वीकृति के अनुमोदन नहीं मिलने के कारण प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2021)। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने से पहले ही ₹ एक करोड़ आरएसआरडीसीसी को हस्तांतरित (मार्च 2017) कर दिए गए थे।

इस प्रकार, आरएसएसबी द्वारा पहल करने में शिथिलता और विभिन्न सरकारी एजेंसियों (आरएसएसबी, कार्मिक विभाग और जेडीए) के बीच समन्वय की कमी के कारण, आरएसएसबी कार्यालय भवन का निर्माण, बजट घोषणा के पांच वर्षों के बाद भी आरएसआरडीसीसी के पास ₹ 7.50 करोड़ की धनराशि मार्च 2017 (₹ एक करोड़) और अक्टूबर 2017 (₹ 6.50 करोड़) से उपलब्ध होने के बावजूद भी शुरू नहीं किया जा सका। आरएसएसबी को बड़ी संख्या में स्टाफ के साथ, किराए के भवन (किराया : ₹ 14.20 लाख प्रति माह) से अपना संचालन जारी रखना पड़ा और जगह की कमी का सामना करना पड़ा। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान ने नवंबर 2014 से नवंबर 2019 की अवधि के बकाया किराए के लिए आरएसएसबी से ₹ 8.66 करोड़ की मांग (जनवरी 2020) की। हालांकि, आरएसएसबी द्वारा किराए का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि इसे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान द्वारा मासिक किराए के निर्धारण किए जाने के मामले पर मतभेद था।

यदि विभाग ने सभी रुकावटों से मुक्त स्थल का शीघ्र आवंटन सुनिश्चित किया होता और भवन का निर्माण 15 से 18 महीनों में (लोक निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार ₹ 15 करोड़ कार्य के लिए स्वीकार्य समयावधि) समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया होता तो ₹ 3.83 करोड़⁵⁰ (मई 2019 से जुलाई 2021) की किराया देयता से बचा जा सकता था।

50 लोक निर्माण विभाग ₹ 10 करोड़ से अधिक की लागत वाले भवन को पूर्ण करने के लिए अधिकतम 18 माह की अवधि निर्धारित करता है। इस मामले में, कार्मिक विभाग ने अक्टूबर 2017 में कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति अनुमोदित की और भवन का निर्माण नवंबर 2017 से 18 महीने का समय देकर अप्रैल 2019 तक पूरा किया जा सकता था। मासिक किराया ₹ 14,20,000 की दर से 27 महीने (मई 2019 से जुलाई 2021 तक) के लिए देय किराए की कुल राशि ₹ 3.83 करोड़ (₹ 14,20,000 × 27) बनती है।

राज्य सरकार ने आरएसएसबी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को पृष्ठांकित किया (सितंबर 2021) जिसमें यह अवगत कराया गया था कि ₹ 7.50 करोड़ का अग्रिम आरएसआरडीसीसी के ब्याज मुक्त पीडी स्वाते में हस्तांतरित किया गया था जो कि राज्य सरकार का एक उपक्रम है और इस राशि की वसूली नहीं की जा सकती क्योंकि कार्यालय भवन निर्माण का मामला अभी प्रक्रियाधीन है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अग्रिम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधान के उल्लंघन में दिया गया था।

इस प्रकार, भवन के निर्माण के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 7.50 करोड़ की राशि तीन वर्ष आठ महीने से अधिक समय से अवरुद्ध हुई है। साथ ही, बजट घोषणा का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हुआ और मई 2019 से जुलाई 2021 तक आरएसएसबी द्वारा भुगतान किए जाने वाले किराए के कारण ₹ 3.83 करोड़ की देनदारी सृजित हो गई।

अनादि मिश्र

जयपुर,
22 मार्च, 2022

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली,
23 मार्च, 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.4)

श्रेणीवार लेखापरीक्षा यूनिवर्स एवं नमूना चयन			
क्र.सं.	श्रेणी	लेखापरीक्षा यूनिवर्स	नमूना चयन
1	सेवाओं का निर्यात - कर के भुगतान के साथ (EXWP)	146	5
2	माल/सेवाओं का निर्यात-बिना कर का भुगतान किए यानी संचित आईटीसी (EXWOP)	4,437	566
3	डीम्ड एक्सपोर्ट (प्राप्तकर्ता) (EXPRDE)	4	3
4	डीम्ड एक्सपोर्ट (आपूर्तिकर्ता) (EXPSDE)	60	6
5	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष (EXBCL)	3,541	182
6	इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित आईटीसी (INVITC)	3,872	839
7	राज्य के अन्दर आपूर्ति पर भुगतान किया गया कर जिसे बाद में अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाता है तथा इसके विपरीत (INTRVC)	8	3
8	सेज इकाइयों/सेज विकासकर्ता (कर के भुगतान के साथ) को की गई आपूर्ति के कारण (SEZWP)	451	18
9	सेज इकाई/ सेज विकासकर्ता को की गई आपूर्ति के कारण (कर के भुगतान के बिना) (SEZWOP)	248	23
10	कर निर्धारण /अंतरिम कर निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण (ASSORD)	5	5
11	कर का अधिक भुगतान (XSPAY)	113	14
12	अन्य (ANYOTH)	346	39
	कुल	13,231	1,703

परिशिष्ट 2.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.1)

आवेदनों की पावती में विलम्ब (सभी प्रकार के रिफण्ड) स्वचालन-पूर्व

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम (वृत्त)	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पूर्व रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गए रिफण्ड प्रकरणों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें पावती में विलम्ब देखा गया	विलम्ब की अवधि (दिनों में)
1	वृत्त सी जयपुर	जोन III जयपुर	1,103	81	0	0
2	वृत्त एल जयपुर	जोन III जयपुर	722	24	2	27
3	वृत्त के जयपुर	जोन I जयपुर	77	8	1	24
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	245	11	0	0
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	185	8	0	0
6	विशेष वृत्त-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	28	8	0	0
7	विशेष वृत्त-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	6	0	0	0
8	वृत्त ए भिवाडी	जोन अलवर	311	35	0	0
9	वृत्त बी भिवाडी	जोन अलवर	192	14	0	0
10	विशेष वृत्त-प्रथम भिवाडी	जोन अलवर	80	3	1	6
11	विशेष वृत्त-द्वितीय भिवाडी	जोन अलवर	41	5	1	17
12	वृत्त ए जयपुर	जोन II जयपुर	498	47	24	3 से 167
13	वृत्त आई जयपुर	जोन III जयपुर	437	25	3	44 से 272
14	वृत्त क्यू जयपुर	जोन II जयपुर	210	32	0	0
15	विशेष वृत्त-तृतीय जयपुर	जोन I जयपुर	34	9	0	0
16	वृत्त विशेष वृत्त-पंचम जयपुर	जोन I जयपुर	24	6	0	0
17	वृत्त ए जयपुर	जोन I जयपुर	41	1	0	0
18	वृत्त बी सीकर	जोन I जयपुर	75	8	0	0
19	वृत्त दौसा	जोन II जयपुर	31	2	0	0
20	वृत्त पी जयपुर	जोन I जयपुर	305	17	0	0
21	वृत्त एच जयपुर	जोन II जयपुर	366	9	0	0
22	वृत्त जी जयपुर	जोन I जयपुर	90	8	0	0
23	वृत्त ओ जयपुर	जोन I जयपुर	233	7	0	0
24	वृत्त बी जयपुर	जोन III जयपुर	111	3	0	0
25	वृत्त डी जयपुर	जोन II जयपुर	120	6	0	0
26	वृत्त विशेष राजस्थान	जोन II जयपुर	11	1	0	0
27	वृत्त एफ जयपुर	जोन I जयपुर	156	4	0	0
28	वृत्त वर्क्स टैक्स-प्रथम जयपुर	जोन I जयपुर	9	2	0	0
29	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन III जयपुर	7	2	0	0
30	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	123	5	0	0
31	वृत्त टोंक	जोन III जयपुर	28	2	0	0
32	वृत्त ई जयपुर	जोन I जयपुर	370	40	0	0
33	वृत्त जे जयपुर	जोन II जयपुर	394	27	13	2 से 62
34	वृत्त एन जयपुर	जोन III जयपुर	203	15	0	0
35	वृत्त एम जयपुर	जोन I जयपुर	210	16	0	0
कुल			7,076	491	45	2 से 272

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.1)

सभी प्रकार के रिफंड के लिए आवेदनों की पावती में देरी (स्वचालन पश्चात)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पश्चात रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने में से जाँच किये गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें पावती में विलम्ब देखा गया	विलम्ब की अवधि (दिनों में)
1	वृत्त सी जयपुर	जोन III जयपुर	370	64	12	5 से 46
2	वृत्त एल जयपुर	जोन III जयपुर	245	25	5	1 से 56
3	वृत्त के जयपुर	जोन I जयपुर	134	14	7	6 से 167
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	118	16	5	6 से 53
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	88	5	0	0
6	विशेष वृत्त-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	13	6	1	3
7	विशेष वृत्त-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	2	1	0	0
8	वृत्त ए भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	360	83	17	1 से 35
9	वृत्त बी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	446	97	24	1 से 39
10	वृत्त ए अलवर	जोन अलवर	75	2	0	0
11	वृत्त बी अलवर	जोन अलवर	96	25	4	2 से 22
12	वृत्त बांसवाड़ा	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	3	1	4
13	वृत्त बाड़मेर	जोन जोधपुर	60	11	1	7
14	वृत्त ए व्याबर	जोन अजमेर	34	5	0	0
15	वृत्त बी व्याबर	जोन अजमेर	49	3	1	17
16	वृत्त ए भरतपुर	जोन भरतपुर	46	7	3	16 से 161
17	वृत्त बी भरतपुर	जोन भरतपुर	28	2	0	0
18	वृत्त वर्कस टैक्स भरतपुर	जोन भरतपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	2	1	38
19	वृत्त ए जयपुर	जोन II जयपुर	84	30	7	3 से 57
20	वृत्त-I जयपुर	जोन III जयपुर	158	21	10	2 से 75
21	वृत्त क्यू जयपुर	जोन II जयपुर	110	21	5	1 से 06
22	वृत्त विशेष-तृतीय जयपुर	जोन I जयपुर	26	7	3	4 से 206
23	वृत्त विशेष -पंचम जयपुर	जोन I जयपुर	11	3	2	38 से 40
24	वृत्त ए सीकर	जोन I जयपुर	24	2	1	9
25	वृत्त बी सीकर	जोन I जयपुर	26	8	0	0
26	वृत्त दौसा	जोन II जयपुर	10	1	0	0
27	वृत्त झालावाड़	जोन कोटा	7	1	0	0
28	वृत्त झुन्झनू	जोन बीकानेर	7	2	1	16
29	वृत्त करौली	जोन भरतपुर	2	1	0	0
30	वृत्त मकराना	जोन अजमेर	31	5	3	2 से 55

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पश्चात रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने में से जाँच किये गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें पावती में विलम्ब देखा गया	विलम्ब की अवधि (दिनों में)
31	वृत्त मेड़ता सिटी	जोन अजमेर	75	29	8	2 से 16
32	वृत्त नागौर	जोन अजमेर	33	13	1	01
33	वृत्त राजसमन्द	जोन भीलवाड़ा	30	1	0	0
34	वृत्त शाहजहाँपुर	जोन अलवर	60	7	1	12
35	वृत्त सुमेरपुर	जोन पाली	45	3	1	03
36	वृत्त वर्क्स टैक्स-द्वितीय, जयपुर	जोन II जयपुर	9	2	0	0
37	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स-तृतीय जयपुर	जोन III जयपुर	15	2	1	44
38	वृत्त बालोतरा	जोन जोधपुर	346	91	43	1 से 91
39	वृत्त ए बीकानेर	जोन बीकानेर	2	2	0	0
40	वृत्त बी बीकानेर	जोन बीकानेर	17	1	1	24
41	वृत्त सी बीकानेर	जोन बीकानेर	60	13	7	10 से 126
42	वृत्त डी बीकानेर	जोन बीकानेर	16	2	0	0
43	वृत्त वर्क्स टैक्स, बीकानेर	जोन बीकानेर	7	2	0	0
44	वृत्त बी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	11	7	2 से 53
45	वृत्त सी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	1	0	0
46	वृत्त विशेष-प्रथम कोटा	जोन कोटा	1	1	0	0
47	वृत्त विशेष-द्वितीय कोटा	जोन कोटा	10	4	1	46
48	वृत्त वर्क्स टैक्स कोटा	जोन कोटा	12	3	0	0
49	वृत्त पाली	जोन पाली	101	50	21	1 से 130
50	वृत्त सिरोही	जोन पाली	54	16	9	1 से 15
51	वृत्त ए उदयपुर	जोन उदयपुर	61	9	8	1 से 65
52	वृत्त बी उदयपुर	जोन उदयपुर	7	3	1	1
53	वृत्त सी उदयपुर	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	4	2	2 से 5
54	वृत्त पी जयपुर	जोन I जयपुर	121	21	7	11 से 97
55	वृत्त एच जयपुर	जोन II जयपुर	88	9	4	12 से 33
56	वृत्त जी जयपुर	जोन I जयपुर	35	4	0	0
57	वृत्त ओ जयपुर	जोन I जयपुर	44	11	3	7 से 180
58	वृत्त बी जयपुर	जोन III जयपुर	44	8	3	41 से 53
59	वृत्त डी जयपुर	जोन II जयपुर	54	1	0	0
60	वृत्त एफ जयपुर	जोन I जयपुर	35	3	1	12
61	वृत्त वर्क्स टैक्स-प्रथम जयपुर	जोन I जयपुर	5	3	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पश्चात रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने में से जाँच किये गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें पावती में विलम्ब देखा गया	विलम्ब की अवधि (दिनों में)
62	वृत्त विशेष –प्रथम जयपुर	जोन III जयपुर	2	1	0	0
63	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	87	11	2	7 से 30
64	वृत्त टोंक	जोन III जयपुर	16	3	1	30
65	वृत्त ए जोधपुर	जोन जोधपुर	71	10	2	1 से 2
66	वृत्त बी जोधपुर	जोन जोधपुर	219	53	36	1 से 122
67	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	298	79	13	3 से 44
68	वृत्त डी जोधपुर	जोन जोधपुर	76	16	9	3 से 15
69	वृत्त ई जोधपुर	जोन जोधपुर	55	11	5	1 से 73
70	वृत्त एफ जोधपुर	जोन जोधपुर	88	15	5	2 से 83
71	वृत्त विशेष प्रथम जोधपुर	जोन जोधपुर	3	1	0	0
72	वृत्त विशेष तृतीय जोधपुर	जोन जोधपुर	10	3	2	3 से 5
73	वृत्त सी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	270	37	4	1 से 4
74	वृत्त विशेष प्रथम भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	2	1	0	0
75	वृत्त वर्क्स टैक्स भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	1	1	0	0
76	वृत्त बून्दी	जोन कोटा	19	1	1	95
77	वृत्त चित्तोडगढ़	जोन भीलवाड़ा	35	10	3	8 से 23
78	वृत्त चूरु	जोन बीकानेर	11	1	0	0
79	वृत्त डूंगरपुर	जोन उदयपुर	11	2	0	0
80	वृत्त बी हनुमानगढ़	जोन गंगानगर	7	3	3	5 से 6
81	वृत्त विशेष एकादश जयपुर	जोन III जयपुर	4	1	1	12
82	वृत्त जैसलमेर	जोन जोधपुर	14	2	0	0
83	वृत्त जालोर	जोन पाली	40	6	0	0
84	वृत्त ई जयपुर	जोन I जयपुर	155	35	7	1 से 33
85	वृत्त जे जयपुर	जोन II जयपुर	251	30	8	2 से 50
86	वृत्त एन जयपुर	जोन III जयपुर	94	15	9	1 से 58
87	वृत्त एम जयपुर	जोन I जयपुर	62	10	1	2
88	वृत्त ए भिवाडी	जोन अलवर	106	30	1	1
89	वृत्त बी भिवाडी	जोन अलवर	62	12	6	4 से 195
90	वृत्त विशेष-प्रथम भिवाडी	जोन अलवर	13	5	5	5 से 45
91	वृत्त विशेष-द्वितीय भिवाडी	जोन अलवर	24	3	2	8 से 24
92	वृत्त वर्क्स टैक्स भिवाडी	जोन अलवर	2	1	0	0
कुल			6,155	1,212	370	1 से 206

परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.2)

समयावधि के भीतर निष्पादित नहीं किये गए आवेदन (देय ब्याज का भुगतान किया गया/भुगतान नहीं किया गया) स्वचालन-पूर्व

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पूर्व रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड के प्रकारों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	चुकाया गया देय ब्याज	न चुकाया गया देय ब्याज	विलम्ब के कारण
1	वृत्त सी जयपुर	जोन III जयपुर	1,103	81	10	6 से 86	0	27,267	उपलब्ध नहीं
2	वृत्त एल जयपुर	जोन III जयपुर	722	24	3	3 से 92	0	5,533	उपलब्ध नहीं
3	वृत्त के जयपुर	जोन I जयपुर	77	8	3	16 से 141	0	7,540	उपलब्ध नहीं
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	245	11	0	0	0	0	-
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	185	8	0	0	0	0	-
6	विशेष वृत्त-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	28	8	0	0	0	0	-
7	विशेष वृत्त-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	6	0	0	0	0	0	-
8	वृत्त ए भिवाड़ी	जोन अलवर	311	35	2	2 से 5	0	776	उपलब्ध नहीं
9	वृत्त बी भिवाड़ी	जोन अलवर	192	14	7	165 से 316	0	1,34,320	उपलब्ध नहीं
10	विशेष वृत्त-प्रथम भिवाड़ी	जोन अलवर	80	3	0	0	0	0	-
11	विशेष वृत्त-द्वितीय भिवाड़ी	जोन अलवर	41	5	3	5 से 118	0	8,373	उपलब्ध नहीं
12	वृत्त ए जयपुर	जोन-II जयपुर	498	47	17	7 से 521	0	56,025	उपलब्ध नहीं
13	वृत्त आई जयपुर	जोन-III जयपुर	437	25	0	0	0	0	-
14	वृत्त क्यू जयपुर	जोन-II जयपुर	210	32	8	33 से 276	0	48,364	उपलब्ध नहीं
15	विशेष वृत्त-तृतीय जयपुर	जोन-I जयपुर	34	9	6	5	0	971	उपलब्ध नहीं
16	वृत्त विशेष-पंचम जयपुर	जोन-I जयपुर	24	6	0	0	0	0	-
17	वृत्त ए सीकर	जोन-I जयपुर	41	1	0	0	0	0	-

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पूर्व रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	चुकाया गया देय ब्याज	न चुकाया गया देय ब्याज	विलम्ब के कारण
18	वृत्त बी सीकर	जोन-I जयपुर	75	8	0	0	0	0	-
19	वृत्त दौसा	जोन-II जयपुर	31	2	1	223	0	828	उपलब्ध नहीं
20	वृत्त पी जयपुर	जोन-I जयपुर	305	17	7	3 से 80	0	17,660	उपलब्ध नहीं
21	वृत्त एच जयपुर	जोन-II जयपुर	366	9	1	38	0	768	उपलब्ध नहीं
22	वृत्त जी जयपुर	जोन-I जयपुर	90	8	0	0	0	0	-
23	वृत्त ओ जयपुर	जोन-I जयपुर	233	7	1	6	0	87	उपलब्ध नहीं
24	वृत्त बी जयपुर	जोन-III जयपुर	111	3	1	271	0	19,399	उपलब्ध नहीं
25	वृत्त डी जयपुर	जोन-II जयपुर	120	6	2	11 से 298	0	8,467	उपलब्ध नहीं
26	वृत्त विशेष राजस्थान	जोन-II जयपुर	11	1	0	0	0	0	-
27	वृत्त एफ जयपुर	जोन-I जयपुर	156	4	1	115	0	2,227	उपलब्ध नहीं
28	वृत्त वर्क्स टैक्स -प्रथम जयपुर	जोन-I जयपुर	9	2	0	0	0	0	-
29	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन-III जयपुर	7	2	0	0	0	0	-
30	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	123	5	0	0	0	0	-
31	वृत्त टोंक	जोन-III जयपुर	28	2	0	0	0	0	-
32	वृत्त ई जयपुर	जोन-I जयपुर	370	40	8	11 से 206	0	60,647	उपलब्ध नहीं
33	वृत्त जे जयपुर	जोन-II जयपुर	394	27	19	02 से 321	0	85,067	उपलब्ध नहीं
34	वृत्त एन जयपुर	जोन-III जयपुर	203	15	7	34 से 522	0	32,925	उपलब्ध नहीं
35	वृत्त एम जयपुर	जोन-I जयपुर	210	16	1	51	0	2,274	उपलब्ध नहीं
कुल			7,076	491	108			5,19,518	

परिशिष्ट 2.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.2)

समयावधि के भीतर निष्पादित नहीं किये गए आवेदन (देय ब्याज का भुगतान किया गया/भुगतान नहीं किया गया) स्वचालन-पश्चात

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	स्वचालन-पश्चात संसाधित किए गए रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	देय ब्याज जो चुकाया गया	देय ब्याज जो नहीं चुकाया गया	विलम्ब के कारण
1	वृत्त सी जयपुर	जोन-III जयपुर	370	64	6	9 से 92	0	16,283	उपलब्ध नहीं
2	वृत्त एल जयपुर	जोन-III जयपुर	245	25	4	6 से 121	0	4,229	उपलब्ध नहीं
3	वृत्त के जयपुर	जोन-I जयपुर	134	14	0	0	0	0	-
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	118	16	0	0	0	0	-
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	88	5	2	75 से 78	0	951	उपलब्ध नहीं
6	वृत्त विशेष-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	13	6	0	0	0	0	-
7	वृत्त विशेष-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	2	1	0	0	0	0	-
8	वृत्त ए भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	360	83	0	0	0	0	-
9	वृत्त बी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	446	97	2	42 से 45	0	8,458	उपलब्ध नहीं
10	वृत्त ए अलवर	जोन अलवर	75	2	1	41	0	38	उपलब्ध नहीं
11	वृत्त बी अलवर	जोन अलवर	96	25	0	0	0	0	-
12	वृत्त बांसवाड़ा	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	3	0	0	0	0	-
13	वृत्त बाडमेर	जोन जोधपुर	60	11	0	0	0	0	-
14	वृत्त ए व्यावर	जोन अजमेर	34	5	0	0	0	0	-
15	वृत्त बी व्यावर	जोन अजमेर	49	3	0	0	0	0	-
16	वृत्त ए भरतपुर	जोन भरतपुर	46	7	2	109 से 150	0	2,852	उपलब्ध नहीं
17	वृत्त बी भरतपुर	जोन भरतपुर	28	2	1	45	0	22	उपलब्ध नहीं
18	वृत्त वर्क्स टैक्स भरतपुर	जोन भरतपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	2	0	0	0	0	-
19	वृत्त ए जयपुर	जोन-II जयपुर	84	30	4	2 से 40	0	3,575	उपलब्ध नहीं
20	वृत्त आई जयपुर	जोन-III जयपुर	158	21	2	58 से 125	0	11,637	उपलब्ध नहीं
21	वृत्त क्यू जयपुर	जोन-II जयपुर	110	21	1	75	0	67	उपलब्ध नहीं
22	वृत्त विशेष-तृतीय जयपुर	जोन-I जयपुर	26	7	1	161	0	50,538	उपलब्ध नहीं
23	वृत्त विशेष-पंचम जयपुर	जोन-I जयपुर	11	3	0	0	0	0	-

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	स्वचालन-पश्चात संसाधित किए गए रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	देय ब्याज जो चुकाया गया	देय ब्याज जो नहीं चुकाया गया	विलम्ब के कारण
24	वृत्त ए सीकर	जोन-I जयपुर	24	2	1	164	0	2,292	उपलब्ध नहीं
25	वृत्त बी सीकर	जोन-I जयपुर	26	8	3	10 से 139	0	1,602	उपलब्ध नहीं
26	वृत्त दौसा	जोन-II जयपुर	10	1	0	0	0	0	-
27	वृत्त झालावाड़	जोन कोटा	7	1	1	44	0	1,157	उपलब्ध नहीं
28	वृत्त झुन्झुनू	जोन बीकानेर	7	2	1	3	0	157	उपलब्ध नहीं
29	वृत्त करौली	जोन भरतपुर	2	1	1	20	0	17	उपलब्ध नहीं
30	वृत्त मकराना	जोन अजमेर	31	5	1	10	0	1,308	उपलब्ध नहीं
31	वृत्त मेड़ता सिटी	जोन अजमेर	75	29	0	0	0	0	-
32	वृत्त नागौर	जोन अजमेर	33	13	0	0	0	0	-
33	वृत्त राजसमन्द	जोन भीलवाड़ा	30	1	0	0	0	0	-
34	वृत्त शाहजहाँपुर	जोन अलवर	60	7	3	2 से 17	0	3,990	उपलब्ध नहीं
35	वृत्त सुमेरपुर	जोन पाली	45	3	2	16 से 20	0	4,297	उपलब्ध नहीं
36	वृत्त वर्क्स टैक्स-द्वितीय जयपुर	जोन-II जयपुर	9	2	0	0	0	0	-
37	वृत्त वर्क्स टैक्स-तृतीय जयपुर	जोन-III जयपुर	15	2	2	73 से 191	0	29,731	उपलब्ध नहीं
38	वृत्त बालोतरा	जोन जोधपुर	346	91	12	01 से 46	0	13,870	उपलब्ध नहीं
39	वृत्त ए बीकानेर	जोन बीकानेर	2	2	0	0	0	0	-
40	वृत्त बी बीकानेर	जोन बीकानेर	17	1	0	0	0	0	-
41	वृत्त सी बीकानेर	जोन बीकानेर	60	13	4	44 से 114	0	1,76,757	उपलब्ध नहीं
42	वृत्त डी बीकानेर	जोन बीकानेर	16	2	1	34	0	24	उपलब्ध नहीं
43	वृत्त- वर्क्स टैक्स बीकानेर	जोन बीकानेर	7	2	0	0	0	0	-
44	वृत्त बी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	11	4	7 से 10	0	9,663	उपलब्ध नहीं
45	वृत्त सी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	1	1	10	0	74	उपलब्ध नहीं
46	वृत्त विशेष-प्रथम कोटा	जोन कोटा	1	1	0	0	0	0	-
47	वृत्त विशेष-द्वितीय कोटा	जोन कोटा	10	4	4	9 से 45	0	99,602	उपलब्ध नहीं
48	वृत्त वर्क्स टैक्स कोटा	जोन कोटा	12	3	0	0	0	0	-
49	वृत्त पाली	जोन पाली	101	50	17	9 से 195	0	88,558	उपलब्ध नहीं
50	वृत्त सिरोही	जोन पाली	54	16	0	0	0	0	-

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	स्वचालन-पश्चात संसाधित किए गए रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	देय ब्याज जो चुकाया गया	देय ब्याज जो नहीं चुकाया गया	विलम्ब के कारण
51	वृत्त ए उदयपुर	जोन उदयपुर	61	9	1	20	0	3,557	उपलब्ध नहीं
52	वृत्त बी उदयपुर	जोन उदयपुर	7	3	0	0	0	0	-
53	वृत्त सी उदयपुर	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	4	1	46	0	899	उपलब्ध नहीं
54	वृत्त पी जयपुर	जोन-I जयपुर	121	21	7	30 से 135	0	19,546	उपलब्ध नहीं
55	वृत्त एच जयपुर	जोन-II जयपुर	88	9	1	52	0	213	उपलब्ध नहीं
56	वृत्त जी जयपुर	जोन-I जयपुर	35	4	0	0	0	0	-
57	वृत्त ओ जयपुर	जोन-I जयपुर	44	11	3	22 से 135	0	45,721	उपलब्ध नहीं
58	वृत्त बी जयपुर	जोन-III जयपुर	44	8	1	8	0	2,393	उपलब्ध नहीं
59	वृत्त डी जयपुर	जोन-II जयपुर	54	1	0	0	0	0	-
60	वृत्त एफ जयपुर	जोन-I जयपुर	35	3	0	0	0	0	-
61	वृत्त- वर्क्स टैक्स प्रथम जयपुर	जोन-I जयपुर	5	3	0	0	0	0	-
62	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन-III जयपुर	2	1	0	0	0	0	-
63	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	87	11	0	0	0	0	-
64	वृत्त टोंक	जोन-III जयपुर	16	3	1	71	0	1,663	उपलब्ध नहीं
65	वृत्त ए जोधपुर	जोन जोधपुर	71	10	0	0	0	0	-
66	वृत्त बी जोधपुर	जोन जोधपुर	219	53	15	01 से 77	0	80,785	उपलब्ध नहीं
67	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	298	79	0	0	0	0	-
68	वृत्त डी जोधपुर	जोन जोधपुर	76	16	2	9 से 66	0	105	उपलब्ध नहीं
69	वृत्त ई जोधपुर	जोन जोधपुर	55	11	1	3	0	532	उपलब्ध नहीं
70	वृत्त एफ जोधपुर	जोन जोधपुर	88	15	4	12 से 37	0	98,344	उपलब्ध नहीं
71	वृत्त विशेष-प्रथम जोधपुर	जोन जोधपुर	3	1	0	0	0	0	-
72	वृत्त विशेष-तृतीय जोधपुर	जोन जोधपुर	10	3	0	0	0	0	-
73	वृत्त सी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	270	37	0	0	0	0	-
74	वृत्त विशेष-प्रथम भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	2	1	1	16	0	7,675	उपलब्ध नहीं
75	वृत्त वर्क्स टैक्स भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	1	1	1	11	0	89	उपलब्ध नहीं
76	वृत्त बूंदी	जोन कोटा	19	1	1	58	0	23,881	उपलब्ध नहीं
77	वृत्त चित्तोड़गढ़	जोन भीलवाड़ा	35	10	4	31 से 63	0	18,176	उपलब्ध नहीं
78	वृत्त चुरू	जोन बीकानेर	11	1	0	0	0	0	-
79	वृत्त डूंगरपुर	जोन उदयपुर	11	2	0	0	0	0	-
80	वृत्त बी हनुमानगढ़	जोन श्रीगंगानगर	7	3	0	0	0	0	-

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	स्वचालन-पश्चात संसाधित किए गए रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	देय ब्याज जो चुकाया गया	देय ब्याज जो नहीं चुकाया गया	विलम्ब के कारण
81	वृत्त विशेष एकादश जयपुर	जोन-III जयपुर	4	1	0	0	0	0	-
82	वृत्त जैसलमेर	जोन जोधपुर	14	2	1	66	0	330	उपलब्ध नहीं
83	वृत्त जालोर	जोन पाली	40	6	2	55 से 83	0	7,098	उपलब्ध नहीं
84	वृत्त जे जयपुर	जोन-II जयपुर	251	30	1	5	0	540	उपलब्ध नहीं
85	वृत्त ए भिवाड़ी	जोन अलवर	106	30	3	2 से 23	0	2,210	उपलब्ध नहीं
86	वृत्त बी भिवाड़ी	जोन अलवर	62	12	3	150 से 179	0	1,21,001	उपलब्ध नहीं
87	वृत्त विशेष-प्रथम भिवाड़ी	जोन अलवर	13	5	1	30	0	1,96,632	उपलब्ध नहीं
88	वृत्त ई जयपुर	जोन-I जयपुर	155	35	0	0	0	0	-
89	वृत्त एन जयपुर	जोन-III जयपुर	94	15	0	0	0	0	-
90	वृत्त एम जयपुर	जोन-I जयपुर	62	10	0	0	0	0	-
91	वृत्त विशेष-द्वितीय भिवाड़ी	जोन अलवर	24	3	0	0	0	0	-
92	वृत्त वर्क्स टैक्स भिवाड़ी	जोन अलवर	2	1	0	0	0	0	-
कुल			6,155	1,212	139			11,63,139	

परिशिष्ट 2.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.3)

शून्य-दर आपूर्ति के अन्तर्गत अंतरिम रिफण्ड निर्धारित समय के भीतर स्वीकृत नहीं किया जाना (स्वचालन-पूर्व)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए शून्य-दर रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	विलंब की अवधि (दिनों में)
1	वृत्त सी	जोन -III जयपुर	587	59	4	3 से 17
2	वृत्त एल जयपुर	जोन -III जयपुर	335	16	0	0
3	वृत्त जे जयपुर	जोन -I जयपुर	64	4	0	0
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	79	4	0	0
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	31	5	0	0
6	विशेष वृत्त-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	27	8	0	0
7	विशेष वृत्त-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	1	0	0
8	वृत्त ए भिवाड़ी	जोन अलवर	81	14	0	0
9	वृत्त बी भिवाड़ी	जोन अलवर	36	9	0	0
10	विशेष वृत्त-प्रथम भिवाड़ी	जोन अलवर	4	0	0	0
11	विशेष वृत्त-द्वितीय भिवाड़ी	जोन अलवर	15	2	0	0
12	वृत्त ए जयपुर	जोन -II जयपुर	336	28	0	0
13	वृत्त आई जयपुर	जोन -III जयपुर	313	16	0	0
14	वृत्त क्यू जयपुर	जोन -II जयपुर	146	21	3	4 से 11
15	विशेष वृत्त-तृतीय जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0
16	विशेष वृत्त-पंचम जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0
17	वृत्त ए सीकर	जोन -I जयपुर	8	0	0	0
18	वृत्त बी सीकर	जोन -I जयपुर	1	0	0	0
19	वृत्त दौसा	जोन -II जयपुर	12	0	0	0
20	वृत्त पी जयपुर	जोन -I जयपुर	94	6	0	0
21	वृत्त एच जयपुर	जोन -II जयपुर	283	7	0	0
22	वृत्त जी जयपुर	जोन -I जयपुर	33	2	0	0
23	वृत्त ओ जयपुर	जोन -I जयपुर	141	1	0	0
24	वृत्त बी जयपुर	जोन -III जयपुर	79	2	1	324
25	वृत्त डी जयपुर	जोन -II जयपुर	70	3	1	24
26	वृत्त विशेष राजस्थान	जोन -II जयपुर	0	0	0	0
27	वृत्त एफ जयपुर	जोन -I जयपुर	56	1	0	0
28	वृत्त वर्क्स टैक्स-प्रथम जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0
29	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन -III जयपुर	1	0	0	0
30	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	96	3	0	0
31	वृत्त टोंक	जोन -III जयपुर	1	0	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए शून्य-दर रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	विलंब की अवधि (दिनों में)
32	वृत्त एन जयपुर	जोन -III जयपुर	143	14	6	2 से 26
33	वृत्त ई जयपुर	जोन -I जयपुर	75	10	0	0
34	वृत्त जे जयपुर	जोन -II जयपुर	330	26	0	0
35	वृत्त एम जयपुर	जोन -I जयपुर	83	6	0	0
कुल			3,560	268	15	2 से 324

परिशिष्ट 2.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.3)

शून्य दर आपूर्ति के अंतर्गत अंतरिम रिफण्ड का समय के भीतर स्वीकृत नहीं किया जाना (स्वचालन-पश्चात)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	संभाग/जोन का नाम	प्रक्रमित किये गये स्वचालन-पश्चात के शून्य-दर रिफण्ड आवेदन की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफण्ड प्रकरणों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	विलंब की अवधि (दिनों में)
1	वृत्त सी जयपुर	जोन -III जयपुर	104	36	9	7 से 62
2	वृत्त एल जयपुर	जोन -III जयपुर	73	12	0	0
3	वृत्त के जयपुर	जोन -I जयपुर	27	3	0	0
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	56	10	0	0
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	5	0	0	0
6	वृत्त विशेष-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	12	6	0	0
7	वृत्त विशेष-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	2	1	0	0
8	वृत्त ए भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	65	21	0	0
9	वृत्त बी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	77	29	0	0
10	वृत्त ए अलवर	जोन अलवर	23	0	0	0
11	वृत्त बी अलवर	जोन अलवर	4	0	0	0
12	वृत्त ए व्यावर	जोन अजमेर	4	3	0	0
13	वृत्त बी व्यावर	जोन अजमेर	1	1	0	0
14	वृत्त ए भरतपुर	जोन भरतपुर	0	0	0	0
15	वृत्त बी भरतपुर	जोन भरतपुर	0	0	0	0
16	वृत्त वर्क्स टैक्स भरतपुर	जोन भरतपुर	0	0	0	0
17	वृत्त बांसवाड़ा	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	1	0	0
18	वृत्त बाड़मेर	जोन जोधपुर	16	5	0	0
19	वृत्त ए जयपुर	जोन -II जयपुर	29	16	0	0
20	वृत्त आई जयपुर	जोन -III जयपुर	89	16	7	2 से 178
21	वृत्त क्यू जयपुर	जोन -II जयपुर	36	13	3	4 से 17
22	वृत्त विशेष-तृतीय जयपुर	जोन -I जयपुर	3	0	0	0
23	वृत्त विशेष-पंचम जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0
24	वृत्त ए सीकर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0
25	वृत्त बी सीकर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0
26	वृत्त दौसा	जोन -II जयपुर	0	0	0	0
27	वृत्त झालावाड़	जोन कोटा	0	0	0	0
28	वृत्त झुन्झूनू	जोन बीकानेर	0	0	0	0
29	वृत्त करौली	जोन भरतपुर	0	0	0	0
30	वृत्त मकराना	जोन अजमेर	10	0	0	0
31	वृत्त मेड़ता सिटी	जोन अजमेर	3	2	0	0
32	वृत्त नागौर	जोन अजमेर	0	0	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	संभाग/जोन का नाम	प्रक्रमित किये गये स्वचालन-पश्चात के शून्य-दर रिफण्ड आवेदन की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफण्ड प्रकरणों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	विलंब की अवधि (दिनों में)
33	वृत्त राजसमन्द	जोन भीलवाड़ा	1	0	0	0
34	वृत्त शाहजहांपुर	जोन अलवर	39	6	3	1 से 4
35	वृत्त सुमेरपुर	जोन पाली	4	1	0	0
36	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स-द्वितीय जयपुर	जोन -II जयपुर	0	0	0	0
37	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स-तृतीय जयपुर	जोन -III जयपुर	1	1	0	0
38	वृत्त बालोतरा	जोन जोधपुर	2	2	1	54
39	वृत्त ए बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0
40	वृत्त बी बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0
41	वृत्त सी बीकानेर	जोन बीकानेर	16	3	0	0
42	वृत्त डी बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0
43	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0
44	वृत्त बी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	3	0	0
45	वृत्त सी कोटा	जोन कोटा	0	0	0	0
46	वृत्त विशेष-प्रथम कोटा	जोन कोटा	1	1	0	0
47	वृत्त विशेष-द्वितीय कोटा	जोन कोटा	2	1	0	0
48	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स कोटा	जोन कोटा	0	0	0	0
49	वृत्त पाली	जोन पाली	0	0	0	0
50	वृत्त सिरोही	जोन पाली	2	1	0	0
51	वृत्त ए उदयपुर	जोन उदयपुर	46	9	2	1 से 14
52	वृत्त बी उदयपुर	जोन उदयपुर	6	2	0	0
53	वृत्त सी उदयपुर	जोन उदयपुर	0	0	0	0
54	वृत्त पी जयपुर	जोन -I जयपुर	12	1	0	0
55	वृत्त एच जयपुर	जोन -II जयपुर	58	8	0	0
56	वृत्त जी जयपुर	जोन -I जयपुर	13	1	0	0
57	वृत्त ओ जयपुर	जोन -I जयपुर	14	2	0	0
58	वृत्त बी जयपुर	जोन -III जयपुर	18	2	0	0
59	वृत्त डी जयपुर	जोन -II जयपुर	29	1	0	0
60	वृत्त एफ जयपुर	जोन -I जयपुर	4	2	0	0
61	वृत्त वर्क्स टैक्स-प्रथम जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0
62	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन -III जयपुर	0	0	0	0
63	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	61	9	2	37 से 44
64	वृत्त टोंक	जोन -III जयपुर	1	1	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	संभाग/जोन का नाम	प्रक्रमित किये गये स्वचालन-पश्चात के शून्य-दर रिफण्ड आवेदन की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफण्ड प्रकरणों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	विलंब की अवधि (दिनों में)
65	वृत्त ए जोधपुर	जोन जोधपुर	33	5	3	2 से 26
66	वृत्त बी जोधपुर	जोन जोधपुर	10	0	0	0
67	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	62	26	5	2 से 14
68	वृत्त डी जोधपुर	जोन जोधपुर	28	4	0	0
69	वृत्त ई जोधपुर	जोन जोधपुर	10	2	0	0
70	वृत्त एफ जोधपुर	जोन जोधपुर	58	13	5	68 से 77
71	वृत्त विशेष-प्रथम जोधपुर	जोन जोधपुर	0	0	0	0
72	वृत्त विशेष-तृतीय जोधपुर	जोन जोधपुर	0	0	0	0
73	वृत्त सी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	27	1	0	0
74	वृत्त विशेष-प्रथम भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	2	1	1	57
75	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	0	0	0	0
76	वृत्त बूंदी	जोन कोटा	1	0	0	0
77	वृत्त चित्तौड़गढ़	जोन भीलवाड़ा	1	1	0	0
78	वृत्त चुरू	जोन बीकानेर	0	0	0	0
79	वृत्त डूंगरपुर	जोन उदयपुर	3	0	0	0
80	वृत्त बी हनुमानगढ़	जोन गंगानगर	3	3	0	0
81	वृत्त विशेष-एकादश जयपुर	जोन -III जयपुर	0	0	0	0
82	वृत्त जैसलमेर	जोन जोधपुर	3	1	1	42
83	वृत्त जालोर	जोन पाली	7	1	0	0
84	वृत्त ई जयपुर	जोन -I जयपुर	23	2	0	0
85	वृत्त जे जयपुर	जोन -II जयपुर	84	16	0	0
86	वृत्त एन जयपुर	जोन -III जयपुर	41	10	0	0
87	वृत्त एम जयपुर	जोन -I जयपुर	23	5	0	0
88	वृत्त ए भिवाडी	जोन अलवर	31	10	0	0
89	वृत्त बी भिवाडी	जोन अलवर	24	5	0	0
90	वृत्त विशेष-प्रथम भिवाडी	जोन अलवर	0	0	0	0
91	वृत्त विशेष-द्वितीय भिवाडी	जोन अलवर	10	1	0	0
92	वृत्त वर्क्स टैक्स भिवाडी	जोन अलवर	0	0	0	0
कुल			1,453	339	42	1 से 178

परिशिष्ट 2.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.4)

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत रिफण्ड का अनियमित अनुमत्य किया जाना (स्वचालन-पूर्व)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किये गये इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण स्वचालन-पूर्व रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड प्रकरणों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	अनुमत्य किया गया अनियमित रिफण्ड (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
1	वृत्त सी जयपुर	जोन -III जयपुर	144	8	0	0	0	0
2	वृत्त एल जयपुर	जोन -III जयपुर	21	2	0	0	0	0
3	वृत्त के जयपुर	जोन -I जयपुर	12	1	0	0	0	0
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	73	4	0	0	0	0
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	47	2	0	0	0	0
6	विशेष वृत्त-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	0	0	0	0	0	0
7	विशेष वृत्त-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	0	0	0	0	0	0
8	वृत्त ए भिवाड़ी	जोन अलवर	132	15	1	12,70,727	0.00	0.00
9	वृत्त बी भिवाड़ी	जोन अलवर	46	4	0	0	0	0
10	विशेष वृत्त-प्रथम भिवाड़ी	जोन अलवर	24	3	0	0	0	0
11	विशेष वृत्त-द्वितीय भिवाड़ी	जोन अलवर	11	2	0	0	0	0
12	वृत्त ए जयपुर	जोन -II जयपुर	51	11	0	0	0	0
13	वृत्त आई जयपुर	जोन -III जयपुर	4	3	0	0	0	0
14	वृत्त क्यू जयपुर	जोन -II जयपुर	21	8	0	0	0	0
15	वृत्त विशेष-तृतीय जयपुर	जोन -I जयपुर	33	9	0	0	0	0
16	वृत्त विशेष-पंचम जयपुर	जोन -I जयपुर	19	6	0	0	0	0
17	वृत्त ए सीकर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0	0	0
18	वृत्त बी सीकर	जोन -I जयपुर	48	6	0	0	0	0
19	वृत्त दौसा	जोन -II जयपुर	1	0	0	0	0	0
20	वृत्त पी जयपुर	जोन -I जयपुर	164	7	1	0	0	15,840
21	वृत्त एच जयपुर	जोन -II जयपुर	0	0	0	0	0	0
22	वृत्त जी जयपुर	जोन -I जयपुर	35	4	2	1,34,887	0	0
23	वृत्त ओ जयपुर	जोन -I जयपुर	14	1	0	0	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किये गये इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण स्वचालन- पूर्व रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड प्रकरणों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	अनुमत्य किया गया अनियमित रिफण्ड (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
24	वृत्त बी जयपुर	जोन -III जयपुर	3	1	0	0	0	0
25	वृत्त डी जयपुर	जोन -II जयपुर	0	0	0	0	0	0
26	वृत्त विशेष राजस्थान	जोन -II जयपुर	0	0	0	0	0	0
27	वृत्त एफ जयपुर	जोन -I जयपुर	8	0	0	0	0	0
28	वृत्त वर्क्स टैक्स-प्रथम जयपुर	जोन -I जयपुर	1	1	0	0	0	0
29	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन -III जयपुर	4	1	0	0	0	0
30	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	7	0	0	0	0	0
31	वृत्त टोंक	जोन -III जयपुर	0	0	0	0	0	0
32	वृत्त ई जयपुर	जोन -I जयपुर	259	26		0	0	0
33	वृत्त जे जयपुर	जोन -II जयपुर	8	0	0	0	0	0
34	वृत्त एन जयपुर	जोन -III जयपुर	9	0	0	0	0	0
35	वृत्त एम जयपुर	जोन -I जयपुर	9	4	0	0	0	0
कुल			1,208	129	4	14,05,614	0	15,840
						14,21,454		

परिशिष्ट 2.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.4)

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफण्ड का अनियमित अनुमत्य किया जाना (स्वचालन-पश्चात)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीज़न/जोन का नाम	संसाधित किये गये इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण स्वचालन-पश्चात रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड आवेदनों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	अनुमत्य किया गया अनियमित रिफण्ड (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
1	वृत्त सी जयपुर	जोन -III जयपुर	93	18	3	0	2,44,769	2,44,770
2	वृत्त एल जयपुर	जोन -III जयपुर	11	6	2	2,55,487	19,626	19,626
3	वृत्त के जयपुर	जोन -I जयपुर	51	8	3	0	0	6,07,68,870
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	28	6	1	9,63,856	0	0
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	2	2	0	0	0	0
6	विशेष वृत्त-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	0	0	0	0	0	0
7	विशेष वृत्त-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	0	0	0	0	0	0
8	वृत्त ए भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	254	58	0	0	0	0
9	वृत्त बी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	349	67	2	0	1,50,125	1,50,126
10	वृत्त ए अलवर	जोन अलवर	8	1	0	0	0	0
11	वृत्त बी अलवर	जोन अलवर	57	23	0	0	0	0
12	वृत्त बांसवाड़ा	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	1	0	0	0	0
13	वृत्त बाड़मेर	जोन जोधपुर	17	5	0	0	0	0
14	वृत्त ए ब्यावर	जोन अजमेर	12	2	0	0	0	0
15	वृत्त बी ब्यावर	जोन अजमेर	20	1	0	0	0	0
16	वृत्त ए भरतपुर	जोन भरतपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	5	0	0	0	0
17	वृत्त बी भरतपुर	जोन भरतपुर	11	1	0	0	0	0
18	वृत्त वर्क्स टैक्स भरतपुर	जोन भरतपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	1	0	0	0	0
19	वृत्त ए जयपुर	जोन-II जयपुर	8	4	0	0	0	0
20	वृत्त आई जयपुर	जोन-III जयपुर	7	3	0	0	0	0
21	वृत्त क्यू जयपुर	जोन-II जयपुर	20	6	0	0	0	0
22	वृत्त विशेष-तृतीय जयपुर	जोन-I जयपुर	12	6	0	0	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किये गये इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण स्वचालन-पश्चात रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड आवेदनों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	अनुमत्य किया गया अनियमित रिफण्ड (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
23	वृत्त विशेष-पंचम जयपुर	जोन -I जयपुर	4	3	0	0	0	0
24	वृत्त ए सीकर	जोन -I जयपुर	1	1	0	0	0	0
25	वृत्त बी सीकर	जोन -I जयपुर	13	5	0	0	0	0
26	वृत्त दौसा	जोन -II जयपुर	2	0	0	0	0	0
27	वृत्त झालावाड़	जोन कोटा	0	0	0	0	0	0
28	वृत्त झुन्झुनु	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
29	वृत्त करौली	जोन भरतपुर	0	0	0	0	0	0
30	वृत्त मकराना	जोन अजमेर	17	5	0	0	0	0
31	वृत्त मेड़ता सिटी	जोन अजमेर	61	27	0	0	0	0
32	वृत्त नागौर	जोन अजमेर	29	12	1	0	9,009	9,009
33	वृत्त राजसमन्द	जोन भीलवाड़ा	2	1	0	0	0	0
34	वृत्त शाहजहाँपुर	जोन अलवर	3	0	0	0	0	0
35	वृत्त सुमेरपुर	जोन पाली	25	2	0	0	0	0
36	वृत्त वर्क्स टैक्स-द्वितीय जयपुर	जोन -II जयपुर	0	0	0	0	0	0
37	वृत्त वर्क्स टैक्स – तृतीय जयपुर	जोन -III जयपुर	0	0	0	0	0	0
38	वृत्त बालोतरा	जोन जोधपुर	318	88	0	0	0	0
39	वृत्त ए बीकानेर	जोन बीकानेर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	2	0	0	0	0
40	वृत्त बी बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
41	वृत्त सी बीकानेर	जोन बीकानेर	21	8	1	0	71,050	71,050
42	वृत्त डी बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
43	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
44	वृत्त बी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	5	0	0	0	0
45	वृत्त सी कोटा	जोन कोटा	0	0	0	0	0	0
46	वृत्त विशेष-प्रथम कोटा	जोन कोटा	0	0	0	0	0	0
47	वृत्त विशेष-द्वितीय कोटा	जोन कोटा	7	3	0	0	0	0
48	वृत्त वर्क्स टैक्स कोटा	जोन कोटा	0	0	0	0	0	0
49	वृत्त पाली	जोन पाली	98	45	0	0	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीज़न/जोन का नाम	संसाधित किये गये इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण स्वचालन-पश्चात रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड आवेदनों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गई	अनुमत्य किया गया अनियमित रिफण्ड (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
50	वृत्त सिरोही	जोन पाली	36	14	0	0	0	0
51	वृत्त ए उदयपुर	जोन उदयपुर	9	0	0	0	0	0
52	वृत्त बी उदयपुर	जोन उदयपुर	1	0	0	0	0	0
53	वृत्त सी उदयपुर	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	4	0	0	0	0
54	वृत्त पी जयपुर	जोन -I जयपुर	61	12	0	0	0	0
55	वृत्त एच जयपुर	जोन -II जयपुर	4	0	0	0	0	0
56	वृत्त जी जयपुर	जोन -I जयपुर	9	3	1	12,35,585	0	0
57	वृत्त ओ जयपुर	जोन -I जयपुर	3	2	0	0	0	0
58	वृत्त बी जयपुर	जोन-III जयपुर	8	5	0	0	0	0
59	वृत्त डी जयपुर	जोन -II जयपुर	2	0	0	0	0	0
60	वृत्त एफ जयपुर	जोन -I जयपुर	4	0	0	0	0	0
61	वृत्त वर्क्स टैक्स-प्रथम जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0	0	0
62	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन-III जयपुर	0	0	0	0	0	0
63	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	1	0	0	0	0	0
64	वृत्त टोंक	जोन-III जयपुर	0	0	0	0	0	0
65	वृत्त ए जोधपुर	जोन जोधपुर	11	4	1	19,929	0	0
66	वृत्त बी जोधपुर	जोन जोधपुर	193	50	1	0	13,169	13,168
67	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	209	51	1	0	0	31,056
68	वृत्त डी जोधपुर	जोन जोधपुर	30	8	0	0	0	0
69	वृत्त ई जोधपुर	जोन जोधपुर	27	8	2	0	0	50,17,951
70	वृत्त एफ जोधपुर	जोन जोधपुर	8	1	0	0	0	0
71	वृत्त विशेष-प्रथम जोधपुर	जोन जोधपुर	2	1	0	0	0	0
72	वृत्त विशेष-तृतीय जोधपुर	जोन जोधपुर	7	3	1	0	97,633	97,632
73	वृत्त सी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	222	35	0	0	0	0
74	वृत्त विशेष प्रथम भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	0	0	0	0	0	0
75	वृत्त वर्क्स टैक्स भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	0	0	0	0	0	0
76	वृत्त बूंदी	जोन कोटा	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किये गये इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण स्वचालन-पश्चात रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड आवेदनों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गई	अनुमत्य किया गया अनियमित रिफण्ड (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
77	वृत्त चित्तोड़गढ़	जोन भीलवाड़ा	17	1	0	0	0	0
78	वृत्त चुरू	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
79	वृत्त डुंगरपुर	जोन जोधपुर	3	1	0	0	0	0
80	वृत्त बी हनमानगढ़	जोन गंगानगर	0	0	0	0	0	0
81	वृत्त विशेष-एकादश जयपुर	जोन-III जयपुर	3	0	0	0	0	0
82	वृत्त जैसलमेर	जोन जोधपुर	0	0	0	0	0	0
83	वृत्त जालौर	जोन पाली	0	0	0	0	0	0
84	वृत्त ई जयपुर	जोन -I जयपुर	86	29	0	0	0	0
85	वृत्त जे जयपुर	जोन -II जयपुर	21	9	0	0	0	0
86	वृत्त एन जयपुर	जोन -III जयपुर	9	3	0	0	0	0
87	वृत्त एम जयपुर	जोन -I जयपुर	11	2	0	0	0	0
88	वृत्त ए भिवाड़ी	जोन अलवर	46	15	0	0	0	0
89	वृत्त बी भिवाड़ी	जोन अलवर	16	7	0	0	0	0
90	वृत्त विशेष-प्रथम भिवाड़ी	जोन अलवर	7	5	0	0	0	0
91	वृत्त विशेष-द्वितीय भिवाड़ी	जोन अलवर	10	2	0	0	0	0
92	वृत्त वर्क्स टैक्स भिवाड़ी	जोन अलवर	0	0	0	0	0	0
कुल			2,637	706	20	24,74,857	6,05,381	6,64,23,258
						6,95,03,496		

परिशिष्ट 2.10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.5)

पूँजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को शामिल करते हुए रिफंड राशि (स्वचालन-पूर्व)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किये गये स्वचालन-पूर्व शून्य दर रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	अधिक रिफंड राशि (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
1	वृत्त सी जयपुर	जोन -III जयपुर	587	59	0	0	0	0
2	वृत्त एल जयपुर	जोन -III जयपुर	335	16	1	4,35,597	1,94,927	1,94,927
3	वृत्त के जयपुर	जोन -I जयपुर	64	4	0	0	0	0
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	79	4	0	0	0	0
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	31	5	0	0	0	0
6	विशेष वृत्त-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	27	8	0	0	0	0
7	विशेष वृत्त-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	1	0	0	0	0
8	वृत्त ए भिवाड़ी	जोन अलवर	81	14	0	0	0	0
9	वृत्त बी भिवाड़ी	जोन अलवर	36	9	0	0	0	0
10	विशेष वृत्त-प्रथम भिवाड़ी	जोन अलवर	4	0	0	0	0	0
11	विशेष वृत्त-द्वितीय भिवाड़ी	जोन अलवर	15	2	0	0	0	0
12	वृत्त ए जयपुर	जोन -II जयपुर	336	28	0	0	0	0
13	वृत्त आई जयपुर	जोन -III जयपुर	313	16	0	0	0	0
14	वृत्त क्यू जयपुर	जोन -II जयपुर	146	21	0	0	0	0
15	विशेष वृत्त तृतीय जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0	0	0
16	विशेष वृत्त-पंचम जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0	0	0
17	वृत्त ए सीकर	जोन -I जयपुर	8	0	0	0	0	0
18	वृत्त बी सीकर	जोन -I जयपुर	1	0	0	0	0	0
19	वृत्त दौसा	जोन -II जयपुर	12	0	0	0	0	0
20	वृत्त पी जयपुर	जोन -I जयपुर	94	6	0	0	0	0
21	वृत्त एच जयपुर	जोन -II जयपुर	283	7	0	0	0	0
22	वृत्त जी जयपुर	जोन -I जयपुर	33	2	0	0	0	0
23	वृत्त ओ जयपुर	जोन -I जयपुर	141	1	0	0	0	0
24	वृत्त बी जयपुर	जोन -III जयपुर	79	2	0	0	0	0
25	वृत्त डी जयपुर	जोन -II जयपुर	70	3	0	0	0	0
26	वृत्त विशेष राजस्थान	जोन -II जयपुर	0	0	0	0	0	0
27	वृत्त एफ जयपुर	जोन -I जयपुर	56	1	0	0	0	0
28	वृत्त वर्क्स टैक्स-प्रथम जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0	0	0
29	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन -III जयपुर	1	0	0	0	0	0
30	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	96	3	0	0	0	0

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किये गये स्वचालन-पूर्व शून्य दर रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	अधिक रिफण्ड राशि (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
31	वृत्त टोंक	जोन -III जयपुर	1	0	0	0	0	0
32	वृत्त ई जयपुर	जोन -I जयपुर	75	10	1	14,639	0	0
33	वृत्त जे जयपुर	जोन -II जयपुर	330	26	2	0	0	2,64,962
34	वृत्त एन जयपुर	जोन -III जयपुर	143	14	0	0	0	0
35	वृत्त एम जयपुर	जोन -I जयपुर	83	6	0	0	0	0
कुल			3,560	268	4	4,50,236	1,94,927	4,59,889
						11,05,052		

परिशिष्ट 2.11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.5)

पूँजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को शामिल करते हुए रिफंड राशि (स्वचालन-पश्चात)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीज़न/जोन का नाम	संसाधित किये गये स्वचालन-पश्चात शून्य दर रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफण्ड प्रकरणों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	अधिक रिफण्ड राशि (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
1	वृत्त सी जयपुर	जोन -III जयपुर	104	36	3	5,78,480	12,890	12,890
2	वृत्त एल जयपुर	जोन -III जयपुर	73	12	0	0	0	0
3	वृत्त के जयपुर	जोन -I जयपुर	27	3	0	0	0	0
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	56	10	0	0	0	0
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	5	0	0	0	0	0
6	विशेष वृत्त-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	12	6	1	0	1,74,962	1,74,962
7	विशेष वृत्त-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	2	1	0	0	0	0
8	वृत्त ए भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	65	21	2	0	1,90,711	1,90,711
9	वृत्त बी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	77	29	2	0	75,538	75,537
10	वृत्त ए अलवर	जोन अलवर	23	0	0	0	0	0
11	वृत्त बी अलवर	जोन अलवर	4	0	0	0	0	0
12	वृत्त ए ब्यावर	जोन अजमेर	4	3	0	0	0	0
13	वृत्त बी ब्यावर	जोन अजमेर	1	1	0	0	0	0
14	वृत्त ए भरतपुर	जोन भरतपुर	0	0	0	0	0	0
15	वृत्त बी भरतपुर	जोन भरतपुर	0	0	0	0	0	0
16	वृत्त वर्क्स टैक्स भरतपुर	जोन भरतपुर	0	0	0	0	0	0
17	वृत्त बांसवाड़ा	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	1	0	0	0	0
18	वृत्त बाड़मेर	जोन जोधपुर	16	5	0	0	0	0
19	वृत्त ए जयपुर	जोन -II जयपुर	29	16	0	0	0	0
20	वृत्त आई जयपुर	जोन -III जयपुर	89	16	0	0	0	0
21	वृत्त क्यू जयपुर	जोन -II जयपुर	36	13	1	0	2,25,107	2,25,107
22	वृत्त विशेष-तृतीय जयपुर	जोन -I जयपुर	3	0	0	0	0	0
23	वृत्त विशेष-पंचम जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0	0	0
24	वृत्त ए सीकर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0	0	0
25	वृत्त बी सीकर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0	0	0
26	वृत्त दौसा	जोन -II जयपुर	0	0	0	0	0	0
27	वृत्त झालावाड़	जोन कोटा	0	0	0	0	0	0
28	वृत्त झुन्झुनू	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
29	वृत्त करौली	जोन भरतपुर	0	0	0	0	0	0
30	वृत्त मकराना	जोन अजमेर	10	0	0	0	0	0
31	वृत्त मेड़ता सिटी	जोन अजमेर	3	2	0	0	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किये गये स्वचालन-पश्चात शून्य दर रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफण्ड प्रकरणों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	अधिक रिफण्ड राशि (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
32	वृत्त नागौर	जोन अजमेर	0	0	0	0	0	0
33	वृत्त राजसमन्द	जोन भीलवाड़ा	1	0	0	0	0	0
34	वृत्त शाहजहाँपुर	जोन अलवर	39	6	0	0	0	0
35	वृत्त सुमेरपुर	जोन पाली	4	1	0		0	0
36	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स-द्वितीय जयपुर	जोन -II जयपुर	0	0	0	0	0	0
37	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स-तृतीय जयपुर	जोन -III जयपुर	1	1	0	0	0	0
38	वृत्त बालोतरा	जोन जोधपुर	2	2	0	0	0	0
39	वृत्त ए बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
40	वृत्त बी बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
41	वृत्त सी बीकानेर	जोन बीकानेर	16	3	0	0	0	0
42	वृत्त डी बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
43	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स बीकानेर	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
44	वृत्त बी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	3	0	0	0	0
45	वृत्त सी कोटा	जोन कोटा	0	0	0	0	0	0
46	वृत्त विशेष-प्रथम कोटा	जोन कोटा	1	1	0	0	0	0
47	वृत्त विशेष-द्वितीय कोटा	जोन कोटा	2	1	0	0	0	0
48	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स कोटा	जोन कोटा	0	0	0	0	0	0
49	वृत्त पाली	जोन पाली	0	0	0	0	0	0
50	वृत्त सिरोही	जोन पाली	2	1	0	0	0	0
51	वृत्त ए उदयपुर	जोन उदयपुर	46	9	0	0	0	0
52	वृत्त बी उदयपुर	जोन उदयपुर	6	2	0	0	0	0
53	वृत्त सी उदयपुर	जोन उदयपुर	0	0	0	0	0	0
54	वृत्त पी जयपुर	जोन -I जयपुर	12	1	0	0	0	0
55	वृत्त एच जयपुर	जोन -II जयपुर	58	8	1	2,69,103	0	0
56	वृत्त जी जयपुर	जोन -I जयपुर	13	1	0	0	0	0
57	वृत्त ओ जयपुर	जोन -I जयपुर	14	2	0	0	0	0
58	वृत्त बी जयपुर	जोन -III जयपुर	18	2	0	0	0	0
59	वृत्त डी जयपुर	जोन -II जयपुर	29	1	0	0	0	0
60	वृत्त एफ जयपुर	जोन -I जयपुर	4	2	0	0	0	0
61	वृत्त वर्क्स टैक्स-प्रथम जयपुर	जोन -I जयपुर	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किये गये स्वचालन-पश्चात शून्य दर रिफण्ड आवेदनों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफण्ड प्रकरणों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गई	अधिक रिफण्ड राशि (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
62	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन -III जयपुर	0	0	0	0	0	0
63	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	61	9	0	0	0	0
64	वृत्त टोंक	जोन -III जयपुर	1	1	0	0	0	0
65	वृत्त ए जोधपुर	जोन जोधपुर	33	5	0	0	0	0
66	वृत्त बी जोधपुर	जोन जोधपुर	10	0	0	0	0	0
67	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	62	26	0	0	0	0
68	वृत्त डी जोधपुर	जोन जोधपुर	28	4	1	62,460	16,069	16,069
69	वृत्त ई जोधपुर	जोन जोधपुर	10	2	0	0	0	0
70	वृत्त एफ जोधपुर	जोन जोधपुर	58	13	0	0	0	0
71	वृत्त विशेष-प्रथम जोधपुर	जोन जोधपुर	0	0	0	0	0	0
72	वृत्त विशेष-तृतीय जोधपुर	जोन जोधपुर	0	0	0	0	0	0
73	वृत्त सी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	27	1	0	0	0	0
74	वृत्त विशेष-प्रथम भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	2	1	0	0	0	0
75	वृत्त वर्क्स टैक्स भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	0	0	0	0	0	0
76	वृत्त बूंदी	जोन कोटा	1	0	0	0	0	0
77	वृत्त चित्तोड़गढ़	जोन भीलवाड़ा	1	1	0	0	0	0
78	वृत्त चुरू	जोन बीकानेर	0	0	0	0	0	0
79	वृत्त डूंगरपुर	जोन उदयपुर	3	0	0	0	0	0
80	वृत्त बी हनुमानगढ़	जोन गंगानगर	3	3	0	0	0	0
81	वृत्त विशेष-एकादश जयपुर	जोन -III जयपुर	0	0	0	0	0	0
82	वृत्त जैसलमेर	जोन जोधपुर	3	1	0	0	0	0
83	वृत्त जालौर	जोन पाली	7	1	0	0	0	0
84	वृत्त ई जयपुर	जोन -I जयपुर	23	2	0	0	0	0
85	वृत्त जे जयपुर	जोन -II जयपुर	84	16	1	0	0	1,92,242
86	वृत्त एन जयपुर	जोन -III जयपुर	41	10	0	0	0	0
87	वृत्त एम जयपुर	जोन -I जयपुर	23	5	0	0	0	0
88	वृत्त ए भिवाड़ी	जोन अलवर	31	10	0	0	0	0
89	वृत्त बी भिवाड़ी	जोन अलवर	24	5	0	0	0	0
90	वृत्त विशेष-प्रथम भिवाड़ी	जोन अलवर	0	0	0	0	0	0
91	वृत्त विशेष-द्वितीय भिवाड़ी	जोन अलवर	10	1	0	0	0	0
92	वृत्त वर्क्स टैक्स भिवाड़ी	जोन अलवर	0	0	0	0	0	0
कुल			1,453	339	12	9,10,043	6,95,277	8,87,518
						24,92,838		

परिशिष्ट 2.12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.6.6)

अंतरिम रिफंड की अनियमित स्वीकृति

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पूर्व शून्य दर के अलावा रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफंड के अलावा अन्य रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	रिफंड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अधिक रिफंड राशि (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
1	वृत्त सी जयपुर	जोन-III जयपुर	104	22	2	13,017	5,11,117	5,41,847
2	वृत्त एल जयपुर	जोन-III जयपुर	387	8	1	29,299	86,,302	86,302
3	वृत्त के जयपुर	जोन-I जयपुर	13	4	0	0	0	0
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	159	7	0	0	0	0
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	154	3	0	0	0	0
6	वृत्त विशेष-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	1	0	0	0	0	0
7	वृत्त विशेष-द्वितीय अजमेर	जोन अजमेर	6	0	0	0	0	0
8	वृत्त ए भिवाडी	जोन अलवर	132	21	0	0	0	0
9	वृत्त बी भिवाडी	जोन अलवर	156	5	0	0	0	0
10	वृत्त विशेष-प्रथम भिवाडी	जोन अलवर	36	3	0	0	0	0
11	वृत्त विशेष-द्वितीय भिवाडी	जोन अलवर	26	3	1	15,32,206	30,432	30,432
12	वृत्त ए जयपुर	जोन-II जयपुर	336	28	6	16,03,191	30,487	25,647
13	वृत्त आई जयपुर	जोन-III जयपुर	313	16	0	0	0	0
14	वृत्त क्यू जयपुर	जोन-II जयपुर	146	21	0	0	0	0
15	वृत्त विशेष-तृतीय जयपुर	जोन-I जयपुर	34	9	9	1,60,79,412	21,97,971	19,93,782
16	वृत्त विशेष-पंचम जयपुर	जोन-I जयपुर	0	0	0	0	0	0
17	वृत्त ए सीकर	जोन-I जयपुर	33	1	0	0	0	0
18	वृत्त बी सीकर	जोन-I जयपुर	74	8	0	0	0	0
19	वृत्त दौसा	जोन-II जयपुर	19	0	0	0	0	0
20	वृत्त पी जयपुर	जोन-I जयपुर	211	11	2	1,78,346	3,95,923	3,95,923
21	वृत्त एच जयपुर	जोन-II जयपुर	83	2	0	0	0	0
22	वृत्त जी जयपुर	जोन-I जयपुर	33	6	0	0	0	0
23	वृत्त ओ जयपुर	जोन-I जयपुर	92	6	1	0	2,17,542	2,17,542
24	वृत्त बी जयपुर	जोन-III जयपुर	32	1	0	0	0	0
25	वृत्त डी जयपुर	जोन-II जयपुर	50	3	0	0	0	0
26	वृत्त विशेष राजस्थान	जोन-II जयपुर	11	1	0	0	0	0
27	वृत्त एफ जयपुर	जोन-I जयपुर	100	3	0	0	0	0
28	वृत्त वर्क्स टैक्स-प्रथम जयपुर	जोन-I जयपुर	9	2	0	0	0	0
29	वृत्त विशेष-प्रथम जयपुर	जोन-III जयपुर	7	2	0	0	0	0
30	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	27	2	0	0	0	0
31	वृत्त टोंक	जोन-III जयपुर	27	2	0	0	0	0
32	वृत्त ई जयपुर	जोन-I जयपुर	295	30	0	0	0	0

क्र.सं.	वृत्त का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पूर्व शून्य दर के अलावा रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफंड के अलावा अन्य रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	रिफंड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अधिक रिफंड राशि (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
33	वृत्त जे जयपुर	जोन-II जयपुर	64	1	0	0	0	0
34	वृत्त एन जयपुर	जोन-III जयपुर	60	1	0	0	0	0
35	वृत्त एम जयपुर	जोन-I जयपुर	127	10	0	0	0	0
कुल			3,357	242	22	1,94,35,471	34,69,774	32,91,475
						2,61,96,720		

परिशिष्ट 2.13

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.7.1)

सीजीएसटी और एसजीएसटी के रिफंड की सही राशि की गणना करने के संबंध में पोर्टल की अनियमितताएँ

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पूर्व रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की गलत गणना की गई है	गणना किया गया अनियमित अधिक रिफंड (₹ में)		
						सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
1	वृत्त सी जयपुर	जोन-III जयपुर	1,103	81	2	310,722	3,10,722	6,21,444
2	वृत्त एल जयपुर	जोन-III जयपुर	722	24	6	17,89,524	17,89,523	35,79,047
3	वृत्त के जयपुर	जोन-I जयपुर	77	8	2	60,152	60,152	1,20,304
4	वृत्त ए भिवाडी	जोन अलवर	311	35	16	44,69,088	85,80,783	1,30,49,871
5	वृत्त बी भिवाडी	जोन अलवर	192	14	7	562,9,844	56,29,844	1,12,59,688
6	वृत्त विशेष प्रथम, भिवाडी	जोन अलवर	80	3	1	13,50,321	13,50,321	27,00,642
7	वृत्त विशेष द्वितीय, भिवाडी	जोन अलवर	41	5	3	2,33,275	2,33,275	4,66,550
8	वृत्त क्यू जयपुर	जोन-II जयपुर	210	32	5	30,86,064	18,81,069	49,67,133
9	वृत्त बी सीकर	जोन-I जयपुर	75	8	5	17,42,457	17,42,457	34,84,914
10	वृत्त जी जयपुर	जोन-I जयपुर	90	8	1	2,52,954	2,52,954	5,05,908
11	वृत्त ओ जयपुर	जोन-I जयपुर	233	7	1	20,712	20,713	41,425
12	वृत्त डी जयपुर	जोन-II जयपुर	120	6	1	12,647	12,648	25,295
13	वृत्त विशेष – प्रथम जयपुर	जोन-III जयपुर	7	2	1	47,49,081	0	47,49,081
कुल			3,261	233	51	2,37,06,841	2,18,64,461	4,55,71,302

परिशिष्ट 2.14

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.7.1)

सीजीएसटी और एसजीएसटी के रिफंड की सही राशि की गणना करने के संबंध में पोर्टल की अनियमितताएँ

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पश्चात रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की गलत गणना की गई है	गणना किया गया अनियमित अतिरिक्त रिफंड (₹ में)		
						सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
1	वृत्त सी जयपुर	जोन-III जयपुर	370	64	4	11,13,271	11,13,271	22,26,542
2	वृत्त एल जयपुर	जोन-III जयपुर	245	25	3	5,35,431	5,35,430	10,70,861
3	वृत्त के जयपुर	जोन-I जयपुर	134	14	6	32,556	48,964,715	4,89,97,271
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	118	16	8	18,80,972	18,80,972	37,61,944
5	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	88	5	1	1,40,509	1,33,177	2,73,686
6	विशेष वृत्त-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	13	6	2	2,83,162	1,27,922	4,11,084
7	वृत्त ए भीलवाडा	जोन भीलवाडा	360	83	8	31,36,840	41,70,990	73,07,830
8	वृत्त बी भीलवाडा	जोन भीलवाडा	446	97	4	8,859	3,12,928	3,21,787
9	वृत्त बी अलवर	जोन अलवर	96	25	2	39,676	39,677	79,353
10	वृत्त बाडमेर	जोन जोधपुर	60	11	3	2,61,524	1,71,926	4,33,450
11	वृत्त ए ब्यावर	जोन अजमेर	34	5	1	3,42,816	0	3,42,816
12	वृत्त बी सीकर	जोन-I जयपुर	26	8	5	7,14,998	7,15,001	14,29,999
13	वृत्त मकराना	जोन अजमेर	31	5	3	4,06,298	4,06,298	8,12,596
14	वृत्त मेडता सिटी	जोन अजमेर	75	29	8	3,62,567	14,84,209	18,46,776
15	वृत्त नागौर	जोन अजमेर	33	13	5	6,11,208	10,45,028	16,56,236
16	वृत्त शाहजहाँपुर	जोन अलवर	60	7	4	6,66,903	6,66,904	13,33,807
17	वृत्त सी बीकानेर	जोन बीकानेर	60	13	5	21,17,286	27,31,748	48,49,034
18	वृत्त बी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	11	6	3,20,433	3,20,437	6,40,870
19	वृत्त पाली	जोन पाली	101	50	3	6,58,226	9,68,459	16,26,685
20	वृत्त सिरोही	जोन पाली	54	16	2	2,43,530	53,191	2,96,721
21	वृत्त ए उदयपुर	जोन उदयपुर	61	9	3	1,92,005	1,92,007	3,84,012
22	वृत्त बी उदयपुर	जोन उदयपुर	7	3	1	1,45,726	1,45,726	2,91,452
23	वृत्त सी उदयपुर	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	4	1	23,009	23,011	46,020
24	वृत्त बी जयपुर	जोन-III जयपुर	44	8	3	2,55,973	2,55,974	5,11,947
25	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	87	11	2	35,135	35,135	70,270

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीजन/जोन का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पश्चात रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की गलत गणना की गई है	गणना किया गया अनियमित अतिरिक्त रिफण्ड (₹ में)		
						सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
26	वृत्त ए जोधपुर	जोन जोधपुर	71	10	2	0	2,86,906	2,86,906
27	वृत्त बी जोधपुर	जोन जोधपुर	219	53	6	11,82,892	5,98,959	17,81,851
28	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	298	79	16	30,48,114	38,18,774	68,66,888
29	वृत्त डी जोधपुर	जोन जोधपुर	76	16	3	80,790	1,51,821	2,32,611
30	वृत्त ई जोधपुर	जोन जोधपुर	55	11	1	3,670	4,670	8,340
31	वृत्त एफ जोधपुर	जोन जोधपुर	88	15	5	6,84,390	6,84,387	13,68,777
32	वृत्त सी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	270	37	2	5,924	2,24,979	2,30,903
33	वृत्त चित्तौड़गढ़	जोन भीलवाड़ा	35	10	5	8,48,025	7,16,495	15,64,520
34	वृत्त बी हनुमानगढ़	जोन गंगानगर	7	3	3	1278,,502	24,22,005	37,00,507
35	वृत्त ए भिवाड़ी	जोन अलवर	106	30	16	64,64,107	58,24,461	1,22,88,568
36	वृत्त बी भिवाड़ी	जोन अलवर	62	12	5	27,61,054	27,61,054	55,22,108
कुल			3,890	814	157	3,08,86,381	8,39,88,647	11,48,75,028

परिशिष्ट 2.15

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.7.2)

परिपत्र की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप पात्र आईटीसी के सत्यापन का अभाव

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीज़न/जोन का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पश्चात रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें पात्र आईटीसी का सत्यापन नहीं किया गया	पात्र आईटीसी के गैर-सत्यापन में शामिल राशि (₹ में)
1	वृत्त सी जयपुर	जोन-III जयपुर	370	64	13	2,46,79,417
2	वृत्त के जयपुर	जोन-I जयपुर	134	14	4	6,22,45,390
3	वृत्त ए अजमेर	जोन अजमेर	88	5	2	9,21,267
4	वृत्त बी अजमेर	जोन अजमेर	118	16	9	1,60,01,490
5	वृत्त विशेष-प्रथम अजमेर	जोन अजमेर	13	6	2	32,37,019
6	वृत्त ए भीलवाडा	जोन भीलवाडा	360	83	29	4,52,08,987
7	वृत्त ए अलवर	जोन अलवर	75	2	1	1,76,563
8	वृत्त बी अलवर	जोन अलवर	96	25	10	2,44,29,524
9	वृत्त बाडमेर	जोन जोधपुर	60	11	7	80,47,655
10	वृत्त ए ब्यावर	जोन अजमेर	34	5	2	13,03,935
11	वृत्त ए भरतपुर	जोन भरतपुर	46	7	5	30,03,017
12	वृत्त क्यू जयपुर	जोन-II, जयपुर	110	21	7	69,54,483
13	वृत्त विशेष-तृतीय, जयपुर	जोन-I जयपुर	26	7	5	93,88,713
14	वृत्त विशेष-पंचम, जयपुर	जोन-I जयपुर	26	3	3	47,22,151
15	वृत्त बी सीकर	जोन-I जयपुर	26	8	5	70,88,930
16	वृत्त मेडता सिटी	जोन अजमेर	75	29	20	2,84,90,336
17	वृत्त नागौर	जोन अजमेर	33	13	6	50,78,790
18	वृत्त राजसमंद	जोन भीलवाडा	30	1	1	9,00,348
19	वृत्त शाहजहाँपुर	जोन अलवर	60	7	1	1,51,312
20	वृत्त बालोतरा	जोन जोधपुर	346	91	18	75,79,638
21	वृत्त सी बीकानेर	जोन बीकानेर	60	13	4	65,26,238
22	वृत्त बी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	11	6	1,07,94,939
23	वृत्त पाली	जोन पाली	101	50	19	1,76,77,863
24	वृत्त सिरोही	जोन पाली	54	16	9	1,32,60,570
25	वृत्त ए उदयपुर	जोन उदयपुर	61	9	1	1,82,61,398
26	वृत्त बी उदयपुर	जोन उदयपुर	7	3	1	14,80,994
27	वृत्त सी उदयपुर	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	4	2	28,88,108
28	वृत्त एच जयपुर	जोन-II जयपुर	88	9	5	73,48,258

क्र.सं.	वृत्त का नाम	डिवीज़न/जोन का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पश्चात रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें पात्र आईटीसी का सत्यापन नहीं किया गया	पात्र आईटीसी के गैर-सत्यापन में शामिल राशि (₹ में)
29	वृत्त जी जयपुर	जोन-I जयपुर	35	4	4	1,27,03,966
30	वृत्त ओ जयपुर	जोन-I जयपुर	44	11	3	23,45,518
31	वृत्त बी जयपुर	जोन-III जयपुर	44	8	4	1,10,71,676
32	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	87	11	5	71,22,786
33	वृत्त बी जोधपुर	जोन जोधपुर	219	53	6	74,66,421
34	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	298	79	25	6,35,15,251
35	वृत्त ई जोधपुर	जोन जोधपुर	55	11	2	42,70,920
36	वृत्त सी भीलवाडा	जोन भीलवाडा	270	37	18	2,10,99,213
37	वृत्त बी हनुमानगढ़	जोन गंगानगर	7	3	3	48,40,000
38	वृत्त जैसलमेर	जोन जोधपुर	14	2	1	7,06,672
39	वृत्त जे जयपुर	जोन-II जयपुर	251	30	10	94,41,562
40	वृत्त एन जयपुर	जोन-III जयपुर	94	15	2	3,55,853
41	वृत्त एम जयपुर	जोन-I जयपुर	62	10	3	1,21,98,154
42	वृत्त ए भिवाडी	जोन अलवर	106	30	5	1,85,61,075
43	वृत्त बी भिवाडी	जोन अलवर	62	12	7	5,27,68,613
44	वृत्त विशेष-द्वितीय भिवाडी	जोन अलवर	41	3	1	20,09,731
कुल			4,186	852	296	56,83,24,744

परिशिष्ट 2.16

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.7.2)

रिफंड प्रकरण जिनमें ऑनलाइन रिफंड आवेदन के साथ एचएसएन/एसएसी कोड अनुलग्नक-बी में शामिल नहीं किये गये (ऑनलाइन)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जोन का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पश्चात रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड मामलों की कुल संख्या जिनमें पात्र आईटीसी का सत्यापन नहीं किया गया	पात्र आईटीसी के गैर-सत्यापन में शामिल राशि (₹ में)
1	वृत्त एफ जयपुर	जोन-1 जयपुर	35	3	1	6,03,971
2	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	298	79	2	25,09,828
3	वृत्त डी जोधपुर	जोन जोधपुर	76	16	3	20,72,364
कुल			409	98	6	51,86,163

परिशिष्ट 2.17

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.7.3)

रिफंड प्रकरण जिनमें जीएसटीएन पोर्टल पर रिफंड आवेदन के साथ बीआरसी वसूली का वचनपत्र अपलोड नहीं किया गया था (स्वचालन-पश्चात)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जोन का नाम	संसाधित किये गये स्वचालन-पश्चात शून्य दर रिफंड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर रिफंड प्रकरणों की संख्या	रिफंड प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां पाई गईं	स्वीकृत की गई रिफंड राशि (₹ में)
1	वृत्त एल जयपुर	जोन-III जयपुर	73	10	2	19,01,673
2	वृत्त के जयपुर	जोन-I जयपुर	27	3	0	0
3	वृत्त ए ब्यावर	जोन अजमेर	4	3	0	0
4	वृत्त बी ब्यावर	जोन अजमेर	1	1	1	32,03,699
5	वृत्त बाडमेर	जोन जोधपुर	16	5	2	38,52,531
6	वृत्त बांसवाड़ा	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	1	1	8,35,108
7	वृत्त ए भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	65	21	6	1,97,28,444
8	वृत्त बी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	77	29	9	2,25,53,827
9	वृत्त किशनगढ़	जोन अजमेर	61	9	3	26,30,183
10	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	62	26	7	2,30,86,157
11	वृत्त बी हनुमानगढ़	जोन गंगानगर	3	3	3	48,40,000
कुल			389	111	34	8,26,31,622

परिशिष्ट 2.18

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.7.4)

अवधिपार प्रकरणों में रिफण्ड की अनियमित स्वीकृति (स्वचालन-पश्चात)

क्र.सं.	डिवीजन/जोन का नाम	वृत्त का नाम	संसाधित किए गए स्वचालन-पश्चात रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या	नमूने में से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफण्ड आवेदनों की संख्या	रिफण्ड प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें अनियमितता पाई गई	अधिक रिफण्ड (₹ में)			अधिक रिफण्ड की कुल राशि (₹ में)
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	
1	वृत्त के जयपुर	जोन I जयपुर	134	14	1	8,40,720	0	0	8,40,720
2	वृत्त ए भरतपुर	जोन भरतपुर	46	7	2	0	0	10,14,514	10,14,514
3	बांसवाड़ा	जोन उदयपुर	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	3	1	1,10,653	0	0	1,10,653
4	बाड़मेर	जोन जोधपुर	60	11	1	4,20,365	0	0	4,20,365
5	वृत्त मेड़ता सिटी	जोन अजमेर	75	29	2	0	2,19,359	4,07,985	6,27,344
6	वृत्त नागौर	जोन अजमेर	33	13	2	2,37,589	4,115	1,23,355	3,65,059
7	वृत्त बालोतरा	जोन जोधपुर	346	91	4	0	5,79,619	5,79,615	11,59,234
8	वृत्त सी बीकानेर	जोन बीकानेर	60	13	2	0	0	12,28,923	12,28,923
9	वृत्त बी कोटा	जोन कोटा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई	11	1	7,26,115	0	0	7,26,115
10	वृत्त पाली	जोन पाली	101	50	1	0	52,711	52,710	1,05,421
11	वृत्त ए जोधपुर	जोन जोधपुर	71	10	1	0	1,41,337	1,41,337	2,82,674
12	वृत्त बी जोधपुर	जोन जोधपुर	219	53	4	0	4,64,389	13,18,899	17,83,288
13	वृत्त सी जोधपुर	जोन जोधपुर	298	79	5	0	9,75,548	78,84,551	88,60,099
14	वृत्त डी जोधपुर	जोन जोधपुर	76	16	1	0	91,843	1,04,939	1,96,782
15	वृत्त विशेष 1 जोधपुर	जोन जोधपुर	3	1	1	0	3,51,212	3,51,211	7,02,423
16	वृत्त सी भीलवाड़ा	जोन भीलवाड़ा	270	37	1	0	1,84,028	1,84,028	3,68,056
17	वृत्त चित्तौड़गढ़	जोन भीलवाड़ा	35	10	2	26,793	4,31,652	1,76,046	6,34,491
18	वृत्त डूंगरपुर	जोन उदयपुर	11	2	1	58,06,781	0	0	58,06,781
19	वृत्त एन जयपुर	जोन III जयपुर	94	15	1	1520,430			15,20,430
कुल			1,932	465	34	96,89,446	34,95,813	1,35,68,113	2,67,53,372

परिशिष्ट 2.19

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.7.6)

सौर ऊर्जा आपूर्ति पर जीएसटी का अनियमित रिफंड

(राशि ₹ में)

गणना	इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर	इस आपूर्ति पर देय कर	समायोजित कुल टर्नओवर	कर की दर	“नेट आईटीसी”	अधिकतम रिफण्ड	तालिका में दी गई सीमा तक	सूत्र के अनुसार स्वीकृत रिफंड	तालिका में दी गई सीमा तक	टिप्पणी
विभाग द्वारा	4,52,92,802	22,64,640	4,81,74,161	5%	62,31,548	35,94,191	1-29,01,394 कुल - 29,01,394	29,01,394	29,01,394	माल और सेवाओं की मानी गई समेकित आपूर्ति
लेखापरीक्षा द्वारा	3,17,04,961	15,85,248	6,17,62,002	5%	62,31,548	16,13,660	लागू नहीं	16,13,660	16,13,660	70% माल की आपूर्ति पर 5% और सेवाओं के लिए 30% मूल्य पर 18% की दर से गणना
			अधिक रिफण्ड						12,87,734	
		माल	4,32,33,401							
		सेवाएं	1,85,28,601							
		कुल	6,17,62,002							

परिशिष्ट 2.20

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.9.6.9)

वृत्तों द्वारा प्रदान की गई सीमित सूचना

क्र. सं.	वृत्तों का नाम
1	वृत्त एफ जयपुर
2	वृत्त आई जयपुर
3	वृत्त वर्क्स टैक्स-तृतीय जयपुर
4	वृत्त जी जयपुर
5	वृत्त विशेष-III जयपुर
6	वृत्त बांसवाड़ा
7	वृत्त ए उदयपुर
8	वृत्त बी उदयपुर
9	वृत्त सी उदयपुर
10	वृत्त विशेष-द्वितीय उदयपुर
11	वृत्त बी भीलवाड़ा
12	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त चुरू
13	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त विशेष प्रथम जयपुर III
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त विशेष द्वितीय जयपुर II
15	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त विशेष राजस्थान
16	वृत्त क्यू जयपुर
17	वृत्त बी जयपुर
18	वृत्त ओ जयपुर
19	वृत्त ए जोधपुर
20	वृत्त एफ जोधपुर
21	वृत्त विशेष-प्रथम जोधपुर
22	वृत्त विशेष-तृतीय जोधपुर
23	वृत्त ए बीकानेर
24	वृत्त बी बीकानेर
25	वृत्त सी बीकानेर
26	वृत्त डी बीकानेर
27	वृत्त विशेष बीकानेर
28	वृत्त वर्क्स टैक्स बीकानेर
29	वृत्त डी जयपुर
30	वृत्त एच जयपुर
31	वृत्त ए जयपुर
32	वृत्त के जयपुर
33	वृत्त जे जयपुर

क्र. सं.	वृत्तों का नाम
34	वृत्त सी जयपुर
35	वृत्त ए श्रीगंगानगर
36	वृत्त बी श्रीगंगानगर
37	वृत्त विशेष श्रीगंगानगर
38	वृत्त ए हनुमानगढ़
39	वृत्त बी हनुमानगढ़
40	वृत्त विशेष हनुमानगढ़
41	वृत्त झालावाड़
42	वृत्त ए कोटा
43	वृत्त बी कोटा
44	वृत्त सी कोटा
45	वृत्त विशेष-प्रथम कोटा
46	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स कोटा
47	वृत्त बूंदी
48	वृत्त सुमेरपुर
49	वृत्त गंगापूर सिटी
50	वृत्त विशेष-सप्तम जयपुर
51	वृत्त विशेष-दशम जयपुर
52	वृत्त विशेष-एकादश जयपुर
53	वृत्त ई जयपुर
54	वृत्त एम जयपुर
55	वृत्त पी जयपुर
56	वृत्त एल जयपुर
57	वृत्त ए भिवाड़ी
58	वृत्त बी भिवाड़ी
59	वृत्त विशेष-प्रथम भिवाड़ी
60	वृत्त विशेष-द्वितीय भिवाड़ी
61	वृत्त वर्क्स टैक्स भिवाड़ी
62	वृत्त ए अलवर
63	वृत्त बी अलवर
64	वृत्त विशेष अलवर
65	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स अलवर
66	वृत्त ए ब्यावर
67	वृत्त बी ब्यावर
68	वृत्त किशनगढ़
69	वृत्त शाहजहांपुर
70	वृत्त विशेष-चतुर्थ जयपुर
71	वृत्त वर्क्स टैक्स-द्वितीय जयपुर

परिशिष्ट 2.21

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.9.6.9)

वृत्तों द्वारा प्रदान की गई आवश्यक सूचना

क्र. सं.	वृत्त का नाम
1	वृत्त विशेष-I उदयपुर
2	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स उदयपुर
3	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त राजसमन्द
4	वृत्त ए भीलवाड़ा
5	वृत्त सी भीलवाड़ा
6	वृत्त विशेष-I भीलवाड़ा
7	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त विशेष-II भीलवाड़ा
8	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स भीलवाड़ा
9	वृत्त झुन्झुनू
10	वृत्त एन जयपुर
11	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स-I जयपुर
12	वृत्त डी जोधपुर
13	वृत्त सी जोधपुर
14	वृत्त बी जोधपुर
15	वृत्त वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स जोधपुर
16	वृत्त ई जोधपुर
17	वृत्त विशेष-II जोधपुर
18	वृत्त नागौर
19	वृत्त मेड़ता सिटी
20	वृत्त विशेष-II कोटा
21	वृत्त विशेष-III कोटा
22	वृत्त विशेष-VIII जयपुर
23	वृत्त विशेष-IX जयपुर

परिशिष्ट 6.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.1)

विभागों की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम
1	कृषि	23	उच्च शिक्षा	45	राजस्व आसूचना
2	कृषि विपणन	24	गृह विभाग गृह रक्षा सहित	46	ग्रामीण विकास
3	पशुपालन	25	उद्यान	47	सैनिक कल्याण
4	पुरातत्व एवं संग्रहालय	26	सूचना एवं जनसम्पर्क सूचना आयोग सहित	48	संस्कृत शिक्षा
5	कला एवं संस्कृति	27	निरीक्षण	49	माध्यमिक शिक्षा
6	आयुर्वेद	28	सिंचाई (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना)	50	बंदोबस्त
7	भाषा एवं पुस्तकालय	29	जेल	51	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि
8	कलेक्टर (विविध)	30	श्रम	52	कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता
9	सिंचित क्षेत्र विकास	31	भू राजस्व	53	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
10	सहकारिता	32	विधि एवं विधिक कार्य	54	मृदा एवं जल संरक्षण
11	देवस्थान	33	स्थानीय कोष लेखापरीक्षा विभाग	55	पंजीयन एवं मुद्रांक
12	आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा	34	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	56	राज्य आबकारी
13	निर्वाचन	35	चिकित्सा शिक्षा	57	आर्थिक एवं सांख्यिकी
14	प्राथमिक शिक्षा	36	अल्पसंख्यक मामलात्	58	तकनीकी शिक्षा
15	कर्मचारी राज्य बीमा	37	पंचायती राज संस्थान	59	पर्यटन
16	मूल्यांकन	38	पटवार प्रशिक्षण केंद्र	60	कोष एवं लेखा
17	वित्त	39	पेंशन (बैंक)	61	जनजातीय क्षेत्रीय विकास
18	मत्स्य	40	कार्मिक	62	वैट/जीएसटी
19	स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	41	मुद्रण एवं स्टेशनरी	63	जल संसाधन विभाग
20	सामान्य प्रशासन विधानसभा सचिवालय राज्यपाल सहित	42	राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान	64	मार्गोपय
21	गोपालन	43	राजस्थान लोक सेवा आयोग	65	महिला एवं बाल विकास
22	भू-जल	44	राजस्थान कर्मचारी चयन मण्डल	66	युवा एवं खेल मामले

परिशिष्ट 6.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.4)

सरकार/विभागों के प्रत्युत्तर को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	अनियमितता की श्रेणी	विधि एवं विधिक मामलात विभाग		उच्च शिक्षा विभाग		पशुपालन विभाग	
		अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां/भंडार एवं नकद की चोरी	1	0	41	2,159.70	7	47.04
2	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियां	27	36.86	126	8,685.89	15	220.60
3	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	0	0	165	4,446.32	7	1,852.86
4	परिहार्य/अधिक व्यय	9	957.92	96	10,744.03	7	897.88
5	निरर्थक/निष्फल व्यय	2	5.41	48	4,042.27	8	78.80
6	विनियामक प्रकरण	240	2,647.78	1,453	1,57,384.67	42	4,407.88
7	निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय संस्थापना/निधियों का अवरोधन/निधियों का विपथन	8	220.25	214	30,009.35	27	13,899.67
8	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब/निष्क्रिय रहना	0	0	1	2.96	0	0
9	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	0	0	18	759.51	6	0
10	विविध	323	959.70	52	1,009.96	60	2,81,747.90
	योग	610*	4,827.92	2,214	2,19,244.66	179	3,03,152.63

* उप-अनुच्छेद सहित

परिशिष्ट 7.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.1)

रबी 2018-19 में प्रमाणित बीजों को बीज के बजाय अनाज के रूप में बेचने से हानि का विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम	बीज की किस्म	डीलरों को बेचकर निस्तारित की गई मात्रा (क्विंटल)	निस्तारण की दर (₹/क्विंटल)	खरीद की लागत (₹/क्विंटल)	हानि प्रति क्विंटल (₹)	कुल हानि (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	(8)=(7)*(4)
(क) डीलरों को बेची गई गेहूँ की किस्में (10 वर्ष तक पुरानी)							
1	सूरतगढ़	एचडी-2967	3,440	1,750	2,900.86	1,150.86	39,58,958
		एचडी-3086	155.4	1,750	2,900.86	1,150.86	1,78,844
		डब्ल्यूएच-1105	2,120	1,750	2,900.86	1,150.86	24,39,823
		एचडी -2967	750	1,750	2,900.86	1,150.86	8,63,145
2	उदयपुर	राज-4079	77.6	1,800	2,900.86	1,100.86	85,427
3	सुमेरपुर	एचडी-3086	140	1,750	2,900.86	1,150.86	1,61,120
		राज-4120	108	1,800	2,900.86	1,100.86	1,18,893
4	हनुमानगढ़ टाउन	डब्ल्यूएच-1105	510.4	1,750	2,900.86	1,150.86	5,87,399
5	भरतपुर	एचडी-3086	20	1,750	2,900.86	1,150.86	23,017
6	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	एचडी-2967	1,256	1,750	2,900.86	1,150.86	14,45,480
7	बारां	एचआई-1544	320	1,750	2,900.86	1,150.86	3,68,275
8	मण्डोर	राज-4238	5.6	1,800	2,900.86	1,100.86	6,165
योग			8,903				1,02,36,547
(ख) डीलरों को बेची गई गेहूँ की किस्में (10 वर्ष से अधिक पुरानी)							
1	बारां	राज -4037	400	1,800	2,672.72	872.72	3,49,088
2	चित्तौड़गढ़	राज -4037	6	1,800	2,672.72	872.72	5,236
3	ढीन्डोल	राज -4037	157.6	1,800	2,672.72	872.72	1,37,541
योग			563.6				4,91,865
उप-योग (क) + (ख)			9,466.6				1,07,28,412
(ग) ई-नीलामी के माध्यम से बेची गई गेहूँ की किस्में (10 वर्ष तक पुरानी)							
1	अलवर	एचडी -2967	1,063.60	1,645	2,900.86	1,255.86	13,35,733
		एचडी -3086	1,261.20	1,629	2,900.86	1,271.86	16,04,070
		राज -4079	133.89	1,675	2,900.86	1,225.86	1,64,130
		राज -4238	1,041.20	1,705	2,900.86	1,195.86	12,45,129
2		राज -4079	21.20	1,936	2,900.86	964.86	20,455

क्र.सं.	इकाई का नाम	बीज की किस्म	डीलरों को बेचकर निस्तारित की गई मात्रा (क्विंटल)	निस्तारण की दर (₹/क्विंटल)	खरीद की लागत (₹/क्विंटल)	हानि प्रति क्विंटल (₹)	कुल हानि (₹)
	बाँसवाड़ा	राज -4120	90.00	1,931	2,900.86	969.86	87,287
3	बारां	राज -4079	5,302.00	1,961	2,900.86	939.86	49,83,138
		राज -4120	1,294.40	1,941	2,900.86	959.86	12,42,443
		राज -4238	2,494.00	1,982	2,900.86	918.86	22,91,637
4	भरतपुर	एचडी -2967	3,220.80	1,939	2,900.86	961.86	30,97,959
		एचडी -3086	452.00	1,654	2,900.86	1,246.86	5,63,581
		एचडी -3086	432.00	1,939	2,900.86	961.86	4,15,524
		राज -4079	968.80	1,709	2,900.86	1,191.86	11,54,674
		राज -4238	3,660.00	1,690	2,900.86	1,210.86	44,31,748
5	भीलवाड़ा	राज -4079	1,329.20	2,020	2,900.86	880.86	11,70,839
		राज -4120	94.00	2,000	2,900.86	900.86	84,681
6	चित्तौड़गढ़	राज -4238	1,116.40	1,999	2,900.86	901.86	10,06,837
7	ढीन्डोल	राज -4120	144.00	1,937	2,900.86	963.86	1,38,796
8	दूनी	एचडी -2967	333.60	1,617	2,900.86	1,283.86	4,28,296
		एचडी -3086	44.00	1,609	2,900.86	1,291.86	56,842
		राज -4238	1,432.40	1,951	2,900.86	949.86	13,60,579
		डीपीडब्ल्यू-621	40.00	1,670	2,900.86	1,230.86	49,234
9	हनुमानगढ़	एचडी -2967	426.80	1,651	2,900.86	1,249.86	5,33,440
		एचडी -3086	2,011.60	1,955	2,900.86	945.86	19,02,692
		डब्ल्यूएच -1105	4,476.40	1,942	2,900.86	958.86	42,92,241
10	हिन्डोन सिटी	राज -4079	168.00	1,660	2,900.86	1,240.86	2,08,464
		राज -4120	62.00	1,651	2,900.86	1,249.86	77,491
		राज -4238	33.60	1,639	2,900.86	1,261.86	42,398
11	झालावाड़	एचआई-1544	1,180.40	1,986	2,900.86	914.86	10,79,901
		राज -4079	1,398.40	1,961	2,900.86	939.86	13,14,300
		राज -4120	40.80	1,931	2,900.86	969.86	39,570
		राज -4238	147.60	1,971	2,900.86	929.86	1,37,247
		राज -4238	44.00	1,931	2,900.86	969.86	42,674
12	कोटा	एचआई-1544	1,579.60	1,998	2,900.86	902.86	14,26,158
		राज -4120	15.20	1,554	2,900.86	1,346.86	20,472
		राज -4238	5,422.00	1,986	2,900.86	914.86	49,60,371
13	नागौर	एचडी -2967	1,464.00	1,981	2,900.86	919.86	13,46,675
		एचडी -3086	1,003.20	1,965	2,900.86	935.86	9,38,855
		राज -4079	151.60	1,955	2,900.86	945.86	1,43,392

क्र.सं.	इकाई का नाम	बीज की किस्म	डीलरों को बेचकर निस्तारित की गई मात्रा (क्विंटल)	निस्तारण की दर (₹/क्विंटल)	खरीद की लागत (₹/क्विंटल)	हानि प्रति क्विंटल (₹)	कुल हानि (₹)
		राज -4238	176.00	1,967	2,900.86	933.86	1,64,359
14	श्रीगंगानगर	राज -4238	140.80	1,691	2,900.86	1,209.86	1,70,348
15	श्रीकरणपुर	राज -4238	208.80	1,950	2,900.86	950.86	1,98,540
		डब्ल्यूएच-1105	2,315.60	1,936	2,900.86	964.86	22,34,230
16	सुमेरपुर	राज -4120	101.60	1,955	2,900.86	945.86	96,099
17	तबीजी	राज -4079	92.90	1,651	2,900.86	1,249.86	1,16,112
		राज -4079	61.50	1,951	2,900.86	949.86	58,416
		राज -4120	175.20	1,721	2,900.86	1,179.86	2,06,711
		राज -4120	44.40	1,960	2,900.86	940.86	41,774
		राज -4238	88.40	1,957	2,900.86	943.86	83,437
	योग		48,999.09				4,88,09,981
(घ) ई-नीलामी के माध्यम से बेची गईं गेहूँ की किस्में (10 वर्ष से अधिक पुरानी)							
1	अलवर	राज -4037	580.00	1,719	2,672.72	953.72	5,53,158
		राज -4083	54.80	1,670	2,672.72	1,002.72	54,949
		डब्ल्यूएच -1106	348.00	1,659	2,672.72	1,013.72	3,52,775
2	बारां	राज -4037	5,043.60	1,958	2,672.72	714.72	36,04,762
		राज -4083	623.20	1,971	2,672.72	701.72	4,37,312
3	भरतपुर	राज -4037	2,874.00	1,967	2,672.72	705.72	20,28,239
4	भीलवाड़ा	राज -4037	1,322.80	1,960	2,672.72	712.72	9,42,786
5	चित्तौड़गढ़	लोक-1	24.00	1,952	2,672.72	720.72	17,297
		राज -4037	2,861.20	2,035	2,672.72	637.72	18,24,644
		राज -4037	4,291.80	2,031	2,672.72	641.72	27,54,134
		राज -4083	319.40	2,000	2,672.72	672.72	2,14,867
6	ढीन्डोल	राज -4037	98.00	1,937	2,672.72	735.72	72,101
7	दूनी	राज -4038	835.20	1,669	2,672.72	1,003.72	8,38,307
8	हनुमानगढ़	राज -4037	379.60	1,737	2,672.72	935.72	3,55,199
9	हिन्दोन सिटी	एचआई-1545	645.60	1,687	2,672.72	985.72	6,36,381
10	झालावाड़	राज -4037	592.80	1,982	2,672.72	690.72	4,09,459
11	कोटा	राज -4037	101.60	1,699	2,672.72	973.72	98,930
		राज -4083	1,149.20	1,956	2,672.72	716.72	8,23,655
12	नागौर	राज -1482	143.00	1,937	2,672.72	735.72	1,05,208
		राज -4083	178.80	1,961	2,672.72	711.72	1,27,256

क्र.सं.	इकाई का नाम	बीज की किस्म	डीलरों को बेचकर निस्तारित की गई मात्रा (क्विंटल)	निस्तारण की दर (₹/क्विंटल)	खरीद की लागत (₹/क्विंटल)	हानि प्रति क्विंटल (₹)	कुल हानि (₹)
13	श्रीगंगानगर	राज -4037	140.00	1,704	2,672.72	968.72	1,35,621
14	सुमेरपुर	राज -4083	748.00	1,944	2,672.72	728.72	5,45,083
		राज -2967	1,352.80	1,961	2,672.72	711.72	9,62,815
15	सूरतगढ़	राज -4038	1,490.00	1,753	2,672.72	919.72	13,70,383
16	तबीजी	राज -4037	552.00	1,955	2,672.72	717.72	3,96,181
	योग		26,749.40				1,96,61,500
(ङ) ई-नीलामी के माध्यम से बेची गई सरसों की किस्में (15 वर्ष तक पुरानी)							
1	अलवर	गिरिराज	15.61	3,529	5,419.42	1,890.42	29,509
	अलवर	पुसा एम-30	50.00	3,559	5,419.42	1,860.42	93,021
2	भरतपुर	गिरिराज	22.75	3,521	5,419.42	1,898.42	43,189
	भरतपुर	एनआरसीडीआर-3	165.40	3,561	5,419.42	1,858.42	3,07,383
	भरतपुर	आरजीएन-299	4.98	3,511	5,419.42	1,908.42	9,504
3	दूनी	गिरिराज	6.76	3,441	5,419.42	1,978.42	13,374
	दूनी	एनआरसीडीआर-3	120.96	3,611	5,419.42	1,808.42	2,18,746
	दूनी	पुसा एम-30	236.58	3,631	5,419.42	1,788.42	4,23,104
	दूनी	आरजीएन-230	31.80	3,601	5,419.42	1,818.42	57,826
4	हिन्दोन सिटी	गिरिराज	132.41	3,619	5,419.42	1,800.42	2,38,394
	हिन्दोन सिटी	पुसा एम-30	135.75	3,619	5,419.42	1,800.42	2,44,407
	हिन्दोन सिटी	आरजीएन-299	4.41	3,419	5,419.42	2,000.42	8,822
	हिन्दोन सिटी	आरएच-0750	212.85	3,571	5,419.42	1,848.42	3,93,436
5	झालावाड़	गिरिराज	12.15	3,471	5,419.42	1,948.42	23,673
	झालावाड़	आरजीएन-230	39.96	3,410	5,419.42	2,009.42	80,296
6	कोटा	पुसा एम-30	82.20	3,622	5,419.42	1,797.42	1,47,748
	कोटा	आरजीएन-299	8.79	3,551	5,419.42	1,868.42	16,423
	कोटा	आरएच-0750	125.46	3,641	5,419.42	1,778.42	2,23,121
7	नागौर	आरजीएन-230	62.55	3,402	5,419.42	2,017.42	1,26,190
8	तबीजी	गिरिराज	46.97	3,576	5,419.42	1,843.42	86,585
	तबीजी	गिरिराज	126.90	3,608	5,419.42	1,811.42	2,29,869
	तबीजी	पुसा एम-29	8.76	3,541	5,419.42	1,878.42	16,455
	तबीजी	पुसा एम-30	99.72	3,561	5,419.42	1,858.42	1,85,322

क्र.सं.	इकाई का नाम	बीज की किस्म	डीलरों को बेचकर निस्तारित की गई मात्रा (क्विंटल)	निस्तारण की दर (₹/क्विंटल)	खरीद की लागत (₹/क्विंटल)	हानि प्रति क्विंटल (₹)	कुल हानि (₹)
	तबीजी	पुसा एम-30	83.16	3,588	5,419.42	1,831.42	1,52,301
	तबीजी	आरजीएन-230	18.15	3,531	5,419.42	1,888.42	34,275
	तबीजी	आरएच-0750	97.35	3,608	5,419.42	1,811.42	1,76,342
	योग		1,952.38				35,79,315
(च) ई-नीलामी के माध्यम से बेची गई सरसों की किस्में (15 वर्ष से अधिक पुरानी)							
1	अलवर	रोहिणी	38.1	3,571	5,955	2,384	90,830
2	भरतपुर	रोहिणी	332.52	3,611	5,955	2,344	7,79,427
3	दूनी	पी. बोल्ड	27.12	3,601	5,955	2,354	63,840
		रोहिणी	90.3	3,605	5,955	2,350	2,12,205
4	हिन्दोन सिटी	रोहिणी	75.03	3,619	5,955	2,336	1,75,270
5	झालावाड़	लक्ष्मी	108.48	3,601	5,955	2,354	2,55,362
6	कोटा	लक्ष्मी	7.02	3,509	5,955	2,446	17,171
7	तबीजी	लक्ष्मी	8.79	3,379	5,955	2,576	22,643
		लक्ष्मी	47.49	3,601	5,955	2,354	1,11,791
		पी. बोल्ड	33.18	3,604	5,955	2,351	78,006
	योग		768.03				18,06,546
(छ) ई-नीलामी के माध्यम से बेची गई चने की किस्में (15 वर्ष तक पुरानी)							
1	अलवर	जीएनजी-1582	424.50	3,594	6,881.26	3,287	13,95,442
2	बारां	जीएनजी -1582	119.10	3,568	6,881.26	3,313	3,94,609
3	भरतपुर	जीएनजी -1582	763.50	3,609	6,881.26	3,272	24,98,371
4	दूनी	जीएनजी -1581	56.70	4,218	6,881.26	2,663	1,51,007
5	हिन्दोन सिटी	जीएनजी -1582	834.90	3,641	6,881.26	3,240	27,05,293
6	लक्ष्मणगढ़	सीएसजे-516	159.90	3,537	6,881.26	3,344	5,34,747
		जीएनजी -1582	190.50	3,552	6,881.26	3,329	6,34,224
7	श्रीगंगानगर	जीएनजी -1581	648.90	3,547	6,881.26	3,334	21,63,601
8	सूरतगढ़	जीएनजी -1581	386.46	3,501	6,881.26	3,380	13,06,335
9	तबीजी	जीएनजी -1582	0.60	2,503	6,881.26	4,378	2,627
		आरजीसी-975	369.30	3,593	6,881.26	3,288	12,14,354
		आरजीसी-975	300.00	3,537	6,881.26	3,344	10,03,278
		जीएनजी -1582	476.10	3,568	6,881.26	3,313	15,77,443
		जीएनजी -1581	304.20	4,278	6,881.26	2,603	7,91,912
	योग		5,034.66				1,63,73,244

क्र.सं.	इकाई का नाम	बीज की किस्म	डीलरों को बेचकर निस्तारित की गई मात्रा (क्विंटल)	निस्तारण की दर (₹/क्विंटल)	खरीद की लागत (₹/क्विंटल)	हानि प्रति क्विंटल (₹)	कुल हानि (₹)
(ज) ई-नीलामी के माध्यम से बेची गई जौ की किस्में (10 वर्ष तक पुरानी)							
1	लक्ष्मणगढ़	आरडी-2624	16.2	1,148	2,661.64	1,514	24,521
2	श्रीगंगानगर	बीएच-902	12.3	1,149	2,661.64	1,513	18,605
		आरडी-2715	49.8	1,434	2,661.64	1,228	61,136
	योग		78.30				1,04,263
(झ) ई-नीलामी के माध्यम से बेची गई जौ की किस्में (10 वर्ष से अधिक पुरानी)							
1	अलवर	आरडी-2035	9	1,149	2,354.2	1,205	10,847
2	लक्ष्मणगढ़	आरडी-2035	118.8	1,151	2,354.2	1,203	1,42,940
3	श्रीगंगानगर	आरडी-2035	63.3	1,147	2,354.2	1,207	76,416
		आरडी-2036	63.3	1,511	2,354.2	843	53,375
4	उदयपुर	आरडी-2035	159	1,199	2,354.2	1,155	1,83,677
	योग		413.40				4,67,254
उप-योग (ग) से (झ)			83,995.26				9,08,02,103
महा योग			93,461.86				10,15,30,514

परिशिष्ट 7.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2)

स्थान-वार क्षमताएं जो प्रदाता-बी के बजाय प्रदाता-ए से प्राप्त की जा सकती थी, को दर्शाने वाला का विवरण पत्र

(मीट्रिक टन में)

स्थान	प्रदाता-ए प्रस्ताव-I	प्रदाता-ए प्रस्ताव-II	प्रदाता-ए द्वारा प्रस्तावित कुल क्षमता	प्रदाता-ए से प्राप्ति	प्राप्ति के बाद प्रदाता-ए के पास शेष क्षमता	प्रदाता-बी से प्राप्ति	क्षमता जो ज्यादा लाभकारी विकल्प प्रदाता-ए से प्राप्त की जा सकती थी
जोधपुर	2,544		2,544	0	2,544	17,720	2,544
बीकानेर	30,316		30,316	0	30,316	54,000	30,316
श्रीगंगानगर	12,930.4		12,930.4	0	12,930.4	19,350	12,930.4
अलवर	2,000	5,000	7,000	0	7,000	9,800	7,000
कोटा	6,800		6,800	0	6,800	37,200	6,800
भवानीमंडी		9,000	9,000	0	9,000	2,000	2,000
बारां		15,000	15,000	0	15,000	17,739	15,000
निवाई		15,000	15,000	0	15,000	9,133	9,133
चौमू		15,000	15,000	0	15,000	500	500
संगरिया		5,520	5,520	0	5,520	2,600	2,600
कुल	54,590.4	64,520	1,19,110.4	0	1,19,110.4	1,70,042	88,823.4

परिशिष्ट 7.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.3)

राज्य में एमएसपी के अंतर्गत फसल-वार उत्पादन, उत्पादन के लक्ष्य और वास्तविक खरीद का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र

फसल का नाम	वर्ष	राज्य में कुल उत्पादन (एलएमटी में)	खरीद का लक्ष्य एलएमटी में (उत्पादन का प्रतिशत)	वास्तविक खरीद एलएमटी में (उत्पादन का प्रतिशत)	खरीद में कमी (एलएमटी में)	एमएसपी	एपीएमसी की औसत कीमत*	एपीएमसी की औसत कीमत की तुलना में एमएसपी का आधिक्य	अधिक मूल्य जो किसानों को प्राप्त हो सकता था (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)=(9)*(6)/10
चना	2018-19	18.40	5.88 (31.96)	5.80 (31.52)	0.08	4,620	3,253	1,367	10.94
	2019-20	26.58	4.17 (15.68)	1.20 (4.51)	2.97	4,875	3,942	933	277.10
उड़द	2017-18	5.24	1.32 (25.19)	1.31 (25.00)	0.01	5,400	3,786	1,614	1.61
	2018-19	3.76	0.88 (23.40)	0.77 (20.48)	0.11	5,600	3,331	2,269	24.96
	2019-20	1.24	0.74 (59.68)	0.00027 (0.02)	0.74	5,700	3,997	1,703	125.98
मूंगफली	2017-18	12.59	1.50 (11.91)	1.46 (11.60)	0.04	4,450	3,469	981	3.92
	2018-19	13.83	3.79 (27.40)	2.32 (16.78)	1.47	4,890	3,740	1,150	169.05
	2019-20	16.12	3.07 (19.04)	1.93 (11.97)	1.14	5,090	4,203	887	101.12
सोयाबीन	2017-18	10.70	1.50 (14.02)	0.12 (1.12)	1.38	3,050	2,874	176	24.29
	2018-19	11.69	3.69 (31.57)	0.03 (0.26)	3.66	3,399	3,145	254	92.96
	2019-20	5.25	3.54 (67.43)	0 (0)	3.54	3,710	3,634	76	26.90
सरसों	2018-19	47.79	8.00 (16.74)	4.72 (9.88)	3.28	4,200	3,220	980	321.24
	2019-20	42.89	8.50 (19.82)	6.09 (14.20)	2.41	4,425	3,705	720	173.52

* औसत मूल्य जिस पर फसल राज्य में कृषि उत्पाद विपणन समिति में बेची गई

परिशिष्ट 7.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.5)

केरोसिन के स्वेच्छापूर्वक अभ्यर्पण में देरी के कारण नकद प्रोत्साहन की हानि का तिमाहीवार विवरण

क्र. सं.	राज्य सरकार द्वारा केरोसिन अभ्यर्पण की दिनांक	वर्ष	प्रासंगिक तिमाही	भारत सरकार द्वारा वास्तविक आवंटन (केएल में)	राज्य सरकार द्वारा उठायी गई वास्तविक मात्रा (केएल में)	राज्य सरकार द्वारा स्वेच्छापूर्वक अभ्यर्पित की गई मात्रा		राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों की स्थिति	हिस्सा अभ्यर्पण में विलम्ब	केरोसिन पर सब्सिडी की दर (₹ प्रति लीटर)	नकद प्रोत्साहन की हानि (₹ करोड़ में) (गुणांक*मात्रा केएल में* सब्सिडी की दर)
						मात्रा (केएल में)	राज्य सरकार द्वारा दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)
1	27.02.2018	2016-17	Q2	1,11,732	107,405	4,008	86.02	स्वीकृत नहीं	17 माह	11.60	86.02
			Q3	71,028	68,844	42,569			14 माह	11.21	
			Q4	71,028	64,528	46,895			11 माह	13.29	
		2017-18	Q1	64,992	51,644	13,348	शून्य	स्वीकृत नहीं	8 माह	10.18	10.19
			Q2	64,992	2,116	62,876	शून्य	स्वीकृत नहीं	5 माह	7.19	33.90
योग				3,83,772	294,537	1,69,696					
2	30.05.2018	2017-18	Q3	64,992	0	64,992	शून्य	स्वीकृत नहीं	5 माह	10.89	53.08
			Q4	64,992	56,692	8,300			2 माह	13.19	8.21
		योग				1,29,984	56,692	73,292			
3	13.07.2018	2018-19	Q1	64,992	24,700	40,292	शून्य	स्वीकृत नहीं	1 माह	15.59	31.41
			Q2	64,992	21,804	34,992		स्वीकृत	समय पर	16.27	
			Q3	30,000	18,744	0		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
		योग				1,59,984	65,248	75,284			
4	08.01.2019 एवं 12.02.2019	2018-19	Q4	30,000		17,000	शून्य	स्वीकृत	समय पर	8.72	
		योग				30,000	0	17,000			
5	02.04.2019	2019-20	Q1	13,000		3,000	शून्य	स्वीकृत	समय पर	10.24	
		योग				13,000	0	3,000			
महा योग											222.81

नोट 1. संबंधित तिमाही के लिए सब्सिडी की इकाई दर पर स्वेच्छिक कटौती की मात्रा के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना के लिए 2016-17 और 2017-18 के लिए गुणांक 0.75, 2018-19 के लिए 0.50 और 2019-20 के लिए 0.25 था।

2. 2018-19 की दूसरी और चौथी तिमाही और 2019-20 की पहली तिमाही में स्वीकृत मात्रा के लिए भारत सरकार द्वारा कुल ₹ 77.52 करोड़ का प्रोत्साहन दिया गया।

परिशिष्ट 7.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.13)

लघु वित्त योजना के अंतर्गत बकाया ऋण राशि का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	वर्ष	स्वयं सहायता समूह का नाम	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	वसूली राशि	बकाया मूल व ब्याज	शास्ति	कुल राशि
1	2012-13	चांदनी	3,42,000	2,70,000	98,330	2,66,232	1,75,901	4,42,133
2	2012-13	हनी बनी	3,42,000	2,70,000	80,242	2,80,433	4,47,804	7,28,237
3	2012-13	निलोफर शेख	3,42,000	2,70,000	71,386	2,92,113	4,77,593	7,69,706
4	2012-13	खुशी	3,42,000	2,70,000	89,098	2,68,455	4,46,753	7,15,208
5	2012-13	नसरीन	3,42,000	2,70,000	1,24,522	2,19,506	4,45,082	6,64,588
6	2012-13	सजिया	3,42,000	2,70,000	62,480	3,11,931	2,84,148	5,96,079
7	2012-13	सानिया	3,42,000	2,70,000	1,06,546	2,53,439	6,15,096	8,68,535
8	2012-13	पाकीजा	3,42,000	2,70,000	44,068	3,38,367	2,84,503	6,22,870
9	2012-13	पलक	3,42,000	2,70,000	63,880	3,10,106	2,84,148	5,94,254
10	2012-13	अंजुम	3,42,000	2,70,000	52,924	3,25,668	2,84,238	6,09,906
11	2012-13	आरजू	3,42,000	2,70,000	54,624	3,23,505	2,83,449	6,06,954
12	2012-13	संजरी	3,42,000	2,70,000	89,098	2,64,741	6,69,953	9,34,694
योग (अ)			41,04,000	32,40,000	9,37,198	34,54,496	46,98,668	81,53,164
1	2013-14	तायरा साजिया /	2,85,000	2,85,000	66,240	3,04,886	5,31,841	8,36,727
2	2013-14	रेशमा	2,85,000	2,85,000	44,580	3,32,890	5,65,425	8,98,315

क्र.सं.	वर्ष	स्वयं सहायता समूह का नाम	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	वसूली राशि	बकाया मूल व ब्याज	शास्ति	कुल राशि
3	2013-14	शगुफ्ता	2,85,000	2,85,000	41,040	3,37,783	5,65,595	9,03,378
4	2013-14	मदीना	2,85,000	2,85,000	69,120	3,03,229	4,15,261	7,18,490
5	2013-14	रौनक	2,85,000	2,85,000	42,480	3,35,603	5,48,623	8,84,226
6	2013-14	अलकुमा	2,85,000	2,85,000	7,920	3,79,032	6,35,442	10,14,474
7	2013-14	मदर	2,85,000	2,85,000	43,025	3,34,106	5,65,409	8,99,515
8	2013-14	सादिया	2,85,000	2,85,000	0	3,84,843	2,14,704	5,99,547
9	2013-14	फिज़ा	2,85,000	2,85,000	0	3,84,843	2,14,704	5,99,547
10	2013-14	यासमीन	2,61,250	2,61,250	18,660	3,32,783	6,35,395	9,68,178
11	2013-14	जमीला	2,61,250	2,61,250	17,105	3,34,896	6,35,395	9,70,291
12	2013-14	सलमा	2,61,250	2,61,250	27,300	3,22,879	5,65,594	8,88,473
13	2013-14	वसीला	2,61,250	2,61,250	18,660	3,31,940	6,35,354	9,67,294
14	2013-14	मदर मैरी	2,61,250	2,61,250	2,13,840	1,36,992	2,48,295	3,85,287
15	2013-14	जतन	2,61,250	2,61,250	18,660	3,31,933	6,53,447	9,85,380
16	2013-14	नगीना	2,85,000	2,85,000	34,560	3,45,742	5,65,499	9,11,241
17	2013-14	जॉइंट सोसाइटी	2,85,000	2,85,000	43,200	3,35,378	5,65,467	9,00,845
18	2013-14	सफ़द	2,85,000	2,85,000	31,680	3,50,954	5,65,726	9,16,680
योग (ख)			49,87,500	49,87,500	7,38,070	59,20,712	93,27,176	1,52,47,888
1	2014-15	गज़ाला	5,40,000	3,78,000	0	4,90,088	3,22,245	8,12,333
2	2014-15	गज़ाला	5,40,000	3,78,000	0	4,94,170	3,22,439	8,16,609
3	2014-15	फलक	4,05,000	2,83,500	0	3,66,918	2,41,684	6,08,602
4	2014-15	बिलकिस	3,60,000	3,60,000	0	4,67,193	3,06,905	7,74,098
5	2014-15	गुलिस्ता	5,40,000	3,78,000	0	4,90,088	3,22,245	8,12,333

क्र.सं.	वर्ष	स्वयं सहायता समूह का नाम	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	वसूली राशि	बकाया मूल व ब्याज	शास्ति	कुल राशि
6	2014-15	फरहाना	2,70,000	2,70,000	0	3,49,731	2,30,148	5,79,879
7	2014-15	जीनत	5,40,000	3,78,000	0	4,90,088	3,22,245	8,12,333
8	2014-15	फिजा	5,40,000	4,95,000	0	6,37,280	4,60,055	10,97,335
9	2014-15	कुलसुम	5,40,000	4,95,000	0	6,37,280	4,60,055	10,97,335
10	2014-15	नफ्रीसा	4,50,000	3,15,000	0	4,08,020	2,68,516	6,76,536
11	2014-15	रुबी	5,40,000	3,78,000	0	4,82,817	1,76,691	6,59,508
12	2014-15	फीरोजा	5,40,000	3,78,000	0	4,84,708	1,83,117	6,67,825
योग (ग)			58,05,000	44,86,500	0	57,98,381	36,16,345	94,14,726
महा योग (क+ख+ग)			1,48,96,500	1,27,14,000	16,75,268	1,51,73,589	1,76,42,189	3,28,15,778

परिशिष्ट 7.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.13)

उन स्वयं सहायता समूहों की सूची जिनके मई 2019 तक के बकाया के अग्रिम चेक प्रस्तुत किये गए थे

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	वर्ष	स्वयं सहायता समूह का नाम	वित्तिरित ऋण राशि	कुल जमा पुनर्भुगतान	अंतिम किश्त राशि जमा होने का माह	मई 2019 तक बकाया राशि के प्रस्तुत अग्रिम चेक	अग्रिम चेक प्रस्तुति की दिनांक	अग्रिम चेक प्रस्तुति में विलम्ब
1.	2012-13	चांदनी	2,70,000	98,330	11/2016	4,17,505.00	20.06.2019	2 वर्ष 7 माह
2.	2012-13	साजिया	2,70,000	62,480	12/2015	5,69,243.00	12.06.2019	3 वर्ष 6 माह
3.	2012-13	पाकीजा	2,70,000	44,068	12/2015	5,94,754.00	20.06.2019	3 वर्ष 6 माह
4.	2012-13	पलक	2,70,000	63,880	12/2015	5,22,664.00	20.06.2019	3 वर्ष 6 माह
5.	2012-13	अंजुम	2,70,000	52,924	12/2015	5,32,187.00	20.06.2019	3 वर्ष 6 माह
6.	2012-13	आरजू	2,70,000	54,624	12/2015	5,33,832.00	20.06.2019	3 वर्ष 6 माह
7.	2013-14	मदीना	2,85,000	69,120	11/2014	6,99,672.00	31.07.2019	4 वर्ष 8 माह
8.	2014-15	गजाला	3,78,000	0	प्रथम किश्त भुगतान तिथि 10/2015	7,73,027.00	20.03.2019	3 वर्ष 4 माह
9.	2014-15	गजाला	3,78,000	0	-वही-	7,71,103.00	चेक प्रस्तुत नहीं किया गया	
10.	2014-15	फलक	2,83,500	0	-वही-	5,79,156.00	20.06.2019	3 वर्ष 7 माह
11.	2014-15	बिलकिस	3,60,000	0	-वही-	7,36,643.00	चेक प्रस्तुत नहीं किया गया	
12.	2014-15	गुलिस्ता	3,78,000	0	-वही-	7,73,027	20.06.2019	3 वर्ष 7 माह
13.	2014-15	फरहाना	2,70,000	0	-वही-	5,51,822.00	20.06.2019	3 वर्ष 7 माह

क्र.सं.	वर्ष	स्वयं सहायता समूह का नाम	वित्तिरित ऋण राशि	कुल जमा पुनर्भुगतान	अंतिम किश्त राशि जमा होने का माह	मई 2019 तक बकाया राशि के प्रस्तुत अग्रिम चेक	अग्रिम चेक प्रस्तुति की दिनांक	अग्रिम चेक प्रस्तुति में विलम्ब
14.	2014-15	ज़ीनत	3,78,000	0	-वही-	7,73,027.00	20.06.2019	3 वर्ष 7 माह
15.	2014-15	फिज़ा	4,95,000	0	12/2015	10,44,257.00	20.06.2019	3 वर्ष 6 माह
16.	2014-15	कुलसुम	4,95,000	0	-वही-	10,44,257.00	20.06.2019	3 वर्ष 6 माह
17.	2014-15	नफ़ीसा	3,15,000	0	10/2015	6,43,800.00	20.06.2019	3 वर्ष 7 माह

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi>